

UPPSC PRELIMS

QRS

क्विक
रिवीजन
सीरीज

Last-Minute Revision Notes

अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था • बजट 2026-27

बैंकिंग • राजकोषीय • बाह्य क्षेत्रक • कृषि

01 आर्थिक अवधारणाएँ, राष्ट्रीय आय एवं मुद्रास्फीति	07 उद्योग, अवसंरचना एवं सेवाएँ
02 मुद्रा, बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति	08 मानव पूँजी, रोज़गार, निर्धनता
03 बजट, कराधान, GST एवं सार्वजनिक ऋण	09 आर्थिक समीक्षा 2025-26 एवं केंद्रीय बजट 2026-27
04 बाह्य क्षेत्रक, व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ	10 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं UP बजट 2026-27
05 वित्तीय बाज़ार, SEBI, बीमा	11 समसामयिकी 2026 एवं समष्टि पटल
06 नियोजन एवं कृषि	12 मुख्य सारणियाँ, समितियाँ एवं स्थैतिक तथ्य

विषय-सूची

आधारभूत सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं आर्थिक प्रणालियाँ.....	12
दुर्लभता, चयन एवं अवसर लागत	12
आर्थिक प्रणालियाँ	12
उपभोक्ता व्यवहार	12
माँग	13
लोच	13
पूर्ति, उत्पादन एवं लागतें	13
सार्वजनिक वस्तुएँ एवं बाज़ार की विफलता	14
परीक्षा में प्रायः पूछी जाने वाली अन्य अवधारणाएँ.....	14
समष्टि अर्थशास्त्र: प्रमुख मॉडल	15
व्यापार चक्र एवं नीति-मिश्रण.....	15
वृद्धि के सिद्धांत	16
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत	16
बाज़ार संरचनाएँ	17
कल्याणकारी अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक वस्तुएँ	17
राष्ट्रीय आय लेखांकन.....	18
चक्रीय प्रवाह एवं मूल अवधारणाएँ.....	18
GDP मापन की तीन विधियाँ	18
GDP, GNP, NDP, NNP	18
सांकेतिक एवं वास्तविक GDP, अपस्फीतिकारक	19
नई राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला (आधार 2022-23)	19
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन	20
प्रति व्यक्ति आय एवं क्षेत्रों का हिस्सा	20
GDP एवं कल्याण	20
कीमत सूचकांक, मुद्रास्फीति एवं प्रमुख उद्योग.....	21
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (CPI)	21
थोक कीमत सूचकांक (WPI) एवं PPI	21
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)	22
मुद्रास्फीति के प्रकार	22
भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण	23
अर्थशास्त्र के विचारक, संप्रदाय एवं नोबेल पुरस्कार विजेता	24
आर्थिक चिंतन के संप्रदाय.....	24
भारतीय आर्थिक चिंतन	25
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार; 1969 से)	25
सांख्यिकीय प्रणाली, सर्वेक्षण एवं आँकड़ा प्रकाशन.....	26
संस्थागत संरचना.....	26

प्रमुख सर्वेक्षण एवं उनका चक्र	26
सांख्यिकी में प्रयुक्त अवधारणाएँ	27
भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि के चरण, संरचना एवं प्रमुख क्रम-स्थान	28
वृद्धि का इतिहास	28
क्षेत्रकीय संरचना	28
बचत एवं निवेश	28
प्रमुख क्रम-स्थान एवं स्थितियाँ (नवीनतम ज्ञात)	29
मुद्रा, भुगतान प्रणालियाँ एवं मुद्रा आपूर्ति	30
मुद्रा के कार्य एवं रूप	30
NPCI एवं भुगतान प्रणालियाँ	30
मुद्रा की माँग	31
मुद्रा आपूर्ति के माप	31
भारतीय रिज़र्व बैंक	32
जमा बीमा	33
बैंकिंग संरचना, NBFC एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	34
बैंकिंग प्रणाली की संरचना	34
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)	35
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)	36
मुद्रा सृजन एवं बैंकिंग अनुपात	36
बैंकिंग सुधार, NPA एवं दिवालियापन	37
सुधार के प्रमुख पड़ाव	37
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)	37
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016	38
ऋण की शर्तें एवं रेटिंग	38
मौद्रिक नीति: समिति, साधन एवं गलियारा	39
उद्देश्य एवं प्रकार	39
मौद्रिक नीति समिति (MPC)	39
मौद्रिक नीति के साधन	40
अपारंपरिक एवं गुणात्मक साधन	40
मौद्रिक नीति का संचरण	41
मुद्रास्फीति: गति, कारण एवं उपाय	42
गति के आधार पर वर्गीकरण	42
मुद्रास्फीति के कारण	42
प्रभाव एवं उपाय	42
अन्य मौद्रिक अवधारणाएँ	43
बैंकिंग मास्टर नोट्स: RBI, बैंक एवं संस्थाएँ	44
भारतीय रिज़र्व बैंक: प्रमुख पड़ाव	44

बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं विलय.....	44
बैंकिंग संरचना एवं वर्गीकरण.....	45
बेसल मानदंड एवं विवेकपूर्ण नियम.....	45
मुद्रा आपूर्ति एवं आरक्षित साधन.....	46
भुगतान प्रणालियाँ: मास्टर तालिका.....	46
NBFC की संरचना.....	47
सरकारी बजट: संरचना, प्राप्ति एवं व्यय.....	48
संवैधानिक आधार.....	48
बजट का वर्गीकरण.....	48
बजट के प्रकार.....	49
बजट के कार्य.....	49
घाटे के माप.....	49
राजकोषीय नीति.....	50
सब्सिडी, उपकर एवं अधिभार.....	50
कराधान: प्रत्यक्ष कर, सुधार एवं कर-परिहार.....	51
करों का वर्गीकरण.....	51
प्रत्यक्ष कर.....	51
कर-परिहार, कर-अपवंचन एवं अंतरराष्ट्रीय कराधान.....	52
कर सुधार समितियाँ.....	52
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	53
पृष्ठभूमि एवं संरचना.....	53
GST 2.0 (22 सितंबर 2025 से).....	53
अन्य अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क.....	54
FRBM, सार्वजनिक ऋण एवं वित्त आयोग.....	55
FRBM अधिनियम, 2003.....	55
सार्वजनिक ऋण.....	55
वित्त आयोग.....	56
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध एवं राज्यों के वित्त.....	57
संवैधानिक प्रावधान (भाग XII, अनुच्छेद 264-293).....	57
राजकोषीय अंतरण.....	57
राज्यों के वित्त.....	58
स्थानीय निकायों का वित्त.....	58
भुगतान संतुलन एवं विनिमय दर	59
खुली अर्थव्यवस्था एवं भुगतान संतुलन.....	59
पूँजी खाता एवं निवेश प्रवाह.....	59
परिवर्तनीयता.....	60
विनिमय दर प्रणालियाँ.....	60
NEER, REER, PPP.....	61

विदेशी मुद्रा भंडार, बाह्य ऋण, व्यापार नीति एवं मुक्त व्यापार समझौते.....	62
विदेशी मुद्रा भंडार	62
बाह्य ऋण	62
विदेश व्यापार	62
व्यापार समझौते: प्रकार एवं भारत की स्थिति	63
IMF, विश्व बैंक, WTO एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ.....	64
ब्रेटन वुड्स प्रणाली.....	64
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	64
विश्व बैंक समूह	64
विश्व व्यापार संगठन (WTO).....	65
कृषि समझौता (AoA).....	65
UNCTAD एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय.....	65
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR).....	66
अन्य वैश्विक समूह (अर्थव्यवस्था से संबद्ध)	66
वित्तीय बाज़ार: मुद्रा बाज़ार, पूँजी बाज़ार एवं प्रतिभूतियाँ	67
वित्तीय प्रणाली की संरचना.....	67
मुद्रा बाज़ार.....	67
पूँजी बाज़ार	68
निक्षेपागार रसीदें	69
SEBI, शेयर बाज़ार, कोष एवं विदेशी निवेश	70
SEBI	70
डेरिवेटिव एवं पण्य बाज़ार	70
कोषों के प्रकार	70
विदेशी निवेश.....	71
बीमा, पेंशन, फिनटेक एवं डिजिटल वित्त.....	73
बीमा.....	73
पेंशन.....	73
वित्तीय समावेशन.....	73
फिनटेक एवं डिजिटल वित्त	74
औपनिवेशिक पृष्ठभूमि एवं आर्थिक नियोजन	75
औपनिवेशिक शासन में अर्थव्यवस्था.....	75
आर्थिक प्रणालियाँ	75
भारत में नियोजन	75
भारतीय कृषि: संरचना, उत्पादन एवं प्रवृत्तियाँ.....	78
अवलोकन एवं अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी	78
भू-जोत (कृषि गणना 2015-16)	78
फसल प्रतिरूप.....	78
उत्पादन: तृतीय अग्रिम अनुमान 2025-26.....	79

संबद्ध क्षेत्रक.....	79
कृषि आगत: सिंचाई, उर्वरक, मृदा एवं जैविक खेती.....	81
सिंचाई.....	81
उर्वरक.....	81
जैविक एवं प्राकृतिक खेती.....	81
कृषि वित्त, कीमतें, विपणन एवं खाद्य सुरक्षा.....	83
कृषि ऋण.....	83
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं उपार्जन.....	83
कृषि विपणन.....	84
कृषक आय सहायता एवं योजनाएँ.....	84
खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली.....	84
कृषि की मुख्य सारणियाँ.....	85
उद्योग: नीतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र एवं MSME.....	88
औद्योगिक नीति के प्रमुख पड़ाव.....	88
विनिर्माण निष्पादन.....	88
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI).....	89
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम.....	89
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम.....	90
अवसंरचना: परिवहन, ऊर्जा, शहरी एवं डिजिटल.....	91
अवसंरचना की अवधारणा एवं वित्तपोषण.....	91
परिवहन.....	91
ऊर्जा एवं विद्युत.....	92
जल, स्वच्छता एवं डिजिटल.....	92
खनिज, श्रम कानून, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं स्टार्टअप.....	94
खनन एवं महत्वपूर्ण खनिज.....	94
श्रम कानून.....	94
SEZ, NIMZ एवं स्टार्टअप.....	94
क्षेत्रक परिचय: उद्योग एवं सेवाएँ.....	95
1991 के LPG सुधार एवं सेवा क्षेत्रक.....	97
1991 का संकट.....	97
सेवा क्षेत्रक.....	97
मानव पूँजी: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास सूचक.....	99
अवधारणा.....	99
शिक्षा.....	99
स्वास्थ्य.....	100
रोज़गार, श्रम बाज़ार एवं कौशल विकास.....	101
अवधारणाएँ एवं मापन.....	101

रोज़गार कार्यक्रम	101
कौशल विकास	102
निर्धनता, असमानता एवं सामाजिक सूचक	103
निर्धनता की अवधारणाएँ	103
बहुआयामी निर्धनता	103
असमानता	104
कल्याणकारी योजनाएँ (सामाजिक सुरक्षा)	104
सतत विकास, जलवायु एवं हरित अर्थव्यवस्था	105
अवधारणाएँ	105
अंतरराष्ट्रीय ढाँचा	105
भारत के घरेलू साधन	106
जलवायु एवं अर्थव्यवस्था	106
सतत विकास लक्ष्य	106
ग्रामीण एवं शहरी विकास: योजनाएँ एवं संस्थाएँ	107
ग्रामीण विकास	107
शहरी विकास	108
जनांकिकी एवं जनसंख्या अर्थशास्त्र	109
जनगणना की मूल बातें	109
अवधारणाएँ	109
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: वृद्धि, राजकोषीय, मुद्रा एवं कीमतें	111
सर्वेक्षण एक दृष्टि में	111
अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति (वित्त वर्ष 26 प्रथम अग्रिम अनुमान)	111
अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम	112
अध्याय 3: मुद्रा, बैंक एवं वित्तीय बाज़ार	112
अध्याय 5: मुद्रास्फीति	113
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: बाह्य क्षेत्रक, कृषि, सेवाएँ, उद्योग, अवसंरचना	114
अध्याय 4: बाह्य क्षेत्रक	114
अध्याय 6: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन	114
अध्याय 7: सेवाएँ	114
अध्याय 8: उद्योग	115
अध्याय 9: निवेश एवं अवसंरचना	115
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: जलवायु, मानव पूँजी, ग्रामीण, AI, शहर एवं राज्य क्षमता	117
अध्याय 10: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	117
अध्याय 11: शिक्षा एवं स्वास्थ्य	117
अध्याय 12: रोज़गार एवं कौशल	117
अध्याय 13: ग्रामीण विकास	118
अध्याय 14: AI पारितंत्र	118

अध्याय 15: शहरीकरण	118
अध्याय 16: रणनीतिक लचीलापन एवं राज्य क्षमता	118
अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति: वृद्धि की सीमा को आगे बढ़ाना	119
अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम: विश्वसनीय समेकन द्वारा स्थिरता का लंगर	120
अध्याय 3: मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता: नियामकीय स्पर्श का परिष्कार	122
अध्याय 4: बाह्य क्षेत्रक: दीर्घकालिक खेल	123
अध्याय 5: मुद्रास्फीति: नियंत्रित एवं स्थिर	125
अध्याय 6: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन: उत्पादकता बढ़ाना, आय सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा	126
अध्याय 7: सेवाएँ: स्थिरता से नई सीमाओं की ओर	127
अध्याय 8: उद्योग की अगली छलाँग: संरचनात्मक रूपांतरण एवं वैश्विक एकीकरण	129
अध्याय 9: निवेश एवं अवसंरचना: संपर्क, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना	130
अध्याय 10: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन: लचीला, प्रतिस्पर्धी और विकास-प्रेरित भारत निर्मित करना	131
अध्याय 11: शिक्षा एवं स्वास्थ्य: क्या कारगर है और आगे क्या	133
अध्याय 12: रोज़गार एवं कौशल विकास: कौशल को सही दिशा देना	134
अध्याय 13: ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रगति: सहभागिता से साझेदारी तक	136
अध्याय 14: भारत में AI पारितंत्र का विकास: आगे का मार्ग	137
अध्याय 15: शहरीकरण: भारत के शहरों को नागरिकों के लिए कारगर बनाना	139
अध्याय 16क: आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन एवं रणनीतिक अपरिहार्यता तक	140
अध्याय 16ख (भाग II): रणनीतिक लचीलापन एवं रणनीतिक अपरिहार्यता का निर्माण: राज्य, निजी क्षेत्र एवं नागरिक	141
केंद्रीय बजट 2026-27	145
एक नज़र में बजट	145
कर एवं सब्सिडी	146
पूँजीगत व्यय	146
मंत्रालयवार आबंटन (₹ करोड़, 2026-27 बजट अनुमान)	146
केंद्रीय बजट 2026-27: घोषणाएँ एवं कर परिवर्तन	148
क्षेत्रकवार घोषणाएँ	148
कर प्रस्ताव (प्रत्यक्ष)	149
सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर	149
उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: अर्थव्यवस्था की स्थिति	150
आकार, वृद्धि एवं संरचना	150
प्रति व्यक्ति आय	151
उद्योग, निर्यात एवं निवेश	151
अवसंरचना एवं सेवाओं की झलक	151
सार्वजनिक वित्त एवं बैंकिंग की झलक	152
रोज़गार, मुद्रास्फीति एवं शासन	152
जनांकिकी: भारत का युवा राज्य	152
खेल संवर्धन	152
उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: सार्वजनिक वित्त, भूमि एवं वन	153
सार्वजनिक वित्त	153

व्यय एवं ऋण	153
भूमि एवं वन संसाधन	154
उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: बैंकिंग, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन	155
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त (दिसंबर 2025)	155
वित्तीय समावेशन एवं बीमा	155
कृषि: अवलोकन	156
गन्ना एवं चीनी उद्योग	156
किसान योजनाएँ, बागवानी, पशुधन एवं मत्स्य पालन	157
खाद्य प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)	157
उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: ग्रामीण विकास, उद्योग एवं स्वास्थ्य	159
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	159
औद्योगिक विकास	159
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	160
उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: अवसंरचना, पर्यटन एवं शिक्षा	162
सड़क, रेल, वायु एवं जल	162
ऊर्जा	162
संचार एवं शहरी विकास	163
पर्यटन एवं संस्कृति	163
शिक्षा	164
उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: समाज कल्याण, श्रम, नीतियाँ एवं विज्ञान 2047	165
समाज कल्याण	165
श्रम एवं रोज़गार	166
राज्य नीतियाँ (आठ वर्षों में 34 नीतियाँ)	166
विज्ञान @2047: विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश	166
एक नज़र में UP एवं क्रमों की त्वरित पुनरावृत्ति	167
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27	168
एक नज़र में बजट	168
अर्थव्यवस्था एवं नीतिगत मुख्य बिंदु	168
2026-27 में प्राप्ति	169
2026-27 में व्यय	169
16वाँ वित्त आयोग एवं UP	170
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: योजनाएँ	171
नई योजनाएँ एवं घोषणाएँ (2026-27 बजट अनुमान)	171
प्रमुख आबंटन वाली चालू योजनाएँ	172
अर्थव्यवस्था समसामयिकी 2026 (जनवरी से अगस्त)	173
मौद्रिक, बैंकिंग एवं वित्तीय विनियमन	173
वृद्धि, रैंकिंग एवं पूर्वानुमान	174

व्यापार, उद्योग एवं नीति.....	174
समाचारों में योजनाएँ एवं कानून (2024-2026).....	176
विकसित भारत G RAM G अधिनियम, 2025 (मनरेगा का स्थान लेता है)	176
कृषि एवं ग्रामीण योजनाएँ.....	176
समष्टि पटल: अक्टूबर 2026 की स्थिति	178
नवीनतम आँकड़े एक नज़र में	178
राष्ट्रीय लेखा संशोधन (फ़रवरी 2026)	178
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्व.....	179
मुख्य सारणी 1: समितियाँ एवं आयोग (अर्थव्यवस्था)	180
बैंकिंग एवं वित्त	180
राजकोषीय, कर एवं नियोजन.....	180
मुख्य सारणी 2: अधिनियम, विधि एवं संवैधानिक प्रावधान (अर्थव्यवस्था)	182
आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ	182
कृषि एवं ग्रामीण विधियाँ.....	183
श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा विधियाँ	184
अर्थव्यवस्था संबंधी संवैधानिक प्रावधान	184
मुख्य सारणी 3: सरकारी योजनाएँ क से ज्ञ (अर्थव्यवस्था)	186
अर्थव्यवस्था, वित्त एवं समावेशन	186
कृषि एवं ग्रामीण	187
ऊर्जा, अवसंरचना एवं शहरी	188
सामाजिक क्षेत्र	188
मुख्य सारणी 4: संस्थाएँ, विनियामक एवं मुख्यालय	190
विनियामक एवं शीर्ष निकाय	190
अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ	191
मुख्य सारणी 5: प्रतिवेदन, सूचकांक एवं उनके प्रकाशक	193
वैश्विक प्रतिवेदन एवं सूचकांक	193
भारतीय प्रतिवेदन एवं सूचकांक	193
स्थैतिक तथ्य कोष: बजट, मुद्रा, बोर्ड एवं बंदरगाह	195
केंद्रीय बजट: इतिहास एवं प्रथम	195
भारत के वेतन आयोग	195
भारतीय मुद्रा: प्रमुख पड़ाव	196
भूमि सुधार एवं भू-अभिलेख	196
बोर्ड, आयोग एवं निर्यात संवर्धन निकाय.....	197
भारत के प्रमुख बंदरगाह.....	198
रेलवे एवं विमानन: त्वरित तथ्य	198
विश्व अर्थव्यवस्था: त्वरित संदर्भ.....	199
PYQ-शैली अभ्यास: सिद्धांत, बैंकिंग एवं उद्योग.....	201

त्वरित सूची: अंतिम दिन की पुनरावृत्ति हेतु एक-पंक्ति तथ्य	203
नियोजन, सुधार एवं संस्थाएँ	203
मुद्रा एवं बाज़ार	203
बाह्य क्षेत्रक	203
कृषि एवं खाद्य	204
उद्योग, अवसंरचना एवं सामाजिक	204
त्वरित सूची 2: बैंकिंग, राजकोषीय एवं UP अर्थव्यवस्था	204
आर्थिक शब्दों की शब्दावली	206
शब्द एवं उनके अर्थ	206
भारतीय आर्थिक नीति की कालरेखा (1944-2026)	210

अध्याय 01

आधारभूत सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं आर्थिक प्रणालियाँ

दुर्लभता, चयन एवं अवसर लागत

- अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वैकल्पिक उपयोगों वाले **सीमित संसाधनों** का आवंटन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे किया जाए; तीन केंद्रीय प्रश्न हैं: क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए
- दुर्लभता:** भूमि, श्रम, पूँजी एवं उद्यम सीमित हैं, जबकि आवश्यकताएँ असीमित हैं; अतः चयन अपरिहार्य है
- अवसर लागत** = छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य; सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई वस्तु अवसर लागत को उपभोक्ताओं से हटाकर करदाता जनता पर डाल देती है (UPSC 2018)
- उत्पादन संभावना सीमा (PPF):** दिए गए संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी से अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तुओं के अधिकतम संयोजनों को दर्शाती है; सीमा के भीतर के बिंदु = संसाधनों का अल्प-उपयोग; सीमा के बाहर के बिंदु = अप्राप्य; सीमा का बाहर की ओर खिसकना = आर्थिक वृद्धि
- उत्पादन के चार कारक एवं उनके प्रतिफल: भूमि (लगान), श्रम (मजदूरी), पूँजी (ब्याज), उद्यमी/संगठन (लाभ)
- आर्थिक समीक्षा 2018-19 ने **डेटा** को उत्पादन का नया कारक माना; बड़े डेटासेट रखने वाली फर्मों को बाज़ार में लाभ मिलता है

शाखा	अध्ययन का विषय	उदाहरण
सूक्ष्म अर्थशास्त्र	व्यक्तिगत परिवार, फर्म, बाज़ार एवं कीमत निर्धारण	माँग, पूर्ति, लोच, लागत
समष्टि अर्थशास्त्र	समग्र चर: उत्पादन, रोज़गार, मुद्रास्फीति, मुद्रा, व्यापार	GDP, मुद्रास्फीति, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति

- समष्टि अर्थशास्त्र एक पृथक शाखा के रूप में महामंदी के बाद जे. एम. कीन्स की पुस्तक *रोज़गार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत* (1936) से उभरा

आर्थिक प्रणालियाँ

प्रणाली	निर्णय कौन लेता है	विशेषता	उदाहरण
बाज़ार (पूँजीवादी) अर्थव्यवस्था	कीमत तंत्र; निजी क्षेत्र	राज्य की न्यूनतम भूमिका, लाभ का उद्देश्य, उपभोक्ता की संप्रभुता	संयुक्त राज्य अमेरिका (मोटे तौर पर)
नियोजित (समाजवादी) अर्थव्यवस्था	राज्य का नियोजन	संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व; समानता का लक्ष्य; दक्षता का अभाव	तत्कालीन सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, क्यूबा
मिश्रित अर्थव्यवस्था	निजी क्षेत्र एवं राज्य दोनों	निजी उद्यम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र एवं कल्याणकारी भूमिका	भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम

- भारत: औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 एवं 1956 के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था; 1991 के उदारीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित हुई तथा निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एवं **JAM त्रयी** (जन धन, आधार, मोबाइल) कल्याणकारी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बाज़ार-शैली की दक्षता के साधनों का प्रयोग करते हैं: धन सीधे लाभार्थियों तक पहुँचता है, जिससे रिसाव घटता है

उपभोक्ता व्यवहार

- उपयोगिता:** किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि; उपभोग बढ़ने पर कुल उपयोगिता (TU) बढ़ती है; सीमांत उपयोगिता (MU) = एक अतिरिक्त इकाई से TU में परिवर्तन
- हासमान सीमांत उपयोगिता नियम:** उपभोग बढ़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की MU घटती जाती है (पिज़्ज़ा के पहले टुकड़े से सर्वाधिक संतुष्टि मिलती है)
- उदासीनता वक्र:** दो वस्तुओं के वे संयोजन जो समान संतुष्टि देते हैं; मूल बिंदु की ओर उत्तल; ऊँचा वक्र = अधिक उपयोगिता; दो वक्र एक-दूसरे को काट नहीं सकते

- **सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS):** वह दर जिस पर उपभोक्ता उपयोगिता को स्थिर रखते हुए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेता है; वक्र के साथ MRS घटती जाती है
- **बजट रेखा:** दी गई आय से खरीदे जा सकने वाले संयोजन: $p_1x_1 + p_2x_2 = M$; बजट समुच्चय = रेखा पर तथा उसके नीचे के सभी बिंदु
- **उपभोक्ता का संतुलन:** वह बिंदु जहाँ बजट रेखा प्राप्य उच्चतम उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है

माँग

- **माँग का नियम:** अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने से माँगी गई मात्रा घटती है; माँग वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है
- माँग के निर्धारक (वक्र को खिसकाते हैं): आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, रुचि, प्रत्याशाएँ, जनसंख्या

वस्तु का प्रकार	व्यवहार	उदाहरण
सामान्य वस्तु	आय बढ़ने पर माँग बढ़ती है	अधिकांश वस्तुएँ
घटिया वस्तु	आय बढ़ने पर माँग घटती है	मोटे अनाज, सस्ता चावल (UPSC 2021)
गिफ़ेन वस्तु	कीमत बढ़ने पर माँग बढ़ती है (घटिया वस्तु, जिसका कोई स्थानापन्न नहीं तथा बजट में बड़ा हिस्सा)	निर्धन परिवारों में ब्रेड, चावल जैसी मुख्य खाद्य वस्तुएँ
वेबलेन वस्तु	कीमत बढ़ने पर माँग बढ़ती है (प्रतिष्ठा का प्रतीक)	रोलेक्स घड़ी, रॉल्स-रॉयस
स्थानापन्न वस्तुएँ	एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की माँग बढ़ती है	चाय एवं कॉफ़ी
पूरक वस्तुएँ	संयुक्त माँग; एक की कीमत घटने पर दूसरी की माँग बढ़ती है	ब्रेड एवं जैम, चाय एवं चीनी

- **सट्टा प्रभाव:** कीमत और बढ़ने की प्रत्याशा माँग को बढ़ा देती है (शेयर बाज़ार)
- बाज़ार माँग = व्यक्तिगत माँग वक्रों का क्षैतिज योग
- वक्र के अनुदिश संचलन = कीमत में परिवर्तन (विस्तार/संकुचन); वक्र का खिसकना = अन्य कारकों में परिवर्तन (वृद्धि/कमी)

लोच

- माँग की कीमत लोच (E_d) = माँगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ÷ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन

प्रकार	E_d का मान	अर्थ
पूर्णतः लोचदार	अनंत	कीमत में अत्यल्प परिवर्तन पर मात्रा में अनंत परिवर्तन (क्षैतिज वक्र)
अपेक्षाकृत लोचदार	1 से अधिक	कीमत में थोड़े परिवर्तन पर मात्रा में बड़ा परिवर्तन (विलासिता की वस्तुएँ)
इकाई लोचदार	1 के बराबर	आनुपातिक परिवर्तन
अपेक्षाकृत बेलोचदार	1 से कम	कीमत में बड़े परिवर्तन पर मात्रा में थोड़ा परिवर्तन (आवश्यक वस्तुएँ)
पूर्णतः बेलोचदार	शून्य	मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं (ऊर्ध्वाधर वक्र)

- **आय लोच:** आय परिवर्तन के प्रति माँगी गई मात्रा की प्रतिक्रिया (सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक, घटिया वस्तुओं के लिए ऋणात्मक)
- **आड़ी लोच:** एक वस्तु की मात्रा की दूसरी वस्तु की कीमत के प्रति प्रतिक्रिया (स्थानापन्न वस्तुओं के लिए धनात्मक, पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक)
- **पूर्ति की लोच:** कीमत के प्रति पूर्ति की गई मात्रा की संवेदनशीलता; कृषि वस्तुएँ अल्पकाल में पूर्ति के संदर्भ में बेलोचदार होती हैं
- **कुल व्यय नियम:** यदि माँग बेलोचदार है तो कीमत बढ़ने पर कुल आगम बढ़ता है; यदि लोचदार है तो कीमत बढ़ने पर कुल आगम घटता है। इसी कारण सरकारें बेलोचदार माँग वाली वस्तुओं (पेट्रोल, तंबाकू, मदिरा) पर कर लगाती हैं

पूर्ति, उत्पादन एवं लागतें

- **पूर्ति का नियम:** अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है; पूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होता है
- पूर्ति इन कारणों से खिसकती है: आगत लागत, प्रौद्योगिकी, कर एवं सब्सिडी, विक्रेताओं की संख्या
- **उत्पादन फलन:** $Q = f(L, K)$; अल्पकाल: कम से कम एक आगत (पूँजी) स्थिर; दीर्घकाल: सभी आगत परिवर्तनशील

- कुल उत्पाद (TP), औसत उत्पाद (AP), सीमांत उत्पाद (MP)
- **हासमान सीमांत प्रतिफल / परिवर्ती अनुपात का नियम:** वर्धमान, हासमान एवं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्थाएँ
- **पैमाने के प्रतिफल** (दीर्घकाल): वर्धमान (उत्पादन आगतों से अधिक अनुपात में बढ़ता है), स्थिर (समानानुपात में), हासमान (कम अनुपात में)
- **लागतें:** स्थिर लागत, परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत; दीर्घकाल में पैमाने की मितव्ययिताएँ प्रति इकाई लागत घटाती हैं
- **लाभ अधिकतमीकरण:** फर्म वहाँ उत्पादन करती है जहाँ सीमांत लागत (MC) = सीमांत आगम (MR)

बाज़ार संरचना	विक्रेता	उत्पाद	कीमत पर नियंत्रण
पूर्ण प्रतियोगिता	अनेक	समरूप	कीमत स्वीकारक; प्रवेश एवं निकास मुक्त; पूर्ण सूचना
एकाधिकार	एक	कोई निकट स्थानापन्न नहीं	कीमत निर्धारक
अल्पाधिकार	कुछ	समरूप अथवा विभेदित	परस्पर-निर्भर कीमत निर्धारण; दुरभिसंधि (कार्टेल) की संभावना, जैसे OPEC
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता	अनेक	विभेदित	कुछ हद तक कीमत पर नियंत्रण (ट्रथपेस्ट, साबुन)

- **एकाधिकार (मोनोपोली):** एक ही क्रेता; **द्वयाधिकार (ड्यूओपोली):** दो विक्रेता
- **बाज़ार संतुलन:** साम्य कीमत पर माँगी गई मात्रा = पूर्ति की गई मात्रा; अधिमाँग कीमत को ऊपर धकेलती है; अधिपूर्ति उसे नीचे लाती है
- **मुक्त प्रवेश एवं निकास:** असामान्य लाभ नए प्रवेशकों को आकर्षित करते हैं, जब तक कि केवल सामान्य लाभ शेष न रह जाए

ICOR (वर्धमान पूँजी-उत्पाद अनुपात)

ICOR = $\Delta K / \Delta Y$: उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूँजी; कम ICOR = अधिक पूँजी दक्षता
 भारत का ICOR चीन से अधिक है, अतः समान वृद्धि के लिए भारत को उच्च निवेश दर की आवश्यकता होती है
 वृद्धि दर $\approx$ निवेश दर $\div$ ICOR (हैरोड-डोमर तर्क); आर्थिक समीक्षा कम ICOR को अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी में निवेश से जोड़ती है

सार्वजनिक वस्तुएँ एवं बाज़ार की विफलता

- **सार्वजनिक वस्तुएँ** अप्रतिद्वंद्वी एवं अबहिष्कृत होती हैं (राष्ट्रीय रक्षा, सड़क की बत्तियाँ, प्रकाश स्तंभ); मुफ्तखोरी (फ्री-राइडर) की समस्या के कारण बाज़ार इनकी पूर्ति कम करता है
- **योग्यता (मेरिट) वस्तुएँ** सामाजिक लाभ के लिए राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं (शिक्षा, स्वास्थ्य); **अयोग्यता (डिमेरिट) वस्तुओं** को हतोत्साहित किया जाता है (तंबाकू, मदिरा)
- **बाह्यताएँ:** धनात्मक (शिक्षा, टीकाकरण, अनुसंधान) एवं ऋणात्मक (प्रदूषण); उपचार: पिगू कर, सब्सिडी, विनियमन, व्यापार-योग्य परमिट
- **साझा संसाधन** (मत्स्य क्षेत्र, भूजल) प्रतिद्वंद्वी किंतु अबहिष्कृत होते हैं; "साझा संसाधनों की त्रासदी"
- बाज़ार की विफलताएँ राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराती हैं: एकाधिकार, बाह्यताएँ, सार्वजनिक वस्तुएँ, सूचना की असमानता
- **कीमत नियंत्रण:** कीमत सीमा/उच्चतम कीमत (जैसे औषधि मूल्य नियंत्रण, किराया नियंत्रण, LPG की कीमत), कीमत तल/न्यूनतम कीमत (जैसे MSP, न्यूनतम मजदूरी)
- सब्सिडी एवं कर: मूल्यानुसार कर (प्रतिशत के रूप में), विशिष्ट कर (प्रति इकाई निश्चित राशि); कर का भार माँग की लोच पर निर्भर करता है

परीक्षा में प्रायः पूछी जाने वाली अन्य अवधारणाएँ

- बेरोज़गारी के प्रकार: संरचनात्मक, घर्षणात्मक, चक्रीय, मौसमी, प्रच्छन्न (कृषि; सीमांत उत्पादकता शून्य)
- **आर्थिक वृद्धि** = वास्तविक उत्पादन में सतत वृद्धि; **आर्थिक विकास** = वृद्धि के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन-स्तर में सुधार
- **स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीतिजनित मंदी)** = उच्च मुद्रास्फीति के साथ स्थिर उत्पादन एवं उच्च बेरोज़गारी; अपस्फीति; विस्फीति; पुनस्फीति
- काली अर्थव्यवस्था, छाया अर्थव्यवस्था, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: आधिकारिक अभिलेखों से बाहर की गतिविधियाँ
- **गिनी गुणांक** एवं **लॉरेन्ज़ वक्र** असमानता को मापते हैं (0 = पूर्ण समानता; 1 = पूर्ण असमानता)
- **कुज़नेट्स वक्र:** विकास के साथ असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है; प्रदूषण के लिए पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र
- **फिलिप्स वक्र:** अल्पकाल में मुद्रास्फीति एवं बेरोज़गारी के बीच प्रतिलोम संबंध
- **लैफर वक्र:** कर की दरों एवं कर राजस्व के बीच संबंध
- रिसाव (ट्रिकल-डाउन) परिकल्पना, **से का नियम** ("पूर्ति स्वयं अपनी माँग का सृजन करती है"), कीन्सीय गुणक
- क्षेत्रक: प्राथमिक (कृषि, खनन), द्वितीयक (विनिर्माण, निर्माण), तृतीयक (सेवाएँ), चतुर्थक (ज्ञान: IT, अनुसंधान एवं विकास), पंचम (शीर्ष निर्णय-निर्माण)

- चार-क्षेत्रक संरचना: भारत के GVA में कृषि का हिस्सा लगभग 14-15% है, किंतु यह 45% से अधिक श्रमिकों को रोज़गार देती है

समष्टि अर्थशास्त्र: प्रमुख मॉडल

- समग्र माँग (AD)** = $C + I + G + (X - M)$ । AD वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, क्योंकि इसमें संपत्ति प्रभाव, ब्याज दर प्रभाव एवं विनिमय दर (व्यापार) प्रभाव कार्य करते हैं।
- समग्र पूर्ति (AS)**: अल्पकालीन AS ऊपर की ओर ढलान वाली होती है (जड़ मजदूरी/कीमतें); दीर्घकालीन AS संभावित (पूर्ण-रोज़गार) उत्पादन पर ऊर्ध्वाधर होती है।
- AD का दाईं ओर खिसकना (कर में कटौती, G में वृद्धि, सस्ती मुद्रा) उत्पादन एवं कीमतों को बढ़ाता है; पूर्ति आघात (तेल की कीमतों में वृद्धि) से **स्टैगफ्लेशन** उत्पन्न होता है (ऊँची कीमतें, कम उत्पादन)।
- गुणक**: $k = 1/(1 - MPC) = 1/MPS$ । कर गुणक = $-MPC/(1 - MPC)$ । संतुलित बजट गुणक = 1।
- कीन्सीय क्रॉस**: वह संतुलन जहाँ $Y = C + I + G$; बचत का विरोधाभास – अधिक बचत से आय घट सकती है।

मॉडल	विचार	मुख्य बिंदु
IS वक्र	वस्तु बाज़ार का संतुलन ($I = S$)	नीचे की ओर ढलान: ब्याज दर घटने से निवेश एवं आय बढ़ती है
LM वक्र	मुद्रा बाज़ार का संतुलन ($L = M/P$)	ऊपर की ओर ढलान: आय बढ़ने से मुद्रा की माँग एवं ब्याज दर बढ़ती है
IS-LM	वस्तु एवं मुद्रा बाज़ारों का संयुक्त संतुलन	राजकोषीय विस्तार IS को दाईं ओर खिसकाता है; मौद्रिक विस्तार LM को दाईं ओर खिसकाता है
तरलता जाल	बहुत कम ब्याज पर LM क्षैतिज	मौद्रिक नीति अप्रभावी; राजकोषीय नीति पूर्णतः प्रभावी
क्राउडिंग आउट	सरकारी उधारी से ब्याज दर बढ़ती है	निजी निवेश घटता है
मंडेल-फ्लेमिंग	खुली अर्थव्यवस्था के लिए IS-LM	तैरती विनिमय दर में मौद्रिक नीति प्रभावी, राजकोषीय नीति नहीं
फिलिप्स वक्र	अल्पकालीन मुद्रास्फीति-बेरोज़गारी व्यतिक्रम	दीर्घकाल में प्राकृतिक दर पर ऊर्ध्वाधर (फ्रीडमैन-फेल्ट्स)
ओकुन का नियम	बेरोज़गारी में 1% वृद्धि से GDP लगभग 2-3% घटता है	उत्पादन अंतराल का बेरोज़गारी से संबंध

ट्राइलेमा

कोई देश एक साथ तीनों नहीं रख सकता: स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूँजी प्रवाह एवं स्वतंत्र मौद्रिक नीति।

भारत: प्रबंधित फ्लोटिंग दर, आंशिक रूप से खुला पूँजी खाता, स्वतंत्र मौद्रिक नीति (मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण) – इसीलिए RBI विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता है।

चीन ने लगभग स्थिर दर तथा पूँजी नियंत्रणों के साथ मौद्रिक नियंत्रण का विकल्प चुना।

व्यापार चक्र एवं नीति-मिश्रण

- चरण: विस्तार – शिखर – संकुचन (मंदी) – गर्त – पुनरुत्थान। मंदी सामान्यतः लगातार दो तिमाहियों की ऋणात्मक वृद्धि को कहते हैं; महामंदी (डिप्रेशन) दीर्घकालीन एवं गहरी गिरावट है।
- प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति**: मंदी में घाटा, तेज़ी में अधिशेष। **स्वचालित स्थिरीकारक**: प्रगतिशील कर, बेरोज़गारी लाभ, MGNREGS।
- राजकोषीय अवरोध, राजकोषीय प्रभुत्व, रिकार्डियन तुल्यता** (बॉन्ड से वित्तपोषित घाटे माँग को नहीं बदलते, यदि लोग भविष्य में करों की अपेक्षा करते हैं)।
- बेरोज़गारी के प्रकार**: घर्षणात्मक, संरचनात्मक, चक्रीय, मौसमी, प्रच्छन्न (शून्य सीमांत उत्पादकता – भारतीय कृषि में विशिष्ट), प्रौद्योगिकीय, खुली।
- मुद्रास्फीति के प्रकार**: माँग-जनित, लागत-जनित, संरचनात्मक, आयातित; **कोर मुद्रास्फीति** में खाद्य एवं ईंधन शामिल नहीं होते; **हेडलाइन** में सभी शामिल होते हैं।

शब्द	अर्थ
विस्फीति (डिसइन्फ्लेशन)	मुद्रास्फीति की दर में गिरावट (कीमतें फिर भी बढ़ती हैं)

शब्द	अर्थ
अपस्फीति (डिफ्लेशन)	सामान्य कीमत स्तर में गिरावट (ऋणात्मक मुद्रास्फीति)
पुनस्फीति (रिफ्लेशन)	अपस्फीति के बाद कीमतें बढ़ाने की सोची-समझी नीति
विषम स्फीति (स्क्यूफ्लेशन)	चुनिंदा वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि (RBI गवर्नर द्वारा प्रयुक्त शब्द)
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)	उच्च मुद्रास्फीति के साथ स्थिर उत्पादन एवं उच्च बेरोज़गारी
अति-मुद्रास्फीति (हाइपरइन्फ्लेशन)	अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति (कैंगन के अनुसार प्रति माह 50% से अधिक)
आधार प्रभाव	पिछले वर्ष के आधार के कारण मुद्रास्फीति में विकृति
लालच-जनित स्फीति (ग्रीडफ्लेशन)	फर्मों द्वारा लागत वृद्धि से अधिक लाभ-मार्जिन बढ़ाना

वृद्धि के सिद्धांत

सिद्धांत	प्रतिपादक	मूल विचार
प्रतिष्ठित (क्लासिकल)	एडम स्मिथ, रिकार्डो	श्रम विभाजन, पूँजी संचय, मुक्त बाज़ार
हैरोड-डोमर	हैरोड, डोमर	वृद्धि = s/v (बचत दर ÷ पूँजी-उत्पाद अनुपात); भारत की प्रथम योजना का आधार
सोलो-स्वान	सोलो, स्वान (1956)	बाह्य प्रौद्योगिकी; अभिसरण; स्थायी अवस्था
अंतर्जात वृद्धि	रोमर, लुकास	मानव पूँजी, अनुसंधान एवं विकास तथा ज्ञान के प्रसार से वृद्धि
बड़ा धक्का (बिग पुश)	रोज़ेनस्टीन-रोडान	अनेक क्षेत्रों में एक साथ बड़ा निवेश
संतुलित / असंतुलित वृद्धि	नर्से / हर्शमैन	अग्र-पश्च संबंध; अग्रणी क्षेत्रक
द्वैध अर्थव्यवस्था	आर्थर लुईस	अधिशेष श्रम निर्वाह क्षेत्र से आधुनिक क्षेत्र में जाता है
उड़ान (टेक-ऑफ)	रोस्टोव	पाँच अवस्थाएँ: परंपरागत, पूर्व-शर्तें, उड़ान, परिपक्वता की ओर अग्रसर, व्यापक उपभोग
निर्धनता का दृष्टिकोण	नर्से	कम आय – कम बचत – कम निवेश – कम आय
क्षमता उपागम	अमर्त्य सेन	स्वतंत्रता के रूप में विकास; HDI का आधार
सृजनात्मक विध्वंस	शुम्पीटर	नवाचार वृद्धि को गति देता है (2025 का नोबेल: मोकिर, एधियन, हॉविट)

- **ICOR** (वर्धमान पूँजी-उत्पाद अनुपात) = निवेश ÷ उत्पादन में परिवर्तन; कम ICOR का अर्थ है अधिक दक्षता। भारत का ICOR लगभग 4 है।
- **पूँजी निर्माण**: GFCF मानक माप है; निवेश दर GDP का लगभग 31%, सकल घरेलू बचत लगभग 30%।
- **कुज़नेट्स वक्र**: आय बढ़ने पर असमानता पहले बढ़ती है फिर घटती है। **गिनी** असमानता को मापता है; **लॉरेन्ज़ वक्र** संचयी आय हिस्सेदारी दर्शाता है।
पात्रा अनुपात = शीर्ष 10% का हिस्सा ÷ निचले 40% का हिस्सा।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत

सिद्धांत	प्रतिपादक	विचार
वाणिज्यवाद (मर्केटिलिज़्म)	16वीं-18वीं शताब्दी के विचारक	निर्यात अच्छा; स्वर्ण संचय
निरपेक्ष लाभ	एडम स्मिथ	उस वस्तु का उत्पादन करें जो कम संसाधनों में बनती है
तुलनात्मक लाभ	डेविड रिकार्डो	एक राष्ट्र सभी में श्रेष्ठ हो, तब भी व्यापार से लाभ
हेक्शर-ओहलिन	हेक्शर, ओहलिन	देश अपने प्रचुर कारक का गहन उपयोग करने वाली वस्तुओं का निर्यात करते हैं

सिद्धांत	प्रतिपादक	विचार
लियोन्तिफ़ विरोधाभास	वासिली लियोन्तिफ़	अमेरिका ने श्रम-प्रधान वस्तुएँ निर्यात कीं, जो H-O सिद्धांत के विपरीत है
उत्पाद जीवन चक्र	रेमंड वर्नन	उत्पाद नवाचारी देशों से विकासशील देशों की ओर जाते हैं
लिंडर परिकल्पना	स्टैफ़न लिंडर	समान आय वाले देश विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार करते हैं
नया व्यापार सिद्धांत	पॉल क्रुगमैन	पैमाने की मितव्ययिताएँ; उद्योग-अंतर्गत व्यापार (नोबेल 2008)
प्रेबिश-सिंगर	प्रेबिश, सिंगर	प्राथमिक वस्तु निर्यातकों के लिए व्यापार की शर्तें बिगड़ती हैं
पोर्टर का हीरक मॉडल	माइकल पोर्टर	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

- व्यापार की शर्तें:** शुद्ध वस्तु-विनिमय = निर्यात कीमत सूचकांक ÷ आयात कीमत सूचकांक। **डंपिंग:** विदेश में लागत से कम कीमत पर बेचना; डंपिंग-रोधी शुल्क WTO द्वारा अनुमत उपाय है (भारत में DGTR अनुशंसा करता है)।
- संरक्षणवाद के साधन:** प्रशुल्क, कोटा, सब्सिडी, गैर-प्रशुल्क बाधाएँ (SPS, TBT), स्थानीय-सामग्री नियम। **सुरक्षोपाय शुल्क** आयात में अचानक वृद्धि के विरुद्ध अस्थायी राहत है।

बाज़ार संरचनाएँ

संरचना	विक्रेता	प्रवेश	उत्पाद	उदाहरण / टिप्पणी
पूर्ण प्रतियोगिता	बहुत अधिक	मुक्त	समरूप	कीमत स्वीकारक; संतुलन पर $P = MC$
एकाधिकार	एक	अवरुद्ध	अद्वितीय	कीमत निर्धारक; रेलवे, बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOM)
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता	अनेक	मुक्त	विभेदित	साबुन, रेस्तराँ
अल्पाधिकार	कुछ	बाधाएँ	विभेदित अथवा समरूप	दूरसंचार, विमानन कंपनियाँ; विभजित माँग वक्र
द्वयाधिकार	दो	बाधाएँ	कोई भी	कूर्नो, बर्ट्रेड मॉडल
एकाधिक्रय	एक क्रेता	-	-	श्रम या उपज का एकमात्र बड़ा क्रेता

- प्राकृतिक एकाधिकार:** संपूर्ण बाज़ार में औसत लागत का घटना (सार्वजनिक उपयोगिताएँ); क्षेत्रीय नियामकों द्वारा विनियमित। **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग** (प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002; 2023 में संशोधित – सौदा-मूल्य सीमा ₹2,000 करोड़, समझौता एवं प्रतिबद्धता) प्रभुत्व के दुरुपयोग एवं कार्टेलों की जाँच करता है।
- कीमत विभेद:** प्रथम श्रेणी (पूर्ण), द्वितीय श्रेणी (मात्रा-आधारित), तृतीय श्रेणी (समूह-आधारित)।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक वस्तुएँ

- पैरेटो दक्षता:** किसी को भी बिना हानि पहुँचाए किसी और की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। **काल्डोर-हिक्स** कसौटी क्षतिपूर्ति परीक्षण की अनुमति देती है।
- सार्वजनिक वस्तु:** अप्रतिद्वंद्वी एवं अबहिष्कृत (रक्षा, सड़क की बतियाँ)। **क्लब वस्तु:** बहिष्कृत, अप्रतिद्वंद्वी (टोल सड़क)। **साझा संसाधन:** प्रतिद्वंद्वी, अबहिष्कृत (मत्स्य क्षेत्र) – साझा संसाधनों की त्रासदी (हार्डिन); एलिनोर ऑस्ट्रॉम (नोबेल 2009) ने सामुदायिक प्रबंधन को दर्शाया।
- बाह्यता:** पिंगू कर ऋणात्मक बाह्यता को सुधारता है; कोज़ का प्रमेय – यदि संपत्ति अधिकार स्पष्ट हों तो मोलभाव से बाह्यता का समाधान हो जाता है।
- योग्यता वस्तुएँ** (शिक्षा, टीकाकरण) एवं **अयोग्यता वस्तुएँ** (तंबाकू) – सरकार हस्तक्षेप करती है। सूचना की असमानता: प्रतिकूल चयन (अकरलॉफ, "लेमन") एवं नैतिक जोखिम।
- सब्सिडी वर्गीकरण:** योग्यता सब्सिडी, अयोग्यता सब्सिडी; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रिसाव कम करता है।

अध्याय 02

राष्ट्रीय आय लेखांकन

चक्रिय प्रवाह एवं मूल अवधारणाएँ

- चक्रिय प्रवाह:** परिवार उत्पादन के कारक फर्मों को उपलब्ध कराते हैं और आय प्राप्त करते हैं; फर्मों वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं और व्यय प्राप्त करती हैं; चार-क्षेत्रक मॉडल में सरकार (कर, व्यय) तथा बाह्य क्षेत्रक (निर्यात, आयात) जोड़े जाते हैं
- रिसाव:** बचत, कर, आयात; **अंतःक्षेपण:** निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात
- केवल अंतिम वस्तुओं की गणना की जाती है; मध्यवर्ती वस्तुएँ (बेकरी द्वारा प्रयुक्त आटा) दोहरी गणना से बचने के लिए बाहर रखी जाती हैं
- बंद अर्थव्यवस्था:** जिसमें निर्यात या आयात नहीं होता (UPSC 2011); **खुली अर्थव्यवस्था** शेष विश्व के साथ व्यापार करती है
- आर्थिक समीक्षा: GDP कल्याण का एक कमज़ोर मापक है, क्योंकि यह वितरण, गैर-मौद्रिक कार्य एवं बाह्यताओं की उपेक्षा करता है
- IMF ने 2025 में भारत को राष्ट्रीय लेखों के लिए "ग्रेड C" दिया, जिसका कारण था 2011-12 का पुराना आधार वर्ष, WPI-आधारित अपस्फीतिकारक, एकल अपस्फीति तथा उत्पादन एवं व्यय उपागमों के बीच विसंगतियाँ; इसी से नई 2022-23 श्रृंखला की प्रेरणा मिली

GDP मापन की तीन विधियाँ

विधि	उपागम	सूत्र
उत्पाद (मूल्य-वर्धन)	उत्पादन पक्ष	$GDP = \text{सभी फर्मों द्वारा मूल्य-वर्धन का योग} = \text{उत्पादन} - \text{मध्यवर्ती उपभोग}$
व्यय	माँग पक्ष	$GDP = C + I + G + (X - M)$
आय	कारक आय पक्ष	$GDP = \text{मजदूरी} + \text{लगान} + \text{ब्याज} + \text{लाभ} (+ \text{मिश्रित आय, मूल्यहास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर})$

- मूल्य-वर्धन का उदाहरण: किसान ₹100 का गेहूँ बेचता है; बेकर उसमें से ₹50 का गेहूँ लेकर ₹200 की ब्रेड बनाता है; मूल्य-वर्धन: किसान ₹100 + बेकर ₹150 = ₹250
- भारत में GDP का आकलन मुख्यतः उत्पादन उपागम (GVA) तथा व्यय उपागम से किया जाता है; दोनों के अंतर को "विसंगतियों" के रूप में दर्शाया जाता है
- भारत में GVA आकलन: संगठित क्षेत्रों के लिए कंपनियों की फाइलिंग (MCA-21) से; असंगठित क्षेत्रों के लिए NSS, ASUSE एवं PLFS के आँकड़ों से श्रम-आगत विधि द्वारा

GDP, GNP, NDP, NNP

समुच्चय	परिभाषा	सूत्र
बाज़ार कीमत पर GDP	एक वर्ष में घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ	$C + I + G + X - M$
आधार कीमतों पर GVA	आधार कीमतों पर उत्पादन - मध्यवर्ती उपभोग	$GDP - \text{शुद्ध उत्पाद कर}$
साधन लागत पर GDP	बाज़ार कीमत पर GDP - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	$GDP(MP) - (\text{अप्रत्यक्ष कर} - \text{सब्सिडी})$
NDP	GDP में से मूल्यहास (स्थायी पूँजी का उपभोग) घटाने पर	$GDP - \text{मूल्यहास}$
GNP	सामान्य निवासियों द्वारा, चाहे वे कहीं भी हों, किया गया उत्पादन	$GDP + \text{विदेशों से शुद्ध कारक आय (NFIA)}$
बाज़ार कीमत पर NNP	GNP - मूल्यहास	$GNP - D = NDP + NFIA$
साधन लागत पर NNP = राष्ट्रीय आय	उत्पादन के कारकों को प्राप्त आय	$NNP(MP) - \text{शुद्ध अप्रत्यक्ष कर}$
वैयक्तिक आय (PI)	परिवारों को प्राप्त आय	$NI - \text{अवितरित लाभ} - \text{निगम कर} - \text{परिवारों द्वारा चकाया गया शुद्ध ब्याज} + \text{अंतरण भुगतान}$

समूच्चय	परिभाषा	सूत्र
वैयक्तिक प्रयोज्य आय (PDI)	उपभोग एवं बचत के लिए उपलब्ध आय	PI – वैयक्तिक कर – गैर-कर भुगतान
राष्ट्रीय प्रयोज्य आय	उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिकतम मात्रा	NNP(MP) + शेष विश्व से अन्य चालू अंतरण

- **आधार कीमत** = साधन लागत + उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी; **बाज़ार कीमत** = आधार कीमत + उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी
- उत्पादन कर/सब्सिडी उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं (भू-राजस्व, स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क; रेलवे को सब्सिडी, आगतों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी); उत्पाद कर/सब्सिडी उत्पादन पर निर्भर करते हैं (GST, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क; खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम सब्सिडी)
- $GDP = GVA + (\text{उत्पाद कर} - \text{उत्पाद सब्सिडी})$
- 2015 (आधार वर्ष 2011-12) से भारत में वृद्धि का प्रमुख मापक साधन लागत पर GDP से बदलकर बाज़ार कीमतों पर GDP तथा आधार कीमतों पर GVA हो गया
- NFIA = विदेशों में निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय – भारत के भीतर अनिवासियों द्वारा अर्जित कारक आय; भारत का NFIA प्रायः ऋणात्मक रहता है, अतः $GNP < GDP$

उदाहरण

किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत में ₹500 करोड़ की कमाई: भारत की GDP में गिनी जाती है, भारत की GNP/राष्ट्रीय आय में नहीं
 किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिका में ₹300 करोड़ की कमाई: भारत की GNP में गिनी जाती है, भारत की GDP में नहीं
 यदि $GDP = ₹1,00,000$ करोड़ और मूल्यहास = ₹10,000 करोड़, तो $NDP = ₹90,000$ करोड़
 आधार कीमत = $200 + 10 - 5 = ₹205$ करोड़; बाज़ार कीमत = $100 + 10 - 3 = ₹107$

सांकेतिक एवं वास्तविक GDP, अपस्फीतिकारक

- **सांकेतिक GDP**: चालू कीमतों पर; **वास्तविक GDP**: स्थिर (आधार वर्ष की) कीमतों पर; $\text{वास्तविक GDP} = \text{सांकेतिक GDP} \div \text{अपस्फीतिकारक} \times 100$
- **GDP अपस्फीतिकारक** = $(\text{सांकेतिक GDP} \div \text{वास्तविक GDP}) \times 100$; इसमें देश में उत्पादित सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ शामिल होती हैं (आयात नहीं), भारत उत्पादन के साथ बदलते रहते हैं; जबकि CPI एक स्थिर टोकरी है जिसमें आयात शामिल होते हैं
- आर्थिक समीक्षा के अनुसार PPI एक श्रेष्ठ अपस्फीतिकारक है: इसमें सेवाएँ शामिल होती हैं, दोहरी गणना से बचाव होता है तथा अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते (रमेश चंद की अध्यक्षता वाला समूह WPI को आधार 2022-23 पर संशोधित कर रहा है तथा PPI तैयार कर रहा है)
- **दोहरी अपस्फीति**: वास्तविक मूल्य-वर्धन प्राप्त करने के लिए उत्पादन एवं आगत को अलग-अलग अपस्फीत किया जाता है; आगत एवं उत्पादन की कीमतों में अंतर होने पर एकल अपस्फीति विकृति उत्पन्न करती है; नई श्रृंखला में कृषि एवं विनिर्माण में दोहरी अपस्फीति का प्रयोग किया गया है

नई राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला (आधार 2022-23)

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MoSPI) द्वारा 27 फरवरी 2026 को जारी; आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया, जो महामारी के बाद का एक सामान्य वर्ष है
- जोड़े गए डेटा स्रोत: GST रिटर्न, UPI लेन-देन, e-वाहन वाहन पंजीकरण, MCA-21 फाइलिंग, PFMS डेटा, ASUSE एवं PLFS; आपूर्ति एवं उपयोग तालिकाएँ; उपभोग के लिए COICOP 2018
- नई श्रृंखला में वृद्धि: 2023-24 में 7.2%; 2024-25 में 7.1%; 2025-26 में 7.6%; सांकेतिक GDP पुरानी श्रृंखला से लगभग 3-4% कम; 2025-26 में भारत की GDP लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
- 2025-26 की तीसरी तिमाही में वृद्धि 7.8%; 2026-27 की पहली तिमाही में वृद्धि 7.8% (31 अगस्त 2026 का प्रकाशन)

पुरानी बनाम नई श्रृंखला	2011-12	2022-23
आधार वर्ष	2011-12	2022-23
अपस्फीति	अधिकांशतः एकल अपस्फीति	विनिर्माण एवं कृषि में दोहरी अपस्फीति
अप्रत्यक्ष कर आँकड़े	बजट दस्तावेज़	GST आँकड़े
उपभोग	वस्तु प्रवाह + NSS	सर्वेक्षण + प्रशासनिक आँकड़े + COICOP 2018
कृषि का आकार	आधारभूत	लगभग 5% बढ़ा

भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन

- राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन: **दादाभाई नौरोजी** ने *भारत में निर्धनता एवं अ-ब्रिटिश शासन* (1867-68) में किया: प्रति व्यक्ति आय ₹20; बाद में विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज़, वी.के.आर.वी. राव (1931-32; प्रथम वैज्ञानिक आकलन), आर.सी. देसाई ने आकलन किए
- प्रथम आधिकारिक समिति: **राष्ट्रीय आय समिति (1949)**, अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस; सदस्य डी.आर. गाडगिल एवं वी.के.आर.वी. राव
- राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) करता था; CSO एवं NSSO को मिलाकर 2019 में MoSPI के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) बनाया गया
- आकलनों के प्रकाशन: प्रथम अग्रिम आकलन (जनवरी के आरंभ में), अनंतिम आकलन (मई के अंत में), प्रथम संशोधित आकलन (अगले वर्ष जनवरी के अंत में), द्वितीय एवं तृतीय संशोधन; तिमाही आकलन तिमाही समाप्त होने के 60 दिन बाद
- भारत का वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च; आर्थिक समीक्षा केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व प्रस्तुत की जाती है

प्रति व्यक्ति आय एवं क्षेत्रकों का हिस्सा

- प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय ÷ जनसंख्या; प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय एक प्रचलित माप है
- क्षेत्रवार GVA हिस्सेदारी (2011-12 श्रृंखला, 2024-25): कृषि एवं संबद्ध लगभग 14-15%, उद्योग लगभग 25-27%, सेवाएँ लगभग 55%
- सेवाएँ GVA में आधे से अधिक योगदान देती हैं, किंतु एक-तिहाई से कम श्रमिकों को रोज़गार देती हैं; कृषि लगभग 45-46% को रोज़गार देती है (PLFS 2023-24: 46.1%)
- सांकेतिक GDP क्रम: IMF के अप्रैल 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत को **68** स्थान पर रखा गया (इस गिरावट का कारण विनिमय दर एवं ऑकड़ों का प्रभाव बताया गया); पहले के अनुमानों में भारत के 2027-28 तक जापान एवं जर्मनी से आगे निकलने की बात थी
- क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है (चीन एवं अमेरिका के बाद)

GDP एवं कल्याण

- कल्याण के माप के रूप में GDP की सीमाएँ: आय का वितरण, अमौद्रिक कार्य (घरेलू कार्य, स्वयंसेवा, वस्तु-विनिमय), बाह्यताएँ, जीवन की गुणवत्ता; आर्थिक समीक्षा 2024: महिलाओं का अवैतनिक देखभाल कार्य पर्याप्त योगदान देता है, किंतु GDP से बाहर है

वैकल्पिक माप	विशेषताएँ
हरित GDP	GDP में से पर्यावरणीय क्षरण एवं संसाधन ह्रास घटाने पर; हरित राष्ट्रीय लेखांकन पर्यावरण को समाहित करता है
मानव विकास सूचकांक (HDI)	UNDP; स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (औसत एवं अपेक्षित स्कूली वर्ष), आय (प्रति व्यक्ति GNI, PPP); भारत का स्थान 130 (HDR 2025: HDI 0.685, 193 देशों में 130वाँ)
सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (GNH)	भूटान का उपागम: कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण
वास्तविक प्रगति सूचक (GPI)	आर्थिक गतिविधि में सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागतें जोड़ता है
सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI)	EAC-PM; तीन आयामों (बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ, कल्याण की नींव, अवसर) में 12 घटक; गोवा, पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)	UNDP-OPHI एवं नीति आयोग; स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन-स्तर
लैंगिक असमानता सूचकांक; प्रसन्नता रिपोर्ट	UNDP का सूचकांक एवं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट (UN SDSN)
सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक	नीति आयोग; 17 लक्ष्य; 2023-24 में समग्र अंक 71 (2018 के 57 से अधिक)

- समावेशी संपदा सूचकांक (UNEP) एवं मानव पूँजी सूचकांक (विश्व बैंक; भारत 2020 में 0.49)

अध्याय 03

कीमत सूचकांक, मुद्रास्फीति एवं प्रमुख उद्योग

उपभोक्ता कीमत सूचकांक (CPI)

- CPI परिवारों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की एक स्थिर टोकरी की कीमतों में परिवर्तन को मापता है; RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के लिए मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य **CPI-संयुक्त** है

CPI श्रृंखला	क्या मापती है	जारीकर्ता	आधार
CPI-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी)	सभी परिवारों की खुदरा मुद्रास्फीति	NSO, MoSPI	दिसंबर 2025 तक 2012; जनवरी 2026 से 2024 = 100
CPI-IW (औद्योगिक श्रमिक)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति; महँगाई भत्ते के लिए प्रयुक्त	श्रम ब्यूरो	2016
CPI-AL (कृषि श्रमिक)	कृषि श्रमिक	श्रम ब्यूरो	1986-87
CPI-RL (ग्रामीण श्रमिक)	ग्रामीण श्रमिक	श्रम ब्यूरो	1986-87

CPI-संयुक्त के भार	पुराना (2012)	नया (2024)
खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.86%	36.75%
आवास	10.07%	17.67%
वस्त्र एवं जूते-चप्पल	6.53%	(संशोधित)
ईंधन एवं प्रकाश	6.84%	(संशोधित)
विविध	30.70%	(संशोधित)

- नया CPI (आधार 2024=100): जनवरी 2026 के प्रथम आँकड़े 12 फरवरी 2026 को जारी; 358 मदें; COICOP 2018 के 12 प्रभाग; 12 ऑनलाइन बाज़ारों की निगरानी; ग्रामीण मकान किराया शामिल; पहला आँकड़ा 2.75%
- नई श्रृंखला के भार घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 से लिए गए हैं
- नवीनतम CPI मुद्रास्फीति: सितंबर 2026 में 5.54% (अगस्त में 4.83%); खाद्य 7.74%; प्याज़ में 108% वृद्धि
- उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (CFPI)** खाद्य मुद्रास्फीति को दर्शाता है
- 2012 श्रृंखला में CPI मुद्रास्फीति का अब तक का न्यूनतम स्तर: अक्टूबर 2025 में 0.25% (आर्थिक समीक्षा में 0.3% उद्धृत); अप्रैल-दिसंबर 2025 का औसत 1.7%

थोक कीमत सूचकांक (WPI) एवं PPI

- WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को दर्शाता है; आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा मासिक रूप से जारी; इसमें सेवाएँ शामिल नहीं हैं

WPI घटक	भार (आधार 2011-12)
प्राथमिक वस्तुएँ	22.62%
ईंधन एवं विद्युत	13.15%
विनिर्मित उत्पाद	64.23%

- नया WPI आधार 2022-23 लाया जा रहा है; WPI को नए उत्पादक कीमत सूचकांक (PPI) के साथ पाँच वर्ष तक समानांतर चलाया जाएगा, फिर बंद किया जाएगा; रमेश चंद कार्य-समूह ने रूपरेखा तैयार की है

- **PPI** घरेलू उत्पादकों को मिलने वाली विक्रय कीमतों (उत्पादन कीमतों) को मापता है और इसमें सेवाएँ शामिल होती हैं; PPI पूर्णतः अपनाए जाने तक भारत WPI को प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करता है
- RBI मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए CPI (WPI नहीं) का प्रयोग करता है; WPI का उपयोग GDP के अपस्फीतिकरण तथा ऊपरी स्तर के दबाव के सूचक के रूप में होता है

CPI बनाम WPI बनाम GDP अपस्फीतिकारक

CPI: खुदरा, उपभोक्ता टोकरी, सेवाएँ एवं आयात शामिल, स्थिर भार

WPI: थोक, केवल वस्तुएँ, सेवाएँ नहीं; खुदरा कर एवं परिवहन लागत शामिल नहीं

GDP अपस्फीतिकारक: घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ; भार उत्पादन के साथ बदलते हैं; आयात शामिल नहीं

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- IIP उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है; NSO, MoSPI द्वारा छह सप्ताह के अंतराल से मासिक जारी; 2011-12 के स्थान पर नया आधार 2022-23 (अप्रैल 2026 से)

IIP का क्षेत्र (आधार 2011-12)	भार
विनिर्माण	77.63%
खनन	14.37%
विद्युत	7.99%

- उपयोग-आधारित वर्गीकरण: प्राथमिक वस्तुएँ, पूँजीगत वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएँ, अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ

आठ प्रमुख उद्योग (आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक)	सूचकांक में भार
परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	28.04
विद्युत	19.85
इस्पात	17.92
कोयला	10.33
कच्चा तेल	8.98
प्राकृतिक गैस	6.88
सीमेंट	5.37
उर्वरक	2.63

- प्रमुख उद्योगों का संयुक्त भार IIP में 40.27% है; आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT द्वारा मासिक जारी
- पूँजीगत वस्तुएँ एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ निवेश एवं माँग चक्रों के सूचक हैं

मुद्रास्फीति के प्रकार

प्रकार	कारण	उदाहरण
माँग-जनित	समग्र माँग का आपूर्ति से अधिक होना	अतिरिक्त तरलता, राजकोषीय विस्तार
लागत-जनित	आगत लागत, मजदूरी अथवा आयातित आगतों में वृद्धि	तेल की कीमत में वृद्धि, मजदूरी-कीमत सर्पिल
संरचनात्मक	कृषि, अवसंरचना में आपूर्ति की अड़चनें	खाद्य मुद्रास्फीति (दालें, प्याज़, टमाटर)
आयातित	आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि अथवा मुद्रा का अवमूल्यन	कच्चा तेल, खाद्य तेल, सोना
कोर मुद्रास्फीति	खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर CPI	जड़ घटक; मौद्रिक नीति का मार्गदर्शक

प्रकार	कारण	उदाहरण
हेडलाइन मुद्रास्फीति	कुल CPI	लक्ष्यीकरण के लिए प्रयुक्त
अति-मुद्रास्फीति	कीमतों का अत्यंत तीव्र गति से बढ़ना (प्रति माह 50% से अधिक)	जिम्बाब्वे, वेनेजुएला
मुद्रास्फीतिजनित मंदी	मुद्रास्फीति के साथ ठहराव	1970 के दशक का तेल आघात
विस्फीति	मुद्रास्फीति की दर में गिरावट	2014 के बाद का भारत
अपस्फीति	सामान्य कीमत स्तर का गिरना	1990 के दशक का जापान
पुनस्फीति	नीति-प्रेरित अपस्फीति का उलटाव	प्रोत्साहन उपाय
विषम स्फीति	कुछ मदों की कीमतें दूसरों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ना	खाद्य पदार्थ एवं सब्जियाँ
ग्रीडफ्लेशन / श्रिंकफ्लेशन	कंपनियों के लाभ-मार्जिन से प्रेरित कीमत वृद्धि; उसी कीमत पर पैक का आकार घटाना	पैकेटबंद खाद्य पदार्थ

- प्रभाव: मुद्रास्फीति स्थिर आय वर्गों एवं ऋणदाताओं को हानि पहुँचाती है, ऋणियों एवं उत्पादकों को लाभ देती है; मामूली (3-5%) होने पर सहायक, अधिक होने पर हानिकारक
- नियंत्रण के उपाय: मौद्रिक नीति (रेपो, CRR, SLR), राजकोषीय नीति (घाटे में कमी), आपूर्ति-पक्ष उपाय (सुरक्षित भंडार, आयात शुल्क में कटौती, भंडारण सीमा, निर्यात प्रतिबंध, खाद्यान्नों की खुले बाज़ार में बिक्री)
- मुद्रास्फीति-रोधी साधन: दालों एवं प्याज़ के लिए **कीमत स्थिरीकरण कोष (PSF)**; भारत आटा, भारत दाल; किसान रेल; टॉप टू ऑल (टमाटर, प्याज़, आलू) ऑपरेशन ग्रीन्स

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT):** RBI अधिनियम में 2016 के संशोधन (वित्त अधिनियम 2016) द्वारा अपनाया गया: **CPI का 4% लक्ष्य, $\pm 2\%$ सहनशीलता सीमा के साथ**; प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा (प्रथम अवधि 31 मार्च 2021 तक; 31 मार्च 2026 तक नवीनीकृत)
- **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** का गठन 29 सितंबर 2016 को हुआ: छह सदस्य, तीन RBI से (गवर्नर अध्यक्ष, मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, एक RBI अधिकारी) तथा तीन बाह्य सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है; मत बराबर होने पर गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार
- ऊर्जित पटेल समिति (2014) ने MPC एवं CPI लक्ष्यीकरण की अनुशंसा की; सरकार एवं RBI के बीच 2015 का रघुराम राजन-काल का करार
- यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहती है, तो RBI को सरकार को कारणों, उपचारात्मक कार्रवाइयों तथा लक्ष्य पर लौटने के समय की व्याख्या करते हुए रिपोर्ट देनी होती है
- MPC की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होती हैं (वर्ष में छह निर्धारित बैठकें); निर्णय बहुमत से; दर संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किए जाते हैं
- ढाँचे की समीक्षा (27 मार्च 2026 को घोषित): केंद्र सरकार ने अगले पाँच वर्षों, 31 मार्च 2031 तक, के लिए 4% CPI लक्ष्य तथा $\pm 2\%$ की सीमा को यथावत रखा

अध्याय 04

अर्थशास्त्र के विचारक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता

आर्थिक चिंतन के संप्रदाय

संप्रदाय / विचारक	मुख्य विचार	कृतियाँ
वाणिज्यवाद (16वीं-18वीं शताब्दी)	संपदा = सोना एवं चाँदी; व्यापार अधिशेष; राज्य द्वारा विनियमन	थॉमस मुन
भौतिकवादी (फ्राँस)	भूमि एवं कृषि संपदा के स्रोत हैं; अहस्तक्षेप	फ्रांस्वा केने (टेबलो इकोनॉमिक)
प्रतिष्ठित: एडम स्मिथ (1723-90)	श्रम विभाजन, अदृश्य हाथ, मुक्त व्यापार, श्रम मूल्य सिद्धांत	राष्ट्रों की संपदा (1776)
प्रतिष्ठित: डेविड रिकार्डो	तुलनात्मक लाभ, लगान सिद्धांत, मजदूरी का लौह नियम	राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं कराधान के सिद्धांत (1817)
प्रतिष्ठित: थॉमस माल्थस	जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, खाद्य अंकगणितीय श्रेणी में	जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध (1798)
प्रतिष्ठित: जे.एस. मिल	उपयोगितावाद, हानि का सिद्धांत, स्थिर अवस्था	राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत (1848)
जे.बी. से	से का नियम: पूर्ति स्वयं अपनी माँग का सृजन करती है	राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ग्रंथ
मार्क्सवादी: कार्ल मार्क्स	अधिशेष मूल्य, वर्ग-संघर्ष, पूँजी संचय	दास कैपिटल (1867)
सीमांतवादी: जेवन्स, मेंगर, वाल्स	सीमांत उपयोगिता, सामान्य संतुलन	राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत
नव-प्रतिष्ठित: अल्फ्रेड मार्शल	माँग-पूर्ति, लोच, उपभोक्ता अधिशेष, आंशिक संतुलन	अर्थशास्त्र के सिद्धांत (1890)
कीन्सीय: जॉन मेनार्ड कीन्स	समग्र माँग उत्पादन निर्धारित करती है; गुणक, तरलता पसंदगी, घाटे का व्यय	रोज़गार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत (1936)
मुद्रावाद: मिल्टन फ्रीडमैन	मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति को जन्म देती है; विवेकाधिकार के स्थान पर नियम	संयुक्त राज्य अमेरिका का मौद्रिक इतिहास
ऑस्ट्रियाई: हायेक, मिज़ेस	स्वतःस्फूर्त व्यवस्था, ऋण से व्यापार चक्र	दासता का मार्ग
पूर्ति-पक्ष (लैफर)	कर कटौती से प्रोत्साहन बढ़ते हैं; लैफर वक्र	रीगनॉमिक्स
संस्थागत: थोर्स्टेन वेबलेन, डगलस नॉर्थ, एसेमोग्लू	संस्थाएँ विकास को निर्धारित करती हैं	राष्ट्र क्यों असफल होते हैं (2012)
विकास: रोस्टोव, लुईस, मिर्डल, प्रेबिश	वृद्धि की अवस्थाएँ, द्वैध अर्थव्यवस्था, संचयी कारणता, केंद्र-परिधि	आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएँ
कल्याण: पिगू, पैरेटो, अमर्त्य सेन	कल्याणकारी अर्थशास्त्र, क्षमता, अकाल	निर्धनता एवं अकाल
व्यवहारवादी: काह्लमन, टवर्स्की, थेलर	सीमित विवेकशीलता, प्रत्याशा सिद्धांत, नज	थिंकिंग, फास्ट एंड स्लो
नारीवादी/पारिस्थितिक: बोसेरुप, ऑस्ट्रॉम	विकास में महिलाएँ; साझा संसाधनों का शासन	साझा संसाधनों का शासन

- **एडम स्मिथ:** अर्थशास्त्र के जनक; कराधान के सिद्धांत: समता, निश्चितता, सुविधा, मितव्ययिता
- **कीन्स:** महामंदी; ब्रेटन वुड्स के प्रतिनिधि; तरलता जाल
- मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव जाति के साधारण व्यावसायिक जीवन का अध्ययन बताया; लायोनेल रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा: वह विज्ञान जो मानव व्यवहार का साध्यों एवं दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है
- सैम्युलसन: अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि समाज दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं; पॉल सैम्युलसन की *आर्थिक विश्लेषण की बुनियाद*

- फिलिप्स वक्र: मुद्रास्फीति एवं बेरोज़गारी के बीच प्रतिलोम व्यतिक्रम (ए.डब्ल्यू. फिलिप्स, 1958); ओकुन का नियम; लैफर वक्र; लॉरेन्ज़ वक्र; कुज़नेट्स वक्र; एंगेल वक्र; कोज़ का प्रमेय; गिफ़ेन वस्तुएँ; वेबलेन वस्तुएँ

भारतीय आर्थिक चिंतन

- **कौटिल्य** (अर्थशास्त्र): राज्य की अर्थव्यवस्था, कराधान, व्यापार, राज्य का सप्तांग सिद्धांत; **दादाभाई नौरोजी** (धन का निष्कासन); आर.सी. दत्त; एम.जी. रानाडे; गोखले; गांधीजी का *हिंद स्वराज* (स्वदेशी, ग्राम गणराज्य, न्यासिता); जे.सी. कुमारप्पा (स्थायित्व की अर्थव्यवस्था); **आंबेडकर** (*रुपये की समस्या*, 1923; हिल्टन यंग आयोग, भूमि का विखंडन); नेहरू (फेबियन समाजवाद, नियोजन); पी.सी. महालनोबिस (द्वितीय योजना का मॉडल); वी.के.आर.वी. राव (राष्ट्रीय आय का आकलन 1931-40); अमर्त्य सेन; जगदीश भगवती; सी. रंगराजन; मनमोहन सिंह; विजय केलकर; रघुराम राजन
- दीनदयाल उपाध्याय: एकात्म मानववाद; विनोबा भावे: भूदान; ई.एफ. शूमाखर: छोटा ही सुंदर है; सुभाष पालेकर: ZBNF; एम.एस. स्वामीनाथन; वर्गीज़ कुरियन
- **अमर्त्य सेन**: 1998 का नोबेल, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए; भारत रत्न 1999; क्षमता उपागम एवं मानव विकास; अधिकार-विफलता के कारण अकाल; *विकास एक स्वतंत्रता के रूप में* (1999)

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार; 1969 से)

वर्ष	पुरस्कार विजेता	कार्य
1969	रैग्नर फ्रिश, यान टिनबर्गेन	प्रथम पुरस्कार; अर्थमिति
1998	अमर्त्य सेन	कल्याणकारी अर्थशास्त्र (प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री विजेता)
2015	एंगस डीटन	उपभोग, निर्धनता एवं कल्याण
2018	विलियम नॉर्डहॉस, पॉल रोमर	जलवायु अर्थशास्त्र; अंतर्जात वृद्धि
2019	अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर	वैश्विक निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रायोगिक उपागम
2021	डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गाइडो इम्बेन्स	प्राकृतिक प्रयोग
2022	बेन बर्नान्के, डगलस डायमंड, फिलिप डाइबविग	बैंक एवं वित्तीय संकट
2023	क्लाउडिया गोल्डिन	महिलाओं के श्रम बाज़ार के परिणाम
2024	डैरोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन	संस्थाएँ समृद्धि को कैसे आकार देती हैं
2025	जोएल मोकिर, फिलिप एघियन, पीटर हॉवित	नवाचार-प्रेरित आर्थिक वृद्धि (सृजनात्मक विध्वंस)

- एलिनोर ऑस्ट्रॉम (2009) प्रथम महिला विजेता थीं; क्लाउडिया गोल्डिन तीसरी महिला विजेता; एस्थर डुफ्लो दूसरी महिला विजेता
- यह पुरस्कार मूल नोबेल पुरस्कारों में नहीं था: इसकी स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने की

अध्याय 05

सांख्यिकीय प्रणाली, सर्वेक्षण एवं आँकड़ा प्रकाशन

संस्थागत संरचना

एजेंसी	भूमिका	नियंत्रक संस्था
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)	2019 में CSO एवं NSSO का विलय; GDP, IIP, CPI, PLFS, HCES, राष्ट्रीय लेखे	MoSPI
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)	1999 में गठित (विभागों का विलय 1999); MPLADS की निगरानी; राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सहायता	भारत सरकार
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)	2005 में रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर गठित; सांख्यिकी नीति पर परामर्श देता है	सरकार का संकल्प (गैर-सांविधिक)
आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT)	थोक कीमत सूचकांक (WPI) एवं आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक	वाणिज्य मंत्रालय
श्रम ब्यूरो	CPI-औद्योगिक श्रमिक (2016=100), CPI-कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक	श्रम मंत्रालय
महा-रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	दशकीय जनगणना; नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)	गृह मंत्रालय
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	कृषि सांख्यिकी, अग्रिम आकलन	कृषि मंत्रालय
IIPS मुंबई	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)	स्वास्थ्य मंत्रालय
वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S), कोलकाता	विदेश व्यापार सांख्यिकी	वाणिज्य मंत्रालय
RBI	मौद्रिक, बैंकिंग, भूगतान संतुलन, निधि प्रवाह, सांख्यिकी की पुस्तिका, राज्य वित्त रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट	केंद्रीय बैंक

- भारत की सांख्यिकीय प्रणाली **विकेंद्रीकृत** है: केंद्र, राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा स्थानीय स्तर; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय समन्वय करता है; पी.सी. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (1931) एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1950) की स्थापना की; 29 जून **सांख्यिकी दिवस** है (महालनोबिस की जयंती)

प्रमुख सर्वेक्षण एवं उनका चक्र

सर्वेक्षण	एजेंसी	नवीनतम
भारत की जनगणना	RGI	जनगणना 2011 (15वीं); जनगणना 2027 (16वीं) – मकान-सूचीकरण अप्रैल-सितंबर 2026 में तथा जनसंख्या गणना 1 मार्च 2027 की संदर्भ तिथि पर (हिमाच्छादित क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026); अप्रैल 2025 में जाति-गणना सम्मिलित करने का निर्णय
PLFS	NSO	तिमाही (शहरी) एवं वार्षिक; 2025 से मासिक ब्रूलेटिन; देखें: रोज़गार अध्याय
HCES (घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण)	NSO	2022-23, 2023-24
NFHS	IIPS	NFHS-5 (2019-21); NFHS-6 (2023-24) के परिणाम 2025-26 में जारी

सर्वेक्षण	एजेंसी	नवीनतम
SRS (नमूना पंजीकरण प्रणाली)	RGI	वार्षिक: शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात, कुल प्रजनन दर
कृषि जनगणना	DAC&FW	2015-16 (10वीं); 2021-22 (11वीं, जारी)
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI)	NSO	संगठित विनिर्माण
ASUSE (अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण)	NSO	NSS के उद्यम सर्वेक्षणों का स्थान लिया
AISHE	शिक्षा मंत्रालय	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 28.4% (2021-22)
UDISE+	शिक्षा मंत्रालय	विद्यालय संबंधी आँकड़े
समय उपयोग सर्वेक्षण	NSO	2019 (प्रथम, 2024 में द्वितीय)
आर्थिक जनगणना	MoSPI	7वीं (2019-20), CSC ई-गवर्नेंस के अंतर्गत
NSS चक्र	NSO	79वाँ (2022-23) से: दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर समग्र मॉड्यूलर सर्वेक्षण

- GDP: अग्रिम आकलन 7 जनवरी को या उससे पूर्व जारी; प्रथम संशोधित आकलन 31 जनवरी; अनंतिम आकलन 31 मई को चौथी तिमाही के साथ; तिमाही आकलन तिमाही के 60 दिन बाद
- सूचकांक जारी करने की समय-सारणी: CPI प्रत्येक माह की 12 तारीख को (अपराह्न 4 बजे); WPI 14 तारीख को; IIP 28 तारीख को; आठ प्रमुख उद्योग 20 तारीख को; PMI विनिर्माण 1 तारीख को तथा सेवाएँ 3 तारीख को; GST संग्रह 1 तारीख को; व्यापार आँकड़े लगभग 15 तारीख को
- भारतीय रिज़र्व बैंक का DBIE (भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस) पोर्टल; भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका; RBI बुलेटिन; मुद्रा एवं वित्त

सांख्यिकी में प्रयुक्त अवधारणाएँ

- केंद्रीय प्रवृत्ति के माप: माध्य, माधिका, बहुलक; CAGR सूत्र: $(\text{अंतिम/प्रारंभिक})^{(1/n)} - 1$
- **आधार प्रभाव:** पिछले वर्ष का निम्न (उच्च) आधार वृद्धि को बढ़ा (घटा) देता है; वित्तीय वर्ष की वृद्धि की तुलनाएँ
- सांकेतिक बनाम वास्तविक; श्रृंखलाबद्ध सूचकांक; लास्पेयर (आधार वर्ष के भार), पाशे (चालू वर्ष के भार), फिशर का आदर्श सूचकांक
- भारित औसत; सूचकांक संख्याएँ; अपस्फीतिकारक; मौसमी समायोजित आँकड़े; चल माध्य
- प्रतिचयन: सरल यादृच्छिक, स्तरीकृत; NSS की द्वि-चरणीय प्रारूप; मानक त्रुटि
- निर्धनता एवं असमानता के माप: लॉरेन्ज़ वक्र, गिनी गुणांक, पाल्मा अनुपात

अध्याय 06

भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि के चरण, संरचना एवं प्रमुख क्रम-स्थान

वृद्धि का इतिहास

चरण	अवधि	वृद्धि दर	विशेषता
औपनिवेशिक गतिहीनता	1947 से पूर्व	लगभग 1%	विऔद्योगीकरण एवं धन का निष्कासन
नियोजन काल	1951-80	लगभग 3.5% (हिंदू वृद्धि दर)	सार्वजनिक क्षेत्र-प्रधान, लाइसेंस-परमिट राज
1980 का दशक	1980-90	5.6%	क्रमिक उदारीकरण, उच्च राजकोषीय घाटा
सुधार	1991-2003	5.5-6%	LPG सुधार
त्वरण	2003-11	लगभग 8%	निवेश की तेज़ी, वैश्विक तरलता
मंदी एवं पुनरुत्थान	2012-19	लगभग 6.5-7%	दोहरी तूलन-पत्र समस्या, GST, IBC, नोटबंदी
महामारी	2020-21	-5.8% (पुरानी श्रृंखला)	लॉकडाउन
पुनरुत्थान	2021-26	पुरानी श्रृंखला: 9.7% (2021-22), 7.6% (2022-23), 9.2% (2023-24), 6.5% (2024-25), 7.4% (2025-26 का अनुमान)	पूँजीगत व्यय-प्रेरित पुनरुत्थान

- नई श्रृंखला में वृद्धि (आधार 2022-23): 2022-23 आधार वर्ष; 2023-24 में 7.2%; 2024-25 में 7.1%; 2025-26 में 7.6% (देखें: राष्ट्रीय आय अध्याय)
- भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है; इसका सांकेतिक क्रम विवादित है: 2025 के कुछ अनुमानों ने इसे 4था स्थान दिया, जबकि IMF के अप्रैल 2026 के WEO ने विनिमय दर एवं ऑकड़ों के प्रभाव के बाद इसे 6ठा स्थान दिया (देखें: राष्ट्रीय आय अध्याय)
- प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय): 2024-25 में लगभग ₹2.0 लाख; विश्व बैंक भारत को निम्न-मध्यम आय वाला देश वर्गीकृत करता है (2024 में प्रति व्यक्ति GNI 2,650 अमेरिकी डॉलर; जुलाई 2025 से उच्च-मध्यम आय की सीमा 4,496 अमेरिकी डॉलर)

क्षेत्रीय संरचना

- GVA में क्षेत्रों की हिस्सेदारी (चालू कीमतें, लगभग वित्त वर्ष 2024-25): कृषि एवं संबद्ध लगभग 17-18%, उद्योग लगभग 27-28% (विनिर्माण 14-15%), सेवाएँ लगभग 55%
- रोज़गार में हिस्सेदारी (PLFS 2023-24): कृषि 46%, उद्योग 25%, सेवाएँ 29% (उद्योग में निर्माण शामिल)
- फिशर-क्लार्क वर्गीकरण: प्राथमिक (कृषि, खनन), द्वितीयक (विनिर्माण, निर्माण, उपयोगिताएँ), तृतीयक (सेवाएँ); कभी-कभी चतुर्थक एवं पंचम भी जोड़े जाते हैं
- भारत में संरचनात्मक रूपांतरण: सेवा-प्रधान, समय-पूर्व विऔद्योगीकरण का प्रश्न; विनिर्माण का रोज़गार हिस्सा स्थिर रहा
- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र; संगठित (औपचारिक) एवं असंगठित क्षेत्रक; ESI एवं EPF का कवरेज

बचत एवं निवेश

- सकल घरेलू बचत GDP का लगभग 30-31%; परिवारों की बचत सबसे बड़ी (कुल बचत का लगभग 60%); परिवारों की वित्तीय बचत 2022-23 में GDP के लगभग 5% तक गिरी और कुछ सुधरी; भौतिक (अचल संपत्ति) बचत अधिक है

- सकल स्थायी पूँजी निर्माण GDP का लगभग 31%; निवेश दर लगभग 33%
- वर्धमान पूँजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) लगभग 4; लक्षित वृद्धि के लिए आवश्यक निवेश के आकलन में प्रयुक्त: वृद्धि दर = निवेश दर / ICOR
- हैरोड-डोमर मॉडल: $g = s/v$

प्रमुख क्रम-स्थान एवं स्थितियाँ (नवीनतम ज्ञात)

सूचक	क्रम / मान
GDP (सांकेतिक)	IMF के अप्रैल 2026 के WEO में 6ठा (लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर); देखें: राष्ट्रीय आय अध्याय
GDP (PPP)	चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा
सबसे बड़ा उत्पादक	दूध, दालें, मसाले, जूट; चावल, गेहूँ, चीनी, कपास, फल एवं सब्जियों में दूसरा
विदेशी मूद्रा भंडार	विश्व में शीर्ष पाँच में
प्रेषण (रेमिटेंस)	विश्व में प्रथम
स्टार्टअप	तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र
मोबाइल डेटा उपभोग / UPI	विश्व का सबसे बड़ा वास्तविक-काल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र
स्मार्टफोन उत्पादक	दूसरा सबसे बड़ा
इस्पात उत्पादक	दूसरा सबसे बड़ा (2025 में कच्चा इस्पात 16 करोड़ टन से अधिक)
जनसंख्या	अप्रैल 2023 से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश (संयुक्त राष्ट्र); 146 करोड़ (2025 का अनुमान)
विद्युत उत्पादक	तीसरा सबसे बड़ा
रक्षा व्यय	चौथा सबसे बड़ा

अध्याय 07

मुद्रा, भुगतान प्रणालियाँ एवं मुद्रा आपूर्ति

मुद्रा के कार्य एवं रूप

- कार्य: विनिमय का माध्यम (वस्तु-विनिमय की "आवश्यकताओं के दोहरे संयोग" की समस्या दूर करती है), लेखा की इकाई, मूल्य का भंडार, आस्थगित भुगतान का मानक, सर्वमान्यता
- प्रमाणिक (फ़िएट) मुद्रा:** करेंसी नोट एवं सिक्के सरकार के आदेश के कारण स्वीकार किए जाते हैं; इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता; ये **विधि-मान्य मुद्रा** हैं (निपटान के लिए अस्वीकार नहीं की जा सकती)
- माँग जमाएँ (बचत एवं चालू खाते, चेक) विधि-मान्य मुद्रा नहीं हैं, क्योंकि चेक को अस्वीकार किया जा सकता है
- ₹1 का नोट एवं सिक्के भारत सरकार (वित्त मंत्रालय; वित्त सचिव के हस्ताक्षर, सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत) द्वारा जारी किए जाते हैं; अन्य सभी नोट (₹2 एवं उससे ऊपर) RBI द्वारा जारी होते हैं तथा उन पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं
- सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011: ₹1,000 तक के मूल्यवर्ग के सिक्के; प्रचलित सिक्के: 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20; उच्च मूल्य के सिक्के स्मारक सिक्के हैं
- सीनियरेज:** मुद्रा के अंकित मूल्य एवं उसके उत्पादन की लागत का अंतर
- न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (1957):** RBI ₹200 करोड़ की परिसंपत्तियाँ रखता है, जिनमें ₹115 करोड़ स्वर्ण में तथा ₹85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियों में; शेष नोट निर्गमन सरकारी प्रतिभूतियों से समर्थित होता है
- चेक ट्रंक्शन प्रणाली (CTS):** NPCI द्वारा चेक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में संचालित प्रतिबिंब-आधारित समाशोधन, जिसका निपटान RBI करता है
- अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट):** शेष राशि से अधिक निकासी की ऋण-सुविधा; माँग जमाएँ माँग पर निकाली जा सकती हैं; सावधि जमाएँ केवल निर्धारित अवधि के बाद

डिजिटल लिखत	जारीकर्ता	विशेषता
e₹ (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, e₹-R एवं e₹-W)	RBI	डिजिटल रूप में विधि-मान्य मुद्रा; खुदरा पायलट दिसंबर 2022 में आरंभ; कोई ब्याज नहीं; CBDC टोकनों का प्रयोग पुदुचेरी में खाद्य-सब्सिडी पायलट में (फरवरी 2026)
e-RUPI	NPCI	किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए SMS या QR द्वारा पूर्व-भूगतित वाउचर; मुद्रा नहीं
क्रिप्टोकॉरेंसी	निजी, विकेंद्रीकृत	विधि-मान्य मुद्रा नहीं; भारत वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर 30% कर एवं 1% TDS लगाता है (वित्त अधिनियम 2022); हानि का समायोजन नहीं हो सकता
NFT	निजी	स्वामित्व के लिए अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन; अप्रतिस्थापनीय

- प्रतिस्थापनीयता (फंजिबिलिटी): इकाइयों की पारस्परिक विनिमेयता (₹10 का नोट); अचल संपत्ति एवं NFT अप्रतिस्थापनीय हैं

NPCI एवं भुगतान प्रणालियाँ

- NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम):** खुदरा भुगतान एवं निपटान की छत्र संस्था; भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत RBI एवं भारतीय बैंक संघ की पहल; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी

NPCI उत्पाद	विशेषता
UPI (2016)	आभासी भुगतान पते के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल 24x7 मोबाइल भुगतान; P2P एवं P2M; UAE, फ्रांस, सिंगापुर तथा अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापारी भुगतान (2026 के मध्य तक नौ देशों में UPI स्वीकार्य, जिनमें कंबोडिया भी शामिल)
IMPS	तत्काल 24x7 अंतर-बैंक अंतरण; प्रति लेन-देन ₹1 से ₹5 लाख

NPCI उत्पाद	विशेषता
NACH	उच्च-मात्रा, निम्न-मूल्य के आवर्ती जमा एवं नामे (वेतन, सब्सिडी, EMI)
AePS	आधार सक्षम भूगतान प्रणाली: आधार एवं बायोमेट्रिक के साथ माइक्रो-ATM के माध्यम से लेन-देन
BHIM	UPI पर आधारित ऐप
BBPS	उपयोगिताओं के लिए भारत बिल भूगतान प्रणाली
NETC / FASTag	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण
RuPay	घरेलू कार्ड नेटवर्क (डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड), वीज़ा, मास्टरकार्ड एवं चीन के यूनियनपे का प्रतिस्पर्धी
NFS	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच: सबसे बड़ा साझा ATM नेटवर्क

- वित्त वर्ष 2025-26 में UPI: लगभग 24,161 करोड़ लेन-देन, मूल्य ₹314 लाख करोड़, मात्रा में 30% की वृद्धि

RBI प्रणाली	निपटान	उपयोग
RTGS	वास्तविक-काल सकल निपटान; न्यूनतम ₹2 लाख	उच्च-मूल्य के व्यावसायिक भूगतान
NEFT	बैच में निपटान (प्रत्येक आधे घंटे, 24x7); कोई न्यूनतम सीमा नहीं, ₹1 भी	खुदरा

- RBI का **भूगतान विज्ञान 2028** (27 मार्च 2026): उपयोगकर्ता का सशक्तीकरण, धोखाधड़ी से सुरक्षा, सीमा-पार भूगतान सुधार, कारोबार में सुगमता
- ATM: बैंक ATM; ब्राउन-लेबल ATM (बैंकों के स्वामित्व में, तृतीय पक्ष द्वारा संचालित); व्हाइट-लेबल ATM (गैर-बैंक कंपनियों के स्वामित्व एवं संचालन में)
- **व्यापारी छूट दर (MDR)**: कार्ड लेन-देन पर व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क, जो जारीकर्ता बैंक, अधिग्रहणकर्ता बैंक, कार्ड नेटवर्क एवं प्रोसेसर में बँटता है; ऊँची MDR PoS अपनाने को हतोत्साहित करती है; UPI एवं RuPay डेबिट पर शून्य MDR
- **नोस्ट्रो खाता**: किसी भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में खाता; **वोस्ट्रो**: विदेशी बैंक का भारतीय बैंक में खाता
- **लेटर ऑफ अंडरटेकिंग / लेटर ऑफ कम्फर्ट**: बैंक गारंटी, जिसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को दूसरे बैंक की विदेशी शाखा से अल्पकालिक ऋण लेने की अनुमति देता है (निरव मोदी-PNB प्रकरण); RBI ने 2018 में व्यापार ऋण के लिए LoU एवं LoC पर प्रतिबंध लगाया
- **SWIFT**: अंतर-बैंक भूगतान निर्देशों के लिए संदेश नेटवर्क

NRI खाता	मुद्रा	कर	प्रत्यावर्तन
FCNR(B)	विदेशी मुद्रा, केवल सावधि जमा	ब्याज कर-योग्य नहीं	पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय
NRE	रुपये; चालू, बचत, आवर्ती अथवा सावधि	ब्याज एवं मूलधन कर-योग्य नहीं	पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय
NRO	रुपये	ब्याज कर-योग्य	प्रतिबंधित

मुद्रा की माँग

- **लेन-देन माँग**: वास्तविक GDP एवं कीमत स्तर के समानुपाती; **सट्टा माँग**: ब्याज दर से प्रतिलोम रूप से संबंधित (कीन्स); एहतियाती उद्देश्य
- बॉन्ड की कीमत एवं प्रतिफल विपरीत दिशा में चलते हैं: बॉन्ड की कीमत गिरने पर प्रतिफल बढ़ता है; चालू प्रतिफल = वार्षिक ब्याज ÷ कीमत
- जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, तो लोग उनके बढ़ने (बॉन्ड की कीमतें गिरने) की अपेक्षा करते हैं और नकद रखते हैं, अतः सट्टा माँग अधिक होती है; बहुत ऊँची दरों पर लोग बॉन्ड खरीदते हैं, अतः सट्टा माँग कम होती है
- **मात्रा सिद्धांत**: $MV = PY$ (फिशर); वेग $V = \text{सांकेतिक GDP} \div M$
- **तरलता जाल**: लगभग शून्य ब्याज दरों पर लोग नकदी जमा करते हैं; अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति ब्याज दरों को नहीं घटा पाती; मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है

मुद्रा आपूर्ति के माप

माप	घटक	टिप्पणियाँ
-----	-----	------------

माप	घटक	टिप्पणियाँ
आरक्षित मुद्रा (M0, उच्च-शक्ति मुद्रा)	प्रचलन में मुद्रा + RBI में बैंकों की जमाएँ + RBI में अन्य जमाएँ	RBI का दायित्व; मुद्रा सृजन का आधार
M1 (संकीर्ण मुद्रा)	जनता के पास मुद्रा + बैंकों में माँग जमाएँ + RBI में अन्य जमाएँ	सर्वाधिक तरलता
M2	M1 + डाकघरों में बचत जमाएँ	RBI की संशोधित परिभाषाओं में इसका स्थान ले लिया गया
M3 (व्यापक मुद्रा)	M1 + बैंकों में सावधि जमाएँ	प्रमुख समुच्चय
M4	M3 + डाकघरों की कुल जमाएँ (NSC को छोड़कर)	सबसे व्यापक, सबसे कम तरलता

- RBI के नए मौद्रिक समुच्चय (2018 से): निवास एवं वित्तीय लिखतों की तरलता पर आधारित NM1, NM2 एवं NM3; M3 अथवा NM3 की वृद्धि एक प्रमुख मौद्रिक चर है
- बैंक से ₹1 लाख निकालने पर माँग जमाएँ जनता के पास मुद्रा में बदल जाती हैं; M1 मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन नहीं होता

भारतीय रिज़र्व बैंक

- स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत; मुख्यालय मुंबई; 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत; हिल्टन यंग आयोग (1926) ने केंद्रीय बैंक की अनुशंसा की थी
- कार्य: मुद्रा का निर्गमक; सरकार का बैंकर (एजेंट एवं ऋण प्रबंधक); बैंकों का बैंकर (नकद आरक्षित निधियों का संरक्षक, अंतिम ऋणदाता); बैंकों का नियामक एवं पर्यवेक्षक; विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक; ऋण एवं मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक; विदेशी मुद्रा प्रबंधक (FEMA 1999); विकासात्मक भूमिका

RBI द्वारा प्रशासित कानून	वर्ष
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम	1934
बैंकिंग विनियमन अधिनियम	1949
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम	1999
सरकारी प्रतिभूति अधिनियम	2006
क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम	2005
भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम	2007
SARFAESI अधिनियम (अध्याय II)	2002

- गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर: केंद्र द्वारा निर्धारित अधिकतम पाँच वर्ष का कार्यकाल (धारा 8(4)); पुनर्नियुक्ति के पात्र; मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की अनुशंसा पर नियुक्त; अधिनियम कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं करता; केंद्र गवर्नर को हटा सकता है
- गवर्नर: **संजय मल्होत्रा** (11 दिसंबर 2024 से); RBI अधिनियम की धारा 7 केंद्र को गवर्नर से परामर्श के बाद लोकहित में RBI को निर्देश देने की शक्ति देती है; RBI के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है
- केंद्रीय बोर्ड: गवर्नर एवं अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर सहित 21 सदस्य; डिप्टी गवर्नर: चार

RBI प्रकाशन	आवृत्ति
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट	वार्षिक
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	अर्द्धवार्षिक (जून एवं दिसंबर)
मौद्रिक नीति रिपोर्ट	अर्द्धवार्षिक
विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट	अर्द्धवार्षिक
द्वि-मासिक नीति वक्तव्य	वर्ष में छह बार
औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण	तिमाही

RBI के अधिशेष/पूँजी पर समितियाँ	अनुशंसा
उषा थोराट (2004)	कुल परिसंपत्तियों का 18% आरक्षित निधि

RBI के अधिशेष/पूँजी पर समितियाँ	अनुशंसा
मल्हेगम (2013)	संपूर्ण शुद्ध लाभ सरकार को अंतरित करना
बिमल जालान (2019)	आर्थिक पूँजी ढाँचा: बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% आकस्मिक जोखिम बफर; अधिशेष तभी अंतरित होगा जब प्राप्त इकिटी आवश्यकता से अधिक हो

- RBI ने मई 2025 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को रिकॉर्ड ₹2.69 लाख करोड़ का अधिशेष दिया (मई 2025 में आर्थिक पूँजी ढाँचे के संशोधन के अनुसार: CRB की सीमा 7.5% से 4.5%)
- RBI की आय के प्रमुख स्रोत: धारित सरकारी बॉन्डों पर ब्याज, विदेशी मुद्रा परिचालन तथा मुद्रा मुद्रण/वितरण पर शुल्क; विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री एक स्रोत है (UPSC 2025)

जमा बीमा

- DICGC** (जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम): 1978 में स्थापित (1961 के DIC अधिनियम एवं ऋण गारंटी निगम का विलय); RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
- बीमित राशि प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक **₹5 लाख** (फरवरी 2020 से; पहले ₹1 लाख); बचत, सावधि, चालू एवं आवर्ती जमाओं को शामिल करती है; प्रीमियम बैंक चुकाते हैं, जमाकर्ता नहीं
- सम्मिलित संस्थाएँ: सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में शाखा वाले विदेशी बैंक, सहकारी बैंक
- छूट प्राप्त जमाएँ: विदेशी सरकारों की, केंद्र/राज्य सरकारों की, अंतर-बैंक जमाएँ, विदेश में प्राप्त जमाएँ, राज्य भूमि विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमाएँ

अध्याय 08

बैंकिंग संरचना, NBFC एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

बैंकिंग प्रणाली की संरचना

- वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं; अनुसूचित बैंक RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं (प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ कम से कम ₹5 लाख; संचालन जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल न हों)

श्रेणी	विशेषताएँ
भारतीय स्टेट बैंक	सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक; इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया 1955 में SBI बना; सहयोगी बैंकों का 2017 में SBI में विलय
राष्ट्रीयकृत बैंक	1969 में 14 एवं 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण; 2020 के समामेलन के बाद 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
भारतीय निजी बैंक	HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक; विदेशी निवेश 74% तक
विदेशी बैंक	HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटीबैंक; शाखा अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) मॉडल
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)	1975 में स्थापित (RRB अधिनियम 1976); स्वामित्व: केंद्र 50%, प्रायोजक बैंक 35%, राज्य 15%; कृषि एवं ग्रामीण ऋण पर केंद्रित

- विदेशी बैंक: शाखा मॉडल में न्यूनतम पूँजी की आवश्यकता नहीं है; WOS मॉडल में न्यूनतम पूँजी ₹500 करोड़ तथा बोर्ड में कम से कम 50% भारतीय निदेशक आवश्यक (UPSC 2024)
- विभेदित बैंक (नचिकेत मोर समिति, 2013 की अनुशंसा): लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, RRB

विशेषता	लघु वित्त बैंक	भुगतान बैंक
उदाहरण	कैपिटल SFB, उज्जीवन, उत्कर्ष, AU	एयरटेल, इंडिया पोस्ट (IPPB), फिनो, पेटीएम (लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 को रद्द), जियो, NSDL
पात्र प्रवर्तक	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ, 10 वर्ष के अनुभव वाली NBFC	निवासी भारतीय, NBFC, मोबाइल कंपनियाँ
जमाएँ	हाँ, कोई प्रतिबंध नहीं	केवल माँग जमाएँ; प्रति ग्राहक अधिकतम शेष ₹2 लाख
ऋण	60% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को (2025-26 से; पहले 75%); 50% ऋण पोर्टफोलियो ₹25 लाख से कम का	ऋण नहीं दे सकते; क्रेडिट कार्ड नहीं
ग्रामीण उपस्थिति	25% शाखाएँ बैंकिंग-विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में	25% पहुँच बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों में

- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को RBI के पर्यवेक्षण में लाया

सहकारी बैंक का स्तर	स्तर	नियामक
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)	गाँव	राज्य सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार
ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)	ज़िला; PACS को वित्त देते हैं	RBI (बैंकिंग), NABARD (प्रत्यायोजित पर्यवेक्षण), रजिस्ट्रार (प्रबंधन)
राज्य सहकारी बैंक	राज्य	समान द्वैध विनियमन
शहरी सहकारी बैंक (UCB)	शहरी/अर्ध-शहरी	RBI (बैंकिंग), रजिस्ट्रार (प्रबंधन)
भूमि विकास बैंक (कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)	दीर्घकालिक कृषि ऋण	BR अधिनियम के बाहर

- अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना: PACS → DCCB → राज्य सहकारी बैंक (त्रि-स्तरीय); दीर्घकालिक: PCARDB → SCARDB
- शहरी सहकारी बैंक: RBI ने 1 अप्रैल 2025 से पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे के स्थान पर शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई लागू की
- बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025: प्रति खाता चार नामांकित व्यक्तियों की अनुमति, "पर्याप्त हित" की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तथा सहकारी बैंक निदेशकों को 10 वर्ष तक पद पर रहने की अनुमति

विकास वित्त संस्था	केंद्र बिंदु
NABARD (1982; शिवरामन समिति)	कृषि एवं ग्रामीण ऋण; सहकारी बैंकों एवं RRB के लिए पुनर्वित्त; RRB एवं सहकारी संस्थाओं का नियामक
SIDBI (1990)	लघु उद्योग
EXIM बैंक (1982)	विदेश व्यापार एवं निर्यात ऋण
राष्ट्रीय आवास बैंक (1988)	आवास वित्त
MUDRA (2015)	सूक्ष्म वित्त पुनर्वित्त (PMMY के अंतर्गत)
NaBFID (2021)	दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण

- विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण देते हैं; IDBI एवं ICICI के वाणिज्यिक बैंक बन जाने के बाद 2021 में NaBFID ने विकास वित्त संस्था की अवधारणा का स्थान लिया

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)

- NBFC कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियाँ हैं जो ऋण देती एवं निवेश करती हैं, किंतु माँग जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकतीं, अपने ऊपर आहरित चेक जारी नहीं कर सकतीं, भुगतान एवं निपटान प्रणाली में भाग नहीं लेतीं, DICGC का कवर नहीं होता तथा RBI की LAF तक पहुँच नहीं होती
- अंतर: NBFC को बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं; अनेक गतिविधियों में विदेशी निवेश 100% तक (स्वचालित मार्ग); बैंक ऋण का सृजन करते हैं तथा (निजी क्षेत्र में) 74% तक FDI

NBFC का प्रकार	विवरण
परिसंपत्ति वित्त कंपनी (AFC)	वाहन, मशीनरी जैसी भौतिक परिसंपत्तियों को वित्त उपलब्ध कराती है
ऋण कंपनी	ऋण देती है, परिसंपत्ति वित्त नहीं
निवेश कंपनी	शेयरों एवं प्रतिभूतियों में निवेश करती है
अवसंरचना वित्त कंपनी (IFC)	अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त देती है
सूक्ष्म वित्त संस्था (NBFC-MFI)	निम्न-आय वर्गों को सूक्ष्म ऋण
मुख्य निवेश कंपनी (CIC)	समूह की कंपनियों के शेयर एवं प्रतिभूतियाँ अर्जित करती है
आवास वित्त कंपनी	RBI द्वारा विनियमित (पहले राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा)

संस्था	नियामक
मर्चेन्ट बैंकिंग, उद्यम पूँजी, शेयर दलाली, सामूहिक निवेश योजनाएँ	SEBI
निधि कंपनियाँ, पारस्परिक लाभ कंपनियाँ	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
चिट फंड	चिट फंड अधिनियम, 1982 (समवर्ती सूची) के अंतर्गत राज्य सरकारें; SEBI अधिनियम इन्हें बाहर रखता है
बीमा कंपनियाँ	IRDAI

- **पोंजी योजनाएँ** बिना जोखिम के उच्च प्रतिफल का वादा करती हैं और पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के धन से भुगतान करती हैं (सारदा घोटाला); अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 द्वारा प्रतिबंधित
- NBFC के लिए **पैमाना-आधारित विनियमन** (अक्टूबर 2022 से): चार स्तर – आधार, मध्य, ऊपरी एवं शीर्ष; ऊपरी स्तर की NBFC (RBI प्रतिवर्ष पहचान करता है; 2024-25 में 15) पर पूँजी, शासन एवं सूचीबद्धता के कड़े मानक लागू; अप्रैल 2026 में RBI ने ऊपरी स्तर के लिए ₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति सीमा प्रस्तावित की
- अप्रैल 2026: RBI ने ₹1,000 करोड़ से कम परिसंपत्ति वाली **"अपंजीकृत प्रकार-I NBFC"** श्रेणी बनाई, जिसे RBI के पंजीकरण से छूट है

- भारत में बेसल III: बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता 9% तथा पूँजी संरक्षण बफर 2.5% = 11.5% (RBI मानदंड), जबकि अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम 10.5% (8% + 2.5%) है; **तरलता कवरेज अनुपात (LCR)** के अनुसार उच्च-गुणवत्ता की तरल परिसंपत्तियाँ 30 दिन के तनाव का सामना करने योग्य हों; **शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (NSFR)**; टियर 1 = इक्विटी एवं प्रतिधारित आय; टियर 2 = पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ, संकर लिखत एवं अधीनस्थ ऋण
- **CAMEL** (पूँजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता) बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करता है; व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण NBFC के लिए CAR कम से कम 15% आवश्यक

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)

- बैंकों को राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण का एक हिस्सा देना होता है: कृषि, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि

लक्ष्य श्रेणी	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) अथवा तृलन-पत्र-बाह्य जोखिम के ऋण-समतुल्य (CEOBE) का प्रतिशत, जो भी अधिक हो
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	40% (घरेलू तथा 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक)
20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	40% (निर्यात के लिए 32% तक, अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए कम से कम 8%)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लघु वित्त बैंक	75% (RRB); 60% (लघु वित्त बैंक, 2025-26 से)
कृषि	18%
छोटे एवं सीमांत किसान (कृषि के अंतर्गत)	10%
सूक्ष्म उद्यम	7.5%
कमज़ोर वर्ग	12%

- कमी को RIDF (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, NABARD; 1995-96 में स्थापित), शहरी अवसंरचना विकास निधि, SIDBI, MUDRA तथा NHB जैसी निधियों में जमा करना होता है
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC)**: लक्ष्य से अधिक उपलब्धि वाले बैंक अधिशेष को कमी वाले बैंकों को बेचते हैं; बैंक NBFC एवं HFC के साथ सह-ऋण भी दे सकते हैं

मुद्रा सृजन एवं बैंकिंग अनुपात

- **आंशिक आरक्षित बैंकिंग**: बैंक जमाओं का एक अंश आरक्षित रखते हैं और शेष ऋण देते हैं, जिससे बार-बार ऋण देने से मुद्रा का सृजन होता है; **मुद्रा गुणक** वह संख्या है जितनी बार प्रारंभिक जमा मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करती है
- मुद्रा गुणक $m = M \div H = (1 + CDR) \div (CDR + RDR)$; अधिक बैंकिंग आदत (कम मुद्रा-जमा अनुपात) गुणक को बढ़ाती है (UPSC 2019, 2021)
- **मुद्रा-जमा अनुपात (CDR)** = जनता के पास मुद्रा $\div$ माँग जमाएँ; **आरक्षित-जमा अनुपात (RDR)** = आरक्षित निधियाँ $\div$ जमाएँ (CRR + अतिरिक्त आरक्षित); CRR बढ़ने से गुणक घटता है
- आर्थिक समीक्षा 2025-26: CRR को 3.0% करने के बाद मुद्रा गुणक 6.21
- बैंक की परिसंपत्तियाँ: निवेश, माँग एवं अल्प सूचना पर धन, ऋण एवं अग्रिम, भुनाए गए बिल; देयताएँ: जमाएँ (CASA: चालू एवं बचत खाते माँग देयताएँ हैं), निवल मूल्य
- बैंकों की माँग एवं सावधि देयताएँ (NDTL) वह आधार हैं जिन पर CRR एवं SLR की गणना होती है
- कोर बैंकिंग समाधान: बैंकों द्वारा प्रयुक्त फिनेकल (इन्फोसिस); E-कुबेर RBI का कोर बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म है

अध्याय 09

बैंकिंग सुधार, NPA एवं दिवालियापन

सुधार के प्रमुख पड़ाव

सुधार / समिति	मुख्य विचार
राष्ट्रीयकरण (1969: 14 बैंक; 1980: 6 बैंक)	सामाजिक नियंत्रण; प्राथमिकता क्षेत्र ऋण
नरसिम्हम समिति I (1991)	CRR/SLR में कमी; ब्याज दरों को मुक्त करना; पूँजी पर्याप्तता मानदंड; विवेकपूर्ण मानदंड; चार-स्तरीय संरचना
नरसिम्हम समिति II (1998)	सशक्त बैंकों का विलय; सरकारी हस्तक्षेप में कमी; पूँजी पर्याप्तता 9% तक बढ़ाना; परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी
वर्मा / खान / नायक समितियाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन; नायक (2014) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो सृजनाया
मिशन इंड्रधनुष (2015)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार की 7-सूत्री योजना (ABCDEF&G): नियुक्तियाँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूँजीकरण (₹70,000 करोड़), तनावमुक्ति, सशक्तीकरण, जवाबदेही का ढाँचा, शासन सुधार (ज्ञान संगम)
बैंक बोर्ड ब्यूरो	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की अनुशंसा; 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) द्वारा प्रतिस्थापित
EASE ढाँचा (2018)	उन्नत पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार का एजेंडा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सम्मेलन (2017-2020)	2017 में सहयोगी बैंकों का SBI में विलय; बैंक ऑफ़ बड़ौदा + विजया + देना (2019); अप्रैल 2020 में चार विलयों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक घटकर 12 रह गए
शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)	पूँजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता के लिए ट्रिगर; शाखा विस्तार एवं लाभांश पर प्रतिबंध (UPSC 2018)

- 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण **19 जुलाई 1969** को हुआ (जिनकी जमाएँ ₹50 करोड़ से अधिक थीं); छह और बैंकों का **15 अप्रैल 1980** को
- दोहरी तुलन-पत्र समस्या:** तनावग्रस्त बैंक एवं अत्यधिक ऋणग्रस्त कॉर्पोरेट (आर्थिक समीक्षा 2016-17); "चार तुलन-पत्र की चुनौती" में NBFC एवं अचल संपत्ति जोड़े गए
- बैंकों पर आर्थिक समीक्षा 2025-26: सकल NPA 2.2% एवं निवल NPA 0.5% (सितंबर 2025), जो कई दशकों का निम्नतम स्तर है; बैंक ऋण वृद्धि 14.5% (दिसंबर 2025)
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA):** कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नियामक; सूचीबद्ध कंपनियों तथा ₹500 करोड़ या अधिक प्रदत्त पूँजी अथवा ₹1,000 करोड़ या अधिक कारोबार वाली असूचीबद्ध कंपनियों की जाँच करता है
- गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (SFIO):** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन, नरेश चंद्र समिति की अनुशंसा पर; सफ़ेदपोश धोखाधड़ियों की जाँच करता है

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)

- NPA:** वह ऋण जिसका ब्याज अथवा मूलधन 90 दिनों से अधिक अतिदेय हो; कृषि ऋण: 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसलें) अथवा 1 फसल मौसम (दीर्घावधि फसलें) तक अतिदेय

SMA श्रेणी	अतिदेय अवधि
SMA-0	0-30 दिन (मूलधन या ब्याज अतिदेय नहीं, किंतु प्रारंभिक तनाव)
SMA-1	31-60 दिन
SMA-2	61-90 दिन

परिसंपत्ति वर्ग	परिभाषा
-----------------	---------

परिसंपत्ति वर्ग	परिभाषा
मानक परिसंपत्ति	समय पर भुगतान
अवमानक परिसंपत्ति	12 माह या उससे कम से NPA
संदिग्ध परिसंपत्ति	12 माह से अधिक समय से अवमानक
हानि परिसंपत्ति	अप्राप्य के रूप में चिह्नित, किंतु पूर्णतः बट्टे खाते में नहीं डाली गई
तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ	NPA + पुनर्संचित ऋण + बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ

- **जानबूझकर चूककर्ता:** वह उधारकर्ता या गारंटर जो जानबूझकर भुगतान नहीं करता, बकाया ₹25 लाख या अधिक; बड़े चूककर्ता: ₹1 करोड़ या अधिक की बकाया राशि जो संदिग्ध अथवा हानि के रूप में वर्गीकृत हो
- निवल NPA = सकल NPA - प्रावधान; **प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR)** = प्रावधान ÷ सकल NPA
- बट्टे खाते में डाले गए ऋण तुलन-पत्र से हटा दिए जाते हैं, किंतु उनकी वसूली संभव रहती है; वे रिपोर्ट किए गए NPA के भंडार से बाहर हो जाते हैं
- **ब्याज कवरेज अनुपात** = EBIT ÷ ब्याज व्यय; कम अनुपात तनाव का संकेत है (UPSC 2020)
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का NPA अनुपात: 11.2% (शिखर, मार्च 2018); 2.8% (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में 2024 के लिए उद्धृत); 2.2% (सितंबर 2025)

NPA समाधान के साधन

3R ढाँचा: सुधार (परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा), पुनर्संरचना (SDR, S4A, संयुक्त ऋणदाता मंच), वसूली (SARFAESI अधिनियम 2002, IBC 2016)

SARFAESI अधिनियम 2002: बैंक न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ जब्त कर बेच सकते हैं (सीमा ₹1 लाख; 60 दिन की सूचना)

ऋण वसूली अधिकरण (DRT, अपील DRAT में) ₹20 लाख से अधिक की बकाया राशि के लिए; लोक अदालतें; नीलामी के लिए eBkay पोर्टल

प्रोजेक्ट सशक्त (2018): कई ऋणदाताओं वाले ₹50 करोड़ या अधिक के ऋणों के लिए अंतर-ऋणदाता करार

के.वी. कामथ समिति: महामारी-संबंधी एकमुश्त ऋण पुनर्संरचना (2020)

बैड बैंक: राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL, 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित) ₹500 करोड़ से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ खरीदती है; भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) उनका प्रबंधन करती है; प्रतिभूति रसीदों के लिए सरकारी गारंटी ₹30,600 करोड़; PARA 2016-17 की आर्थिक समीक्षा का प्रस्ताव था

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016

- टी.के. विश्वनाथन दिवालियापन विधि सुधार समिति (2015) पर आधारित; कॉर्पोरेट दिवालियापन का समयबद्ध समाधान
- ट्रिगर: न्यूनतम ₹1 करोड़ की चूक; समाधान 180 दिनों में, 90 दिन बढ़ाकर 270 दिन तक; समाधान विफल होने पर परिसमापन
- स्तंभ: NCLT (कंपनियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण), DRT (व्यक्तियों एवं साझेदारियों के लिए), दिवाला पेशेवर, सूचना उपयोगिताएँ (जैसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड), IBBI
- भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI): सांविधिक नियामक; सदस्य वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं RBI से
- **धारा 29A** जानबूझकर चूककर्ताओं एवं संबंधित व्यक्तियों को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने से रोकती है; ऋणदाताओं की समिति 66% मत से निर्णय लेती है (75% से घटाया गया)
- दिवालियापन (इन्सॉल्वेंसी): देय होने पर ऋण चुकाने में असमर्थता; शोधन अक्षमता (बैंकरप्सी): विधिक घोषणा; **बेल-इन** में जमाकर्ताओं के धन का उपयोग बैंक को स्थिर करने में होता है; **बेल-आउट** सार्वजनिक धन से बाहरी बचाव है (FRDI विधेयक 2017 बेल-इन की चिंताओं के कारण 2018 में वापस लिया गया)
- IBC में हाल के संशोधन (2025-26) का लक्ष्य शीघ्र समाधान, ऋणदाता-प्रेरित दिवाला समाधान एवं समूह दिवाला ढाँचे हैं

ऋण की शर्तें एवं रेटिंग

- औपचारिक ऋण: RBI द्वारा विनियमित बैंक एवं सहकारी संस्थाएँ; अनौपचारिक: साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता
- ऋण की शर्तें: ब्याज दर, संपार्श्विक (गिरवी रखी परिसंपत्ति: भूमि, सोना, जमाएँ), दस्तावेज़ीकरण, चुकौती का तरीका
- **टीज़र ऋण:** उधारकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए आरंभ में कम ब्याज दर; सब-प्राइम ऋण से संबद्ध (UPSC 2011)
- SEBI द्वारा विनियमित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ: CRISIL, ICRA, CARE, इंडिया रेटिंग्स (फिच समूह), ब्रिकवर्क; वैश्विक: फिच, मूडीज़, S&P
- क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CIBIL/ट्रांसयूनियन CIBIL, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, CRIF हाई मार्क) CIC अधिनियम 2005 के अंतर्गत विनियमित
- बैंक ऋण दरें: आधार दर (2010), MCLR (अप्रैल 2016), बाह्य मानक से संबद्ध ऋण दर (EBLR, अक्टूबर 2019: खुदरा एवं MSME के परिवर्ती दर ऋणों के लिए रेपो दर से संबद्ध)

अध्याय 10

मौद्रिक नीति: समिति, साधन एवं गलियारा

उद्देश्य एवं प्रकार

- मौद्रिक नीति:** समष्टि-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों एवं तरलता के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति एवं ऋण का प्रबंधन; भारत में RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निर्मित
- उद्देश्य:** कीमत स्थिरता, वृद्धि में तेजी, विनिमय दर स्थिरता, बचत एवं निवेश में संतुलन, रोजगार सृजन

प्रकार	उद्देश्य	साधन	संदर्भ
विस्तारवादी (नरम, सस्ती मुद्रा)	वृद्धि बढ़ाने हेतु मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना	रेपो दर, CRR, SLR में कटौती; बॉन्ड की खरीद	मंदी; 2008 का वैश्विक संकट
संकुचनकारी (कठोर, महँगी मुद्रा)	मुद्रास्फीति पर अंकुश हेतु मुद्रा आपूर्ति घटाना	रेपो, CRR, SLR में वृद्धि; बॉन्ड की बिक्री	अति-तापन; कोविड के बाद दरों में वृद्धि (मई 2022 से फरवरी 2023); 7 अक्टूबर 2026 की वृद्धि

- रुख: **समायोजनकारी** (दरें घटाई गईं अथवा घटाए जाने की संभावना), **तटस्थ** (किसी भी ओर लचीला), **समायोजन की वापसी / अंशांकित कसाव** (कठोर); RBI 7 अक्टूबर 2026 को "अंशांकित कसाव" के रुख पर आया
- मौद्रिक नीति के उपागम: विनिमय दर लक्ष्यीकरण (सिंगापुर), बहु-सूचक (भारत में 2016 तक), लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (2016 से)

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

पहलू	विवरण
विधिक आधार	RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB, वित्त अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ी गई; 29 सितंबर 2016 से कार्यरत
उद्देश्य	मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना
संरचना	छह सदस्य: गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी; खोज समिति की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा नियुक्त तीन बाह्य सदस्य
मतदान	बहुमत से; प्रत्येक सदस्य का एक मत; मत बराबर होने पर गवर्नर का निर्णायक मत
बाह्य सदस्यों का कार्यकाल	चार वर्ष, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं
बैठकें	वर्ष में कम से कम चार (छह द्वि-मासिक बैठकें होती हैं); गणपूर्ति चार सदस्य, जिनमें गवर्नर या डिप्टी गवर्नर सम्मिलित हों
कार्यवृत्त	बैठक के 14वें दिन जारी
लक्ष्य	CPI-संयुक्त 4%, $\pm 2\%$ सहनशीलता सीमा (2% से 6%); 31 मार्च 2031 तक के पाँच वर्षों के लिए यथावत
विफलता	यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहे, तो RBI को सरकार को कारणों, उपचारात्मक कार्रवाई एवं लक्ष्य पर लौटने के समय के बारे में रिपोर्ट देनी होती है (UPSC 2017)

- ऊर्जित पटेल समिति (2014) ने CPI को नाममात्र आधार मानकर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एवं MPC की अनुशंसा की; सरकार-RBI मौद्रिक नीति ढाँचा करार पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर हुए
- मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर होने पर RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर मुद्रा आपूर्ति घटा सकता है
- 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन हुआ ताकि केंद्र प्रत्येक पाँच वर्ष में RBI से परामर्श कर लक्ष्य निर्धारित करे

मौद्रिक नीति के साधन

साधन	अर्थ	वर्तमान स्थिति (अक्टूबर 2026)
नीतिगत रेपो दर	वह दर जिस पर RBI LAF के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के बदले ऋण देता है	5.50% (7 अक्टूबर 2026)
स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर	वह दर जिस पर RBI बिना संपार्श्विक की रातोंरात जमाएँ अवशोषित करता है; LAF गलियारे का निचला स्तर, रेपो से 25 आधार अंक कम; अप्रैल 2022 में आरंभ	5.25%
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर	SLR में से निकासी कर रातोंरात दंडात्मक उधारी, NDTL के 2% तक (2020 में अस्थायी रूप से बढ़ाकर 3%, अप्रैल 2022 से पुनः 2%); गलियारे की ऊपरी सीमा, रेपो से 25 आधार अंक अधिक	5.75%
बैंक दर	वह दर जिस पर RBI बिलों की पुनर्कटौती करता है; CRR/SLR में कमी पर दंडात्मक दर; MSF के अनुरूप; RBI अधिनियम की धारा 49	5.75%
प्रतिवर्ती रेपो (रिवर्स रेपो)	वह दर जिस पर RBI प्रतिभूतियों के बदले तरलता अवशोषित करता है; स्थिर रिवर्स रेपो (3.35%) SDF से पृथक है	अप्रैल 2022 से निचली सीमा नहीं
CRR	बैंकों द्वारा RBI के पास नकद के रूप में रखा जाने वाला NDTL का अंश; कोई ब्याज नहीं; RBI इसे बिना किसी सांविधिक निचली या ऊपरी सीमा के निर्धारित कर सकता है (2006 में 3% की निचली एवं 20% की ऊपरी सीमा हटाई गई)	3.0% (2025 में 100 आधार अंक की कटौती)
SLR	नकद, स्वर्ण एवं निर्बाध सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जाने वाला NDTL का अंश; बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24; वैधानिक सीमा 40% तक; निचली सीमा 0%	18%
खुले बाज़ार परिचालन (OMO)	RBI सरकारी बॉन्ड सीधे अथवा रेपो के माध्यम से खरीदता या बेचता है	2025 में स्थायी तरलता के लिए खरीद का प्रयोग
बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS)	अधिशेष तरलता अवशोषित करने हेतु जारी सरकारी प्रतिभूतियाँ; आय RBI के पास रखी जाती है	2004 में आरंभ
परिवर्ती दर रेपो/रिवर्स रेपो (VRR/VRRR)	14 दिवसीय मुख्य तरलता प्रबंधन साधन, CRR रखरखाव चक्र के अनुरूप	घर्षणात्मक तरलता के लिए प्रयुक्त
विदेशी मुद्रा स्वैप	स्थायी तरलता डालने या अवशोषित करने के लिए डॉलर-रुपया स्वैप की खरीद/बिक्री	2026 में बिक्री/खरीद स्वैप का प्रयोग

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF):** तरलता डालने या अवशोषित करने के परिचालन; इसमें रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, MSF शामिल
- LAF गलियारा: निचली सीमा SDF, मध्य में रेपो, ऊपरी सीमा MSF; चौड़ाई 50 आधार अंक
- CRR की गणना दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार के NDTL पर होती है; SLR की भी समान आधार पर
- रेपो एवं रिवर्स रेपो की परिभाषाएँ (UPSC 2014, 2015): रेपो तरलता डालता है (बैंक पुनर्खरीद के वचन के साथ RBI को प्रतिभूतियाँ बेचते हैं); रिवर्स रेपो तरलता अवशोषित करता है
- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-sec):** ट्रेज़री बिल (एक वर्ष से कम; केवल केंद्र जारी करता है) एवं दिनांकित प्रतिभूतियाँ (एक वर्ष से अधिक; केंद्र एवं राज्य)

अपारंपरिक एवं गुणात्मक साधन

साधन	अर्थ
ऑपरेशन ट्विस्ट	अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री तथा दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद, जिससे मुद्रा आपूर्ति बदले बिना प्रतिफल वक्र चपटा होता है; दीर्घकालिक दरें घटती हैं

साधन	अर्थ
बन्धीकरण (स्टरलाइजेशन)	विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव को OMO अथवा MSS द्वारा निष्प्रभावी करना (UPSC 2022, 2023)
शून्य ब्याज दर नीति (ZIRP)	अल्पकालिक दरें शून्य के निकट; तरलता जाल का जोखिम
ऋणात्मक ब्याज दर नीति (NIRP)	सांकेतिक दरें शून्य से कम (जापान, स्वीडन)
हेलीकॉप्टर मुद्रा	व्यय अथवा कर कटौतियों के वित्तपोषण हेतु प्रत्यक्ष मुद्रा सृजन
मात्रात्मक सहजता	दरें शून्य के निकट होने पर तरलता डालने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा बॉन्ड की खरीद
सीमांत आवश्यकताएँ (मार्जिन)	संपार्श्विक मूल्य एवं ऋण के बीच का अंतर; ऋण पर अंकुश हेतु बढ़ाया जाता है
चयनात्मक ऋण नियंत्रण	विशिष्ट क्षेत्रों (विलासिता की वस्तुएँ, सड़ा गतिविधि) के लिए ऋण को सीमित अथवा प्रोत्साहित करना
नैतिक दबाव	बिना विधिक बल के बैंकों को मनाना (दर कटौतियों का हस्तांतरण, ग्रामीण शाखाएँ, प्राथमिकता ऋण)

- मात्रात्मक (सामान्य) साधन: CRR, SLR, रेपो, OMO, बैंक दर; गुणात्मक (चयनात्मक) साधन: मार्जिन, ऋण राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई
- बजट घाटे के वित्तपोषण हेतु नई मुद्रा का सृजन (घाटे का मौद्रिकरण) सर्वाधिक मुद्रास्फीतिकारी है (UPSC 2013, 2021); 1997 से तदर्थ ट्रेजरी बिलों के स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम (WMA) लाए गए, तथा FRBM अधिनियम 2003 अप्रैल 2006 से RBI को सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक अभिदान से रोकता है

मौद्रिक नीति का संचरण

चैनल	कार्यप्रणाली
ब्याज दर	नीतिगत दर घटने से पूँजी की लागत घटती है, निवेश एवं उपभोग बढ़ता है
विनिमय दर	कम दरें मुद्रा को कमजोर करती हैं, निर्यात में सहायक, किंतु तेल आयात की लागत बढ़ती है
ऋण	सरल नीति से बैंक ऋण का विस्तार होता है
परिसंपत्ति कीमत	कम दरें परिसंपत्ति कीमतें एवं परिवारों की संपदा बढ़ाती हैं
प्रत्याशाएँ	स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रत्याशाओं को स्थिर रखता है

- बैंक ऋण दर के मानक: बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (2010 तक) → आधार दर (2010) → MCLR (अप्रैल 2016) → बाह्य मानक से संबद्ध ऋण दर (EBLR) 1 अक्टूबर 2019 से खुदरा परिवर्ती दर एवं MSME ऋणों के लिए
- अनुमत बाह्य मानक: RBI रेपो दर, 91-दिवसीय T-बिल प्रतिफल, 182-दिवसीय T-बिल प्रतिफल, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. (FBIL) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बाज़ार दर; अधिकांश बैंकों ने रेपो दर चुनी
- जब परिवार बचत जमाओं से इक्विटी की ओर जाते हैं, तब जमा दरों में संचरण कमजोर होता है (आर्थिक समीक्षा 2024-25)

महामारी के बाद रेपो दर का पथ

मई 2020 में घटाकर 4.00%; रिवर्स रेपो 3.35% (निम्नतम); मई 2022 से बढ़ाकर फरवरी 2023 में 6.50%; फरवरी 2025 तक 6.50% पर यथावत 25 आधार अंक की कटौतियाँ (फरवरी 2025, अप्रैल 2025), 50 आधार अंक (जून 2025: 5.50% तक), 25 आधार अंक (दिसंबर 2025: 5.25% तक); CRR में चरणबद्ध रूप से 100 आधार अंक की कटौती (3.0% तक) 7 अक्टूबर 2026: रेपो 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% (SDF 5.25%, MSF एवं बैंक दर 5.75%), रुख तटस्थ से अंशान्वित कसाव में बदला (4-2), फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि
RBI के अनुमान: वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक GDP 7.1%, CPI मुद्रास्फीति 5.2%

अध्याय 11

मुद्रास्फीति: गति, कारण एवं उपाय

गति के आधार पर वर्गीकरण

प्रकार	सीमा	विशेषता
रेंगती (क्रीपिंग)	प्रतिवर्ष 1-4%	धीमी, प्रबंधनीय, यहाँ तक कि वांछनीय
चलती (वॉकिंग)	2-10%	केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाना आरंभ करते हैं
दौड़ती (रनिंग)	10-20%	वृद्धि एवं वास्तविक आय को हानि
सरपट (गैलपिंग)	20-1000%	मुद्रा में विश्वास का हास
अति-मुद्रास्फीति	प्रतिवर्ष 1000% से अधिक (अथवा प्रति माह 50% से अधिक)	मुद्रा का पतन; 1920 के दशक का जर्मनी, 2000 के दशक का जिम्बाब्वे, 2010 के दशक का वेनेजुएला

मुद्रास्फीति के कारण

- **माँग-जनित** (UPSC 2021): राजकोषीय प्रोत्साहन, कम ब्याज दरें, रुपये का अवमूल्यन, बढ़ती आय
- **लागत-जनित**: मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतें (तेल), आपूर्ति शृंखला में बाधाएँ, जैसे कोविड-19 (UPSC 2011)
- **मौद्रिक मुद्रास्फीति**: अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति (UPSC 2015); मुद्रा के प्रचलन में कमी मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सहायक है
- **आयातित मुद्रास्फीति**: रुपये के अवमूल्यन से कच्चा तेल, खाद्य तेल एवं सोना महँगे हो जाते हैं
- **संरचनात्मक खाद्य मुद्रास्फीति**: शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं, दालों, खाद्य तेलों की आपूर्ति में बाधाएँ; जलवायु आघात (आर्थिक समीक्षा 2024-25 जलवायु परिवर्तन को स्थानिक खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण मानती है; अब तापमान का खाद्य कीमतों से संबंध वर्षा या जलाशयों के स्तर से अधिक है)

स्मरणीय शब्द

विषम स्फीति (स्कूपलेशन): कुछ मंदों में कीमतों की असमान वृद्धि, जबकि अन्य स्थिर रहती हैं (प्याज़ में तेज़ी)

मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन): मुद्रास्फीति के साथ ठहराव एवं बेरोज़गारी

विस्फीति: मुद्रास्फीति की दर में गिरावट; कीमतें फिर भी बढ़ती हैं

अपस्फीति: कीमत स्तर में निरपेक्ष गिरावट

कोर मुद्रास्फीति: खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर; हेडलाइन मुद्रास्फीति में सब कुछ शामिल

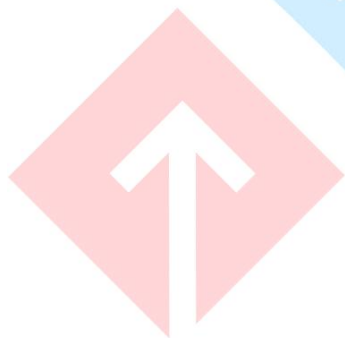
आधार प्रभाव: संदर्भ माह का निम्न (अथवा उच्च) कीमत स्तर वार्षिक मुद्रास्फीति को विकृत करता है

प्रभाव एवं उपाय

- मुद्रास्फीति क्रय शक्ति घटाती है, ऋणियों की सहायक है, ऋणदाताओं एवं स्थिर आय वालों को हानि पहुँचाती है; उच्च मुद्रास्फीति बचत एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को क्षीण करती है
- मामूली मुद्रास्फीति (लगभग 4%) वृद्धि में सहायक है; फिलिप्स वक्र बेरोज़गारी के साथ अल्पकालिक व्यतिक्रम दर्शाता है
- नियंत्रण के उपाय: मौद्रिक (रेपो, CRR बढ़ाना; OMO बिक्री), राजकोषीय (घाटे में कटौती, अधिक कर), आपूर्ति-पक्ष (आयात शुल्क में कटौती, भंडारण सीमा, सुरक्षित भंडार, खुले बाज़ार में बिक्री, निर्यात प्रतिबंध)
- मुद्रास्फीति-रोधी योजनाएँ: भारत आटा, भारत दाल, कीमत स्थिरीकरण कोष, किसान रेल, ऑपरेशन ग्रीन्स (TOP से TOTAL)
- हाल का मुद्रास्फीति रिकॉर्ड (CPI-संयुक्त): 6.7% (वित्त वर्ष 2022-23); 5.4% (2023-24); 4.6% (2024-25); अप्रैल-दिसंबर 2025 का औसत लगभग 1.7% (2012 श्रृंखला में न्यूनतम: अक्टूबर 2025 में 0.25%); जनवरी 2026 में 2.75% (नए 2024 आधार पर प्रथम); अगस्त 2026 में 4.83%; सितंबर 2026 में 5.54%
- अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश की CPI मुद्रास्फीति गिरकर -1.71% रही, जो प्रमुख राज्यों में न्यूनतम थी
- 2025 की गिरावट खाद्य कीमतों (सब्जियाँ, दालें) तथा 22 सितंबर 2025 से GST में कटौतियों के कारण थी; 2026 की वृद्धि प्याज़, खाद्य तेल एवं तेल की कीमतों के कारण

अन्य मौद्रिक अवधारणाएँ

- सीनियरेज, मुद्रास्फीति कर: मुद्रा धारकों पर छिपे कर के रूप में मुद्रास्फीति
- विनिमय दर पास-थ्रू: रुपये के अवमूल्यन से आयात लागत बढ़ती है
- वास्तविक ब्याज दर = सांकेतिक ब्याज दर – प्रत्याशित मुद्रास्फीति; रेपो में से CPI घटाने पर
- **टेलर नियम:** नीतिगत दर को मुद्रास्फीति अंतराल एवं उत्पादन अंतराल से जोड़ने वाला दिशानिर्देश
- **प्रतिफल वक्र:** परिपक्वता के विरुद्ध प्रतिफल का आलेख; उलटा वक्र मंदी के जोखिम का संकेत देता है
- मौद्रिक बनाम राजकोषीय नीति: मौद्रिक नीति RBI द्वारा (कीमत स्थिरता); राजकोषीय नीति सरकार द्वारा (कर एवं व्यय)
- मुद्रा सृजन के प्रकार: केंद्रीय बैंक (आरक्षित मुद्रा) एवं वाणिज्यिक बैंक (गुणक द्वारा ऋण सृजन)



ForumPCS

ForumPCS

अध्याय 12

बैंकिंग मास्टर नोट्स: RBI, बैंक एवं संस्थाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक: प्रमुख पड़ाव

मद	विवरण
स्थापना	1 अप्रैल 1935 (हिल्टन यंग आयोग 1926 की अनुशंसा; RBI अधिनियम 1934)
प्रथम गवर्नर	सर ओसबोर्न स्मिथ; प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख (1943)
राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी 1949
मुख्यालय	मुंबई (1937 में कोलकाता से स्थानांतरित)
सांविधिक आधार	RBI अधिनियम 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949; FEMA 1999; भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007
केंद्रीय बोर्ड	गवर्नर + अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर + निदेशक; MPC में 6 सदस्य (3 RBI, 3 सरकार द्वारा नामित)
गवर्नर (2026)	संजय मल्होत्रा (11 दिसंबर 2024 से)
प्रकाशन	वार्षिक रिपोर्ट, मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून/दिसंबर), भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति
मुद्रा	₹1 के नोट को छोड़कर सभी नोट जारी करता है (₹1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी; वित्त सचिव के हस्ताक्षर)

- कार्य: मौद्रिक प्राधिकरण, मुद्रा का निर्गमक, सरकार एवं बैंकों का बैंकर, नियामक एवं पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक (FEMA), विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक भूमिका, भुगतान प्रणालियों का नियामक।
- न्यूनतम आरक्षित प्रणाली 1957 से नोट निर्गमन के लिए: ₹200 करोड़ की परिसंपत्तियाँ (₹115 करोड़ स्वर्ण + ₹85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियाँ)।
- मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट): वह स्थान जहाँ बैंकों के लिए नोट रखे जाते हैं; भारत में लगभग 4,000 तिजोरियाँ। सुरक्षा मुद्रण: नासिक, देवास (सरकारी) तथा मैसूरु, सालबोनी (BRBNMPL)।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं विलय

घटना	वर्ष	विवरण
इंपीरियल बैंक से भारतीय स्टेट बैंक	1955	SBI अधिनियम 1955; गोरवाला समिति (अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण)
बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण	1967	मोरारजी देसाई/इंदिरा गांधी काल में घोषित
प्रथम राष्ट्रीयकरण	19 जुलाई 1969	₹50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बैंक
द्वितीय राष्ट्रीयकरण	15 अप्रैल 1980	₹200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 बैंक
नरसिम्हम समिति I	1991	CRR/SLR में कमी; विवेकपूर्ण मानदंड; 4-स्तरीय बैंकिंग
नरसिम्हम समिति II	1998	पूँजी पर्याप्तता 9%; सशक्त बैंकों का विलय
विलय की लहर	2017	SBI का 5 सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक के साथ
विलय की लहर	2019	बैंक ऑफ़ बड़ौदा का विजया एवं देना के साथ

घटना	वर्ष	विवरण
विलय की लहर	2020	चार विलय: PNB (+OBC, यूनाइटेड), केनरा (+सिंडिकेट), यूनियन (+आंध्रा, कॉर्पोरेशन), इंडियन बैंक (+इलाहाबाद)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2026	2020 के विलयों के बाद 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (मुख्यालय)

भारतीय स्टेट बैंक – मुंबई | पंजाब नेशनल बैंक – नई दिल्ली | बैंक ऑफ़ बड़ौदा – वडोदरा
केनरा बैंक – बेंगलुरु | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया – मुंबई | बैंक ऑफ़ इंडिया – मुंबई
इंडियन बैंक – चेन्नई | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया – मुंबई | इंडियन ओवरसीज़ बैंक – चेन्नई
UCO बैंक – कोलकाता | बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र – पुणे | पंजाब एंड सिंध बैंक – नई दिल्ली

बैंकिंग संरचना एवं वर्गीकरण

श्रेणी	उदाहरण	नियामक / टिप्पणी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, SFB, RRB	RBI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल
निजी क्षेत्र के बैंक	HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, यस बैंक	पुरानी एवं नई पीढ़ी (1993 के बाद के लाइसेंस)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	प्रायोजक बैंक + केंद्र 50%, प्रायोजक 35%, राज्य 15%	RRB अधिनियम 1976 (नरसिम्हम कार्य-समूह); समेकन के बाद 28 RRB
लघु वित्त बैंक	AU, इक्रिटास, उज्जीवन, जना, सूर्योदय, उत्कर्ष, ESAF, कैपिटल, फिनकेयर, नॉर्थ ईस्ट SFB	दिशानिर्देश 2014; 60% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (2025-26 से; पहले 75%); न्यूनतम पूँजी ₹200 करोड़
भुगतान बैंक	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (2018), एयरटेल, फिनो, पेटीएम (2024 में प्रतिबंधित), NSDL, जियो	ऋण नहीं दे सकते; प्रति ग्राहक जमा सीमा ₹2 लाख
स्थानीय क्षेत्र बैंक	जैसे कोस्टल LAB	सीमित क्षेत्र, कुछ ही शेष
सहकारी बैंक	UCB, राज्य एवं ज़िला सहकारी बैंक	RBI + NABARD; बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020
विकास बैंक	NABARD, SIDBI, EXIM बैंक, NaBFID, NHB	विशिष्ट वित्त

- विभेदित बैंकों (SFB, भुगतान बैंक) का लक्ष्य वित्तीय समावेशन है। **सार्वभौमिक बैंकिंग** की अनुमति 2000 के दशक तक मिली (ICICI)।
- घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB): SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक (अतिरिक्त CET1 बकेट)। वैश्विक G-SIB की पहचान FSB/बेसल समिति करती है।
- जानबूझकर चूककर्ताओं एवं धोखाधड़ी का वर्गीकरण RBI के मास्टर निर्देशों द्वारा; NPA की पहचान 90 दिन अतिदेय होने पर।

बेसल मानदंड एवं विवेकपूर्ण नियम

मानदंड	वर्ष	मुख्य विचार	भारत की स्थिति
बेसल I	1988	जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का 8% पूँजी, ऋण जोखिम	1992 में अपनाया
बेसल II	2004	तीन स्तंभ: न्यूनतम पूँजी, पर्यवेक्षी समीक्षा, बाज़ार अनुशासन	2009 में अपनाया
बेसल III	2010 (2008 के संकट के बाद)	CET1, पूँजी संरक्षण बफर, प्रति-चक्रीय बफर, लीवरेज अनुपात, LCR, NSFR	2013 से चरणबद्ध; मार्च 2019 में पूर्ण कार्यान्वयन (लीवरेज अनुपात, LCR लागू)

मानदंड	वर्ष	मुख्य विचार	भारत की स्थिति
बेसल III एंडगेम	वैश्विक	उत्पादन तल एवं संशोधित मानकीकृत उपागम	भारत में चरणबद्ध कार्यान्वयन जारी

- **भारत में CRAR:** न्यूनतम 9% (बेसल के 8% के विरुद्ध) तथा संरक्षण बफर 2.5% = 11.5%; CET1 न्यूनतम 5.5%, टियर I 7%।
- **शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA):** CRAR, निवल NPA एवं ROA पर ट्रिगर; लाभांश एवं शाखा विस्तार पर प्रतिबंध।
- प्रावधान के लिए **प्रत्याशित ऋण हानि (ECL)** ढाँचा हुई-हानि उपागम का स्थान लेगा (मसौदा मानदंड 2025, अप्रैल 2027 से प्रस्तावित)।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण:** घरेलू बैंकों के लिए ANBC का 40% (कृषि 18%, MSME 7.5%, कमज़ोर वर्ग 12%, आवास, शिक्षा); विदेशी बैंकों के लिए 40%, उप-सीमाओं के साथ।

मुद्रा आपूर्ति एवं आरक्षित साधन

समूच्चय	परिभाषा
आरक्षित मुद्रा (M0)	प्रचलन में मुद्रा + RBI में बैंकों की जमाएँ + RBI में अन्य जमाएँ
M1	जनता के पास मुद्रा + माँग जमाएँ + RBI में अन्य जमाएँ
M2	M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएँ
M3 (व्यापक मुद्रा)	M1 + बैंकों में सावधि जमाएँ (सर्वाधिक प्रयुक्त माप)
M4	M3 + सभी डाकघर जमाएँ (NSC को छोड़कर); बंद किया गया

- **मुद्रा गुणक** = $M3 \div M0$ (लगभग 5)। आंशिक आरक्षित प्रणाली द्वारा ऋण सृजन।
- अक्टूबर 2026 तक **CRR 3%, SLR 18%** (SLR 2020 से 18% पर, घटने की प्रवृत्ति के बाद; CRR 2025 में घटाकर 3%)।
- **रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, MSF, बैंक दर, LAF, OMO, MSS, स्थायी सुविधाएँ** – देखें: मौद्रिक नीति अध्याय।

भुगतान प्रणालियाँ: मास्टर तालिका

प्रणाली	संचालक	प्रमुख तथ्य
RTGS	RBI	वास्तविक-काल, उच्च-मूल्य, न्यूनतम ₹2 लाख; 24x7
NEFT	RBI	प्रत्येक आधे घंटे में बैच, दिसंबर 2019 से 24x7
IMPS	NPCI	24x7 तत्काल अंतर-बैंक
UPI	NPCI	अप्रैल 2016 में आरंभ; मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी वास्तविक-काल भुगतान प्रणाली; सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस, कतर से सीमा-पार संबंध
RuPay	NPCI	घरेलू कार्ड नेटवर्क; NPCI की स्थापना 2008, मुंबई
NACH / AePS / BBPS / NETC	NPCI	अधिदेश, आधार भुगतान, बिल भुगतान, FASTag
e-RUPI	NPCI	DBT के लिए पूर्व-भुगतित वाउचर
CBDc (₹)	RBI	नवंबर 2022 से पायलट (थोक) एवं खुदरा (दिसंबर 2022)
भुगतान अवसंरचना विकास कोष	RBI	श्रेणी 3-6 के कस्बों में स्वीकृति अवसंरचना पर सब्सिडी
डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म	RBI	धोखाधड़ी रोकने की पहल

- **PSS अधिनियम 2007** RBI को प्राधिकरण नामित करता है; **RBI लोकपाल योजना (एकीकृत, 2021)** – एक राष्ट्र, एक लोकपाल।

NBFC की संरचना

- **NBFC** कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है जो ऋण, किराया-क्रय, पट्टा, चिट अथवा निवेश का कारोबार करती है; माँग जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकती तथा भुगतान प्रणाली का भाग नहीं है; जमा बीमा नहीं।
- **पैमाना-आधारित विनियमन (SBR)** अक्टूबर 2022 से: आधार, मध्य, ऊपरी (शीर्ष 50 NBFC) एवं शीर्ष स्तर।
- **प्रकार:** निवेश एवं ऋण, अवसंरचना वित्त (IFC), सूक्ष्म वित्त, आवास वित्त (HFC, 2019 से RBI द्वारा विनियमित), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण (ARC), मुख्य निवेश, अवसंरचना ऋण कोष, बंधक गारंटी, NBFC-फैक्टर, NBFC-P2P, NBFC-AA (खाता एग्रीगेटर)।
- **ARC:** SARFAESI अधिनियम 2002; प्रथम ARCIL; राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL, बैड बैंक, 2021) भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के साथ।

शब्द	अर्थ
सदाबहारीकरण (एवरग्रीनिंग)	NPA छिपाने के लिए पुराने ऋण को चूकाने हेतु नया ऋण देना
हेयरकट	समाधान के अंतर्गत ऋणदाता द्वारा बकाया राशि का त्याग
SMA	विशेष उल्लेख खाता – SMA-0 (1-30 दिन), SMA-1 (31-60), SMA-2 (61-90)
बट्टे खाते में डालना	NPA को बहियों से हटाना; वसूली जारी रहती है
लोक अदालत / DRT	वसूली मंच (DRT, RDDBFI अधिनियम 1993 के अंतर्गत)
जमा बीमा	DICGC, प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख तक (2020 से)

अध्याय 13

सरकारी बजट: संरचना, प्राप्तिyaँ एवं व्यय

संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 112:** वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है; इसे आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है
- **अनुच्छेद 265:** विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं; **अनुच्छेद 266:** भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा; **अनुच्छेद 267:** भारत की आकस्मिकता निधि (अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति का अग्रिम)
- अनुच्छेद 113 (अनुदानों की माँगों पर मतदान, भारत व्यय पर मतदान नहीं), अनुच्छेद 114 (विनियोग विधेयक), अनुच्छेद 110 (धन विधेयक), अनुच्छेद 116 (लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान), अनुच्छेद 117 (वित्त विधेयक)
- बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है; राज्यसभा धन विधेयकों में केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है; निर्णय लोकसभा करती है
- केंद्रीय बजट 2017 से 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है; 2017 में रेल बजट के साथ विलय; 2021-22 से पेपरलेस (केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप)

खाता	संचित निधि	आकस्मिकता निधि	लोक लेखा
संवैधानिक अनुच्छेद	266(1)	267	266(2)
अंतर्वस्तु	सभी राजस्व, ज़टाए गए ऋण, प्राप्त चुकौतियाँ	आपात स्थितियों के लिए कोष	भविष्य निधियाँ, लघु बचतें, जमाएँ एवं आरक्षित निधियाँ, जहाँ सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है
संसदीय अनुमोदन	निकासी के लिए आवश्यक	संसद द्वारा बाद में पुनः पूर्ति	निकासी के लिए आवश्यक नहीं
कोष	--	केंद्र में ₹30,000 करोड़ (वित्त अधिनियम 2021 द्वारा ₹500 करोड़ से बढ़ाया गया)	--

बजट का वर्गीकरण

विशेषता	राजस्व बजट	पूँजी बजट
केंद्र बिंदु	दैनिक व्यय एवं प्राप्तिyaँ	दीर्घकालिक निवेश एवं परिसंपत्ति सृजन
प्राप्तिyaँ	कर, शुल्क, जुर्माने, लाभांश	उधारी, विनिवेश, ऋणों की वसूली
व्यय	वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी	अवसंरचना, राज्यों को ऋण, परिसंपत्ति क्रय
उद्देश्य	राजकोषीय स्थिरता	वृद्धि

- **राजस्व प्राप्तिyaँ:** दायित्व सृजित नहीं करती और अप्रतिदेय होती हैं; इनमें कर राजस्व (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) एवं गैर-कर राजस्व (ब्याज, लाभांश एवं लाभ, शुल्क, जुर्माने, रॉयल्टी, अनुदान) शामिल हैं
- **पूँजी प्राप्तिyaँ:** दायित्व सृजित करती हैं अथवा परिसंपत्तियाँ घटाती हैं; ऋण (आंतरिक एवं बाह्य उधारियाँ), विनिवेश, ऋणों की वसूली (UPSC 2025)
- ऋण-सृजक पूँजी प्राप्तिyaँ: उधारी; गैर-ऋण सृजक: ऋणों की वसूली, विनिवेश (DIPAM केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश का प्रबंधन करता है)
- राजस्व व्यय: परिसंपत्ति सृजन नहीं; ब्याज भुगतान सबसे बड़ा मद है, उसके बाद सब्सिडी, रक्षा राजस्व, पेंशन एवं राज्यों को अनुदान
- पूँजीगत व्यय: परिसंपत्तियाँ सृजित करता है अथवा देयताएँ घटाता है; इसमें राज्यों को ऋण एवं अग्रिम, शेयरों में निवेश शामिल हैं
- **प्रभावी पूँजीगत व्यय:** पूँजीगत व्यय तथा पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (बजट 2022-23 में आरंभ); बजट 2026-27 में पूँजीगत व्यय ₹12.22 लाख करोड़

रुपया कहाँ से आता है / कहाँ जाता है (बजट 2025-26 का प्रारूप)

आता है: आयकर 22%, निगम कर 17%, GST एवं अन्य कर 18%, उत्पाद शुल्क 5%, सीमा शुल्क 4%, गैर-कर प्राप्तियाँ 9%, गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ 1%, उधारियाँ 24%

जाता है: ब्याज भुगतान 20%, करों में राज्यों का हिस्सा 22%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ 16%, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ 8%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 8%, रक्षा 8%, सब्सिडी 6%, पेंशन 4%, अन्य 8%

ब्याज भुगतान केंद्र सरकार के रुपये पर सबसे बड़ा एकल दावा है

बजट के प्रकार

प्रकार	अर्थ	रुख
संतुलित	राजस्व = व्यय	तटस्थ
अधिशेष	राजस्व > व्यय	संकुचनकारी
घाटे का	व्यय > राजस्व	विस्तारवादी

- अन्य बजट प्रकार: **शून्य-आधारित बजट (ZBB)** (प्रत्येक मद का नए सिरे से औचित्य; भारत में 1986-87 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रयुक्त), **परिणाम बजट** (2005 से), **लैंगिक बजट** (2005-06 से; विवरण 13), **हरित बजट**, **निष्पादन बजट** (उत्पाद एवं परिणाम; 1968 से), **बाल बजट** (2008-09 से)
- चुनावी वर्षों में अंतरिम बजट / लेखानुदान; नई सरकार के बाद पूर्ण बजट पुनः प्रस्तुत होता है
- आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करता है; वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदानों की माँगें, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, व्यय बजट एवं प्राप्ति बजट मुख्य दस्तावेज़ हैं

बजट के कार्य

- आवंटन:** सार्वजनिक वस्तुएँ (अप्रतिद्वंद्वी एवं अबहिष्कृत, जैसे रक्षा, सड़कें)
- वितरण:** असमानता घटाने हेतु कर एवं अंतरण
- स्थिरीकरण:** घाटे एवं अधिशेष के माध्यम से माँग प्रबंधन
- वृद्धि एवं विकास:** अवसंरचना एवं मानव पूँजी का वित्तपोषण

घाटे के माप

माप	सूत्र	अर्थ
राजस्व घाटा	राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ	सरकार की ऋणात्मक बचत; उपभोग के लिए उधारी
प्रभावी राजस्व घाटा	राजस्व घाटा – पूँजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान	2011-12 के बजट में आरंभ, अनुत्पादक घाटा दर्शाता है
राजकोषीय घाटा	कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ)	कुल उधारी आवश्यकता
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान	चालू आवश्यकताओं के लिए उधारी, पूर्व ऋण-सेवा को छोड़कर
बजटीय घाटा	कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ (उधारी की गणना अब नहीं होती)	1997 के बाद राजकोषीय घाटे द्वारा प्रतिस्थापित

- राजकोषीय घाटा = उधारी = देयताओं में शुद्ध वृद्धि (UPSC 2017); प्राथमिक अधिशेष का अर्थ है कि राजकोषीय घाटा ब्याज के बोझ से कम है
- उदाहरण (UPSC 2025): राजस्व व्यय ₹80,000 करोड़, राजस्व प्राप्तियाँ ₹60,000 करोड़ → राजस्व घाटा ₹20,000 करोड़; राजकोषीय घाटा ₹10,000 करोड़, ब्याज ₹6,000 करोड़ → प्राथमिक घाटा ₹4,000 करोड़
- राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण बाज़ार उधारियों (G-Sec, T-बिल), लघु बचतों (राष्ट्रीय लघु बचत कोष), बाह्य उधारी एवं नकद शेष के उपयोग से होता है
- सकल प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान; गैर-ऋण प्राप्तियाँ पहले ही गिनी जा चुकी हैं

केंद्रीय बजट 2026-27 के घाटे के आँकड़े

राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% (₹16.96 लाख करोड़); राजस्व घाटा 1.5%; प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%; प्राथमिक घाटा 0.7%

वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 4.4%; 2024-25 में 4.8%; 2023-24 में 5.6%; 2020-21 में 9.2% (कोविड का शिखर)

ऋण आधार: केंद्र सरकार का ऋण-GDP अनुपात 31 मार्च 2031 तक $50 \pm 1\%$; मार्च 2027 के लिए 55.6% अनुमानित (पुरानी GDP श्रृंखला)

राजकोषीय नीति

- घटक: कराधान नीति, व्यय नीति, निवेश एवं विनिवेश नीति, ऋण प्रबंधन

प्रकार	उद्देश्य	साधन
विस्तारवादी	माँग, वृद्धि एवं रोजगार को बढ़ाना	व्यय बढ़ाना, कर घटाना
संकुचनकारी	मुद्रास्फीति पर नियंत्रण	व्यय घटाना, कर बढ़ाना
अनुचक्रीय	चक्र को बढ़ाती है	तेज़ी में अधिक व्यय, मंदी में कटौती
प्रति-चक्रीय	चक्र को स्थिर करती है (UPSC 2021)	मंदी में अधिक व्यय, तेज़ी में बचत

- राजकोषीय गुणक:** व्यय की प्रति इकाई परिवर्तन पर उत्पादन में परिवर्तन; पूँजीगत व्यय के लिए सब्सिडी से अधिक (आर्थिक समीक्षाएँ)
- भीड़-निष्कासन:** सरकारी उधारी ब्याज दरें बढ़ाती है और निजी निवेश घटाती है
- स्वचालित स्थिरीकारक:** प्रगतिशील कर एवं बेरोज़गारी लाभ बिना विधायन के समायोजित होते हैं
- राजकोषीय आवेग: संरचनात्मक घाटे में परिवर्तन; राजकोषीय रुख: नीति समग्र माँग में वृद्धि करती है अथवा कमी
- घाटा एवं मुद्रास्फीति: RBI द्वारा घाटे का मौद्रिकरण मुद्रास्फीतिकारी है; 1997 से तदर्थ T-बिल समाप्त कर अर्थोपाय अग्रिम लाए गए; 2006 से RBI प्राथमिक निर्गमों में अभिदान नहीं कर सकता

सब्सिडी, उपकर एवं अधिभार

- सब्सिडी:** उत्पादकों अथवा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता; प्रत्यक्ष (खाद्य, उर्वरक, LPG) एवं अप्रत्यक्ष (सार्वजनिक सेवाओं के लिए कम शुल्क); प्रमुख सब्सिडियाँ: खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम
- बजट 2026-27 में कुल सब्सिडी ₹4.55 लाख करोड़ (प्रमुख सब्सिडियाँ लगभग ₹4.11 लाख करोड़, GDP का 1.0%); उर्वरक (₹1.71 लाख करोड़) एवं खाद्य का बड़ा भाग
- उपकर एवं अधिभार अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों के साथ साझा नहीं होते (विभाज्य पूल इन्हें शामिल नहीं करता); 15वाँ वित्त आयोग: उपकर एवं अधिभार सीमित; केंद्र ने सकल कर राजस्व में इनका हिस्सा लगभग 11-12% तक बढ़ाया है, जो केंद्र-राज्य तनाव का एक बिंदु है
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT, 2013):** नकद सब्सिडी बैंक खातों में अंतरित; रिसाव रोकने हेतु JAM त्रयी (जन धन, आधार, मोबाइल) का उपयोग

अध्याय 14

कराधान: प्रत्यक्ष कर, सुधार एवं कर-परिहार

करों का वर्गीकरण

आधार	प्रकार
प्रकृति	प्रत्यक्ष (आय, निगम, संपत्ति) एवं अप्रत्यक्ष (GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क)
दर संरचना	प्रगतिशील (आय बढ़ने पर दर बढ़ती है), आनुपातिक, प्रतिगामी
उद्देश्य	राजस्व कर, नियामक (पाप कर, संरक्षणात्मक सीमा शुल्क)
प्राधिकार	संघ सूची (प्रविष्टि 82-92C), राज्य सूची (प्रविष्टि 45-63), समवर्ती
करापात	प्रत्यक्ष कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता; अप्रत्यक्ष कर का भार आगे बढ़ाया जा सकता है

- अनुच्छेद 246A (101वाँ संशोधन) GST पर संसद एवं राज्यों को समवर्ती शक्ति देता है
- उपकर, अधिभार: अनुच्छेद 270 इन्हें विभाज्य पूल से बाहर रखता है; अनुच्छेद 269 (संघ द्वारा आरोपित, संगृहीत तथा राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जैसे अंतर-राज्यीय बिक्री कर); अनुच्छेद 268 (संघ द्वारा आरोपित, राज्यों द्वारा संगृहीत शुल्क, उदाहरणार्थ स्टॉप शुल्क)
- **कर उछाल (बुओयेसी)** = कर राजस्व में % परिवर्तन / GDP में % परिवर्तन; 1 से अधिक उछाल का अर्थ है कि राजस्व अर्थव्यवस्था से तेज़ बढ़ता है; 2024-25 में सकल कर राजस्व की उछाल लगभग 1.4
- कर-GDP अनुपात: केंद्र का सकल कर राजस्व GDP का लगभग 11.5-12%; प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात 2023-24 में 6.64% तक पहुँचा (24 वर्ष का उच्चतम); भारत का केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त कर अनुपात GDP का लगभग 17-18%
- **कर व्यय** (छोड़ा गया राजस्व) प्राप्ति बजट में दर्शाया जाता है

प्रत्यक्ष कर

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा प्रशासित, जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत सांविधिक निकाय है तथा राजस्व विभाग का भाग है

कर	प्रमुख बिंदु
वैयक्तिक आयकर	नई व्यवस्था (2023-24 से डिफॉल्ट) में धारा 87A की छूट के साथ ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं (बजट 2025); वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती ₹75,000; स्लैब व्यक्तिगत
निगम कर	घरेलू कंपनियाँ 22% (धारा 115BAA) एवं नई विनिर्माण इकाइयाँ 15% (115BAB, 2024 में समाप्ता); पुरानी व्यवस्था में आधार दर 25%
न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)	शून्य-कर कंपनियों के लिए वित्त अधिनियम 1987 द्वारा आरंभ; पुरानी व्यवस्था में बही लाभ का 15%; 115BAA चुनने वालों पर लागू नहीं
पूँजीगत लाभ कर	सूचीबद्ध इक्विटी पर दीर्घकालिक लाभ पर ₹1.25 लाख से अधिक पर 12.5%; अल्पकालिक 20% (दरें जुलाई 2024 में बदलीं); ग्रामीण कृषि भूमि पूँजीगत परिसंपत्ति नहीं है
प्रतिभूति लेन-देन कर (STT)	2004 से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगाया जाता है
लाभांश वितरण कर (DDT)	बजट 2020-21 में समाप्त; लाभांश अब प्राप्तकर्ताओं के हाथ में कर-योग्य
संपत्ति कर	2015-16 में समाप्त तथा अति-धनाढ्यों पर 2% अतिरिक्त अधिभार से प्रतिस्थापित
समकारी लेवी	ऑनलाइन विज्ञापन (6%, 2016) एवं ई-कॉमर्स (2%, 2020) पर आरंभ; OECD स्तंभ एक पर सहमति के प्रयासों के बाद अप्रैल 2025 (ऑनलाइन विज्ञापन) एवं अगस्त 2024 (ई-कॉमर्स) से वापस

- कृषि आय केंद्रीय आयकर से मुक्त है (प्रविष्टि 46, राज्य सूची); ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन, ऊन उत्पादन से आय भी मुक्त है (UPSC 2025)
- धारा 80C की कटौतियाँ केवल पुरानी व्यवस्था में हैं; नई व्यवस्था में छूट के बिना कम दरें हैं

- फ़ेसलेस मूल्यांकन (2020), करदाता चार्टर (2020), विवाद से विश्वास (2020 एवं 2024) विवाद समाधान के लिए; काला धन अधिनियम 2015 एवं बेनामी लेन-देन अधिनियम 1988 (2016 में संशोधित)

नया आयकर अधिनियम, 2025

आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लिया; धाराओं की संख्या लगभग 536 है (पहले 819); सरल भाषा, 'कर वर्ष' ने 'पूर्व वर्ष' एवं 'निर्धारण वर्ष' का स्थान लिया

उद्देश्य: सरलीकरण, कम मुकदमेबाज़ी, डिजिटल अनुपालन

कर-परिहार, कर-अपवंचन एवं अंतरराष्ट्रीय कराधान

बिंदु	कर-अपवंचन (टैक्स इवेज़न)	कर-परिहार (टैक्स एवॉइडेंस)
वैधता	अवैध; दंडनीय	खामियों का वैध उपयोग (UPSC 2021)
तरीके	आय का कम प्रदर्शन, परिसंपत्तियाँ छिपाना	कटौतियों का दोहन, विदेशी संरचनाएँ
उपचार	दंड, अभियोजन	GAAR, विधि सुधार

- GAAR (सामान्य कर-परिहार रोधी नियम):** शोम समिति (2012) की समीक्षा के बाद 1 अप्रैल 2017 से लागू; अस्वीकार्य परिहार व्यवस्थाओं को लक्षित करता है
- BEPS (आधार क्षरण एवं लाभ अंतरण):** OECD/G20 परियोजना; 15 कार्य-योजनाएँ; देश-वार रिपोर्टिंग; बहुपक्षीय लिखत (MLI)
- वैश्विक न्यूनतम निगम कर:** स्तंभ दो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 15% न्यूनतम तय करता है; स्तंभ एक कराधान अधिकारों को बाज़ार क्षेत्राधिकारों में पुनः आवंटित करता है
- अंतरण मूल्य निर्धारण:** अंतर-कंपनी लेन-देन के लिए सामान्य बाज़ार कीमत; अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (APA) 2012 से
- DTAA:** दोहरा कराधान परिहार करार; छूट अथवा क्रेडिट विधि द्वारा राहत
- PoEM (प्रभावी प्रबंधन का स्थान):** विदेशी कंपनियों का कर-निवास निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त
- कर-स्वर्ग (टैक्स हेवन):** निम्न अथवा शून्य कर तथा गोपनीयता वाले क्षेत्राधिकार (केमैन द्वीप, पनामा, बरमूडा); पनामा पेपर्स (2016) एवं पैडोरा पेपर्स (2021) ने धारिताओं का खुलासा किया
- सहभागिता नोट (पार्टिसिपेटरी नोट), राउंड-ट्रिपिंग, मॉरीशस मार्ग का 2016 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधन (अप्रैल 2017 से पूँजीगत लाभ पर स्रोत पर कर)
- गैर-निगमित करदाताओं पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT); प्रतिभूति, वस्तु लेन-देन कर

कर सुधार समितियाँ

समिति	वर्ष	अनुशंसा
राजा चेलैया	1991	VAT लागू करना, सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, ITC
केलकर कार्य-बल	2002	कानूनों का सरलीकरण, आधार का विस्तार, छूटों की समाप्ति; GST की अनुशंसा (2003)
कल्याणी मेनन सेन	2002	सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क सुधार
पार्थसारथी शोम	2012	GAAR के सुरक्षोपाय
टी.आर. रुस्तगी	2011	सेवा कर का सरलीकरण
अरविंद सुब्रमण्यम	2015	GST के लिए राजस्व-तटस्थ दर; निम्न दर, मानक दर, अयोग्य (डिमेरिट) दर
अखिलेश रंजन कार्य-बल	2017-19	प्रत्यक्ष कर संहिता, नई कर व्यवस्था

- अब GST से बाहर के अप्रत्यक्ष कर: मूल सीमा शुल्क, पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, ATF, प्राकृतिक गैस), मानव उपभोग हेतु मदिरा, विद्युत शुल्क, स्टॉप शुल्क, संपत्ति कर, वाहन कर
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975; सीमा शुल्क अधिनियम 1962; बजट 2025-26 ने सात दरें हटाकर टैरिफ स्लैब को युक्तिसंगत बनाया; बजट 2026-27 ने सीमा शुल्क को और युक्तिसंगत बनाया (देखें: केंद्रीय बजट 2026-27 के अध्याय)

अध्याय 15

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

पृष्ठभूमि एवं संरचना

पहलू	विवरण
आरंभ	1 जुलाई 2017, संसद का मध्यरात्रि सत्र
संवैधानिक आधार	101वाँ संशोधन अधिनियम 2016 (अनुच्छेद 246A, 269A, 279A; सातवीं एवं छठी अनुसूची में परिवर्तन)
उत्पत्ति	केलकर कार्य-बल (2003); असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में अधिकार-प्राप्त समिति; प्रथम संविधान संशोधन विधेयक (2011) व्यपगत; 122वाँ संशोधन विधेयक 2016 में पारित
मॉडल	द्वैध GST: राज्य के भीतर की आपूर्ति पर CGST + SGST; अंतर-राज्यीय आपूर्ति एवं आयात पर IGST
प्रकृति	गंतव्य-आधारित उपभोग कर, मूल्य-वर्धन पर आरोपित (UPSC 2017)
प्रशासन	GST परिषद (अनुच्छेद 279A), अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; सदस्य: केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) एवं राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री
मतदान	केंद्र का भार एक-तिहाई एवं राज्यों का दो-तिहाई; निर्णयों के लिए भारत मतों का तीन-चौथाई आवश्यक
प्रौद्योगिकी	GSTN (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क), गैर-लाभकारी कंपनी; ₹50,000 से अधिक की वस्तुओं के लिए ई-वे बिल
अपीलीय	GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT) 2025 में क्रियाशील; मुख्य पीठ नई दिल्ली में

- विशेष श्रेणी राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र का व्यवहार: विधानमंडल-रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए UTGST; IGST का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन
- संघ राज्यक्षेत्र: जम्मू एवं कश्मीर का अपना SGST है
- GST में समाहित: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, CVD/SAD, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर; राज्य VAT, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, लॉटरी एवं विज्ञापन पर कर
- GST के अंतर्गत नहीं: कच्चा पेट्रोलियम, हाई-स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस एवं ATF (परिषद के निर्णय तक), मानव उपभोग हेतु मदिरा, विद्युत
- आगत कर क्रेडिट (ITC):** आगतों पर चुकाए गए कर का क्रेडिट कर-पर-कर (कैस्केडिंग) को समाप्त करता है; आगत कर के निर्गत कर से अधिक होने पर **प्रतिलोम शुल्क संरचना** उत्पन्न होती है
- छोटे करदाताओं के लिए संयोजन योजना; अधिकांश राज्यों में पंजीकरण की सीमा ₹40 लाख (वस्तुएँ) एवं ₹20 लाख (सेवाएँ); विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ₹10 लाख
- प्रतिवर्ती प्रभार तंत्र:** निर्दिष्ट मामलों में प्राप्तकर्ता कर चुकाता है
- राष्ट्रीय मुनाफ़ाखोरी-रोधी प्राधिकरण (2017) 2022 में समाप्त; इसके कार्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सौंपे गए

GST 2.0 (22 सितंबर 2025 से)

दर	किन पर लागू
5%	आवश्यक एवं जन-उपभोग की वस्तुएँ (योग्यता दर)
18%	अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मानक दर
40%	पाप एवं अति-विलासिता की वस्तुओं के लिए विशेष अयोग्य दर (पान मसाला, तंबाकू, वातित पेय, उच्च-स्तरीय वाहन)
शून्य	व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, UHT दूध एवं पनीर जैसे अनेक खाद्य पदार्थ, पुस्तकें, शैक्षिक लेखन-सामग्री

- 3 सितंबर 2025 को 56वीं GST परिषद की बैठक में निर्णय; 12% एवं 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए; ऋण चुकाए जाने के बाद अधिकांश वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर चरणबद्ध रूप से समाप्त (उपकर दायित्वों की समाप्ति तक केवल तंबाकू पर उपकर बना रहा)
- उद्देश्य: सरलीकरण, उपभोग को बढ़ावा, परिवारों एवं MSME को राहत; अनेक सेवाएँ एवं व्हाइट गुड्स 18% में चले गए
- परिणाम: मात्रा में वृद्धि के कारण कटौतियों के बाद भी संग्रह मज़बूत रहा; 2026 में मासिक सकल संग्रह लगभग ₹1.8-2.0 लाख करोड़ बना रहा
- राज्यों को क्षतिपूर्ति पाँच वर्ष (जून 2022 तक) क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से; उधारी चुकाने हेतु मार्च 2026 तक विस्तारित; ऋण चुकौती के बाद उपकर व्यवस्था समाप्त

GST की महत्वपूर्ण तिथियाँ

1 जुलाई: GST दिवस; संविधान के 101वें संशोधन को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति मिली

GST परिषद की प्रथम बैठक: 22-23 सितंबर 2016; कर स्लैब मूलतः 0, 5, 12, 18, 28 (अयोग्य वस्तुओं पर उपकर सहित)

राज्यों को क्षतिपूर्ति: 2015-16 के आधार पर पाँच वर्ष तक 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी

अन्य अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क

- **सीमा शुल्क** (संघ सूची की प्रविष्टि 83): मूल सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार, आयात पर IGST, सुरक्षोपाय शुल्क, डंपिंग-रोधी शुल्क (व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा अनुशंसित, वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित), प्रतिकारी शुल्क
- पेट्रोलियम, तंबाकू (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) तथा मदिरा (राज्य उत्पाद शुल्क) पर उत्पाद शुल्क बना हुआ है
- विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, 2021-22 से पेट्रोल एवं डीज़ल पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC)
- बजट 2025-26 से सीमा शुल्क टैरिफ का युक्तिकरण; सीमा शुल्क स्लैब घटाए गए, बजट 2026-27 में अतिरिक्त दर समायोजन
- डंपिंग-रोधी: डंपिंग-रोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों को डंप किए गए आयातों से बचाता है; WTO डंपिंग-रोधी करार; आयात में वृद्धि पर सुरक्षोपाय शुल्क

अध्याय 16

FRBM, सार्वजनिक ऋण एवं वित्त आयोग

FRBM अधिनियम, 2003

पहलू	विवरण
पूरा नाम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003; 5 जुलाई 2004 से प्रवृत्त (नियम जुलाई 2004)
उद्देश्य	राजकोषीय अनुशासन, अंतर-पीढ़ीगत समता, मध्यम-अवधि नियोजन, पारदर्शिता, समष्टि-आर्थिक स्थिरता
मूल लक्ष्य	2008-09 तक राजस्व घाटे का उन्मूलन तथा राजकोषीय घाटा GDP का 3%
अपेक्षित विवरण	मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, समष्टि-आर्थिक ढाँचा विवरण, मध्यम-अवधि व्यय ढाँचा विवरण
निलंबन	2008-09 के संकट के दौरान तथा 2020-21 में पलायन खंड (कोविड-19) के अंतर्गत निलंबित
पलायन खंड	राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा, कृषि के पतन, संरचनात्मक सुधारों अथवा वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट के लिए विचलन की अनुमति

- 2012 (प्रभावी राजस्व घाटा जोड़ा गया), 2015 तथा 2018 में संशोधित (वित्त अधिनियम 2018 ने ऋण-GDP एवं FRBM समीक्षा समिति के सुझाव जोड़े)
- FRBM समीक्षा समिति (एन.के. सिंह, 2016):** सामान्य सरकार के लिए 2023 तक ऋण-GDP 60%, केंद्र के लिए 40%, राज्यों के लिए 20%; 2020-21 तक राजकोषीय घाटा आधार 3%; राजकोषीय परिषद का सुझाव (स्वीकार नहीं)
- 15वें वित्त आयोग का मार्ग: राजकोषीय घाटा 6.8% (2021-22) → 4.5% (2025-26); सरकार ने 2025-26 तक 4.5% की घोषणा की और ऋण आधार की ओर बढ़ी
- 2025-26 से राजकोषीय मार्ग: राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4% तथा 2026-27 में 4.3% तक घटाया गया; मार्च 2031 तक ऋण-GDP 50±1% (बजट 2025-26 ने घाटा लक्ष्यों से ऋण आधार की ओर बढ़ने की घोषणा की)
- 2006 से RBI प्राथमिक बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अभिदान नहीं कर सकता (FRBM)
- राज्यों के अपने FRBM कानून हैं; केंद्र विद्युत क्षेत्र सुधारों एवं पूँजीगत व्यय ऋणों के लिए अतिरिक्त उधारी की अनुमति देता है: राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3% है, तथा विद्युत सुधारों से जुड़ा अतिरिक्त 0.5%

स्मरणीय ऋण आँकड़े

केंद्र का ऋण-GDP: मार्च 2024 में 56.8% (सामान्य सरकार का 82.5%); केंद्रीय बजट 2026-27: 55.6% (मार्च 2027, पुरानी श्रृंखला)

सामान्य सरकार का ऋण वित्त वर्ष 2030-31 तक घटकर 73.4% रहने का अनुमान (RBI)

जून 2025 में भारत का बाह्य ऋण: 747.2 अरब डॉलर; GDP से अनुपात 18.9%; अमेरिकी डॉलर में 53.8%, रुपये में 30.6%, येन में 6.6%, SDR में 4.6%, यूरो में 3.5%

सार्वजनिक ऋण

- सार्वजनिक ऋण: घाटे के वित्तपोषण हेतु सरकार की उधारियाँ; **अनुच्छेद 292:** संघ संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार ले सकता है; **अनुच्छेद 293:** राज्यों की उधारी (केंद्र से ऋण के लिए सहमति आवश्यक)
- आंतरिक ऋण: बाज़ार ऋण (दिनांकित G-Sec), T-बिल (91, 182 एवं 364 दिन), अर्थोपाय अग्रिम (WMA), विशेष प्रतिभूतियाँ, लघु बचतें
- बाह्य ऋण: बहुपक्षीय (विश्व बैंक, IMF, ADB), द्विपक्षीय, वाणिज्यिक उधारी, NRI जमाएँ, व्यापार क्रेडिट; भारत का बाह्य ऋण मुख्यतः ऋण (34.8%), मुद्रा एवं जमाएँ (23%), व्यापार क्रेडिट (17.7%) तथा ऋण प्रतिभूतियों (16.8%) से बना है
- ऋण प्रबंधन को RBI से अलग करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग के अधीन सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (2016) स्थापित; प्रस्तावित सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) अभी तक नहीं बनी
- रिकार्डियन तुल्यता:** उधारी एवं करायन समतुल्य हैं, क्योंकि विवेकशील परिवार भविष्य के करों की अपेक्षा में अधिक बचत करते हैं

- भीड़-निष्कासन, अंतर-पीढ़ीगत बोझ, ब्याज का बोझ; ऋण की धारणीयता ब्याज-वृद्धि अंतर ($r-g$) पर निर्भर करती है
- घाटे का मौद्रिकरण: केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने हेतु मुद्रा सृजित करता है (UPSC 2022); घाटा वित्तपोषण: घाटे को पूरा करने हेतु कोई भी उधारी अथवा मुद्रा सृजन
- लघु बचतें: राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) 1999 में सृजित; ब्याज दरें G-sec प्रतिफल के साथ तिमाही पुनर्निर्धारित; इसमें PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, KVP शामिल
- संप्रभु हरित बॉन्ड (जनवरी 2023 में जारी, प्रथम नीलामी 25 जनवरी 2023), मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड, पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (FAR) बॉन्ड, जो सूचकांक में सम्मिलन के पात्र हैं (JP मॉर्गन GBI-EM जून 2024 से, ब्लूमबर्ग सूचकांक जनवरी 2025 से, FTSE सितंबर 2025 से)
- राज्यों के लिए WMA: सीमा RBI द्वारा निर्धारित; WMA समाप्त होने पर अधिविकर्ष
- संप्रभु क्रेडिट रेटिंग: स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने भारत को BBB में उन्नत किया (अगस्त 2025, 18 वर्षों में पहली बार); मॉर्निंगस्टार DBRS से भारत की संप्रभु रेटिंग BBB; मूडीज़ Baa3 स्थिर; फिच BBB- स्थिर

वित्त आयोग

पहलू	विवरण
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 280; प्रत्येक पाँच वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
संरचना	अध्यक्ष एवं चार सदस्य
कार्य	केंद्र एवं राज्यों के बीच शुद्ध कर आगमों के बँटवारे (ऊर्ध्वाधर अंतरण), राज्यों के बीच आवंटन (क्षैतिज), अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों हेतु राज्यों की संचित निधियों को बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा
प्रकृति	अर्ध-न्यायिक; अनुशंसाएँ सलाहकारी, कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संसद में रखी जाती हैं

- प्रथम वित्त आयोग 1951, अध्यक्ष के.सी. नयोगी; 14वें (वाई.वी. रेड्डी) ने अंतरण 32% से बढ़ाकर 42% किया; 15वें (एन.के. सिंह) ने लद्दाख एवं जम्मू-कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्र बनने के बाद 41% निर्धारित किया (संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1%), इसकी रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 को कवर करती थी
- **16वाँ वित्त आयोग:** 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित; रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को प्रस्तुत; 2026-27 से 2030-31 के लिए अनुशंसाएँ; केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ प्रस्तुत; विभाज्य पूल में राज्यों का 41% हिस्सा यथावत रखा
- क्षैतिज अंतरण के मानदंड (15वाँ वित्त आयोग): आय अंतर 45%, जनसंख्या (2011) 15%, क्षेत्रफल 15%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, जनांकिकीय निष्पादन 12.5%, कर प्रयास 2.5%
- 16वें वित्त आयोग के विषय: बँटवारा, सहायता अनुदान, आपदा निधियाँ, स्थानीय निकाय, विद्युत क्षेत्र सुधार प्रोत्साहन, केंद्र एवं राज्यों का राजकोषीय रोडमैप
- GST परिषद, नीति आयोग, अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) एवं राष्ट्रीय विकास परिषद राजकोषीय संघवाद में वित्त आयोग की पूरक हैं
- **विभाज्य पूल:** सकल कर राजस्व में से उपकर, अधिभार एवं संग्रहण लागत घटाने पर

अध्याय 17

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध एवं राज्यों के वित्त

संवैधानिक प्रावधान (भाग XII, अनुच्छेद 264-293)

अनुच्छेद	प्रावधान
268	संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं विनियोजित शुल्क (स्टॉप शुल्क, औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क; GST के बाद उत्पाद शुल्क समाप्त)
269	संघ द्वारा आरोपित एवं संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे गए कर (वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री; प्रेषण कर); अनुच्छेद 269A: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST (GST)
270	संघ एवं राज्यों के बीच आरोपित एवं वितरित कर (कृषि आय को छोड़कर आयकर, केंद्रीय GST, IGST का हिस्सा); उपकर एवं अधिभार शामिल नहीं
271	संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार
275	आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान (वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सांविधिक अनुदान); अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 275(1) का प्रथम परंतुक
280	वित्त आयोग
282	संघ एवं राज्यों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, विशेष प्रयोजन)
292	संघ की उधारी (संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर)
293	राज्य की उधारी (भारत के भीतर; भारत के बाहर केवल संघ की सहमति से; संघ का ऋण बकाया होने पर संघ की सहमति आवश्यक)
300A	संपत्ति का अधिकार; विधि के प्राधिकार से कर
301-307	भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता

- सातवीं अनुसूची: संघ सूची प्रविष्टि 82 (आयकर), 83 (सीमा शुल्क), 84 (तंबाकू एवं वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क), 85 (निगम कर), 92C (सेवा कर, अब GST); राज्य सूची प्रविष्टि 45 (भू-राजस्व), 46 (कृषि आय कर), 51 (राज्य उत्पाद शुल्क), 49 (भूमि एवं भवनों पर कर), 54 (वस्तुओं की बिक्री) आंशिक रूप से GST द्वारा प्रतिस्थापित, 62 (विलासिता); समवर्ती: प्रविष्टि 20 (आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन); अवशिष्ट कराधान शक्ति: संघ (अनुच्छेद 248, प्रविष्टि 97)
- ऊर्ध्वाधर असंतुलन:** राज्य लगभग 40% राजस्व जुटाते हैं, किंतु कुल सरकारी व्यय का लगभग 60% खर्च करते हैं; **क्षैतिज असंतुलन** राज्यों के बीच
- संघीय राजकोषीय अंतरण की संस्थाएँ: वित्त आयोग, GST परिषद, नीति आयोग, अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263), राष्ट्रीय विकास परिषद; योजना आयोग समाप्त (2015)

राजकोषीय अंतरण

प्रकार	तंत्र
कर अंतरण	विभाज्य पूल में वित्त आयोग का हिस्सा (15वें एवं 16वें में 41%); सूत्र-आधारित
सहायता अनुदान	राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट एवं राज्य-विशिष्ट अनुदान (स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, आपदा), निष्पादन-आधारित
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS)	केंद्र-राज्य लागत साझेदारी 60:40 (सामान्य राज्य), 90:10 (पूर्वोत्तर एवं हिमालयी), संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100%; 2021-22 में युक्तिसंगत
पूँजी निवेश हेतु विशेष सहायता (SASCI)	राज्यों को पूँजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण; राज्यों का पूँजीगत व्यय GDP के लगभग 2.4% तक पहुँचाता है
विशेष कर अंतरण	एकमुश्त अतिरिक्त किस्तें

- केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को करों का अंतरण: ₹15.26 लाख करोड़ (GDP का 3.9%); उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक (₹2,68,911 करोड़), उसके बाद बिहार (₹1,51,832 करोड़)
- कुशल FRBM: केंद्रीय ऋण सुधारों से संबद्ध (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कारोबार में सुगमता, विद्युत सुधार, शहरी सुधार), GSDP की 0.5% अतिरिक्त उधारी सीमा के अंतर्गत
- 15वाँ वित्त आयोग: राजकोषीय परिषद का प्रस्ताव, स्वास्थ्य हेतु अनुदान की संरचना (₹70,000 करोड़), स्थानीय निकाय (₹4.36 लाख करोड़), आपदा निधियाँ (NDRF एवं SDRF; SDRF में केंद्र का हिस्सा 75%, पूर्वोत्तर के लिए 90%)
- 16वाँ वित्त आयोग (2026-31): 41% अंतरण यथावत; आय अंतर एवं जनांकिकी को अधिक भार वाले क्षेत्रों में मानदंड; राजकोषीय समेकन रोडमैप; उपकर एवं अधिभार पर विचार

राज्यों के वित्त

- राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग 3.2% (2024-25; लक्ष्य 3%); राज्यों की बकाया देयताएँ GDP का लगभग 28% (2024-25); RBI की 'राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन' वार्षिक
- राज्यों के स्वयं के कर राजस्व: SGST, मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉप शुल्क एवं पंजीकरण, मोटर वाहन कर, पेट्रोल एवं डीज़ल पर कर (VAT), विद्युत शुल्क; गैर-कर: रॉयल्टी, शुल्क
- सब्सिडी एवं मुफ्त सुविधाएँ: मुफ्त सुविधाओं पर RBI की चिंताएँ; महिलाओं को नकद अंतरण (लाइली बहना, माईयाँ सम्मान, महालक्ष्मी) ने राज्यों के राजस्व व्यय को बढ़ाया; पेंशन देयताएँ (OPS की वापसी) चिंताजनक
- **राज्य विकास ऋण (SDL):** राज्यों की बाज़ार उधारियाँ, प्रत्येक मंगलवार नीलामी में; G-sec के ऊपर SDL स्प्रेड; RBI ऋण का प्रबंधन करता है; कट-ऑफ़ प्रतिफल
- राज्यों के लिए WMA एवं अधिविकर्ष सीमाएँ
- राज्यों की राजकोषीय सेहत: नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 (ओडिशा प्रथम, उसके बाद छत्तीसगढ़ एवं गोवा); सर्वाधिक ऋण-GSDP वाले राज्य: पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल; न्यूनतम: ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात
- राज्यों के FRBM अधिनियम: कर्नाटक (2002) प्रथम; राजकोषीय घाटा लक्ष्य GSDP का 3%; ऋण लक्ष्य 20% (FRBM समीक्षा समिति 2017)
- GSDP के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (UP के तीसरे/चौथे सबसे बड़े होने पर बहस है); प्रति व्यक्ति NSDP सर्वाधिक: गोवा, सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना

स्थानीय निकायों का वित्त

- 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन (1992): पंचायतें एवं नगरपालिकाएँ; अनुच्छेद 243H, 243I (प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग), 243Y; 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियाँ (29 एवं 18 विषय)
- स्थानीय निकायों के लिए 15वाँ वित्त आयोग के अनुदान: ₹4.36 लाख करोड़ (मूल अनुदान एवं स्वच्छता, पेयजल हेतु संबद्ध अनुदान)
- नगरपालिका बॉन्ड, संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क, स्मार्ट सिटी SPV; केंद्रीय वित्त आयोग स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा करता है (अनुच्छेद 280(3)(bb) एवं (c))

राजकोषीय संघवाद: प्रमुख अवधारणाएँ

ऊर्ध्वाधर असंतुलन: केंद्र की अधिक कराधान शक्ति बनाम राज्यों का व्यय; क्षैतिज असंतुलन: राज्यवार असमानता; समानीकरण: आय-अंतर मानदंड; सहकारी संघवाद: GST परिषद एवं नीति आयोग; प्रतिस्पर्धी संघवाद: राज्यों की रैंकिंग (EoDB, SDG सूचकांक)

उपकर एवं अधिभार का हिस्सा केंद्र के सकल कर राजस्व के 11% से अधिक हो गया; राज्यों का तर्क है कि ये विभाज्य पूल को घटाते हैं; 16वाँ वित्त आयोग ने इसकी जाँच की

विलासिता एवं पाप वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त; GST क्षतिपूर्ति ऋण चुका दिया गया; GST परिषद ने पाप वस्तुओं पर 40% दर जारी रखी

अध्याय 18

भुगतान संतुलन एवं विनिमय दर

खुली अर्थव्यवस्था एवं भुगतान संतुलन

- भुगतान संतुलन (BoP):** किसी अवधि में किसी देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन-देनों का क्रमबद्ध अभिलेख; द्वि-प्रविष्टि प्रणाली, अतः कुल योग सदैव संतुलित रहता है (UPSC 2013)
- व्यापार समग्र माँग को प्रभावित करता है: आयात रिसाव है; निर्यात अंतःक्षेपण है

खाता	अंतर्वस्तु	उदाहरण
चालू खाता	दृश्य व्यापार (वस्तुएँ), अदृश्य मर्दे (सेवाएँ, आय, अंतरण)	इस्पात निर्यात, कच्चे तेल का आयात, सॉफ्टवेयर निर्यात, पर्यटन, प्रेषण, ब्याज एवं लाभांश, अनुदान
पूँजी खाता (भारत की प्रस्तुति में वित्तीय खाता सम्मिलित)	FDI, FPI, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, बाह्य सहायता, बैंकिंग पूँजी (NRI जमाएँ), भंडार	इक्विटी की खरीद, ECB ऋण, NRI जमा
त्रुटियाँ एवं लोप	सांख्यिकीय विसंगति	संतुलनकारी मद

- चालू खाता शेष = व्यापार शेष (वस्तुएँ) + शुद्ध सेवाएँ + शुद्ध प्राथमिक आय + शुद्ध द्वितीयक आय (अंतरण); CAD = घाटा, अर्थात् भारत विश्व से उधार लेता है
- अदृश्य मर्दे:** सेवाएँ (सॉफ्टवेयर, यात्रा, परिवहन), आय (कर्मचारियों का पारिश्रमिक, निवेश आय), अंतरण (प्रेषण, उपहार, अनुदान)
- ऋण पूँजी खाते में दर्ज होते हैं; ऋणों का ब्याज चालू खाते में; प्रेषण एवं उपहार चालू खाते के अंतरणों में
- स्वायत्त लेन-देन** (निर्यात, आयात, FDI) BoP संतुलन से स्वतंत्र होते हैं; **समायोजनकारी लेन-देन** (RBI के भंडार में परिवर्तन) अंतर की पूर्ति करते हैं (UPSC 2013, 2020)
- BoP संकट तब होता है जब भंडार घाटे की पूर्ति नहीं कर पाते; 1991: भंडार तीन सप्ताह से कम के आयात को कवर करते थे; 67 टन स्वर्ण गिरवी रखा गया; जुलाई 1991 में 18-19% अवमूल्यन

चालू खाते के आँकड़े

CAD: 2023-24 में GDP का 0.7%, जो 26 अरब अमेरिकी डॉलर के समतुल्य था; 2024-25 में 0.6%; अप्रैल-दिसंबर 2025 में 1.1% (30.2 अरब डॉलर); 2025-26 की दूसरी तिमाही में CAD 12.3 अरब डॉलर (GDP का 1.3%); पहली तिमाही में केवल GDP का 0.2% अप्रैल-दिसंबर 2025 में सेवा निर्यात में 15.3% तथा प्रेषण में 10.1% की वार्षिक वृद्धि (RBI वार्षिक रिपोर्ट 2025-26)

भारत के आवक प्रेषण: 2023-24 में 118.7 अरब अमेरिकी डॉलर (RBI का छठा सर्वेक्षण); अमेरिका (27.7%) सबसे बड़ा स्रोत, फिर UAE (19.2%), यूके (10.8%), सऊदी अरब, सिंगापुर, कतर, कूवैत, कनाडा, ओमान; उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक; खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का हिस्सा 47% (2016-17) से घटकर 38%; भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है (विश्व बैंक के अनुसार 2024 में लगभग 129 अरब डॉलर)

वस्तु व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2025-26: 333.2 अरब अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25 के 282.5 अरब डॉलर के विरुद्ध)

वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.8% तथा सेवाओं में लगभग 4.3%; सेवा निर्यात चालू खाते का मुख्य सहारा है

शीर्ष निर्यात गंतव्य: अमेरिका, UAE, चीन एवं नीदरलैंड; शीर्ष आयात स्रोत: चीन, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब; कच्चा तेल, सोना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्य आयात

पूँजी खाता एवं निवेश प्रवाह

मद	विशेषता
FDI	प्रबंधन नियंत्रण के साथ स्थायी हित; 10% या अधिक इक्विटी (10% तक FPI); अधिकांशतः स्वचालित मार्ग अनुमत; वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में शुद्ध FDI 7.7 अरब डॉलर (2024-25 की पहली छमाही में 3.4 अरब डॉलर)

मद	विशेषता
FPI	अल्पकालिक पोर्टफोलियो; वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में शुद्ध बहिर्प्रवाह 4.1 अरब डॉलर (एक वर्ष पहले 20.8 अरब डॉलर का अंतर्प्रवाह); 2026 में बिकवाली के साथ FPI प्रवाह अस्थिर रहे
ECB	अनिवासी ऋणदाताओं से ऋण; अल्पकालिक ECB पर भारत की कम निर्भरता सुरक्षात्मक है (UPSC 2020)
NRI जमाएँ	FCNR(B), NRE, NRO; 2013 एवं 2022 में विशेष योजनाएँ
FCCB	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड
ADR/GDR	विदेश में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की निक्षेपागार रसीदें (अमेरिका में ADR, यूरोप में GDR)
मसाला बॉन्ड	विदेश में जारी रुपया-मूल्यवर्गित बॉन्ड (UPSC 2016); पहला IFC द्वारा 2014 में
सहभागिता नोट (P-नोट)	अपतटीय व्युत्पन्न लिखत, SEBI में अपंजीकृत विदेशी निवेशकों को जारी

- भारत में सकल FDI अंतर्प्रवाह: 2024-25 में लगभग 81 अरब डॉलर; प्रत्यावर्तन एवं बहिर्गामी FDI के कारण शुद्ध FDI निम्न रहता है
- पूँजी नियंत्रण: FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999) ने FERA 1973 का स्थान लिया; गैर-ऋण लिखत नियम (2019) FDI को शासित करते हैं; सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 से बीमा में विदेशी निवेश 100% हो गया
- **हॉट मनी:** अस्थिर FPI प्रवाह; सुरक्षित आश्रय प्रवाह संकट में उलट जाते हैं

परिवर्तनीयता

- **चालू खाता परिवर्तनीयता:** भारत ने अगस्त 1994 में IMF का अनुच्छेद VIII स्वीकार किया; रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है
- **पूँजी खाता:** आंशिक रूप से परिवर्तनीय; पूँजी खाता परिवर्तनीयता पर तारापोर समिति (1997) ने मानदंड प्रस्तावित किए (राजकोषीय घाटा GDP का 3.5%, मुद्रास्फीति 3-5%, सकल NPA 5% से कम, CRR 3%); तारापोर II (2006) रोडमैप
- सुखमय चक्रवर्ती समिति (1985), नरसिम्हम समिति (1991) ने उदारीकरण का समर्थन किया
- **रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण:** RBI ने रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति दी (विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते, जुलाई 2022); सिंगापुर (PayNow), UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरीशस के साथ UPI संबंध

विनिमय दर प्रणालियाँ

प्रणाली	विशेषता	उदाहरण
स्थिर	सरकार मूल्य निर्धारित करती है; अवमूल्यन से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है	ब्रेटन वुड्स प्रणाली (1944-71), हॉगकाँग डॉलर
लचीली	बाज़ार की माँग एवं पूर्ति	अमेरिकी डॉलर, यूरो
प्रबंधित	RBI के हस्तक्षेप के साथ बाज़ार	1993 से भारतीय रुपया
रेंगती	छोटे आवधिक समायोजन	कुछ लैटिन अमेरिकी मुद्राएँ

- रुपये की व्यवस्था: 1971 तक सममूल्य प्रणाली, पाउंड से संबद्ध; 1975 में बास्केट से संबद्धता; दोहरी विनिमय दर (LERMS) 1992; मार्च 1993 से एकीकृत बाज़ार-निर्धारित दर
- **मूल्यहास (डेप्रिसिएशन):** तैरती प्रणाली में मुद्रा के बाज़ार मूल्य में गिरावट; **अवमूल्यन (डेवैल्यूएशन):** स्थिर प्रणाली में आधिकारिक कटौती; प्रशंसा/पुनर्मूल्यन उनके विपरीत हैं
- निर्धारक: ब्याज दर अंतर, मुद्रास्फीति अंतर, चालू खाता, पूँजी प्रवाह, तेल की कीमतें, RBI का हस्तक्षेप, डॉलर सूचकांक
- अग्रिम प्रीमियम, हेजिंग; NDF (गैर-सुपुर्दगी अग्रिम) बाज़ार

रुपया 2026

तेल की कीमतों एवं पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण 14 मई 2026 को प्रति अमेरिकी डॉलर ₹95.8-95.9 के निकट सर्वकालिक निम्नतम स्तर; अक्टूबर तक 2026 में रुपया लगभग 8% गिरा, जो एशिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में से है

अस्थिरता पर अंकुश हेतु RBI ने डॉलर बेचे; विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर 2026 को 785.71 अरब डॉलर के शिखर पर पहुँचा तथा 2 अक्टूबर 2026 को गिरकर 734.6 अरब डॉलर रह गया

NEER, REER, PPP

- **NEER:** मुद्राओं की एक टोकरी के विरुद्ध रुपये का भारित औसत (निर्यात-व्यापार आधारित 40-मुद्रा सूचकांक, आधार 2015-16=100)
- **REER** = सापेक्ष कीमतों (घरेलू कीमत सूचकांक / विदेशी कीमत सूचकांक) से समायोजित NEER; बढ़ता REER वास्तविक प्रशंसा तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की हानि दर्शाता है; गिरता REER प्रतिस्पर्धात्मकता में लाभ (UPSC 2022)
- **PPP** मुद्राओं की तुलना समान टोकरी की लागत के आधार पर करता है; PPP के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (चीन एवं अमेरिका के बाद); प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत से बहुत कम
- **मुद्रा स्वेप:** किसी अवधि के लिए भिन्न मुद्राओं में मूलधन एवं ब्याज का विनिमय (RBI-BoJ स्वेप); **विदेशी मुद्रा स्वेप:** अल्पकालिक, क्रय-विक्रय/विक्रय-क्रय; **ब्याज दर स्वेप:** स्थिर के बदले परिवर्ती का विनिमय, मूलधन का विनिमय नहीं
- RBI की द्विपक्षीय स्वेप लाइनें: BoJ के साथ (75 अरब डॉलर), सार्क मुद्रा स्वेप ढाँचा (2 अरब डॉलर), श्रीलंका, मालदीव
- **आयात कवर** = विदेशी मुद्रा भंडार / मासिक आयात; दिसंबर 2025 में वस्तु आयात के लगभग 11 माह

अध्याय 19

विदेशी मुद्रा भंडार, बाह्य ऋण, व्यापार नीति एवं मुक्त व्यापार समझौते

विदेशी मुद्रा भंडार

- घटक: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (सबसे बड़ा, लगभग 80% से अधिक), स्वर्ण, SDR, IMF में आरक्षित किस्त स्थिति (RTP) (UPSC 2019, 2020)
- भारत का भंडार सितंबर 2024 में रिकॉर्ड 704.9 अरब अमेरिकी डॉलर पहुँचा; 4 सितंबर 2026 को शिखर 785.71 अरब डॉलर; गिरावट के बीच 2 अक्टूबर 2026 को 734.6 अरब डॉलर
- भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पाँच भंडार धारकों में है (चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड एवं भारत)
- 2024-25 में RBI के स्वर्ण भंडार बढ़ाए गए; RBI ने 2024 में ब्रिटेन से स्वर्ण धारिताएँ वापस माँगाई
- भंडार पर्याप्तता के सूचक: आयात कवर, अल्पकालिक ऋण अनुपात, बाह्य ऋण से भंडार (दिसंबर 2025 में लगभग 90%)
- विशेष आहरण अधिकार (SDR):** 1969 में सृजित IMF की आरक्षित परिसंपत्ति; टोकरी: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड
- बंधीकरण:** विदेशी मुद्रा की खरीद से सृजित तरलता को RBI OMO/MSS द्वारा अवशोषित करता है

बाह्य ऋण

घटक	विशेषता
दीर्घकालिक ऋण	परिपक्वता एक वर्ष से अधिक; कुल का लगभग 80%
अल्पकालिक	परिपक्वता एक वर्ष तक
संप्रभु	सरकार एवं RBI; बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय
गैर-संप्रभु	कॉर्पोरेट ECB, NRI जमाएँ, व्यापार क्रेडिट

- जून 2025 के अंत में बाह्य ऋण 747.2 अरब अमेरिकी डॉलर; GDP से बाह्य ऋण 18.9%; अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 53.8%; रुपया-मूल्यवर्गित 30.6%; ऋण 34.8%, मुद्रा एवं जमाएँ 23.0%, व्यापार क्रेडिट 17.7%, ऋण प्रतिभूतियाँ 16.8%
- ऋण सेवा अनुपात चालू प्राप्तियों का लगभग 5.5-6.7%; भारत का बाह्य ऋण धारणीय है
- उधारकर्ता के अनुसार सबसे बड़ा घटक: गैर-वितीय निगम एवं जमा-स्वीकार करने वाले निगम (28.1%); सामान्य सरकार 22.4%
- 1991 के ऋण संकट ने LPG सुधारों को प्रेरित किया; खाड़ी युद्ध से तेल संकट एवं राजनीतिक अस्थिरता से BoP संकट उत्पन्न हुआ

विदेश व्यापार

- विदेश व्यापार नीति 2023:** 1 अप्रैल 2023 को आरंभ, बिना समाप्ति-तिथि वाली नीति, जिसका लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात है; विदेश व्यापार नीति वक्तव्य; निर्यात उत्कृष्टता के नगर; निर्यातकों के लिए क्षमा योजना; आयात-निर्यात कोड का सरलीकरण
- वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT); DGCI&S व्यापार सांख्यिकी एकत्र करता है; निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC); EXIM बैंक (1982)
- योजनाएँ: RoDTEP (जनवरी 2021 में MEIS का स्थान लिया; निहित करों की प्रतिपूर्ति), वस्तुओं के लिए RoSCTL, EPCG (पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन हेतु), अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क वापसी, SEZ अधिनियम 2005 के अंतर्गत SEZ (प्रथम SEZ कांडला 1965 तथा एशिया का प्रथम EPZ), निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (EOU), निर्यात ऋण विकास योजना (NIRVIK, 2022), निर्यात हेतु व्यापार अवसररचना योजना (TIES), कृषि निर्यात नीति 2018 (लक्ष्य 60 अरब डॉलर)
- निर्यात संवर्धन मिशन (2025-26): निर्यात प्रोत्साहन एवं निर्यात दिशा के साथ छत्र मिशन; ECGC के अंतर्गत RELIEF योजना (निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप, मार्च 2026)
- पश्चिम एशिया के व्यवधान के कारण 5 मई 2026 को ECLGS 5.0 आरंभ; ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर 15 अगस्त 2026 को घटाए गए
- PLI योजनाएँ:** 2020 में आरंभ; लगभग ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रक (देखें: उद्योग अध्याय); आयात निर्भरता घटाने का लक्ष्य
- चीन के साथ व्यापार घाटा सबसे बड़ा है; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन आयात करता है

- अमेरिकी प्रशुल्क: 2025 में भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त अमेरिकी प्रशुल्क (अगस्त 2025 से अनेक उत्पादों पर 50%); फरवरी 2026 में प्रशुल्क पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने वार्ता को विलंबित किया; 2026 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ताएँ अभी जारी हैं
- रुपये पर दबाव एवं आयात पर अंकुश हेतु 13 मई 2026 को सोने एवं चाँदी पर आयात शुल्क बढ़ाया गया (IGST सहित प्रभावी लगभग 18.4%)

व्यापार समझौते: प्रकार एवं भारत की स्थिति

प्रकार	विशेषताएँ	भारत का उदाहरण
PTA (तरजीही व्यापार समझौता)	कुछ उत्पादों पर घटे हुए प्रशुल्क	भारत-मर्कोसूर (2009), भारत-चिली PTA
FTA	अधिकांश वस्तुओं पर प्रशुल्क समाप्त	भारत-श्रीलंका (2000), SAFTA, आसियान, यूके CETA
CECA/CEPA	वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार	सिंगापुर CECA (2005), जापान (2011), UAE CEPA (2022)
ECTA	प्रारंभिक फसल व्यापार समझौता	ऑस्ट्रेलिया (2022)
सीमा शुल्क संघ	साझा बाह्य प्रशुल्क	EU, EAEU; भारत किसी का सदस्य नहीं
साझा बाज़ार	कारकों की मुक्त आवाजाही	EEA
आर्थिक संघ	साझा मुद्रा	यूरोज़ोन

- **भारत-EFTA TEPA** (व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता): 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित, 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी; 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता सम्मिलित
- **भारत-यूके CETA**: 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित; 15 जुलाई 2026 से प्रभावी
- **भारत-ओमान CEPA**: दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित, 1 जून 2026 से प्रचालन में
- **भारत-न्यूज़ीलैंड FTA**: अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित; 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी
- **भारत-EU FTA**: 27 जनवरी 2026 को संपन्न ("सभी समझौतों की जननी"); हस्ताक्षर 16 दिसंबर 2026 को अपेक्षित; इसके बाद अनुसमर्थन होगा, अतः प्रचालन 2027 में संभावित
- वार्ताधीन: अमेरिका BTA, कनाडा CEPA (2 मार्च 2026 को आरंभ), इज़राइल, पेरू, GCC, मालदीव, SACU, चिली CEPA, ऑस्ट्रेलिया CECA
- पूर्व के समझौते: भारत-मॉरीशस CECTA (2021), भारत-जापान CEPA (2011), भारत-कोरिया CEPA (2010), भारत-मलेशिया CECA (2011), भारत-आसियान AITIGA (2010; समीक्षा जारी)
- भारत नवंबर 2019 में RCEP से हट गया (हस्ताक्षर नहीं किए); RCEP के 15 सदस्य हैं, जिनमें आसियान-10, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड शामिल हैं
- भारत के लिए प्रासंगिक क्षेत्रीय समूह: सार्क, SAFTA (2006), बिस्मटेक, BBIN, हिंद महासागर रिम संघ, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC, G20 2023 में घोषित), अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), चाबहार बंदरगाह

अध्याय 20

IMF, विश्व बैंक, WTO एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

ब्रेटन वुड्स प्रणाली

- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन:** 1-22 जुलाई 1944, माउंट वाशिंगटन होटल, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका; 44 मित्र राष्ट्र; कीन्स (यूके) एवं हैरी डेक्सटर व्हाइट (अमेरिका) प्रमुख व्यक्ति (UPSC 2025)
- परिणाम: IMF, IBRD तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली, जिसमें अमेरिकी डॉलर 35 डॉलर प्रति औंस पर स्वर्ण में परिवर्तनीय था; यह प्रणाली 1971 में (निकसन आघात) ढह गई तथा औपचारिक रूप से जमैका समझौते (1976) द्वारा प्रतिस्थापित हुई, जिसने तैरती दरों की अनुमति दी
- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के कार्य: विनिमय दर स्थिरता, संकट निवारण, तरलता, एकीकरण

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

पहल	विवरण
स्थापना	1944 (ब्रेटन वुड्स); 1 मार्च 1947 से परिचालन आरंभ; मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी.
सदस्य	191 देश; भारत संस्थापक सदस्य है
उद्देश्य	मौद्रिक सहयोग, विनिमय स्थिरता, BoP समस्याओं का वित्तपोषण
संसाधन	सदस्यों के कोटा अभिदान; भारित मतदान द्वारा निर्णय; अमेरिका के पास लगभग 16.5% मत (85% निर्णयों पर वीटो)
ऋण	स्टैंड-बाय व्यवस्था, विस्तारित कोष सूविधा, लचीली ऋण रेखा, त्वरित वित्तपोषण लिखत
निगरानी	अनुच्छेद IV परामर्श; प्रमुख रिपोर्टें: विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल, अक्टूबर), वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर
प्रबंध निदेशक	क्रिस्टलीना जॉर्जीवा (अक्टूबर 2019 से; अक्टूबर 2024 से दूसरा कार्यकाल)

- IMF कोटा: भारत का कोटा लगभग 2.75% तथा मतदान हिस्सा 2.63%
- SDR टोकरी की प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा; 2016 में चीनी रेनमिनबी जोड़ा गया
- भारत की GDP के पूर्वानुमान: IMF के अप्रैल 2026 के WEO ने भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया; सांकेतिक GDP क्रम में भारत वैश्विक शीर्ष 6 में (देखें: राष्ट्रीय आय अध्याय)
- वाशिंगटन आम सहमति, संरचनात्मक समायोजन की शर्तें

विश्व बैंक समूह

संस्था	वर्ष	भूमिका	भारत सदस्य
IBRD	1944	मध्यम-आय वाले देशों को ऋण	हाँ
IDA	1960	निर्धनतम देशों को रियायती ऋण/अनुदान	हाँ (भारत स्नातक हो चुका, अब दाता)
IFC	1956	निजी क्षेत्र को ऋण	हाँ
MIGA	1988	राजनीतिक जोखिम बीमा	हाँ
ICSID	1966	निवेश विवाद मध्यस्थता	भारत सदस्य नहीं

- मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी.; 189 सदस्य देश (विश्व बैंक, IBRD); अमेरिका सबसे बड़ा अंशधारक (16.41% मत), फिर जापान (7.87%), जर्मनी (4.49%), यूके (4.31%) एवं फ्रांस (4.31%)

- रिपोर्टें: विश्व विकास रिपोर्ट, मानव पूँजी सूचकांक, वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (डेटा अनियमितताओं के बाद 2021 में बंद; B-READY ने इसका स्थान लिया) (UPSC 2016), लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक
- विश्व बैंक ने बताया है कि भारत में **वेट-बल्ब तापमान** 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जिसे मनुष्य सहन नहीं कर सकते (UPSC 2025); वेट-बल्ब तापमान थर्मामीटर पर गीला कपड़ा लपेटकर मापा जाता है, यह सदैव ड्राई-बल्ब से कम या उसके बराबर होता है
- प्रमुख: अजय बंगा (जून 2023 से अध्यक्ष, भारतीय मूल के)
- अन्य बहुपक्षीय संस्थाएँ: एशियाई विकास बैंक (1966; मनीला), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB, 2016, बीजिंग; भारत दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक), न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक, 2015, शंघाई), बैंक फ़ॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (1930, बेसल), वित्तीय स्थिरता बोर्ड

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

पहलू	विवरण
स्थापना	1 जनवरी 1995 को GATT (1947) के उत्तराधिकारी के रूप में; उरुग्वे दौर (1986-94); मराकेश समझौता
मुख्यालय	जिनेवा
सदस्य	166 देश (2024 में कोमोरोस एवं तिमोर-लेस्ते शामिल हुए)
निर्णय प्रक्रिया	सर्वसम्मति; प्रत्येक दो वर्ष में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सर्वोच्च निकाय
महानिदेशक	नोज़ी ओकोजो-इवेला (मार्च 2021 से; 2025 में पुनर्नियुक्त)
विवाद निपटान	विवाद निपटान निकाय; अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से निष्क्रिय, क्योंकि अमेरिका नियुक्तियाँ रोकता है
सिद्धांत	MFN (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र), राष्ट्रीय व्यवहार, पारदर्शिता

- MC13 अबू धाबी (फरवरी-मार्च 2024) में तथा MC14 याउंडे, कैमरून (26-29 मार्च 2026) में, जिनमें ई-कॉमर्स स्थगन एवं मत्स्य सब्सिडी पर बहस जारी
- मत्स्य सब्सिडी पर समझौता दो-तिहाई स्वीकृति के बाद 15 सितंबर 2025 को प्रभावी हुआ
- समझौते: GATT, GATS (सेवाएँ), TRIPS (बौद्धिक संपदा), TRIMs (निवेश उपाय), SPS (स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता), TBT, कृषि समझौता (AoA), सुरक्षोपाय, डंपिंग-रोधी, SCM (सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय)

कृषि समझौता (AoA)

स्तंभ	विशेषताएँ
बाज़ार पहुँच	प्रशुल्कीकरण, प्रशुल्क में कमी; विकासशील देशों द्वारा माँगा गया विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM)
घरेलू समर्थन	ग्रीन बॉक्स (व्यापार को विकृत न करने वाला: अनुसंधान, विस्तार, फसल बीमा), ब्लू बॉक्स (उत्पादन-सीमित), एम्बर बॉक्स (व्यापार-विकृतकारी: MSP, आगत सब्सिडी), न्यूनतम सीमा (उत्पादन मूल्य का विकसित देशों के लिए 5%, विकासशील देशों के लिए 10%)
निर्यात सब्सिडी	नैरोबी मंत्रिस्तरीय 2015 के बाद विकसित देशों में समाप्त; विकासशील देशों में 2030 तक

- शांति खंड (बाली 2013):** विकासशील देशों के सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों के विरुद्ध, जो AMS सीमाओं से अधिक हों, कोई विवाद कार्रवाई नहीं, यदि पारदर्शिता की शर्तें पूरी हों; भारत NFSA के लिए MSP पर खरीद करता है
- G-33: कृषि विशेष उत्पादों के लिए विकासशील देशों का गठबंधन (47 सदस्य); भारत सदस्य है; केयर्न्स समूह (कृषि निर्यातक)
- भारत ने डंपिंग-रोधी (DGTR के माध्यम से), प्रतिकारी एवं सुरक्षोपाय शुल्कों का प्रयोग किया है; डंपिंग-रोधी शुल्क पाँच वर्ष तक रहते हैं तथा अस्त-समीक्षा के बाद बढ़ाए जा सकते हैं
- विवाद: भारत अमेरिका के साथ सौर सेलों तथा EU, जापान एवं ताइवान के साथ ICT प्रशुल्कों के WTO विवादों में पराजित हुआ; ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एवं ग्वाटेमाला के साथ चीनी सब्सिडी विवाद

UNCTAD एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय

- UNCTAD** (1964; जिनेवा): रिपोर्टें: विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, अल्प विकसित देश रिपोर्ट
- UNIDO, FAO (रोम), WHO, UNDP (मानव विकास रिपोर्ट), UNEP; विश्व आर्थिक मंच (दावोस; वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट)

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

प्रकार	संरक्षण
पेटेंट	नवीन, आविष्कारशील, औद्योगिक रूप से प्रयोज्य आविष्कारों के लिए आवेदन से 20 वर्ष
कॉपीराइट	भारत में लेखक के जीवनकाल सहित 60 वर्ष (कॉपीराइट अधिनियम 1957; TRIPS न्यूनतम 50 वर्ष)
ट्रेडमार्क	10 वर्ष, अनिश्चितकाल तक नवीकरणीय; ट्रेड मार्क अधिनियम 1999
भौगोलिक संकेतक	GI अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत; 10 वर्ष, नवीकरणीय; जैसे दार्जिलिंग चाय (भारत का प्रथम GI, 2004)
औद्योगिक डिज़ाइन	10 वर्ष, डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत 15 वर्ष तक बढ़ाए जा सकते हैं
पादप किस्में	पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001; PPVFRA
अर्धचालक विन्यास-डिज़ाइन	SICLD अधिनियम 2000

- **एवरग्रीनिंग:** पेटेंट बढ़ाने के लिए मामूली संशोधन; पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3(d) इसे रोकती है (नोवार्टिस बनाम भारत संघ, 2013)
- अनिवार्य लाइसेंसिंग: TRIPS एवं पेटेंट अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत अनुमत; भारत में प्रथम अनिवार्य लाइसेंस नेक्सावर के लिए (2012)
- DPIIT के अंतर्गत पेटेंट, डिज़ाइन एवं ट्रेडमार्क के नियंत्रक महानिदेशक (CGPDT); राष्ट्रीय IPR नीति 2016
- अंतरराष्ट्रीय: WIPO (1974 से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, जिनेवा), पेरिस अभिसमय (1883), बर्न अभिसमय (1886), PCT, मैड्रिड प्रोटोकॉल, हेग समझौता; विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (WIPO): भारत 2024 में 39वें तथा 2025 में 38वें स्थान पर

अन्य वैश्विक समूह (अर्थव्यवस्था से संबद्ध)

- G20 (2023 में भारत की अध्यक्षता; अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया), G7, ब्रिक्स (2024 में विस्तार; 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष), SCO, क्राड, गुटनिरपेक्ष आंदोलन
- OPEC एवं OPEC+ कच्चे तेल की आपूर्ति निर्धारित करते हैं; IEA; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (मुख्यालय गुरुग्राम; 2015 में फ्रांस के साथ आरंभ)

अध्याय 21

वित्तीय बाज़ार: मुद्रा बाज़ार, पूँजी बाज़ार एवं प्रतिभूतियाँ

वित्तीय प्रणाली की संरचना

खंड	परिपक्वता	नियामक	लिखत
मुद्रा बाज़ार	एक वर्ष तक	RBI (सरकारी एवं बैंक पत्र); कुछ कॉर्पोरेट पत्रों के लिए SEBI	राजकोष बिल, CP, CD, कॉल मनी, रेपो, CBLO/TREPS
पूँजी बाज़ार	एक वर्ष से अधिक	SEBI (कॉर्पोरेट ऋण एवं इक्विटी); RBI (सरकारी प्रतिभूतियाँ)	शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियाँ, म्यूचुअल फंड
विदेशी मुद्रा बाज़ार	मुद्राएँ	FEMA के अंतर्गत RBI	हाजिर, अग्रिम, स्वैप
व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)	अंतर्निहित परिसंपत्ति से संबद्ध	SEBI	वायदा, विकल्प (इक्विटी, पण्य, मुद्रा)

- वित्तीय प्रणाली: संस्थाएँ (बैंक, NBFC, बीमाकर्ता), बाज़ार, लिखत एवं सेवाएँ; वित्तीय मध्यस्थता बचत को निवेश में परिवर्तित करती है
- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC): 2010 में स्थापित, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; उप-समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं; नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, IBBI) में समन्वय करती है
- नियामकों का उच्च-स्तरीय विभाजन: RBI (बैंक, NBFC, भुगतान प्रणालियाँ, मुद्रा बाज़ार), SEBI (प्रतिभूतियाँ), IRDAI (बीमा), PFRDA (पेंशन), IFSCA (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी), IBBI (दिवालियापन)

मुद्रा बाज़ार

लिखत	जारीकर्ता	प्रमुख विशेषताएँ
राजकोष बिल	भारत सरकार	शून्य-कूपन, बट्टे पर जारी; 91, 182 एवं 364 दिन; राज्यों के राजकोष बिल नहीं होते (UPSC 2018, 2021)
नकदी प्रबंधन बिल	भारत सरकार	अस्थायी असंतुलन की पूर्ति हेतु 91 दिन से कम अवधि
दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ	केंद्र एवं राज्य	5 से 40 वर्ष, अर्धवार्षिक देय स्थिर या परिवर्ती कूपन
राज्य विकास ऋण (SDL)	राज्य	SLR एवं रेपो के संपार्श्विक के रूप में पात्र
वाणिज्यिक पत्र (CP)	कॉर्पोरेट, NBFC	असुरक्षित, 7 दिन से 1 वर्ष, 2018 के परिवर्तनों के बाद न्यूनतम मूल्यवर्ग ₹5 लाख (पहले ₹25 लाख), न्यूनतम रेटिंग A3 (UPSC 2020)
जमा प्रमाणपत्र (CD)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRB, LAB नहीं)	परक्राम्य सावधि जमा, 2020 के संशोधनों के बाद न्यूनतम ₹5 लाख (पहले ₹1 लाख), व्यापार योग्य किंतु संपार्श्विक के रूप में प्रयोज्य नहीं
वाणिज्यिक बिल	विक्रेता से क्रेता	30/60/90 दिन की मियाद; पुनर्भुनाई योग्य
कॉल मनी	बैंक	एक रात के लिए, दर माँग एवं पूर्ति से निर्धारित (UPSC 2020)
नोटिस मनी	बैंक	2 से 14 दिन
टर्म मनी	बैंक	14 दिन से अधिक
TREPS (त्रिपक्षीय रेपो)	CCIL	नवंबर 2018 से CBLO का स्थान लिया (UPSC 2024)
अंतर-कॉर्पोरेट जमाएँ	एक कॉर्पोरेट से दूसरे को	असुरक्षित

- केंद्र के लिए अर्थोपाय अग्रिम: तीन माह के भीतर चुकाने योग्य, ब्याज रेपो दर पर; 90 दिन के बाद रेपो दर + 2% पर ओवरड्राफ्ट
- भारत औसत कॉल दर (WACR) मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है
- मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड, रेपो एवं रिवर्स रेपो (कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो सहित) तरलता का विस्तार करते हैं
- नियामक: मुद्रा बाज़ार का नियमन RBI करता है; विदेशी मुद्रा के लिए फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FEDAI), स्थिर आय के लिए FIMMDA; FBIL बेंचमार्क का प्रशासन करता है (9 दिसंबर 2014 को निर्गमित; जुलाई 2015 में RBI द्वारा मान्यता प्राप्त; 2018 में FIMMDA/FEDAI से कार्यभार ग्रहण)
- क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (CCIL): सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा एवं मुद्रा बाज़ार के सौदों का केंद्रीय प्रतिपक्ष; NDS-OM (2005 से सरकारी प्रतिभूतियों की ऑर्डर-मैचिंग व्यापार प्रणाली) संचालित करता है
- RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना (12 नवंबर 2021): खुदरा निवेशक RBI के पास गिल्ट खाते खोलकर सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं राजकोष बिल सीधे खरीद सकते हैं; अप्रतिस्पर्धी बोली

पूँजी बाज़ार

- प्राथमिक बाज़ार: नए निर्गम (IPO, FPO, अधिकार निर्गम, निजी प्लेसमेंट, अधिमन्य आवंटन, QIP); प्रतिभूतियों का सृजन करता है तथा पूँजी निर्माण में प्रत्यक्ष सहायक है; कीमत निर्गमकर्ता तय करता है
- द्वितीयक बाज़ार: शेयर बाज़ार (BSE, NSE) विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करते हैं; तरलता एवं मूल्य-खोज प्रदान करते हैं; पूँजी निर्माण को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं
- पूँजी के प्रकार: अधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त, प्रदत्त

आधार	ऋण (बॉन्ड, डिबेंचर)	इक्विटी (शेयर)
स्थिति	लेनदार	स्वामी
प्रतिफल	स्थिर ब्याज	परिवर्ती लाभांश
परिसमापन में दावा	पहला (वॉटरफ़ॉल)	अंतिम
जोखिम	कम (UPSC 2025)	अधिक
कर	ब्याज कटौती योग्य	लाभांश कटौती योग्य नहीं

- अधिमान शेयर: स्थिर लाभांश, साधारण शेयरों पर प्राथमिकता का दावा, मताधिकार नहीं भी हो सकता है; साधारण (इक्विटी) शेयर: मताधिकार, अवशिष्ट दावा
- बॉन्ड: परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित; डिबेंचर: असुरक्षित, निर्गमकर्ता की साख पर आधारित (परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय)
- ब्याज दर आधारित बॉन्ड: स्थिर, परिवर्ती, शून्य-कूपन (UPSC 2020), ऋणात्मक प्रतिफल बॉन्ड
- मुद्रास्फीति संरक्षण: पूँजी-सूचकांकित बॉन्ड एवं मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड (IIB; UPSC 2022)
- अन्य: शाश्वत (कंसोल) बॉन्ड, वाहक बॉन्ड, कॉल/पुट विकल्प वाले बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड (UPSC 2022), FCCB

विशेष बॉन्ड	अर्थ
मसाला बॉन्ड	विदेश में जारी रुपया-मूल्यवर्गित बॉन्ड (IFC द्वारा प्रथम, नवंबर 2014, लंदन); उधारकर्ता मुद्रा जोखिम से बचता है, निवेशक उसे वहन करता है (UPSC 2016)
पांडा बॉन्ड	विदेशी निर्गमकर्ता द्वारा चीन में यूनान बॉन्ड
समुदाय / यांकी / बुलडॉग	विदेशी निर्गमकर्ताओं द्वारा क्रमशः जापान / अमेरिका / ब्रिटेन में बॉन्ड
महाराजा बॉन्ड	IFC द्वारा भारत में जारी रुपया बॉन्ड
संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड (SGB)	ग्राम में स्वर्ण के मूल्यवर्ग वाली सरकारी प्रतिभूति, 2.5% ब्याज, 8 वर्ष की अवधि; 2024-25 के बाद निर्गम बंद
हरित बॉन्ड	हरित परियोजनाओं का वित्तपोषण; विश्व बैंक (2008); भारत में प्रथम यस बैंक (2015); संप्रभु हरित बॉन्ड जनवरी 2023 में आरंभ
नगरपालिका बॉन्ड	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी; बेंगलुरु (1997) भारत में प्रथम
उदय बॉन्ड	विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) का ऋण अपने ऊपर लेने हेतु राज्यों द्वारा जारी बॉन्ड (2015)
सामाजिक बॉन्ड, नीला बॉन्ड, धारणीयता-संबद्ध बॉन्ड	ESG खंड
ज़मानत बॉन्ड (सिओरिटी बॉन्ड)	बैंक गारंटी का बीमा-समर्थित विकल्प, अवसंरचना हेतु प्रोत्साहित (IRDAI दिशानिर्देश 2022; बजट 2024-25 में बल)

विशेष बॉन्ड	अर्थ
भारत बॉन्ड ETF	AAA रेटिंग वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बॉन्डों का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (दिसंबर 2019)

- बॉन्ड की कीमत एवं प्रतिफल: विपरीत संबंध; ब्याज दरें बढ़ने पर विद्यमान बॉन्डों की कीमत गिरती है
- प्रतिफल वक्र: परिपक्वता के विरुद्ध प्रतिफल को दर्शाता है; व्युत्क्रमित प्रतिफल वक्र (अल्पकालिक प्रतिफल दीर्घकालिक से अधिक) मंदी का संकेत देता है
- सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल अमेरिकी फेड की नीति, RBI की तरलता संबंधी कार्रवाइयों, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे एवं कच्चे तेल की कीमतों से प्रभावित होते हैं
- कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार का गहनीकरण: SEBI एवं RBI के उपाय, कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास कोष तथा ऋण संवर्धन; वित्त वर्ष 2025-26 में कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गम रिकॉर्ड स्तर पर

निक्षेपागार रसीदें

प्रकार	जारी करने का स्थान	मूल्यवर्ग
ADR	अमेरिका (NYSE, NASDAQ); इंफोसिस 1999 में प्रथम भारतीय ADR	अमेरिकी डॉलर
GDR	लंदन एवं लक्ज़मबर्ग के एक्सचेंज	डॉलर / यूरो
IDR	भारत में, विदेशी कंपनी द्वारा जारी (स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2010)	रुपया

- भारतीय कंपनियों ने गिफ्ट-IFSC में प्रत्यक्ष सूचीकरण भी आरंभ किया है तथा कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2020 के अंतर्गत विदेशी एक्सचेंजों पर प्रत्यक्ष सूचीकरण की अनुमति दी गई है

अध्याय 22

SEBI, शेयर बाज़ार, कोष एवं विदेशी निवेश

SEBI

पहलू	विवरण
स्थापना	12 अप्रैल 1988 (कार्यकारी निकाय); SEBI अधिनियम 1992 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा (30 जनवरी 1992 का अध्यादेश)
मुख्यालय	मुंबई
अध्यक्ष	तुहिन कांत पांडे (1 मार्च 2025 से)
संरचना	अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के दो सदस्य, RBI का एक सदस्य, पाँच अन्य सदस्य
शक्तियाँ	अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक, अर्ध-कार्यकारी; अपील प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) में
भूमिका	निवेशकों की रक्षा, शेयर बाज़ारों, मध्यस्थों, म्यूचुअल फंडों एवं अधिग्रहणों का नियमन; अंदरूनी व्यापार पर प्रतिबंध

- SEBI के प्रमुख सुधार: T+1 निपटान (जनवरी 2023; फरवरी 2023 में पूर्ण परिवर्तन); मार्च 2024 में ऐच्छिक T+0; UPI आधारित IPO भुगतान; ASBA; SME एक्सचेंज; डीमैट अनिवार्य; म्यूचुअल फंड का आकार ₹10 लाख करोड़ से अधिक
- SEBI वास्तविक संपदा निवेश न्यास (REIT), अवसंरचना निवेश न्यास (InvIT), AIF, पोर्टफोलियो प्रबंधकों तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का भी नियामक है
- अंदरूनी व्यापार विनियम 1992 (2015 में संशोधित); अधिग्रहण संहिता 1997; सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (LODR) 2015
- SEBI निपटान योजना, निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष; SCORES शिकायत मंच (SEBI शिकायत निवारण प्रणाली) तथा ऑनलाइन विवाद समाधान हेतु 'SMART ODR'
- सूचकांक कोष एवं ETF; सेंसेक्स (BSE, 30 शेयर, आधार 1978-79=100, 1986), निफ्टी 50 (NSE, आधार 1995=1000, 1996)
- शेयर बाज़ार: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) एशिया का सबसे पुराना (1875); नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE, 1992, स्क्रीन-आधारित व्यापार 1994 से; मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा); मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज; गिफ्ट सिटी में इंडिया INX एवं NSE IX; NSE अनुबंध मात्रा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है
- निक्षेपागार: NSDL (1996, प्रथम) एवं CDSL (1999); क्लियरिंग निगम CCIL, NSCCL, ICCL
- शेयर बाज़ार विनियम: सर्किट ब्रेकर (सूचकांक आधारित 10%, 15%, 20%); ऊपरी/निचले सर्किट फ़िल्टर; शॉर्ट सेलिंग; STT; मार्जिन नियम; F&O पर अंकुश (नवंबर 2024 के परिवर्तन)

डेरिवेटिव एवं पण्य बाज़ार

- डेरिवेटिव: ऐसे अनुबंध जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति से व्युत्पन्न होता है; अग्रिम (फ़ॉरवर्ड), वायदा (फ्यूचर्स, एक्सचेंज पर मानकीकृत), विकल्प (कॉल एवं पुट), स्वेप
- बचाव (हेजिंग), सट्टा तथा मध्यस्थ-लाभ (आर्बिट्राज) तीन प्रकार के प्रतिभागी हैं
- वायदा बाज़ार आयोग पण्य वायदा का नियमन करता था (28 सितंबर 2015 को SEBI में विलय); पण्य एक्सचेंज: MCX, NCDEX, ICEX
- मुद्रा डेरिवेटिव: NSE एवं BSE; मुद्रा जोखिम से बचाव
- सूचकांक विकल्पों की मात्रा के कारण भारत अनुबंधों की संख्या में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाज़ार है

कोषों के प्रकार

कोष	अर्थ	नियामक
म्यूचुअल फंड	अनेक निवेशकों से धन एकत्र करता है; मुक्तांत (किसी भी समय) अथवा सीमितांत (NFO के दौरान); NAV आधारित मूल्य निर्धारण	SEBI

कोष	अर्थ	नियामक
ETF	सूचकांक का अनुसरण करता है तथा एक्सचेंज पर व्यापार होता है (निफ्टी BeES भारत में प्रथम, 2001)	SEBI
हेज फंड	उत्तोलन (लीवरेज) एवं शॉर्ट सेलिंग का प्रयोग करने वाला निजी कोष; श्रेणी III AIF	SEBI
AIF (वैकल्पिक निवेश कोष)	श्रेणी I (उद्यम पूँजी, सामाजिक उद्यम, अवसंरचना; UPSC 2025), श्रेणी II (निजी इक्विटी, ऋण कोष), श्रेणी III (हेज फंड; UPSC 2025)	SEBI
REIT / InvIT	छोटे निवेशकों को वास्तविक संपदा अथवा अवसंरचना की आय में भागीदारी देने वाली न्यास इकाइयाँ (UPSC 2023); एम्बेसी ऑफिस पार्क्स भारत का प्रथम REIT था (2019); इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	SEBI
संप्रभु संपदा कोष	अधिशेष भंडारों का निवेश करने वाला सरकारी कोष; सैटियागो सिद्धांत (24 स्वैच्छिक सिद्धांत, 2008); NIIF (राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष, 2015) भारत का अर्ध-संप्रभु कोष है	सरकार
ESG कोष	पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी कंपनियों में निवेश; शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRSR (व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्टिंग) अनिवार्य	SEBI
सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज	2022 में NSE पर गैर-लाभकारी संस्थाओं के धन जुटाने हेतु आरंभ	SEBI

- SIP (व्यवस्थित निवेश योजना): मासिक किस्तों के माध्यम से इक्विटी कोषों में खुदरा निवेश; 2025-26 में म्यूचुअल फंड की प्रबंधित परिसंपत्तियाँ एवं SIP प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे
- एंजेल कोष, उद्यम पूँजी कोष: स्टार्टअप हेतु कोषों का कोष (FFS, 2016, SIDBI के माध्यम से ₹10,000 करोड़ की निधि) तथा बजट 2025-26 में घोषित ₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप हेतु कोषों का कोष 2.0

विदेशी निवेश

आधार	FDI	FPI	FII
प्रकृति	स्थायी हित, नियंत्रण	निष्क्रिय; 10% से कम	FPI संस्थाओं का पूर्व नाम
लिखत	भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव	इक्विटी एवं ऋण
अस्थिरता	स्थिर	हॉट मनी, अस्थिर	वही
प्रवेश	कठिन	सरल	सरल
नियामक	FEMA के अंतर्गत DPIIT / RBI	SEBI एवं RBI	SEBI

- FDI मार्ग: स्वचालित (अनुमोदन आवश्यक नहीं) एवं सरकारी (DPIIT द्वारा संचालित विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन)
- प्रेस नोट 3 (2020): भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि) से निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन आवश्यक; 2025-26 में चीनी अल्पांश हिस्सेदारी के नियम सरल करने की चर्चा
- FDI सीमाएँ: रक्षा में स्वचालित मार्ग से 74% तक (अनुमोदन से 100%); बीमा में 100% तक (2025 का संशोधन); दूरसंचार 100% (आरंभ में स्वचालित 49%); एकल-ब्रांड खुदरा 100% स्वचालित; बहु-ब्रांड खुदरा 51% सरकारी मार्ग से; निजी बैंक 74%; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 20%; कोयला खनन, संविदा विनिर्माण एवं रेलवे में 100%; अंतरिक्ष क्षेत्र 2024 में उदार किया गया; परमाणु ऊर्जा में 2025 के शांति (SHANTI) कानून द्वारा शर्तों के अधीन निजी भागीदारी की अनुमति
- लिखत: इक्विटी शेयर, अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, वारंट (केवल पूर्णतः एवं अनिवार्यतः परिवर्तनीय लिखत FDI माने जाते हैं)
- विदेशी निवेश की श्रेणियाँ: FPI (SEBI में पंजीकृत), NRI निवेश (अप्रत्यावर्तनीय एवं प्रत्यावर्तनीय), FVCI, QFI

- FEMA नियमों के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
- भारत में निरंतर ग्रीनफील्ड FDI आ रहा है, किंतु 2025-26 में सकल अंतर्प्रवाह पर प्रत्यावर्तन का दबाव रहा; वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में शुद्ध FDI 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर
- प्रत्यक्ष कर: संधि-खरीदारी (ट्रीटी शॉपिंग) पर रोक हेतु मॉरीशस, सिंगापुर, साइप्रस के साथ DTAA में संशोधन (GAAR)



अध्याय 23

बीमा, पेंशन, फिनटेक एवं डिजिटल वित्त

बीमा

- IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण): IRDA अधिनियम 1999 के अंतर्गत वैधानिक निकाय; मुख्यालय हैदराबाद
- जीवन बीमा: LIC (1956 में राष्ट्रीयकृत; सबसे बड़ी बीमाकर्ता; IPO मई 2022); सामान्य बीमा: GIC Re (राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता), न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इश्योरेंस, ओरिएंटल इश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस
- बीमा प्रवेश अनुपात: GDP के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम; बीमा घनत्व: प्रति व्यक्ति प्रीमियम; वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का प्रवेश लगभग 3.7% (जीवन 2.8%, गैर-जीवन 1.0%), जो विश्व औसत लगभग 7% से कम है; घनत्व लगभग 92 अमेरिकी डॉलर
- बीमा (संशोधन) कानून 2025 (सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025): बीमा में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई (पहले 2000 में 26%, 2015 में 49%, 2021 में 74%) तथा समग्र लाइसेंसों के लिए पूँजी संबंधी अपेक्षाएँ सरल की गईं
- बीमा सुगम: IRDAI का बीमा हेतु इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, आरंभ की योजना; "2047 तक सबके लिए बीमा" की परिकल्पना
- सामाजिक सुरक्षा बीमा: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (₹436 प्रति वर्ष, ₹2 लाख का जीवन बीमा), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (₹20 प्रति वर्ष, ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा), आयुष्मान भारत PM-JAY (प्रति परिवार ₹5 लाख; अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक सभी के लिए विस्तारित), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा, 2016)
- जमा बीमा: DICGC (फरवरी 2020 से प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख)
- पुनर्बीमा, बैंकएश्योरेंस, सूक्ष्म बीमा, ULIP (यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएँ), टर्म योजनाएँ; 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST से छूट

पेंशन

- PFRDA (पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण): 2013 से वैधानिक (PFRDA अधिनियम); राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का नियमन करता है
- NPS: 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए आरंभ (नई पेंशन योजना ने पुरानी परिभाषित-लाभ पेंशन का स्थान लिया), 2009 में सभी नागरिकों के लिए खोली गई; अंशदान-आधारित, बाज़ार-संबद्ध; स्तर I (आहरण योग्य नहीं) एवं स्तर II (स्वैच्छिक)
- एकीकृत पेंशन योजना (UPS): विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी; 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60%, 10 वर्ष की सेवा पर न्यूनतम पेंशन ₹10,000
- अटल पेंशन योजना (APY, 2015): 18-40 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के लिए, 60 वर्ष की आयु पर ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह की गारंटीकृत पेंशन
- NPS वास्तव्य (2024): अवयस्कों के लिए पेंशन; कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): EPF, EPS-95, EDLI; EPFO 3.0 डिजिटल मंच (2025)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगता पेंशन
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की माँग: राजकोषीय निहितार्थ; कई राज्य OPS पर लौटे; भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन ने वापसी के विरुद्ध चेताया
- पेंशन सुधार: उपदान, उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत; नई श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 को लागू की गईं (मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता); गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का वित्तपोषण एग्रीगेटरों के अंशदान (कारोबार का 1-2%) से

वित्तीय समावेशन

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): 28 अगस्त 2014 को आरंभ; 55 करोड़ से अधिक खाते (2025); शून्य शेष खाते, दुर्घटना बीमा सहित RuPay डेबिट कार्ड, ₹10,000 तक ओवरड्राफ्ट
- वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index): RBI द्वारा 2021 में आरंभ (वार्षिक मान: 2021 में 53.9, 2022 में 56.4, 2023 में 60.1, 2024 में 64.2)
- मुद्रा ऋण (PMMY, 2015): शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख), तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख), तरुण प्लस (बजट 2024-25 के बाद ₹10 से ₹20 लाख)
- स्टैंड-अप इंडिया (2016), प्रधानमंत्री स्वनिधि (2020), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (CGTMSE), स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध कार्यक्रम (SBLP, 1992), डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI)
- वित्तीय साक्षरता: राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE), वित्तीय साक्षरता सप्ताह; RBI का वित्तीय समावेशन कोष, वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष

फिनटेक एवं डिजिटल वित्त

- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI): NPCI, अप्रैल 2016 में आरंभ; मात्रा की दृष्टि से तत्क्षण भुगतान में विश्व में अग्रणी; 2025 में UPI लेन-देन प्रतिमाह 20 अरब से अधिक; UPI लाइट, UPI 123PAY, UPI ऋण रेखा
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), BHIM, भारत बिल भुगतान प्रणाली, NACH, IMPS, NETC (फास्टैग)
- खाता एग्रीगेटर ढाँचा (RBI 2016, 2021 से सक्रिय), ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN), उज्ज्वल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): पहचान (आधार), भुगतान (UPI), डेटा सशक्तीकरण (DEPA)
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC): e₹ (डिजिटल रुपया) का पायलट 1 दिसंबर 2022 (खुदरा) तथा 1 नवंबर 2022 (थोक) से आरंभ; डिजिटल रूप में वैध मुद्रा
- क्रिप्टोकॉरेसी: कानूनी प्रतिबंध नहीं, किंतु लाभ पर 30% कर तथा 1% TDS (वित्त अधिनियम 2022); RBI ने चिंता व्यक्त की है; क्रिप्टोकॉरेसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक लंबित है
- भुगतान विनियमन: भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007; RBI भुगतान दृष्टि 2025; भुगतान एग्रीगेटर विनियमन; डिजिटल उधार दिशानिर्देश (2022 एवं 2025 के निर्देश); नियामकीय सैंडबॉक्स (2019)
- गिफ्ट सिटी (गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी, गांधीनगर): भारत का प्रथम IFSC, 2015 में स्थापित; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA, 2020) द्वारा विनियमित; इसमें इंडिया INX, NSE IX, बुलियन एक्सचेंज (इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज) तथा वैश्विक पूँजी जुटाना सम्मिलित हैं
- फिनटेक: डिजिटल उधार, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें (BNPL), नियोबैंक, डिजिटल वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क (ONDC, 2022)

अध्याय 24

औपनिवेशिक पृष्ठभूमि एवं आर्थिक नियोजन

औपनिवेशिक शासन में अर्थव्यवस्था

- औपनिवेशिक काल से पूर्व का भारत: आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था तथा विश्वप्रसिद्ध हस्तशिल्प (ढाका की मलमल, बंगाल के वस्त्र); कुछ अनुमानों (मैडिसन) के अनुसार 1700 में विश्व GDP का लगभग एक-चौथाई
- औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को कच्चे माल (कपास, जूट, नील) का आपूर्तिकर्ता तथा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाज़ार बना दिया; हस्तशिल्पों का अनौद्योगीकरण; कृषि का वाणिज्यीकरण
- कुल उत्पादन की वृद्धि वार्षिक 2% से कम; 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रति व्यक्ति वृद्धि लगभग 0.5%; 1947 में साक्षरता 16%, जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष
- धन का निष्कासन: दादाभाई नौरोजी का सिद्धांत (पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया), आर. सी. दत्त (इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया), होम चार्जेज
- भू-राजस्व व्यवस्थाएँ: स्थायी बंदोबस्त (कॉर्नवालिस, 1793, बंगाल, बिहार: ज़मींदार), रैयतवाड़ी (मुनरो एवं रीड, मद्रास एवं बंबई, प्रत्यक्ष), महालवाड़ी (गाँव, पंजाब, उत्तर-पश्चिमी प्रांत)
- व्यावसायिक संरचना: कृषि में कार्यबल का 70-75%, विनिर्माण में लगभग 10%, सेवाओं में 15-20%
- औपनिवेशिक नियंत्रण हेतु निर्मित अवसंरचना: रेलवे (पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853, बंबई से ठाणे), बंदरगाह, तार (1851), डाक एवं सड़कें ब्रिटिश व्यावसायिक हितों की पूर्ति करती थीं
- उद्योग: आधुनिक उद्योग केवल सूती वस्त्र (प्रथम मिल 1854, बंबई), जूट (1855, रिश्वा), इस्पात (TISCO, 1907, जमशेदपुर) तक सीमित; पूँजीगत वस्तु उद्योगों का अभाव
- विदेशी व्यापार: प्रतिफल-आयात के बिना निर्यात आधिक्य; भारत के आधिक्य से ब्रिटिश प्रशासन की लागत (होम चार्जेज) का वित्तपोषण होता था
- प्रथम जनगणना 1881; तब से नियमित दशकीय जनगणना; 2011 की जनगणना सबसे नवीनतम पूर्ण हुई जनगणना है (जनगणना 2027 का मकान सूचीकरण अप्रैल 2026 में आरंभ हुआ तथा गणना फरवरी 2027 में निर्धारित)

औपनिवेशिक भारत के आर्थिक विषय

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का अर्थ था भारत के हस्तशिल्पों का विनाश तथा विनिर्मित वस्तुओं के शुद्ध निर्यातक से आयातक बन जाना

आर्थिक चिंतक: नौरोजी (निष्कासन), रानाडे, गोखले, गांधी (ग्राम अर्थव्यवस्था एवं स्वदेशी), विश्वेश्वरैया (प्लॉड इकोनॉमी फ़ॉर इंडिया, 1934), एम. एन. रॉय (जन योजना)

बंबई योजना (1944): जे. आर. डी. टाटा एवं जी. डी. बिड़ला जैसे उद्योगपतियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास का खाका

आर्थिक प्रणालियाँ

प्रणाली	विशेषताएँ	उदाहरण
पूँजीवादी (बाज़ार)	निजी स्वामित्व, कीमत तंत्र, लाभ	अमेरिका
समाजवादी	राज्य का स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन	पूर्व सोवियत संघ, चीन (1950-78)
मिश्रित	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, राज्य का नियमन	भारत

- भारत का चयन: औद्योगिक नीति संकल्प 1948 एवं 1956 ("समाजवादी ढंग का समाज", आवड़ी अधिवेशन 1955); नियोजन की प्रबल मात्रा के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था; संविधान के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 38, 39)
- मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ: सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व; कल्याणकारी अभिव्यवस्था; नियोजित विकास

भारत में नियोजन

योजना	अवधि	केंद्रबिंदु	प्रमुख तथ्य
-------	------	-------------	-------------

योजना	अवधि	केंद्रबिंदु	प्रमुख तथ्य
प्रथम	1951-56	कृषि, सिंचाई, ऊर्जा	हैरोड-डोमर मॉडल; भाखड़ा, हीराकुड बाँध; सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)
द्वितीय	1956-61	भारी उद्योग	महालनोबिस मॉडल; भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र; औद्योगिक नीति संकल्प 1956
तृतीय	1961-66	आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग	1962 एवं 1965 के युद्धों के कारण विफल; गाडगिल रणनीति
योजना अवकाश	1966-69	वार्षिक योजनाएँ	हरित क्रांति का आरंभ; जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन
चतुर्थ	1969-74	स्थिरता सहित वृद्धि, आत्मनिर्भरता	बैंक राष्ट्रीयकरण (1969 में 14 बैंक), गरीबी हटाओ
पंचम	1974-78	गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम; जनता सरकार द्वारा समय से पूर्व समाप्त
सतत (रोलिंग) योजना	1978-80	वार्षिक योजनाएँ	गुन्नार मिर्डल की अवधारणा
षष्ठ	1980-85	गरीबी निवारण	IRDP, NREP, नाबार्ड की स्थापना (1982)
सप्तम	1985-90	उत्पादकता, रोज़गार, आधुनिकीकरण	भोजन, कार्य, उत्पादकता; जवाहर रोज़गार योजना
वार्षिक योजनाएँ	1990-92	राजनीतिक एवं BoP संकट	1991 में सुधारों का आरंभ
अष्टम	1992-97	मानव विकास	LPG सुधार; पी. वी. नरसिम्हा राव; वृद्धि लक्ष्य 5.6%, प्राप्त 6.8%
नवम	1997-2002	सामाजिक न्याय एवं समता सहित वृद्धि	लक्ष्य अप्राप्त
दशम	2002-07	दस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी, 8% वृद्धि	निगरानी योग्य लक्ष्य
एकादश	2007-12	तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि	8% वृद्धि प्राप्त; राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
द्वादश	2012-17	तीव्रतर, अधिक समावेशी एवं धारणीय वृद्धि	अंतिम योजना; वृद्धि लक्ष्य 8%; प्राप्त लगभग 7%

- योजना आयोग: 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा स्थापित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री; 1 जनवरी 2015 को समाप्त
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC): 6 अगस्त 1952; योजनाओं को अनुमोदित करती थी; योजना आयोग के साथ भंग; भूमिका नीति आयोग की शासी परिषद ने ग्रहण की
- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान): 1 जनवरी 2015; थिंक टैंक; अध्यक्ष प्रधानमंत्री; उपाध्यक्ष (2022 से सुमन बेरी); मुख्यमंत्रियों एवं उपराज्यपालों की शासी परिषद; CEO (2023 से बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम)
- नीति आयोग के सूचकांक: SDG भारत सूचकांक (SDG सूचकांक 2023-24, समग्र अंक 71, केरल शीर्ष पर), बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- मॉडल: हैरोड-डोमर (पूँजी-उत्पाद अनुपात), महालनोबिस (पूँजीगत वस्तुओं पर बल), लुइस द्वि-क्षेत्रक, रोज़ेनस्टाइन-रोडान का बृहत प्रयास (बिग पुश); नेहरू-महालनोबिस रणनीति
- नियोजन के प्रकार: सांकेतिक (बाज़ारोन्मुख, फ्रांसीसी मॉडल; 1991 के बाद भारत), आदेशात्मक (कमांड), सतत (रोलिंग), परिप्रेक्ष्य (15-20 वर्ष), विकेंद्रित (पंचायती राज; स्थानीय नियोजन हेतु 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन, 1992), गांधीवादी योजना (श्रीमन नारायण 1944), जन योजना, सर्वोदय योजना (जयप्रकाश नारायण, 1950)
- योजनाओं की वृद्धि दरें: हिंदू वृद्धि दर (1980 तक लगभग 3.5%; यह शब्द राज कृष्ण का), 1980 के दशक में वृद्धि बढ़कर 5.6%, 1991 के बाद 6-7%, 2003 से 2011 के मध्य लगभग 8%

भारत की विकास परिकल्पना

विकसित भारत 2047: स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर विकसित देश बनने का लक्ष्य, जिसके लिए लगभग 8% वार्षिक की सतत वृद्धि तथा उच्च-आय सीमा (लगभग 14,000 अमेरिकी डॉलर) पार करने हेतु बढ़ती प्रति व्यक्ति आय आवश्यक है

अमृत काल की अवधि: 2022-2047; पाँच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य आगे बढ़ चुका है: IMF के अनुसार 2025 में सांकेतिक GDP 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक

2017 के बाद नियोजन केंद्रीय बजट, वित्त आयोग, नीति आयोग के 15-वर्षीय परिकल्पना दस्तावेजों तथा तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा के माध्यम से किया जाता है; अब पंचवर्षीय योजनाएँ नहीं बनाई जातीं



अध्याय 25

भारतीय कृषि: संरचना, उत्पादन एवं प्रवृत्तियाँ

अवलोकन एवं अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: कार्यबल के लगभग 46% को रोजगार देता है (PLFS 2023-24) तथा चालू कीमतों पर GVA में लगभग 16-18% योगदान करता है; 1950-51 में 50% से अधिक की हिस्सेदारी घटी है, किंतु रोजगार उतनी तेजी से स्थानांतरित नहीं हुआ (प्रच्छन्न बेरोजगारी)
- जनगणना 2011: मुख्य श्रमिकों का 54.6% कृषि में; PLFS 2023-24 में कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी लगभग 46%
- कृषि वृद्धि: पाँच वर्षों में औसतन 4.18% वार्षिक; 2023-24 में घटकर 1.4% (एल नीनो, कमजोर मानसून); 2024-25 में सुदृढ़ सुधार (लगभग 4.6%)
- उप-क्षेत्र: फसलें, पशुधन, वानिकी एवं लट्ठा-कटाई, मत्स्यपालन; पशुधन कृषि GVA में 30% से अधिक तथा कुल GVA में 5.5% योगदान करता है
- भारत दूध, दलहन, मसालों एवं जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है; चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, फल, सब्जियाँ तथा पालित मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; चावल का सबसे बड़ा निर्यातक (वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 40%)

भू-जोत (कृषि गणना 2015-16)

संकेतक	मान
परिचालन जोतें	14.645 करोड़ (2010-11 की तुलना में 5.86% अधिक)
औसत आकार	1.08 हेक्टेयर (2010-11 में 1.15 हेक्टेयर)
लघु एवं सीमांत जोतें	86.08% (सीमांत 1 हेक्टेयर से कम: 68.5%; लघु 1-2 हेक्टेयर: 17.6%)
परिचालन जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी	13.96%

- अगली कृषि गणना (2021-22) जारी है; एग्रीस्टैक तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण किसानों की पहचान, भूमि अभिलेख एवं फसलों का मानचित्रण कर रहे हैं
- लघु कृषक बड़े खेत (SFLF): सामूहिक मॉडल, जिसमें सीमांत किसान कृषि कार्यों को समकालिक करते हैं (UPSC 2023)
- भूमि सुधार: मध्यवर्तियों (ज़मींदारी) का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की उच्चतम सीमा, चकबंदी, भूदान एवं ग्रामदान (विनोबा भावे, 1951); बटाईदारों के अधिकारों हेतु पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन बर्गा (1978); भूमि राज्य सूची का विषय है (सूची II की प्रविष्टि 18); नौवीं अनुसूची ने भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण दिया

फसल प्रतिरूप

शब्द	अर्थ	उदाहरण
फसल गहनता	एक ही भूमि पर प्रति वर्ष फसलों की संख्या = $\frac{\text{सकल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$	लगभग 155%
बहुफसलीकरण	एक वर्ष में क्रमवार एक से अधिक फसलें	चावल-गेहूँ-मक्का
अंतरफसलीकरण	दो या अधिक फसलें पृथक पंक्तियों में एक साथ उगाना	मक्का के साथ फलियाँ; गेहूँ के साथ सरसों
मिश्रित खेती	पंक्ति-प्रतिरूप के बिना मिले हुए बीज	गेहूँ + सरसों; कपास + मूँगफली
पट्टीदार खेती	फसलों की एकांतर पट्टियाँ	मक्का एवं सोयाबीन
कंट्रोल बंध	अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखाओं के साथ रोपण	ढलानों पर चाय, कॉफ़ी
फसल चक्रण	एक ही भूमि पर क्रमिक मौसमों में भिन्न फसलें	दलहन के बाद अनाज

- मौसम: खरीफ (जून-जुलाई में बुआई; अक्टूबर में कटाई; चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूँगफली, अरहर), रबी (अक्टूबर-नवंबर में बुआई; अप्रैल में कटाई; गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर), जायद (ग्रीष्म; मार्च-जून; तरबूज, खीरा, चारा)
- नकदी एवं बागान फसलें: गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, रबड़

- शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर; सकल फसल क्षेत्र लगभग 20 करोड़ हेक्टेयर; सकल फसल क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार 49.3% से बढ़कर 55% हुआ (वित्त वर्ष 2016 से 2021)

उत्पादन: तृतीय अग्रिम अनुमान 2025-26

फसल	2025-26 (मिलियन टन)	2024-25
खाद्यान्न	376.56 (रिकॉर्ड)	357.73
चावल	154.02	150.18
गेहूँ	120.66	117.95
मक्का	55.09 (रिकॉर्ड)	43.41
चना	12.51	11.11
अरहर	3.59	3.62
मसूर	1.76	--
तिलहन	43.06	--
मूँगफली	13.07 (रिकॉर्ड)	11.94
सोयाबीन	12.60	--
रेपसीड एवं सरसों	13.77 (रिकॉर्ड)	12.67
गन्ना	500.06 (रिकॉर्ड)	454.61
कपास	29.02 मिलियन गाँठें (170 किग्रा)	--
जूट	9.18 मिलियन गाँठें (180 किग्रा)	--
श्री अन्न (मोटे अनाज)	17.58	--
मोटे एवं पौष्टिक अनाज	74.47	--

- पूर्व के वर्ष: 2023-24 में खाद्यान्न 332.30 मिलियन टन; चावल 137.8 मिलियन टन, गेहूँ 113.3 मिलियन टन (2023-24 के द्वितीय अनुमान)
- बागवानी (2023-24 के अंतिम अनुमान): लगभग 353 मिलियन टन, जो खाद्यान्न से अधिक है; फल 112.7 मिलियन टन तथा सब्जियाँ 205.8 मिलियन टन (2022-23); भारत आम एवं केले के उत्पादन में अग्रणी है
- शीर्ष उत्पादक: चावल (पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश), गेहूँ (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब), गन्ना (उत्तर प्रदेश प्रथम), कपास (गुजरात, महाराष्ट्र), सरसों (राजस्थान), चाय (असम), कॉफी (कर्नाटक), जूट (पश्चिम बंगाल); उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, दूध एवं गेहूँ में प्रथम है
- चाय 138.2 करोड़ किग्रा; कॉफी 3.74 लाख टन; मसाले: भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक

कृषि क्रांतियाँ

हरित क्रांति (1966-67): उच्च उपज किस्म (HYV) के गेहूँ एवं चावल, उर्वरक, सिंचाई, नॉर्मन बोरलॉग एवं एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में; पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश; इससे चावल-गेहूँ का प्रभुत्व एवं क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हुई

श्वेत (ऑपरेशन फ्लड, 1970; वर्गीज़ क्रियन; NDDB, अमूल), पीत (तिलहन), नील (मत्स्य), स्वर्ण (बागवानी), गुलाबी (झींगा/प्याज), रजत (अंडे, कुक्कुट), लाल (टमाटर/माँस), सदाबहार (एम. एस. स्वामीनाथन)

द्वितीय हरित क्रांति: पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की योजना (BGREI), दलहन एवं पोषक अनाज मिशन; एम. एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न (2024)

संबद्ध क्षेत्रक

- पशुधन: कुल पशुधन जनसंख्या 53.58 करोड़ (20वीं पशुधन गणना 2019); गौवंश 19.25 करोड़; दुग्ध उत्पादन लगभग 23.9 करोड़ टन (2023-24), भारत विश्व का लगभग 25% दूध उत्पन्न करता है; प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन; अंडे लगभग 142 अरब; पशुधन GVA 2014-15 से 2022-23 में 12.99% CAGR से बढ़ा
- योजनाएँ: राष्ट्रीय गोकुल मिशन (देशी नस्लें), राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF, ₹15,000 करोड़), डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष, ऑपरेशन फ्लड

- मत्स्यपालन: भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है (वैश्विक उत्पादन का 7-8%); अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन समुद्री से अधिक; 2023-24 में मत्स्य उत्पादन लगभग 175 लाख टन (रिकॉर्ड); 2024-25 में समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर; PMMSY (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 2020); नीली क्रांति; मत्स्यपालन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF)
- कृषि निर्यात: लगभग 51-52 अरब अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024 में 48.8 अरब डॉलर); समुद्री उत्पाद, चावल (बासमती एवं गैर-बासमती), मसाले, चीनी, भैंस का माँस
- चीनी: भारत शीर्ष उत्पादकों में है; 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त; गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के अंतर्गत उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) द्वारा गन्ने की कीमत; उत्तर प्रदेश का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)
- बीज क्षेत्र: बीज अधिनियम 1966; राष्ट्रीय बीज निगम (1963); बीटी कपास वाणिज्यिक खेती हेतु स्वीकृत एकमात्र GM फसल (2002); GM सरसों (DMH-11) सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा में; मई 2025 में जीनोम-संपादित चावल किस्में जारी (DRR धान 100 कमला, पूसा DST राइस 1)
- प्राकृतिक संसाधन: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA), PMKSY के अंतर्गत प्रति बूँद अधिक फसल, परंपरागत कृषि विकास योजना

अध्याय 26

कृषि आगत: सिंचाई, उर्वरक, मृदा एवं जैविक खेती

सिंचाई

- शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% है; सतही (नहरें, तालाब) तथा भूजल (कुएँ, नलकूप) मुख्य स्रोत हैं; भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है (विश्व के कुल निष्कर्षण का लगभग 25%)
- प्रकार: वृहत (10,000 हेक्टेयर से अधिक CCA), मध्यम (2,000-10,000 हेक्टेयर), लघु (2,000 हेक्टेयर से कम); नलकूप एवं कुएँ सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत हैं
- सूक्ष्म सिंचाई: टपक (ड्रिप) एवं फव्वारा (स्प्रिंकलर); सूक्ष्म सिंचाई कोष (नाबार्ड के साथ ₹5,000 करोड़, 2018-19); प्रति बूँद अधिक फसल
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY, 2015-16): हर खेत को पानी (जल शक्ति मंत्रालय), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), जलविभाजक विकास (IWMP/नीरांचल), प्रति बूँद अधिक फसल
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में आरंभ; कमान क्षेत्र विकास (1974-75); दीर्घकालिक सिंचाई कोष (नाबार्ड); नीरांचल राष्ट्रीय जलविभाजक परियोजना (विश्व बैंक सहायता प्राप्त)
- NAPCC के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन: जल-उपयोग दक्षता में 20% सुधार
- जल शक्ति अभियान: कैच द रेन; अटल भूजल योजना (2019): विश्व बैंक की सहायता से सात राज्यों में भूजल प्रबंधन; जल जीवन मिशन (2019) नल से जल हेतु; JJM 2.0 तथा 2028 तक विस्तारित (देखें: ग्रामीण विकास अध्याय)
- नदी जोड़ो: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980); केन-बेतवा लिंक परियोजना (ढौढन बाँध, मध्य प्रदेश, दिसंबर 2021 में अनुमोदित, शिलान्यास दिसंबर 2024)
- जल क्रेडिट (वाटर.ऑर्ग): जल एवं स्वच्छता हेतु सूक्ष्म वित्त (UPSC 2021)

उर्वरक

- प्राथमिक पोषक तत्व: N, P, K; द्वितीयक: Ca, Mg, S; सूक्ष्म पोषक तत्व: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo
- NPK उपयोग अनुपात: 2021-22 में 7.7:3.1:1, जबकि आदर्श 4:2:1 है (1991-92 में 5.9:2.4:1); यूरिया की कम कीमत तथा P एवं K के नियंत्रण-मुक्त (1992) होने से असंतुलन
- भारत उर्वरक उत्पादन में तीसरे तथा उपभोग में दूसरे स्थान पर है; उर्वरक क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 द्वारा शासित है; उर्वरक विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)
- यूरिया: नियंत्रित कीमत; 45 किग्रा की प्रति बोरी ₹242 अधिकतम खुदरा मूल्य (2018 से, नीम-लेपन एवं करों को छोड़कर); यूरिया की लगभग 80% आवश्यकता का उत्पादन देश में होता है; DAP एवं MOP आयात पर निर्भर
- नीति इतिहास: प्रतिधारण मूल्य योजना (1977), नई मूल्य योजना (2003), पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS, 1 अप्रैल 2010; P एवं K उर्वरक, 28 ग्रेड; N, P, K, S पर प्रति किग्रा सब्सिडी), नई यूरिया नीति 2015 (ऊर्जा दक्षता एवं घरेलू उत्पादन), नीम-लेपित यूरिया (2015 से 100%; धीमी निर्मुक्ति, अन्यत्र उपयोग पर अंकुश), नैनो यूरिया (IFFCO, 2021), PM-प्रणाम (2023, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाना), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, एक राष्ट्र एक उर्वरक (भारत ब्रांड, 2022), जैविक खादों हेतु बाज़ार विकास सहायता
- अमोनिया (यूरिया का कच्चा माल) प्राकृतिक गैस से बनता है; फॉस्फोरिक अम्ल के लिए आवश्यक गंधक परिशोधनशाला के उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है (UPSC 2020)
- बजट 2026-27 में उर्वरक सब्सिडी: ₹1.71 लाख करोड़; खाद्य के बाद उर्वरक दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है
- प्रमुख कंपनियाँ: IFFCO, NFL, KRIBHCO, RCF; सहकारी IFFCO विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है
- उर्वरक-सिंचन (फर्टिगेशन): टपक सिंचाई के माध्यम से उर्वरक (UPSC 2020); उपज में 25-30% वृद्धि संभव
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में आरंभ): प्रत्येक दो वर्ष में कार्ड; 12 मापदंड (N, P, K, S, Zn, Fe, Cu, Mn, B, pH, EC, जैविक कार्बन) (UPSC 2017); परिशुद्ध कृषि हेतु एग्रीस्टैक से एकीकृत

जैविक एवं प्राकृतिक खेती

पहलू	जैविक खेती	शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)
आगत लागत	मध्यम से उच्च (जैविक खाद, कंपोस्ट)	लगभग शून्य (स्थानीय रूप से निर्मित आगत)
रसायन	कोई संश्लेषित रसायन नहीं	कोई संश्लेषित रसायन नहीं

पहलू	जैविक खेती	शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)
विधियाँ	कंपोस्ट, जैव उर्वरक, जुताई की अनुमति	जुताई नहीं, पलवार (आच्छादन), वाफसा; जीवामृत, बीजामृत
उद्भव	वैश्विक मानक (NPOP)	सूभाष पालेकर

- सिक्किम जनवरी 2016 में पूर्णतः जैविक होने वाला प्रथम राज्य बना (UPSC 2018)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY, 2015-16): पूर्वोत्तर के बाहर क्लस्टर आधारित जैविक खेती; पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER, 2015-16)
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) 2020-21: तीन वर्ष में ₹12,200 प्रति हेक्टेयर
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF): 25 नवंबर 2024 को दो वर्ष में 1 करोड़ किसानों हेतु ₹2,481 करोड़ के परिव्यय से अनुमोदित
- प्रमाणन: NPOP (जैविक उत्पादन का राष्ट्रीय कार्यक्रम; निर्यात एवं घरेलू) तथा PGS-India (केवल घरेलू); जनजातीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों के लिए वृहत क्षेत्र प्रमाणन
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन: ऑयल पाम (NMEO-OP 2021) एवं तिलहन (NMEO-तिलहन 2024-25 से 2030-31); दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, 2025-26 से 2030-31, ₹11,440 करोड़, बजट 2025-26 में घोषित)

अध्याय 27

कृषि वित्त, कीमतें, विपणन एवं खाद्य सुरक्षा

कृषि ऋण

- संस्थागत ऋण में हिस्सेदारी (UPSC 2011, 2020): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लगभग 76%, सहकारी संस्थाएँ लगभग 12%, RRB लगभग 12%; अल्पकालिक ऋण ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से
- नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक): शिवरामन समिति (1979) की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित; शीर्ष पुनर्वित्त अभिकरण; ARDC तथा RBI के पुनर्वित्त कार्य का विलय; RIDF (ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, 1995-96), दीर्घकालिक सिंचाई कोष, सूक्ष्म सिंचाई कोष, भंडारण अवसंरचना कोष, वित्तीय समावेशन कोष
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC, 1998 में आर. वी. गुप्ता समिति पर; 2018-19 में पशुपालन एवं मत्स्यपालन तक विस्तारित): फसलों हेतु अल्पकालिक ऋण (UPSC 2020); संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के अंतर्गत बजट 2025-26 में ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख; ब्याज 7%, समय पर चुकौती हेतु 3% प्रोत्साहन से प्रभावी दर 4%
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार (PSL): घरेलू वाणिज्यिक बैंकों हेतु समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% (RRB हेतु 75%; लघु वित्त बैंकों एवं शहरी सहकारी बैंकों हेतु 60%); कृषि उप-लक्ष्य 18%, लघु एवं सीमांत किसान 10%, दुर्बल वर्ग 12%
- सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (1989; अग्रणी बैंक योजना): प्रत्येक ग्रामीण शाखा को 15-25 गाँव सौंपे गए (UPSC 2012, 2019); अग्रणी बैंक योजना गाडगिल समिति (1969) पर आधारित
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF): ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना (2020-21 से 2029-30), ₹2 करोड़ तक के ऋणों पर 3% ब्याज अनुदान तथा CGTMSE ऋण गारंटी; भंडारगृहों, शीत शृंखलाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु उपयोग
- स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध कार्यक्रम (1992), संयुक्त देयता समूह; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1975, नरसिंमहम कार्य समूह; केंद्र 50%, राज्य 15%, प्रायोजक बैंक 35%) तथा सहकारी ऋण (सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904)
- सहकारिता मंत्रालय (6 जुलाई 2021 को गठित); PACS का कंप्यूटरीकरण; राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025; बहु-राज्य सहकारी संस्थाएँ, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना (₹1 लाख करोड़)
- ऋण माफ़ी: नैतिक संकट; कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना 2008 (₹60,000 करोड़)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं उपार्जन

- MSP: वह मूल्य जिस पर सरकार खरीदने को तत्पर है; 22 अधिदेशित फसलों (14 खरीफ, 6 रबी, 2 वाणिज्यिक) के लिए घोषित तथा गन्ने के लिए FRP; कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP, जनवरी 1965 में स्थापित; वैधानिक दर्जा लंबित; अध्यक्ष, सदस्य सचिव, दो सरकारी तथा दो गैर-सरकारी सदस्य) की अनुशंसा पर
- लागत की अवधारणाएँ: A2 (चुकाई गई लागत), A2+FL (पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य जोड़कर), C2 (व्यापक; आरोपित किराया एवं ब्याज सहित); बजट 2018-19 से MSP A2+FL का 1.5 गुना निर्धारित; स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004-06) ने C2 + 50% की सिफारिश की थी
- उपार्जन: भारतीय खाद्य निगम (FCI, FCI अधिनियम 1964 के अंतर्गत 1965 में स्थापित); NAFED (1958) मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं खोपरा का उपार्जन करता है; भारतीय कपास निगम; भारतीय जूट निगम; PM-आशा (अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, 2018): PSS, PDPS (मूल्य कमी भुगतान) एवं PSF (मूल्य स्थिरीकरण कोष)
- भावांतर भुगतान योजना (मध्य प्रदेश 2017); रैयत बंधु; कालिया; राज्यों द्वारा प्रति एकड़ आय सहायता
- विकेंद्रित उपार्जन योजना (1997): राज्य गेहूँ एवं चावल का उपार्जन, भंडारण तथा वितरण करते हैं; न्यूनतम बफर मानदंड

MSP आँकड़े (मंत्रिमंडल के निर्णय)

खरीफ विपणन मौसम 2026-27 (13 मई 2026 को अनुमोदित): धान (सामान्य) ₹2,441 प्रति क्विंटल, ₹2,369 से ₹72 अधिक 3% अधिक; ग्रेड A ₹2,461 रबी विपणन मौसम 2026-27 (अक्टूबर 2025 में अनुमोदित): गेहूँ ₹2,585 प्रति क्विंटल, ₹160 (6.59%) अधिक

रबी विपणन मौसम 2027-28 (30 सितंबर/1 अक्टूबर 2026 को अनुमोदित): गेहूँ ₹2,610, मात्र ₹25 (0.97%) अधिक, जो गेहूँ के विशाल भंडारों के कारण 17 वर्षों में सबसे कम वृद्धि है; कुसुम (सैफलावर) ₹675 (10.32%) बढ़कर ₹7,215

खरीफ MSP 2024-25 में धान (सामान्य) ₹2,300 था; 2025-26 में ₹2,369

गन्ने का FRP 2025-26 में ₹355 प्रति क्विंटल (रिक्वरी 10.25%)

कृषि विपणन

- APMC (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियाँ: राज्य APMC अधिनियम बाजारों का नियमन करते हैं; आदर्श APMC अधिनियम 2003, आदर्श कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम 2017
- 2020 के तीन कृषि कानून: कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम; विरोध के पश्चात कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 (29 नवंबर 2021 को पारित) द्वारा निरस्त
- e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार, 14 अप्रैल 2016): SFAC द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच; 1.7 करोड़ से अधिक किसान तथा 1,400 मंडियाँ एकीकृत; कृषि-बाजार आसूचना
- कृषक उत्पादक संगठन (FPO): 10,000 FPO योजना (2020); कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में SFAC (लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ, 1994); प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (खाद्य प्रसंस्करण)
- AGMARK (1937; कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं विपणन) अधिनियम 1937) गुणवत्ता प्रमाणित करता है; APEDA (1985; अनुसूचित वस्तुओं का निर्यात; वाणिज्य मंत्रालय)
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955: जमाखोरी रोकने हेतु भंडार सीमा; मूल्य स्थिरीकरण कोष (2014-15) दलहन एवं प्याज का बफर स्टॉक; ऑपरेशन ग्रीन्स (2018, TOP से TOTAL)
- संविदा खेती, भंडारण: भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA, 2010) तथा e-NWR; ग्रामीण कृषि बाजार (GrAM)
- कृषि निर्यात नीति: कृषि निर्यात नीति 2018 (2022 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य); राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED, 1958)

कृषक आय सहायता एवं योजनाएँ

योजना	प्रमुख विशेषताएँ
PM-KISAN (24 फरवरी 2019)	भूमिधारक परिवारों को तीन किस्तों में ₹6,000 वार्षिक; केंद्रीय क्षेत्र; बजट 2026-27 में ₹63,500 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY, 2016)	प्रीमियम: खरीफ खाद्यान्न एवं तिलहन के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%; 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक; 2025 में पुनर्गठित; स्वच्छ पादप कार्यक्रम, युवा
संशोधित ब्याज अनुदान योजना	₹5 लाख तक के KCC पर 7%
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY)	100 कम उत्पादकता वाले जिले; 2025-26 में 36 योजनाओं के अभिसरण के साथ आरंभ, ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन	2025-26 से 2030-31, ₹11,440 करोड़
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन	2024-25 से 2030-31, ₹10,103 करोड़
डिजिटल कृषि मिशन (2024)	किसान पंजीकरण, बोई गई फसल पंजीकरण तथा भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र सहित एग्रीस्टैक
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	राज्य स्तरीय कृषि विकास
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए ₹3,000 पेंशन, प्रवेश आयु 18-40
कृषोन्नति योजना	छत्र योजना (RKVY एवं कृषोन्नति योजना का PM-RKVY एवं KY के रूप में पुनर्गठन)

- बीमा का इतिहास: व्यक्तिगत दृष्टिकोण (1972), पायलट फसल बीमा योजना (1979), समग्र फसल बीमा योजना (1985), NAIS (1999-2000), WBCIS (2007), MNAIS (2010), राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (2013), PMFBY (2016) (UPSC 2016)
- राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा, कृषि हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; किसान ड्रोन (नमो ड्रोन दीदी, 2023: 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह)

खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013: ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी के 50% तक को आच्छादित करता है; प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किग्रा खाद्यान्न ₹3 (चावल), ₹2 (गेहूँ), ₹1 (मोटा अनाज) की दर पर; अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों को प्रति परिवार 35 किग्रा; लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थी
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY, अप्रैल 2020): निःशुल्क खाद्यान्न; NFSA का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक 5 वर्ष के लिए निःशुल्क (₹11.8 लाख करोड़ का अनुमान)

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC, 2019, मेरा राशन ऐप द्वारा राज्यों में सुवाह्यता)
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1997); सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1940 के दशक में हुई; उचित मूल्य की दुकानें लगभग 5.4 लाख; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग; भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न को गोदामों एवं साइलो में भंडारित करता है
- बफर स्टॉक: बफर मानदंडों से अधिक भंडारों के कारण सरकार ने खुला बाज़ार बिक्री योजना (OMSS) आरंभ की; 2026 में गोहूँ के विशाल भंडारों ने MSP वृद्धि को सीमित रखा
- खाद्य सस्मिडी 2026-27 BE ₹2,27,629 करोड़, जो सबसे बड़ी एकल सस्मिडी मद है
- मध्याह्न भोजन का स्थान PM-पोषण (2021) ने लिया; एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (1975); पोषण अभियान (2018)
- खाद्य प्रसंस्करण: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; PM किसान सम्पदा योजना; खाद्य प्रसंस्करण हेतु PLI योजना (₹10,900 करोड़); 2023 अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष; श्री अन्न; राष्ट्रीय मोटा अनाज मिशन
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025: भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर (अंक 25.8, "गंभीर")

कृषि की मुख्य सारणियाँ

फसल मौसम

मौसम	बूआई	कटाई	फसलें
खरीफ	जून-जुलाई (मानसून आरंभ)	सितंबर-अक्टूबर	चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना
रबी	अक्टूबर-दिसंबर	फरवरी-अप्रैल	गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, आलू
जायद	मार्च-जून	जून	तरबूज, खीरा, खरबूज़ा, चारा, सब्जियाँ, मूँग (ग्रीष्मकालीन)

अग्रणी राज्य

फसल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
चावल	पश्चिम बंगाल	उत्तर प्रदेश	पंजाब
गेहूँ	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	पंजाब
मक्का	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
दलहन	मध्य प्रदेश	राजस्थान	महाराष्ट्र
चना	मध्य प्रदेश	राजस्थान	महाराष्ट्र
तिलहन	राजस्थान	मध्य प्रदेश	गुजरात
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान
मूँगफली	गुजरात	राजस्थान	तमिलनाडु
सरसों	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
कपास	गुजरात	महाराष्ट्र	तेलंगाना
गन्ना	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र	कर्नाटक
जूट	पश्चिम बंगाल	बिहार	असम
चाय	असम	पश्चिम बंगाल	तमिलनाडु
कॉफ़ी	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु
रबड़	केरल	तमिलनाडु	कर्नाटक
केला	तमिलनाडु / महाराष्ट्र / गुजरात	आंध्र प्रदेश	-
आलू	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	बिहार
आम	उत्तर प्रदेश	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
द्रुध	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	मध्य प्रदेश

फसल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
मछली (कल)	आंध्र प्रदेश	पश्चिम बंगाल	गुजरात
अंडे	आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु	तेलंगाना

- भारत दूध, दलहन, जूट, मसालों, केले, आम, पपीते में **प्रथम**; चावल, गेहूँ, गन्ना, फल, सब्जियाँ, कपास, मछली (एवं जलकृषि) में **द्वितीय**; गौवंश/भैंस की संख्या सर्वाधिक।
- उत्तर प्रदेश अग्रणी** है खाद्यान्न, गेहूँ, गन्ना, आलू, दूध, आम में तथा चावल में (द्वितीय)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश: गन्ना पट्टी; तराई: धान; बुंदेलखंड: दलहन एवं तिलहन।

मृदा एवं सिंचाई

मृदा	विशेषताएँ	क्षेत्र
जलोढ़	सर्वाधिक उपजाऊ, लगभग 40% भूमि; खादर नवीन, भांगर प्राचीन	सिंधु-गंगा का मैदान
काली (रेगुर)	कपास की मृदा, नमी धारण करने वाली, स्वतः जूताई करने वाली	दक्कन का लावा क्षेत्र
लाल एवं पीली	लौह ऑक्साइड; नाइट्रोजन एवं ह्यूमस में निर्धन	दक्षिणी एवं पूर्वी पठार
लैटेराइट	निक्षालित; अम्लीय; काजू, चाय, कॉफ़ी के लिए उपयुक्त	पश्चिमी घाट, ओडिशा
शुष्क	रेतीली, लवणीय, कम ह्यूमस	राजस्थान
वन एवं पर्वतीय	ह्यूमस-समृद्ध; अम्लीय	हिमालय

- शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर; सकल फसल क्षेत्र लगभग 20 करोड़ हेक्टेयर; फसल गहनता लगभग 155%; शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 55%।
- सिंचाई के स्रोत: नलकूप एवं कुएँ (सबसे बड़ा, लगभग 60%), नहरें, तालाब; **PMKSY** (2015-16) AIBP, हर खेत को पानी, जलविभाजक को एकीकृत करती है; **सूक्ष्म सिंचाई** कोष (नाबार्ड, ₹5,000 करोड़)।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड** (2015) प्रत्येक 2 वर्ष में; **परंपरागत कृषि विकास योजना** (जैविक); **नीम-लेपित यूरिया**; **नैनो यूरिया**; **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2024)**।

पशुधन, डेयरी, मत्स्यपालन

मद	तथ्य
पशुधन गणना	20वीं (2019): 53.58 करोड़; 21वीं गणना (2024-25) जारी/प्रकाशित
दुग्ध उत्पादन	लगभग 24 करोड़ टन (2023-24 में लगभग 239 मिलियन टन); प्रति व्यक्ति लगभग 471 ग्राम/दिन
ऑपरेशन फ्लड	1970 में NDDB (वर्गीज कुरियन) द्वारा, श्वेत क्रांति; अमूल (आणंद, गुजरात)
मत्स्य उत्पादन	लगभग 195 लाख टन; नीली क्रांति; PMMSY (2020, ₹20,050 करोड़); समुद्री निर्यात रिकॉर्ड
कुक्कुट	अंडा उत्पादन लगभग 140+ अरब; ब्रॉयलर वृद्धि
पशुधन बीमा	राष्ट्रीय पशुधन मिशन; पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (₹15,000 करोड़)
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	देशी नस्लों का संरक्षण
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	रोग नियंत्रण (FMD टीकाकरण)

कृषि क्रांतियाँ

क्रांति	उत्पाद	अग्रणी
हरित	खाद्यान्न	एम. एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग (HYV बीज, 1966-67)
श्वेत	द्रव्य	वर्गीज कुरियन

क्रांति	उत्पाद	अग्रणी
नीली	मछली	-
पीली	तिलहन	-
स्वर्ण	बागवानी / शहद	-
रजत	अंडे/कृकट	-
गुलाबी	प्याज / झींगा	-
लाल	माँस / टमाटर	-
धूसर	उर्वरक	-
गोल	आलू	-
सदाबहार	समग्र धारणीय	एम. एस. स्वामीनाथन

- **भारत रत्न 2024:** एम. एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पी. वी. नरसिम्हा राव (आर्थिक सुधारों हेतु) - प्रायः पूछा जाता है।

बाज़ार एवं मूल्य समर्थन

- **MSP** की घोषणा CACP की अनुशंसा पर CCEA करती है (CACP एक गैर-वैधानिक निकाय है); 22 अधिदेशित फसलें + गन्ने का FRPI C2 लागत बनाम A2+FL: MSP, A2+FL लागत का कम से कम 1.5 गुना (बजट 2018-19)।
- **APMC / e-NAM** (2016): ऑनलाइन व्यापार मंच; लगभग 1,400 मंडियाँ; **आदर्श APMC अधिनियम 2003; 2020 के कृषि कानून नवंबर 2021 में निरस्त।**
- **PM-KISAN:** 3 किस्तों में ₹6,000 प्रतिवर्ष (फरवरी 2019); **PMFBY:** फसल बीमा 2016 - प्रीमियम खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%।
- **KCC:** ₹3 लाख तक के ऋणों पर 3% ब्याज अनुदान (बजट 2025 में सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख); **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना** (2025) 100 कम उत्पादकता वाले जिलों हेतु।
- **दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन** (2025-31) तथा **कपास उत्पादकता मिशन।**
- **भंडारण:** WDRA e-NWR; भारतीय खाद्य निगम (1965); केंद्रीय भंडारण निगम; सहकारी अन्न भंडारण योजना (विश्व की सबसे बड़ी)।

अध्याय 28

उद्योग: नीतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र एवं MSME

औद्योगिक नीति के प्रमुख पड़ाव

नीति	वर्ष	प्रमुख विशेषताएँ
औद्योगिक नीति संकल्प	1948	मिश्रित अर्थव्यवस्था; चार श्रेणियाँ; परमाणु ऊर्जा, शस्त्र एवं रेलवे पर राज्य का एकाधिकार
उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम	1951	उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार हेतु लाइसेंस प्रणाली
औद्योगिक नीति संकल्प	1956	"आर्थिक संविधान"; अनुसूची A (17 उद्योग केवल राज्य के), अनुसूची B (12 मिश्रित), अनुसूची C (निजी); महालनोबिस रणनीति पर आधारित
एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम	1969	संकेंद्रण पर अंकुश; प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)	1973	विदेशी मुद्रा एवं विदेशी फर्मों पर कठोर नियंत्रण; FEMA 1999 द्वारा प्रतिस्थापित
औद्योगिक नीति	1977	जनता सरकार; लघु एवं कृटीर उद्योगों पर बल, जिला उद्योग केंद्र
औद्योगिक नीति	1980	प्रतिस्पर्धा का संवर्धन, आधुनिकीकरण
नई औद्योगिक नीति	24 जुलाई 1991	18 (अब कुछ) उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस समाप्त, सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग 17 से घटाकर 8 (अब 2), MRTP सीमाएँ हटाई गईं, 34 उच्च-प्राथमिकता उद्योगों में 51% तक FDI की स्वचालित स्वीकृति
औद्योगिक नीति 2022 (प्रारूप) / राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन	2025-26	विनिर्माण हेतु मेक इन इंडिया; लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग

- आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (1951-91): नवजात उद्योगों की रक्षा हेतु प्रशुल्क एवं कोटा; GDP में उद्योग की हिस्सेदारी 13% (1950-51) से बढ़कर 24.6% (1990-91); आलोचनाएँ: लाइसेंस-परमिट राज, सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता, निम्न गुणवत्ता
- कर्बे समिति (1955) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर; खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC, 1956; वैधानिक 1957)
- वे उद्योग जिनमें अब भी अनिवार्य लाइसेंस आवश्यक है: मादक पेय, तंबाकू उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वायुयान एवं रक्षा, खतरनाक रसायन, विस्फोटक (UPSC शैली)
- सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित (1991 के पश्चात): परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे संचालन; बाद की छूटों के पश्चात सूची परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे तक सीमित, तथा CPSE निजीकरण की रणनीतिक क्षेत्र नीति (2021) में चार रणनीतिक क्षेत्र सूचीबद्ध (परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा; परिवहन एवं दूरसंचार; विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला एवं खनिज; बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएँ)
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI, 2009) प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों, प्रभुत्व के दुरुपयोग एवं संयोजनों का नियमन करता है; राघवन समिति (2000)
- कंपनी अधिनियम 2013: कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया; धारा 135 के अंतर्गत CSR दायित्व (₹500 करोड़ निवल मूल्य, ₹1,000 करोड़ कारोबार अथवा ₹5 करोड़ लाभ वाली कंपनियों के औसत निवल लाभ का 2%)
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 (देखें: बैंकिंग अध्याय), SARFAESI 2002, मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन

विनिर्माण निष्पादन

- GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी लगभग 17% (मेक इन इंडिया के अंतर्गत 2030 तक 25% का लक्ष्य); आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि 4.26%; दशक में औसत वृद्धि 5.2%; वैश्विक विनिर्माण में भारत का हिस्सा 2.8%

- वित्त वर्ष 2015 से 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन 17.5% CAGR से बढ़ा; मोबाइल फ़ोन विनिर्माण ने भारत को आयातक से निर्यातक बना दिया; स्मार्टफ़ोन शीर्ष निर्यात मदों में हैं
- विनिर्माण अंतर-उद्योग आगतों का लगभग आधा आपूर्त करता है; उत्पादन का 47.5% आगत के रूप में प्रयुक्त होता है
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उद्योग की वृद्धि 6-7% के निकट है; नवीनतम हेतु देखें: आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय; अक्टूबर 2026 के आँकड़े: समसामयिक घटनाक्रम अध्याय
- PMI (क्रय प्रबंधक सूचकांक): S&P ग्लोबल द्वारा प्रकाशित (HSBC इंडिया PMI); 50 से ऊपर का सूचकांक विस्तार तथा 50 से नीचे संकुचन दर्शाता है; लगभग 400-500 फर्मों का सर्वेक्षण; उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापता; समग्र PMI में विनिर्माण के साथ सेवाएँ सम्मिलित
- IIP (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक): NSO (सांख्यिकी मंत्रालय) द्वारा मासिक, छह सप्ताह के अंतराल से प्रकाशित; पुराने 2011-12 आधार के भार (अप्रैल 2026 से नया 2022-23 आधार): विनिर्माण 77.63%, खनन 14.37%, विद्युत 7.99%; निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रमों को आच्छादित करता है; 8 कोर उद्योगों का IIP में भार 40.27%: परिशोधनशाला उत्पाद (28.04%), विद्युत (19.85%), इस्पात (17.92%), कोयला (10.33%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस (6.88%), सीमेंट (5.37%), उर्वरक (2.63%)
- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI): ऐसे कारखाने जिनमें शक्ति सहित 10 या अधिक अथवा शक्ति रहित 20 या अधिक श्रमिक हों; संगठित विनिर्माण को आच्छादित करता है
- आठ कोर उद्योगों का सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT द्वारा परिकलित; आधार वर्ष 2011-12

विनिर्माण पर नीतिगत पहलें

मेक इन इंडिया (25 सितंबर 2014): 25 क्षेत्रक, GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य; इन्वेस्ट इंडिया (राष्ट्रीय निवेश संवर्धन अभिकरण); स्टार्ट-अप इंडिया (16 जनवरी 2016) कोषों के कोष सहित; लोकल के लिए वोकल; आत्मनिर्भर भारत (मई 2020 का ₹20 लाख करोड़ का पैकेज) बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा (स्वच्छ-प्रौद्योगिकी विनिर्माण, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग) ODOP (एक जिला एक उत्पाद, 2018; उत्तर प्रदेश अग्रणी) प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देता है; बजट 2025-26 में निर्यात एवं ऋण सहायता; गति शक्ति भवन विनियमों की पुनर्कल्पना (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24): अग्नि, पार्किंग एवं फ़्लोर एरिया रेशियो (FAR) नियम भूमि का अपव्यय करते हैं (FAR सीमा 1.3, जबकि सिंगापुर एवं हाँगकाँग में 15 तक) चीन प्लस वन रणनीति (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24): भारत को चीनी आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत होने तथा चीन से FDI पर निर्भर रहने के बीच चयन करना होगा; आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भू-आर्थिक विखंडन तथा भारत को "सेतु शक्ति" के रूप में रेखांकित करता है

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)

- मार्च 2020 में मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु आरंभ; नवंबर 2020 में लगभग ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रकों तक विस्तारित: मोबाइल फ़ोन, औषधियाँ, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार, मोटर वाहन एवं वाहन घटक, श्वेत वस्तुएँ, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, विशिष्ट इस्पात, सौर PV मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियाँ, ड्रोन, IT हार्डवेयर तथा उच्च-दक्षता सौर मॉड्यूल
- आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील बिक्री पर 4-6% प्रोत्साहन; वृद्धिशील निवेश एवं बिक्री से संबद्ध; संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित; साधारण सब्सिडी से भिन्न
- अर्धचालक: भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM, दिसंबर 2021, ₹76,000 करोड़); 2025-26 में माइक्रॉन की साणंद ATMP इकाई तथा टाटा की धोलेरा फ़ैब से भारत में निर्मित प्रथम चिप सामने आई; सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- बजट 2026-27 में ISM 2.0 तथा इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS, अप्रैल 2025, ₹22,919 करोड़) की घोषणा
- वस्त्र: PM मित्र पार्क (7 पार्क), मानव-निर्मित रेशे (MMF) एवं तकनीकी वस्त्रों हेतु PLI
- रक्षा विनिर्माण: FDI 74% स्वचालित; उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में रक्षा गलियारे; 2024-25 में निर्यात ₹23,000 करोड़ से अधिक; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

- CPSE: जिसमें सरकार का स्वामित्व 51% या अधिक हो; सार्वजनिक उद्यम विभाग (जुलाई 2021 से वित्त मंत्रालय के अधीन)

श्रेणी	मानदंड	स्वायत्तता
मिनीरत्न I	लगातार तीन वर्ष लाभ; एक वर्ष में निवल लाभ $\geq$ ₹30 करोड़	₹500 करोड़ अथवा निवल मूल्य तक निवेश
मिनीरत्न II	तीन वर्ष लाभ; धनात्मक निवल मूल्य	₹300 करोड़ अथवा निवल मूल्य के 50% तक
नवरत्न	मिनीरत्न I का दर्जा, पाँच में से तीन वर्ष MoU की उत्कृष्ट अथवा अति उत्तम रेटिंग तथा 60 या अधिक का समग्र अंक	₹1,000 करोड़ तक निवेश; बिना अनुमोदन संयुक्त उद्यम गठन

श्रेणी	मानदंड	स्वायत्तता
महारत्न	नवरत्न, जिसका निवल मूल्य > ₹15,000 करोड़, औसत कारोबार > ₹25,000 करोड़, तीन वर्ष निवल लाभ > ₹5,000 करोड़, सूचीबद्ध, वैश्विक उपस्थिति	₹5,000 करोड़ तक निवेश

- उदाहरण: महारत्न: कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, ONGC, NTPC, SAIL, BHEL, GAIL, पावर ग्रिड, HAL, BPCL; नवरत्न: BEL, MTNL, NMDC, कंटेनर कॉर्पोरेशन तथा अन्य; नवरत्न एवं महारत्न की संख्या समय-समय पर संशोधित
- लाभ अर्जित करने वाले CPSE की संख्या 178 (वित्त वर्ष 2019) से बढ़कर 193 (वित्त वर्ष 2023) हुई; हानि वाले 70 से घटकर 57
- विनिवेश: रणनीतिक बिक्री (एयर इंडिया अक्टूबर 2021 में ₹18,000 करोड़ में टाटा संस को बेची गई), बिक्री हेतु प्रस्ताव, IPO (LIC मई 2022); घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण; राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (NMP, अगस्त 2021, 2022-25 में ₹6 लाख करोड़; NMP 2.0, 2025 में 2025-30 हेतु ₹10 लाख करोड़ के लिए आरंभ)
- परिसंपत्ति पुनर्चक्रण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन (12 बैंक), हवाई अड्डा निजीकरण, बजट 2026-27 में विनिवेश लक्ष्य

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

श्रेणी	निवेश (1 अप्रैल 2025 से संशोधित)	कारोबार (संशोधित)
सूक्ष्म	₹2.5 करोड़ तक (पहले ₹1 करोड़)	₹10 करोड़ तक (पहले ₹5 करोड़)
लघु	₹25 करोड़ तक (पहले ₹10 करोड़)	₹100 करोड़ तक (पहले ₹50 करोड़)
मध्यम	₹125 करोड़ तक (पहले ₹50 करोड़)	₹500 करोड़ तक (पहले ₹250 करोड़)

- MSMED अधिनियम 2006: पूर्व के संयंत्र में निवेश के मानदंड का स्थान लिया; 2020 में विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों को एकीकृत किया गया; बजट 2025-26 में संशोधित सीमाएँ घोषित
- योगदान: GVA का लगभग 30% (2022-23 में 30.1%), विनिर्माण उत्पादन का 35.4%, निर्यात का 45.7% (2023-24); रोज़गार 28 करोड़ से अधिक (उद्यम आँकड़े)
- उद्यम पंजीकरण (1 जुलाई 2020): निःशुल्क, ऑनलाइन, स्व-घोषणा; 2025-26 तक उद्यम पर 6 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत, जिनमें उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम सम्मिलित (जुलाई 2024 तक 4.69 करोड़)
- ऋण: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (CGTMSE) 85% गारंटी कवरेज के साथ ₹5 करोड़ तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋणों को आच्छादित करता है; बजट 2025-26 में ऋण गारंटी कवर में वृद्धि (MSE हेतु ₹10 करोड़ तथा स्टार्टअप हेतु ₹20 करोड़); सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख का क्रेडिट कार्ड; मुद्रा एवं स्टैंड-अप इंडिया; PM विश्वकर्मा (₹13,000 करोड़, 2023)
- PMEGP (प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, 2008): 15 से 35% मार्जिन मनी सब्सिडी; KVIC के माध्यम से कार्यान्वित; वित्त वर्ष 2023 में 85,167 तथा 2024 में 89,118 सूक्ष्म इकाइयों को सहायता
- पोर्टल: समाधान (विलंबित भुगतान), संबंध (उपार्जन), चैंपियंस; TReDS (व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली); कोषों का कोष; SIDBI (1990; IDBI की सहायक के रूप में स्थापित; MSME की प्रमुख वित्तीय संस्था; ऋणों हेतु ऋण गारंटी)
- विलंबित भुगतान: आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) के अनुसार MSE को भुगतान 45 दिन के भीतर करना आवश्यक
- चुनौतियाँ: ऋण, प्रौद्योगिकी, बाज़ार, कुशल श्रम तक पहुँच, औपचारिकीकरण; क्लस्टर विकास, SFURTI (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोष की योजना), MSE-CDP
- कॉयर बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC, 1955)

अध्याय 29

अवसंरचना: परिवहन, ऊर्जा, शहरी एवं डिजिटल

अवसंरचना की अवधारणा एवं वित्तपोषण

- अवसंरचना: सार्वजनिक सुविधाएँ (विद्युत, गैस, दूरसंचार, जल), सार्वजनिक निर्माण (बाँध, नहरें, सड़कें) तथा परिवहन (रेलवे, बंदरगाह, वायुमार्ग) उपलब्ध कराने वाली दीर्घजीवी अभियांत्रिकी संरचनाएँ; अप्रतिद्वंद्वी एवं बाह्यताओं से युक्त
- अवसंरचना वित्तपोषण: वित्त वर्ष 2021 से 2024 के बीच केंद्र का पूँजीगत व्यय 2.2 गुना तथा राज्यों का 2.1 गुना बढ़ा; केंद्रीय बजट 2026-27 में पूँजीगत व्यय ₹12.22 लाख करोड़; प्रभावी पूँजीगत व्यय में पूँजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान सम्मिलित
- गैर-सरकारी वित्तपोषण: बैंक ऋण, ECB (वित्त वर्ष 2024 में 9.05 अरब अमेरिकी डॉलर), पूँजी बाज़ार से संग्रहण, 2019 से 2024 के बीच जुटाए गए REIT (₹18,840 करोड़) एवं InvIT (₹1.11 लाख करोड़)
- PPP तंत्र: PPP मूल्यांकन समिति (PPPAC), व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF; केंद्र से परियोजना लागत का 1/5), भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (IIPDF, 2022); राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक (NaBFID, 2021)
- अवसंरचना ऋण कोष, संप्रभु संपदा कोष NIIIF, अवसंरचना निवेश न्यास, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (निर्माण के दौरान 40%; शेष 60% वर्षों में), BOT टोल, EPC
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP, दिसंबर 2019): 2019-25 के लिए ₹111 लाख करोड़ (मूलतः ₹102 लाख करोड़; अतनु चक्रवर्ती समिति); केंद्र, राज्यों एवं निजी क्षेत्र में 39:40:21 की हिस्सेदारी
- राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन: NMP 1.0 (अगस्त 2021) का लक्ष्य 2021-25 में ₹6 लाख करोड़; NMP 2.0 (2025) का लक्ष्य 2025-30 में ₹10 लाख करोड़
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (13 अक्टूबर 2021): बहुविध संपर्क हेतु 44 केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों को एकीकृत करने वाला GIS आधारित मंच; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (17 सितंबर 2022): लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर एकल अंक में लाना; एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस मंच (ULIP)
- लॉजिस्टिक्स: विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक सुधरकर 38वीं (2018 में 44वीं; अंतरराष्ट्रीय खेपों में 22वीं); राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में 11 गलियारे एवं 32 परियोजनाएँ

औद्योगिक गलियारे

दिल्ली-मुंबई (DMIC, जापान), चेन्नई-बेंगलुरु (CBIC), बेंगलुरु-मुंबई (BMIC), अमृतसर-कोलकाता (AKIC) तथा पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ECEC, ADB); ECEC के अंतर्गत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा समर्पित माल गलियारे: पूर्वी (लुधियाना से सोननगर से दनकुनी; विश्व बैंक) तथा पश्चिमी (दादरी से JNPT; JICA)

परिवहन

माध्यम	तथ्य
सड़कें	विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल (लगभग 63 लाख किमी); राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1.46 लाख किमी; भारतमाला परियोजना (2017); भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI, 1988); ग्रामीण संपर्क हेतु PMGSY (2000); सड़कों पर पूँजीगत व्यय GDP के 0.4% (वित्त वर्ष 2015) से बढ़कर 1% (वित्त वर्ष 2024); फास्टैग, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह एवं GNSS टोलिंग
रेलवे	सबसे बड़े जालों में से एक (लगभग 68,000 मार्ग किमी); ब्रॉड गेज विद्युतीकरण 96% से अधिक; ₹2.62 लाख करोड़ का पूँजीगत परिव्यय (वित्त वर्ष 2024); वंदे भारत, अमृत भारत स्टेशन, कवच, जापानी सहायता से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR, 508 किमी); समर्पित माल गलियारे; रेल बजट का 2017 में विलय
बंदरगाह	12 प्रमुख बंदरगाह (13वाँ, वड़वन, 2024 में अनुमोदित); बंदरगाह-आधारित विकास हेतु सागरमाला (2015); विशिंजम गहरे जल का पारगमन बंदरगाह (केरल, 2025 में चालू); वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख बंदरगाहों ने 915.17 मिलियन टन माल संभाला; दीनदयाल बंदरगाह सबसे बड़ा (160.11 मिलियन टन)
अंतर्देशीय जलमार्ग	IWAI (1986); राष्ट्रीय जलमार्ग-1 गंगा (हल्दिया से प्रयागराज), NW-2 ब्रह्मपुत्र (सादिया से धुबरी), NW-3 पश्चिमी तट नहर (केरल), NW-4 (काकीनाडा से पुद्दुच्चेरी)

माध्यम	तथ्य
विमानन	सबसे तेज़ी से बढ़ता बाज़ार; उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक, 2016); उड़ान के अंतर्गत 100 से अधिक हवाई अड्डे संचालित; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; भारत शीर्ष तीन घरेलू विमानन बाज़ारों में
शहरी परिवहन	मेट्रो रेल: 27 शहरों में 945 किमी संचालित (वित्त वर्ष 2024) तथा 939 किमी निर्माणाधीन; नमो भारत RRTS (दिल्ली-मेरठ) 2023-25 में आरंभ

- स्मार्ट सिटी मिशन (जून 2015; 100 शहर; 2025 में समाप्त), AMRUT 2.0 (अक्टूबर 2021; सार्वभौमिक जल एवं सीवरेज), PMAY-शहरी 2.0 (2024; 1 करोड़ आवास), स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, शहरी चुनौती कोष (₹1 लाख करोड़, बजट 2025-26)
- सबके लिए आवास: PMAY-ग्रामीण (2016; 2024-29 में 2 करोड़ और आवास अनुमोदित)

ऊर्जा एवं विद्युत

- भारत विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है; 2025-26 में स्थापित क्षमता 480 GW से अधिक (तापीय लगभग 240 GW, सौर 110 GW से अधिक, पवन 51 GW, जल 48 GW, नाभिकीय 8.8 GW)
- भारत ने जून 2025 में 50% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली, जो 2030 के NDC लक्ष्य से पाँच वर्ष पूर्व है; पंचामृत: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता तथा 2070 तक शुद्ध शून्य
- एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड: एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति; अंतर-क्षेत्रीय अंतरण क्षमता लगभग 1.18 लाख MW; हरित ऊर्जा गलियारा; एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (ISA)
- विद्युत अधिनियम 2003 (विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तावित); विद्युत क्षेत्र सुधार: उदय (2015), सौभाग्य (2.86 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण), DDUGJY, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS, वित्त वर्ष 2022-26 हेतु ₹3.04 लाख करोड़ का परिव्यय)
- नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएँ: राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM 2010), PM-KUSUM (2019; पंपों का सौरीकरण), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (फरवरी 2024; 1 करोड़ परिवार; 300 यूनिट निःशुल्क; ₹75,021 करोड़), सौर पार्क योजना, उच्च-दक्षता सौर मॉड्यूल हेतु PLI (₹24,000 करोड़), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (जनवरी 2023; ₹19,744 करोड़; 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन), जैव ईंधन नीति (2025 में E20 प्राप्त; E27 की योजना), SAMARTH (बायोमास सह-दहन), उजाला (LED बल्ब)
- नाभिकीय: क्षमता 8.8 GW; 2047 तक 100 GW का लक्ष्य; भारत के रूपांतरण हेतु नाभिकीय ऊर्जा का धारणीय उपयोग एवं संवर्धन (शांति/SHANTI) अधिनियम 2025 निजी भागीदारी की अनुमति देता है; बजट 2025-26 में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित नाभिकीय ऊर्जा मिशन की घोषणा (₹20,000 करोड़)
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015, मुख्यालय गुरुग्राम), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (G20 2023), कोयला गैसीकरण मिशन
- पेट्रोलियम: भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% आवश्यकता आयात करता है; तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता; सामरिक पेट्रोलियम भंडार (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर); पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB, 2006); प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (मई 2016; निःशुल्क LPG कनेक्शन, 10.3 करोड़ लाभार्थी); प्रधानमंत्री जन धन; पहल DBT-LPG (2013/2015)
- पेट्रोल एवं डीज़ल की कीमतें पूर्णतः बाज़ार-संबद्ध (पेट्रोल 2010, डीज़ल 2014), यद्यपि खुदरा परिवर्तन विरल रहे हैं; 2026 में OPEC+ एवं पश्चिम एशिया के संघर्ष ने तेल की कीमतें बढ़ाई (देखें: समसामयिक घटनाक्रम अध्याय)
- कोयला: दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 997.8 मिलियन टन तथा वित्त वर्ष 2024-25 में 1,047 मिलियन टन (1 अरब टन पार); कोल इंडिया लिमिटेड; वाणिज्यिक कोयला खनन जून 2020 में खुला; कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015

जल, स्वच्छता एवं डिजिटल

- जल जीवन मिशन (अगस्त 2019): सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल; नल कनेक्शन 17% से बढ़कर 80% से अधिक (15 करोड़ परिवार जुड़े); JJM 2.0 के साथ 2028 तक विस्तारित
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II, नमामि गंगे (2014; हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, एक शहर एक संचालक), अटल भूजल योजना (₹6,000 करोड़), नदी जोड़ी हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (30 लिंक, केन-बेतवा प्रथम)
- डिजिटल: भारतनेट (सभी ग्राम पंचायतें; 2.1 लाख पंचायतें जुड़ीं), डिजिटल इंडिया (2015), डिजीलॉकर (26 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता), उमंग, मेरी पहचान, आधार (UIDAI 2009), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, इंडिया स्टैक; इंडिया AI मिशन (मार्च 2024; ₹10,372 करोड़; स्टार्टअप हेतु GPU संगणन क्षमता), ऐरावत सुपरकंप्यूटर
- दूरसंचार: दूरसंचार अधिनियम 2023 ने भारतीय तार अधिनियम 1885 का स्थान लिया; 5G का आरंभ 1 अक्टूबर 2022 को; उपग्रह स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन; TRAI (1997); BSNL 4G का प्रसार; भारत 1.1 अरब से अधिक ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है; अर्धचालक: ISM
- अंतरिक्ष: ISRO (1969); 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ (2024); चंद्रयान-3 (23 अगस्त 2023; दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडर); आदित्य-L1 (2023); गगनयान; शुभांशु शुक्ला ने एक्सओम-4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की (जून 2025); IN-SPACe (2020) निजी गतिविधि को अधिकृत करता है; न्यूस्पेस

इंडिया लिमिटेड (NSIL); स्काईरूट का विक्रम-S (नवंबर 2022) तथा अग्रिकुल; अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (SpaDeX, जनवरी 2025); अंतरिक्ष नीति 2023; अंतरिक्ष में FDI उदार (2024)



अध्याय 30

खनिज, श्रम कानून, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं स्टार्टअप

खनन एवं महत्वपूर्ण खनिज

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में 2015 (नीलामी व्यवस्था) तथा 2021, 2023 में संशोधन; खनन से प्रभावित समुदायों हेतु जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF, 2015); प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
- महत्वपूर्ण खनिज: 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची (2023): लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) 29 जनवरी 2025 को ₹16,300 करोड़ के परिव्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के ₹18,000 करोड़ निवेश के साथ अनुमोदित; पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना (₹1,500 करोड़) 2025 में आरंभ; KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड, 2019) विदेशों में परिसंपत्तियाँ अर्जित करता है
- दुर्लभ मृदा चुंबक योजना: सेंटर्ड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के विनिर्माण (6,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु नवंबर 2025 में ₹7,280 करोड़ अनुमोदित
- गहन महासागर: गहन महासागर मिशन (2021); हिंद महासागर में बहुधात्विक पेंड; परमाणु खनिज निदेशालय
- कोयला क्षेत्र: भारत के पास कोयले का पाँचवाँ सबसे बड़ा भंडार है; कैप्टिव कोयला खनन; वाणिज्यिक नीलामी (2020); 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य; कोयला धावनशालाएँ

श्रम कानून

- 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया गया: मज़दूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020; चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 को लागू की गईं
- प्रावधान: सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी एवं आधार मज़दूरी; निश्चित अवधि का रोज़गार; IR संहिता में छूटनी/बंदी हेतु सरकार की पूर्व अनुमति की सीमा 300 श्रमिकों तक बढ़ाई गई; गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा; निश्चित अवधि के श्रमिकों को एक वर्ष के बाद उपदान
- ई-श्रम पोर्टल (अगस्त 2021): असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (30 करोड़ से अधिक पंजीकृत); श्रम सुविधा; ELI (रोज़गार से संबद्ध प्रोत्साहन) योजना; पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना (15 अगस्त 2025 को आरंभ; ₹99,446 करोड़; प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों के लिए ₹15,000 तक का प्रोत्साहन)
- श्रम समवर्ती सूची में है; ILO अभिसमय; कारख़ाना अधिनियम 1948; औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का स्थान IR संहिता ने लिया

SEZ, NIMZ एवं स्टार्टअप

- SEZ अधिनियम 2005 (2006 से प्रभावी): शुल्क-मुक्त परिक्षेत्र, जिन्हें व्यापार हेतु विदेशी भू-भाग माना जाता है; कांडला (1965) एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था; 270 से अधिक SEZ संचालित; SEZ निर्यात भारत के निर्यात का लगभग 30%; इकाइयों का आयकर अवकाश 2020 में समाप्त (अस्त खंड); उद्यम एवं सेवा केंद्रों का विकास (DESH) विधेयक प्रस्तावित
- राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011): कम से कम 5,000 हेक्टेयर, 25% विनिर्माण हिस्सेदारी का लक्ष्य; 16 NIMZ अनुमोदित
- स्टार्ट-अप इंडिया (16 जनवरी 2016): 2025-26 तक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 1.5 लाख से अधिक; स्टार्टअप हेतु कोषों का कोष (₹10,000 करोड़); स्टार्टअप इंडिया सीड फंड; पात्र स्टार्टअप हेतु कर अवकाश 2030 तक विस्तारित (बजट 2025-26 में निगमन की समय-सीमा बढ़ाई गई); स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी (₹20 करोड़ प्रति उधारकर्ता)
- स्टार्टअप की परिभाषा: 10 वर्ष से कम पुराना निगमित निकाय, जिसका कारोबार ₹100 करोड़ से अधिक न हो (2022 में अद्यतन); बजट 2024-25 में एंजेल कर समाप्त
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र है; यूनिर्कोर्न लगभग 118 (2025)
- कारोबार सुगमता: भारत की रैंक 142 (2014) से सुधरकर 63 (2019); विश्व बैंक ने 2021 में रिपोर्ट बंद कर दी
- गिफ्ट सिटी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुक्त व्यापार एवं भंडारण क्षेत्र; राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (2021), जन विश्वास अधिनियम 2023 तथा छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने हेतु जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025

योजनाएँ एवं सूचकांक

मेक इन इंडिया: इन्वेस्ट इंडिया; लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में रैंक 38; कारोबार सुगमता रिपोर्ट बंद; निर्यात तैयारी सूचकांक (नीति आयोग) में 2024 में तमिलनाडु शीर्ष पर
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्टिंग (BRSR), CSR एवं ESG; प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002; गलियारों हेतु ADB/विश्व बैंक का वित्तपोषण

क्षेत्रक परिचय: उद्योग एवं सेवाएँ

लौह एवं इस्पात

- भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अपरिष्कृत (क्रूड) इस्पात उत्पादक है (लगभग 150+ मिलियन टन; राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अंतर्गत 2030 तक क्षमता 300 मिलियन टन का लक्ष्य)। प्रथम आधुनिक संयंत्र: **TISCO, जमशेदपुर (1907)**; सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र: भिलाई (सोवियत संघ), राउरकेला (जर्मनी), दुर्गापुर (ब्रिटेन), बोकारो (सोवियत संघ), विशाखापत्तनम (RINL); SAIL का गठन 1973।
- **इस्पात उत्पादन में अग्रणी:** ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ (लौह-अयस्क पट्टी); हरित इस्पात वर्गीकरण एवं हाइड्रोजन मिशन कार्बन-उत्सर्जन घटाने में सहायक; चपटे इस्पात के आयात पर रक्षोपाय शुल्क (2025)।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा **स्पंज आयरन** उत्पादक है। लौह अयस्क: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा।

वस्त्र एवं परिधान

- कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोजक; भारत **कपास** एवं **जूट** का सबसे बड़ा उत्पादक (जूट: पश्चिम बंगाल में लगभग तीन-चौथाई)। PM मित्र पार्क (7 पार्क, 2023) - तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
- वस्त्रों हेतु **PLI** (MMF परिधान, कपड़े, तकनीकी वस्त्र) 2021 में अनुमोदित; राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 2020; **कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड 2024**; कौशल हेतु समर्थ योजना।
- प्रमुख क्लस्टर: तिरुप्पुर (बुना हुआ वस्त्र), सूरत (संश्लेषित, साड़ियाँ), लुधियाना (मोजे-बनियान/ऊनी), भिवंडी (बिजली करघा), वाराणसी (रेशमी ब्रोकेड), पानीपत (पुनर्चक्रित ऊन/कालीन), भदोही-मिर्जापुर (कालीन)।

सीमेंट, चीनी, कागज़

उद्योग	प्रमुख तथ्य
सीमेंट	भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (लगभग 470+ मिलियन टन); राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु शीर्ष राज्य; प्रथम संयंत्र मद्रास 1904
चीनी	भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा अब ब्राज़ील के साथ सबसे बड़ा अथवा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक अग्रणी; FRP का निर्धारण CCEA द्वारा (2025-26 का FRP ₹355/किलो)
एथेनॉल मिश्रण	2025 में E20 लक्ष्य प्राप्त; E27/E30 का रोडमैप विचाराधीन
कागज़	मिलें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में; नेपानगर (अखबारी कागज़, मध्य प्रदेश)
उर्वरक	यूरिया NBS से बाहर; नीम-लेपित यूरिया; नैनो-यूरिया (IFFCO); भारत DAP, पोटाश आयात करता है
पेट्रो-रसायन	जामनगर (रिलायंस) सबसे बड़ा परिशोधन परिसर; IOC सबसे बड़ी तेल कंपनी
एल्युमीनियम	ओडिशा (NALCO), छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश (रेणुकूट), झारखंड

औषधि, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स

- **औषधि:** भारत मात्रा की दृष्टि से जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (वैश्विक जेनेरिक आपूर्ति का 20%), उत्पादन मात्रा में तीसरा; "विश्व की औषधिशाला"; थोक औषधि पार्क (हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश), PLI योजना 2020, अनुसंधान एवं विकास हेतु PRIP, जन औषधि (PMBJP) के लगभग 17,000+ केंद्र।
- **वाहन:** भारत तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाज़ार तथा दोपहिया एवं ट्रैक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक है; PLI-ऑटो (2021, ₹25,938 करोड़); **PM E-DRIVE** (2024), SPMEPCI (EV आयात नीति, 15% शुल्क पर ₹4,150 करोड़ निवेश की शर्त के साथ), FAME-II 2024 में समाप्त।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता; इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लगभग ₹11 लाख करोड़; ECMS (इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना 2025, ₹22,919 करोड़); भारत सेमीकंडक्टर मिशन (₹76,000 करोड़, 2021; टाटा-PSMC धोलेरा फ़ैब, माइक्रॉन साणंद ATMP, CG पावर-रेनेसास साणंद, टाटा असम OSAT, HCL-फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश जेवर)।

IT-BPM, पर्यटन, विमानन

क्षेत्रक	तथ्य
IT-BPM	राजस्व 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक; कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु; वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) 1,700 से अधिक; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI 1991)
पर्यटन	GDP में लगभग 5% हिस्सा; स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद; चिकित्सा मूल्य यात्रा; ई-वीज़ा

क्षेत्रक	तथ्य
विमानन	तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाज़ार; उड़ान 2016 में आरंभ (10 वर्ष विस्तारित); भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; DGCA नियामक; भारतीय वायुयान अधिनियम 2024; नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) 2026 में संचालित
दूरसंचार	दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक आधार; दूरसंचार अधिनियम 2023; 99% जिलों में 5G; भारतनेट; DoT द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी; TRAI नियामक
नौवहन	सागरमाला (2015); मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030; वट्टवन बंदरगाह (₹76,000 करोड़); विश्विजम (केरल) पारगमन बंदरगाह संचालित
रेलवे	चौथा सबसे बड़ा जाल; वंदे भारत, समर्पित माल गलियारे (पूर्वी: लुधियाना-सोननगर; पश्चिमी: दादरी-JNPT); कवच; ब्लोट ट्रेन (MAHSR) मुंबई-अहमदाबाद

रक्षा उत्पादन

- रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड **₹1.5 लाख करोड़+** तथा निर्यात लगभग ₹23,000 करोड़ तक पहुँचा; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ; iDEX (2018); रक्षा अधिग्रहण परिषद; उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में रक्षा गलियारे (2018); रणनीतिक साझेदारी मॉडल; SIPRI भारत को शीर्ष शस्त्र आयातकों में रखता है।

खनिज नीति

खनिज	अग्रणी राज्य
लौह अयस्क	ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक
कोयला	झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल; 2030 तक कोयला गैसीकरण का लक्ष्य 10 करोड़ टन
बॉक्साइट	ओडिशा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र
मैंगनीज़	ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
ताँबा	राजस्थान (खेतड़ी), मध्य प्रदेश (मलंजखंड), झारखंड (घाटशिला)
अभ्रक	झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान
लिथियम	रियासी, जम्मू-कश्मीर (अनुमानित); मांड्या (कर्नाटक); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (जनवरी 2025, ₹16,300 करोड़)
यूरेनियम	झारखंड (जादूगोड़ा), आंध्र प्रदेश (तुम्मलपल्ले)
पेट्रोलियम	मुंबई हाई, गुजरात, असम; कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन

अध्याय 31

1991 के LPG सुधार एवं सेवा क्षेत्रक

1991 का संकट

- कारण: 1980 के दशक की राजकोषीय अपव्यय-प्रवृत्ति (राजकोषीय घाटा GDP के 8% से अधिक), बाह्य उधारी, भुगतान संतुलन संकट, खाड़ी युद्ध से तेल की कीमतों में उछाल, खाड़ी से प्रेषण में कमी, राजनीतिक अस्थिरता; विदेशी मुद्रा भंडार तीन सप्ताह से कम के आयात को कवर करते थे
- बचाव: आपातकालीन धन हेतु सरकार ने 47 टन स्वर्ण बैंक ऑफ़ इंग्लैंड तथा 20 टन यूनिन बैंक ऑफ़ स्विट्ज़रलैंड के पास गिरवी रखा (कुल 67 टन); शर्तों सहित लगभग 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर का IMF ऋण; संरचनात्मक समायोजन
- नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के रूप में की; रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन (1 जुलाई 1991 को लगभग 9% तथा 3 जुलाई को लगभग 11%)

घटक	उपाय
उदारीकरण	लाइसेंस-परमिट राज का अंत (एक छोटी सूची को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त), MRTP सीमाएँ हटाई गईं, आयात लाइसेंसिंग समाप्त, प्रशुल्क का शिखर 300% से अधिक से घटाकर 150% तथा फिर और कम, रुपया व्यापार खाते पर परिवर्तनीय बनाया गया
निजीकरण	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों की सूची 17 से घटाकर 8 (अब 2), विनिवेश आरंभ, विनिवेश आयोग (1996), विनिवेश विभाग (1999), रणनीतिक बिजली
वैश्वीकरण	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (1991), प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% FDI की स्वचालित स्वीकृति, FERA का स्थान FEMA 1999 ने लिया, WTO की सदस्यता (1995), बाज़ार-निर्धारित विनिमय दर, पूँजी खाता उदारीकरण

- क्षेत्रकीय सुधार: वित्तीय क्षेत्र (नरसिम्ह समिति I, 1991 एवं II, 1998: CRR/SLR में कटौती, ब्याज दरें नियंत्रण-मुक्त, निजी बैंकों का प्रवेश, विवेकपूर्ण मानदंड), कर सुधार (चेलैया समिति: VAT, निम्न दरें), व्यापार नीति, राजकोषीय समेकन (FRBM 2003)
- 'द्वितीय पीढ़ी के सुधार': दूरसंचार, विद्युत, अवसंरचना, IBC, GST, FDI उदारीकरण, श्रम संहिताएँ
- प्रभाव: GDP वृद्धि लगभग 3.5% (1980 तक) से बढ़कर 5.6% (1980 का दशक) तथा 6-7% (1991 के बाद); सेवाओं में उछाल; FDI 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर से अधिक; निर्धनता में कमी; आलोचनाएँ: रोज़गारविहीन वृद्धि, कृषि की उपेक्षा, क्षेत्रीय एवं आय असमानताएँ, अनौद्योगीकरण की आशंकाएँ, समय से पूर्व वित्तीय एकीकरण

सुधारों के आँकड़े

भंडार: 1 अरब अमेरिकी डॉलर (1991), 100 अरब डॉलर (2004), 600-700 अरब डॉलर (2023-24)

GVA में सेवाओं की हिस्सेदारी: 50.6% (वित्त वर्ष 2014) से 55.3% (वित्त वर्ष 2025); महामारी-पूर्व (वित्त वर्ष 2013-20) औसत वृद्धि 8.0% तथा महामारी के पश्चात (वित्त वर्ष 2023-25) 8.3%

सेवा क्षेत्रक

- सेवाएँ GVA का 55% तथा रोज़गार के 30% से अधिक हैं; भारत के सेवा निर्यात कई माहों में वस्तु निर्यात से अधिक होते हैं
- संपर्क-गहन (व्यापार, होटल, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ) तथा गैर-संपर्क-गहन (वित्त, IT, व्यावसायिक सेवाएँ, प्रसारण, लोक प्रशासन, रक्षा)
- वृद्धि के प्रेरक: युवा जनसंख्या, शहरीकरण, ई-कॉमर्स, IT एवं व्यावसायिक सेवाएँ, डिजिटल भुगतान (UPI), वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC: 2025 में 1,700 से अधिक), स्टार्टअप
- सेवा व्यापार: वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2023 में 4.3% (7वाँ स्थान); वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा निर्यात लगभग 387.5 अरब अमेरिकी डॉलर, 13.6% की वृद्धि; IT एवं कंप्यूटर सेवाओं की प्रवृत्ति वृद्धि 12.8% (वित्त वर्ष 2013-23) तथा GVA में हिस्सा 6.3% से बढ़कर 10.9%
- सेवा PMI अगस्त 2021 से 50 से ऊपर; सेवा क्षेत्रक के ऋण में 22.9% की वृद्धि होकर ₹45.9 लाख करोड़ (मार्च 2024)
- GST संग्रहण: वित्त वर्ष 2024 में ₹20.18 लाख करोड़ (11.7% की वृद्धि)
- सेवाओं (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, वित्तीय, दूरसंचार, व्यापार) में FDI अंतर्प्रवाह सबसे बड़े प्राप्तकर्ता हैं; ECB अंतर्प्रवाह का 53% सेवाओं में

उप-क्षेत्र	प्रमुख तथ्य
सड़कें	टोल पर प्रतीक्षा समय 734 सेकंड (2014) से घटकर 47 सेकंड (2024); ANPR, GNSS टोलिंग; 4E सड़क सुरक्षा रणनीति
रेलवे	यात्री यातायात में 8% वृद्धि (वित्त वर्ष 2024); 2,031 किमी चालू (अप्रैल-नवंबर 2024); वंदे भारत का विस्तार
बंदरगाह एवं नौवहन	सागर सेतु ऐप; हरित सागर हरित बंदरगाह दिशानिर्देश; मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030; मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047; नदी कृज़ पर्यटन
विमानन	2025 में 163 हवाई अड्डे, जो 2014 के 74 से अधिक हैं; तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाज़ार; 15% महिला पायलट; उड़ान, लाइफ़लाइन उड़ान, कृषि उड़ान, डिजी यात्रा, ड्रोन नियम 2021
पर्यटन	GDP में योगदान पुनः 5% (वित्त वर्ष 2023); WEF यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर; प्रसाद एवं स्वदेश दर्शन 2.0; देखो अपना देश; उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की मेज़बानी की
दूरसंचार एवं IT	5G का प्रसार, भारतनेट; IT-BPM निर्यात लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्योग
वित्तीय सेवाएँ	बैंकिंग, बीमा, NBFC, फिनटेक; गिफ्ट सिटी

- चुनौतियाँ: व्यावसायिक सेवाओं हेतु AI का जोखिम, शहरों में कौशल की आवश्यकता, सेवाओं का क्षेत्रीय संकेंद्रण (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे), निम्न रोज़गार लोच, अनौपचारिक सेवा रोज़गार
- भारत को सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था कहा गया है जिसने विनिर्माण चरण को लाँघ लिया; कुज़नेट्स का अवलोकन, फ़िशर-क्लार्क का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकरण

अध्याय 32

मानव पूँजी: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास सूचक

अवधारणा

- मानव पूँजी: शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सेवा से अर्जित कौशल, ज्ञान एवं स्वास्थ्य, जो उत्पादकता बढ़ाते हैं; थियोडोर शुल्टज़ तथा गैरी बेकर ने इसका सिद्धांत विकसित किया
- मानव पूँजी निर्माण के स्रोत: शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रवासन, सूचना

पहल	भौतिक पूँजी	मानव पूँजी
प्रकृति	मूर्त, खरीदी-बेची जा सकती है तथा स्वामी से पृथक की जा सकती है	अमूर्त, व्यक्ति में निहित; अविभाज्य (UPSC 2018)
लाभ	अधिकांशतः निजी	निजी एवं सामाजिक (बाह्यताएँ)
निर्माण	अपेक्षित प्रतिफल पर आधारित निवेश निर्णय	शिक्षा एवं स्वास्थ्य में दीर्घकालिक निवेश

आधार	मानव पूँजी	मानव विकास
परिप्रेक्ष्य	व्यक्ति उच्चतर उत्पादन का साधन	व्यक्ति साध्य; क्षमताओं का विस्तार
दृष्टिकोण	आर्थिक, उत्पादकता-आधारित	अधिकार एवं कल्याण आधारित (महबूब-उल-हक, अमर्त्य सेन)

- मानव विकास के दृष्टिकोण: आय दृष्टिकोण, कल्याण दृष्टिकोण, मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण (स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता, आवास), क्षमता दृष्टिकोण (सेन) (UPSC 2018)
- मानव विकास सूचकांक (UNDP, 1990 से): जीवन प्रत्याशा, शिक्षा (प्रत्याशित एवं औसत विद्यालयी वर्ष) तथा प्रति व्यक्ति GNI (PPP); HDR 2025: भारत का HDI मान 0.685, 193 देशों में 130वाँ स्थान (मध्यम मानव विकास), पिछली रिपोर्ट के 133वें स्थान से ऊपर
- मानव पूँजी सूचकांक (विश्व बैंक, 2018 एवं 2020): भारत का अंक 0.49; लैंगिक अंतराल सूचकांक (WEF 2025): भारत 148 में 131वें स्थान पर; वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025: 123 में 102वाँ
- प्रतिभा पलायन, प्रतिभा लाभ, जनांकिकीय लाभांश: भारत में कार्यशील आयु वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 68%; जनांकिकीय लाभांश की अवधि लगभग 2040 तक; माधिका आयु लगभग 28

शिक्षा

- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन 2002) के अंतर्गत: 6-14 वर्ष की आयु हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा; निजी विद्यालयों में वंचित बच्चों हेतु 25% आरक्षण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना, बहुभाषी शिक्षा, कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान, 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER, GDP का 6% सार्वजनिक व्यय; अकादमिक क्रेडिट बैंक; चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम; राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (2023)
- समग्र शिक्षा अभियान (2018; SSA, RMSA एवं शिक्षक शिक्षा का विलय) पूर्व-विद्यालय से कक्षा 12 तक; PM श्री विद्यालय (14,500; 2022); PM पोषण (2021 में मध्याह्न भोजन का स्थान लिया); निपुण भारत (2021); PM ई-विद्या एवं दीक्षा; विद्यांजलि; राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना
- साक्षरता: जनगणना 2011 में 74.04%; आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण/मिशन 'उल्लास' (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) ने लद्दाख, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित किया; केरल सर्वाधिक साक्षर है
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 28.4% (AISHE 2021-22); अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), AICTE, NCTE; UGC एवं AICTE के स्थान पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक (विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025)
- शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का लगभग 4.6% (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त); कोठारी आयोग (1964-66) ने GDP के 6% की सिफारिश की थी; शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा बजट 2026-27 लगभग ₹1.39 लाख करोड़
- गुणवत्ता: ASER 2024 सरकारी विद्यालयों में पठन एवं अंकगणित में सुधार दर्शाता है; PARAKH (राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, 2023); निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक

स्वास्थ्य

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2013, NRHM 2005 एवं NUHM 2013 का विलय); आयुष्मान भारत (2018): स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर; 1.7 लाख+) तथा PM-JAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना; प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख; 55 करोड़ लाभार्थी; अक्टूबर 2024 से आय की परवाह किए बिना 70+ आयु के व्यक्ति आच्छादित; लगभग 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017: 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय GDP के 2.5% तक बढ़ाना; सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का लगभग 1.9% (2022-23); NHA 2021-22: सरकारी स्वास्थ्य व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का 48% तथा जेब से व्यय घटकर 39.4%
- स्वास्थ्य सूचक: जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष (2019-23 SRS: 70.8); शिशु मृत्यु दर 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म (SRS 2021: 27; SRS 2022: 26), मातृ मृत्यु अनुपात 93 प्रति लाख जीवित जन्म (SRS 2019-21), कुल प्रजनन दर 2.0 (SRS 2021), प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम
- प्रतिरक्षण: मिशन इंद्रधनुष, U-WIN; सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम; आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM, 2021) ABHA पहचान के साथ
- रोग कार्यक्रम: टीबी मुक्त भारत (लक्ष्य 2025, विस्तारित), 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, कालाजार उन्मूलन; भारत अक्टूबर 2024 में ट्रेकोमा-मुक्त घोषित
- चिकित्सा शिक्षा: NMC अधिनियम 2019 ने MCI का स्थान लिया; AIIMS का विस्तार; औषधि क्षेत्र हेतु उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन; औषधि क्षेत्र मात्रा में तीसरा सबसे बड़ा; 'विश्व की औषधिशाला'; जन औषधि केंद्र (PMBJP)
- देखभाल अर्थव्यवस्था: अवैतनिक देखभाल कार्य का भार असमान रूप से महिलाओं पर; आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 शिशु देखभाल, वृद्ध देखभाल सहित देखभाल अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है
- पोषण: पोषण अभियान (2018), सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (2021); NFHS-5 (2019-21): बौनापन 35.5%, दुर्बलता 19.3%, अल्प भार 32.1%, महिलाओं में रक्ताल्पता 57%

अध्याय 33

रोज़गार, श्रम बाज़ार एवं कौशल विकास

अवधारणाएँ एवं मापन

- बेरोज़गारी के प्रकार: खुली, प्रच्छन्न (कृषि), मौसमी, संरचनात्मक, घर्षणात्मक, चक्रीय, शिक्षित, प्रौद्योगिकीय; अल्प-रोज़गार
- NSO (सांख्यिकी मंत्रालय) का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), अप्रैल 2017 से आरंभ; वार्षिक (2023-24 तक जुलाई-जून, 2025 से कैलेंडर वर्ष) तथा त्रैमासिक (शहरी) और जनवरी 2025 से वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के साथ अखिल भारतीय (ग्रामीण एवं शहरी) मासिक बुलेटिन
- सामान्य स्थिति (UPSS): मुख्य + सहायक स्थिति; वर्तमान साप्ताहिक स्थिति; श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) = (नियोजित + बेरोज़गार)/जनसंख्या; श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR); बेरोज़गारी दर = बेरोज़गार / श्रम बल
- रोज़गार का वर्गीकरण: स्व-नियोजित, नियमित वेतनभोगी, आकस्मिक श्रम; अनौपचारिक क्षेत्र 90% से अधिक श्रमिकों को रोज़गार देता है

संकेतक	मान
PLFS 2023-24 बेरोज़गारी दर (15+, सामान्य स्थिति)	3.2%
युवा बेरोज़गारी (15-29)	2023-24 में 10.2%; 2017-18 के 17.8% से घटी
महिला LFPR	23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24); महिला LFPR में वृद्धि ग्रामीण स्व-रोज़गार से प्रेरित
LFPR 15+ (2023-24)	60.1%
रोज़गार में कृषि की हिस्सेदारी	लगभग 46% (2023-24), जो 2018-19 के 42.5% से अधिक है (संरचनात्मक रूपांतरण का उत्क्रमण)
संगठित औपचारिक हिस्सा	सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर्मचारी लगभग 25% (2024-25 में EPFO की शुद्ध वृद्धि लगभग 1.3 करोड़)

- मासिक PLFS, सितंबर 2026 (CWS, 15+): बेरोज़गारी दर 5.0% (एक वर्ष पूर्व 5.2%); LFPR 55.5%; WPR 52.7%; ग्रामीण बेरोज़गारी 4.2%, शहरी 6.9%; महिला LFPR 34.6% (ग्रामीण 38.9%, शहरी 25.9%)
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: बढ़ते कार्यबल को बनाए रखने हेतु भारत को 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि रोज़गार सृजित करने होंगे; विनिर्माण में रोज़गार पिछड़ रहा है; सर्वेक्षण सेवा रोज़गारों के लिए AI के जोखिम पर चर्चा करता है; 26% रोज़गार AI के प्रति उद्भासित
- ई-श्रम पोर्टल: 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक (2024 में 29 करोड़), ONORC एकीकरण; UAN से संबद्ध रोज़गार से जुड़ा प्रोत्साहन (ELI): प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (15 अगस्त 2025)
- औपचारिक रोज़गार के प्रतिनिधि के रूप में EPFO वेतन-सूची आँकड़े तथा ESIC आँकड़े प्रयुक्त होते हैं; भारत KLEMS डेटाबेस (RBI) रोज़गार अनुमान देता है

रोज़गार कार्यक्रम

योजना	विशेषताएँ
मनरेगा (2005; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम)	माँग-आधारित 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार; इसका स्थान विकसित भारत रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) ने लिया, जिसमें 125 दिन
DAY-NRLM (2011, आजीविका; लखपति दीदी)	स्वयं सहायता समूह महासंघ; 90 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ संगठित; 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य प्राप्त/जारी
PMEGP (2008)	सूक्ष्म उद्यमों हेतु ऋण-संबद्ध सब्सिडी
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)	ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास एवं नियोजन
PM स्वनिधि (2020)	रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं हेतु कार्यशील पूँजी ऋण
स्टैंड-अप इंडिया (2016), मद्रा	स्व-रोज़गार वित्त; मार्च 2024 तक 47.7 करोड़ मद्रा ऋण स्वीकृत

योजना	विशेषताएँ
राष्ट्रीय कॅरियर सेवा पोर्टल	रोज़गार मिलान; 4.1 करोड़ रोज़गार-इच्छुक
प्रशिक्षता	प्रशिक्ष अधिनियम 1961 (2014 में संशोधित); राष्ट्रीय प्रशिक्षता संवर्धन योजना (NAPS); PM इंटरशिप योजना (पायलट 2024-25 में आरंभ; शीर्ष 500 कंपनियों में ₹5,000 मासिक भत्ते सहित 12 माह की इंटरशिप)
अटल पेंशन योजना (7.15 करोड़ अभिदाता)	अनौपचारिक क्षेत्र हेतु पेंशन
PM श्रम योगी मान-धन	असंगठित श्रमिकों हेतु पेंशन

- रोज़गार सृजन एवं शहरी रोज़गार: बजट 2026-27 में विनिर्माण, अर्धचालक, वस्त्र, पर्यटन एवं सेवाओं पर बल

कौशल विकास

- कौशल भारत मिशन (15 जुलाई 2015; विश्व युवा कौशल दिवस); राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015; कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE, 2014); राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC, 2008); राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF, 2013); संकल्प; स्किल इंडिया डिजिटल हब
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY, 2015; चतुर्थ चरण 4.0, 2022-26) अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं पूर्व अधिगम की मान्यता
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना (₹60,000 करोड़, केंद्रीय बजट 2024-25 तथा मई 2025 में अनुमोदित)
- कौशल स्थिति: 4.4% युवाओं के पास औपचारिक प्रशिक्षण तथा 16.6% के पास अनौपचारिक प्रशिक्षण (PLFS 2022-23); नियोक्ताओं को कौशल अंतराल का सामना; आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 शिक्षा एवं रोज़गार के बीच बेमेल को रेखांकित करता है
- AI मिशन (₹10,372 करोड़) और AI कौशल पर बल; कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र; गतिशीलता समझौतों (जर्मनी, जापान, ताइवान, इज़राइल) द्वारा वैश्विक गतिशीलता

गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था

नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2020-21 में 77 लाख गिग श्रमिक, जो 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएँगे; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग श्रमिकों एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करती है; बजट 2025-26 में प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के ई-श्रम पंजीकरण एवं आयुष्मान भारत कवरेज की घोषणा; राजस्थान (2023), कर्नाटक (2025), झारखंड एवं तेलंगाना में राज्य कानून

अध्याय 34

निर्धनता, असमानता एवं सामाजिक सूचक

निर्धनता की अवधारणाएँ

- निरपेक्ष निर्धनता: निर्वाह रेखा से नीचे; सापेक्ष निर्धनता: समाज की तुलना में; दीर्घकालिक निर्धन, क्षणिक निर्धन, असुरक्षित गैर-निर्धन (कभी-कभी निर्धन), कभी निर्धन न रहने वाले
- निर्धनता रेखा: कैलोरी मानदंडों (1973-74 की टोकरी में ग्रामीण 2,400 एवं शहरी 2,100 प्रतिदिन) पर आधारित, कीमत सूचकांक द्वारा अद्यतन; शीर्ष-गणना अनुपात (H), निर्धनता अंतराल सूचकांक (रेखा से आय की कमी), वर्गित निर्धनता अंतराल, सेन सूचकांक (शीर्ष-गणना + निर्धनता अंतराल + निर्धनों में आय असमानता)
- अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा (विश्व बैंक): पहले 1.90 अमेरिकी डॉलर/दिन (2011 PPP); 2022 में बढ़ाकर 2.15 डॉलर (2017 PPP); तथा जून 2025 से 3.00 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP)

समिति	वर्ष	पद्धति / अनुमान
कार्य समूह (वाई. के. अलघ)	1979	पोषण मानदंड, 2,400 एवं 2,100 कैलोरी; 1973-74 में निर्धनता रेखाएँ
लकड़ावाला	1993	CPI-IL (ग्रामीण) एवं CPI-UNME (शहरी) का प्रयोग कर राज्य-विशिष्ट रेखाएँ; 2004-05 में निर्धनता ग्रामीण 28.3%, शहरी 25.7%
तेंदुलकर	2009	मिश्रित संदर्भ अवधि; स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय सम्मिलित; 2004-05: ग्रामीण 41.8%, शहरी 25.7%, समग्र 37.2%; 2011-12: 21.9% (ग्रामीण 25.7%, शहरी 13.7%)
रंगराजन	2014	कैलोरी, प्रोटीन एवं वसा के साथ गैर-खाद्य व्यय; 2011-12: समग्र 29.5% (ग्रामीण 30.9%, शहरी 26.4%) (ग्रामीण ₹972 एवं शहरी ₹1,407 प्रतिमाह)

- योजना आयोग ने तेंदुलकर रेखा का प्रयोग किया (2011-12 की कीमतों पर ग्रामीण ₹816 एवं शहरी ₹1,000 प्रतिमाह); नीति आयोग ने नई निर्धनता रेखा की घोषणा नहीं की है
- गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 एवं 2023-24: 2023-24 में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) ग्रामीण लगभग ₹4,122 तथा शहरी ₹6,996 (2022-23: ₹3,773 एवं ₹6,459); शहरी-ग्रामीण अंतर 2011-12 के 84% से घटकर 70%; ग्रामीण उपभोग में खाद्य की हिस्सेदारी 47% से कम
- विश्व बैंक (जून 2025): 3 डॉलर प्रतिदिन पर अत्यधिक निर्धनता 27.1% (2011-12) से घटकर 5.3% (2022-23), जिससे 26.9 करोड़ लोग ऊपर उठे; 2.15 डॉलर पर निर्धनता 2022-23 में 2.3% रही, जो 2011-12 में 16.2% थी; 4.20 डॉलर की निम्न-मध्यम आय रेखा पर निर्धनता 23.9% (2022-23)

बहुआयामी निर्धनता

- वैश्विक MPI (UNDP एवं OPHI, 2010): 3 आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर) में 10 सूचक; $MPI = H \times A$ (शीर्ष-गणना $\times$ तीव्रता); कोई व्यक्ति तब निर्धन है जब भारत सूचकों के एक-तिहाई या अधिक में वंचित हो
- नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI (नवंबर 2021 में आरंभ; आधार NFHS-4 2015-16, द्वितीय NFHS-5 2019-21): इसमें 12 सूचक (मातृ स्वास्थ्य तथा बैंक खाता जोड़े गए):

वर्ष	MPI शीर्ष-गणना
2013-14	29.17%
2015-16	24.85%
2019-21	14.96%
2022-23	11.28%

- 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले; उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कमी (5.94 करोड़), उसके बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश; बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में MPI शीर्ष-गणना सर्वाधिक; केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एवं पंजाब में न्यूनतम
- नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI NFHS आँकड़ों से अनुश्रवित होता है; UPPSC 2025 में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय MPI कौन-सी संस्था तैयार करती है (नीति आयोग)
- निर्धनता उन्मूलन का दृष्टिकोण: वृद्धि-मध्यस्थित, प्रत्यक्ष निर्धनता-निरोधी कार्यक्रम (IRDP 1980, NREP, JRY, SGSY, NRLM), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, DBT
- भूदान/ग्रामदान; अंत्योदय (राजस्थान 1977); मिशन अंत्योदय (2017); दीन दयाल अंत्योदय योजना

असमानता

- गिनी गुणांक: विश्व बैंक के अनुसार उपभोग गिनी 25.5 (2022-23), जो 28.8 (2011-12) से घटा है; आय के आधार पर भारत का गिनी बहुत अधिक है; विश्व असमानता डेटाबेस: शीर्ष 1% के पास 40% से अधिक संपदा
- लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक (0 समानता; 1 असमानता), कुज़नेट्स वक्र (वृद्धि के साथ असमानता पहले बढ़ती, फिर घटती है), पाल्मा अनुपात, एटकिंसन सूचकांक
- ऑक्सफैम इंडिया की असमानता रिपोर्टें; लैंगिक असमानता सूचकांक; UNDP असमानता-समायोजित HDI
- क्षेत्रीय विषमताएँ: BIMARU (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) राज्य; केरल मॉडल; राज्यों की प्रति व्यक्ति आय: गोवा, सिक्किम, दिल्ली और हरियाणा में सर्वाधिक; बिहार में न्यूनतम
- पुनर्वितरण के साधन: प्रगतिशील कराधान, DBT, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आरक्षण

कल्याणकारी योजनाएँ (सामाजिक सुरक्षा)

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: लगभग 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी): आवास; उज्ज्वला (LPG); जल जीवन मिशन; सौभाग्य; स्वच्छ भारत; आयुष्मान भारत
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP, 1995): इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: 2025 तक संचयी ₹40 लाख करोड़ से अधिक अंतरित; रिसाव में अनुमानित बचत ₹3.48 लाख करोड़
- मिशन शक्ति (2022), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015), सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लखपति दीदी
- सामाजिक सुरक्षा व्यय: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय GDP का लगभग 8%

अध्याय 35

सतत विकास, जलवायु एवं हरित अर्थव्यवस्था

अवधारणाएँ

- सतत विकास: भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति (ब्रंटलैंड रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य, 1987); तीन स्तंभ: आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय
- हरित GDP: पर्यावरणीय हास एवं प्राकृतिक पूँजी के लिए समायोजित GDP; पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA); भारत ने हरित GDP नहीं अपनाया है
- प्राकृतिक पूँजी, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ (TEEB, पवन सुखदेव), प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत, कार्बन कर, पिंगू कर, कोस प्रमेय, साझे संसाधनों की त्रासदी (हार्डिन)
- पर्यावरणीय कुंजनेट्स वक्र: आय के साथ प्रदूषण पहले बढ़ता, फिर घटता है
- कार्बन पदचिह्न, कार्बन क्रेडिट (1 टन CO₂ समतुल्य), कार्बन तटस्थता, शुद्ध शून्य, कार्बन अवशोषक, कार्बन रिसाव

अंतरराष्ट्रीय ढाँचा

वर्ष	घटना	प्रमुख बिंदु
1972	स्टॉकहोम सम्मेलन	पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन; UNEP का गठन
1987	ब्रंटलैंड रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	सतत विकास; ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन
1992	रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन	UNFCCC, CBD, एजेंडा 21; CBDR सिद्धांत (साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व)
1997	क्योटो प्रोटोकॉल (2005 में प्रभावी)	अनुलग्नक I देशों के लिए बाध्यकारी कटौती; लचीले तंत्र: उत्सर्जन व्यापार, संयुक्त कार्यान्वयन, स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)
2015	पेरिस समझौता (COP21; 2016 में प्रभावी)	तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखना, 1.5 डिग्री सेल्सियस का प्रयास; NDC; 100 अरब अमेरिकी डॉलर वार्षिक वित्त लक्ष्य
2021	COP26 ग्लासगो	अनियंत्रित कोयले का चरणबद्ध हास; भारत द्वारा पंचामृत की घोषणा; मिशन LiFE
2022	COP27 शर्म अल-शेख	हानि एवं क्षति कोष की स्थापना
2023	COP28 दुबई	जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण; प्रथम वैश्विक समीक्षा
2024	COP29 बाकू	2035 तक 300 अरब डॉलर प्रतिवर्ष का नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य; अनुच्छेद 6 कार्बन बाज़ार नियम अंतिम रूप में
2025	COP30 बेलेम, ब्राज़ील (10-21 नवंबर 2025)	अनुकूलन वित्त एवं उष्णकटिबंधीय वन; कार्यान्वयन रोडमैप

- भारत का अद्यतन NDC (2022): 2030 तक 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी, 2030 तक संचयी गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता 50% (जून 2025 में प्राप्त), 2.5-3 अरब टन CO₂ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन अवशोषक; 2070 तक शुद्ध शून्य
- पंचामृत (COP26): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता; 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से; 2030 तक उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी; कार्बन तीव्रता में 45% की कमी; 2070 तक शुद्ध शून्य
- मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली, 2022); ग्लासगो; भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (COP27, 2022 में प्रस्तुत)

भारत के घरेलू साधन

- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (CCTS): ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए अनुपालन बाज़ार (निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (PAT) योजना उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्यों में विकसित हो रही); प्रशासक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो; भारतीय कार्बन बाज़ार का आरंभ, 2026 से अनुपालन; स्वैच्छिक बाज़ार (हरित क्रेडिट कार्यक्रम, अक्टूबर 2023)
- हरित क्रेडिट कार्यक्रम (GCP): वृक्षारोपण, जल संरक्षण हेतु व्यापार योग्य क्रेडिट; पर्यावरण मंत्रालय
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC, 2008): आठ मिशन (सौर, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल, हिमालयी पारितंत्र, हरित भारत, सतत कृषि, सामरिक ज्ञान)
- भारत शीतलन कार्ययोजना (2019), निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (2012), भारत स्टेज VI (अप्रैल 2020; BS-VI), राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019; 2025-26 तक PM में 40% की कमी)
- भारत जलवायु वित्त वर्गीकरण (प्रारूप 2025-26) एवं संप्रभु हरित बॉन्ड (ढाँचा नवंबर 2022; निर्गम जनवरी 2023 से); राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (₹19,744 करोड़; 2030 तक 50 लाख टन); हरित हाइड्रोजन केंद्र (कांडला, पारादीप, तूतुकुड़ी)
- विद्युत गतिशीलता: FAME I (2015), FAME II (2019-24), PM E-DRIVE (अक्टूबर 2024, ₹10,900 करोड़; मार्च 2026 से बढ़ाकर 2028 तक), PM ई-बस सेवा, ACC बैटरियों (₹18,100 करोड़) एवं मोटर वाहनों (₹25,938 करोड़) हेतु PLI, SPMEPCI (EV विनिर्माण नीति, मार्च 2024) जिसमें 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश पर आयात शुल्क में कटौती
- जैव ईंधन: जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 (2022 में संशोधित); E20 लक्ष्य 2025 तक अग्रसारित एवं प्राप्त; संपीड़ित जैव गैस हेतु SATAT (2018); PM जी-वन योजना; गोबरधन (2018)
- सौर: PM सूर्य घर (1 करोड़ छतें), PM-KUSUM, ISA (मुख्यालय गुरुग्राम, 100+ सदस्य), सौर पार्क
- औद्योगिक प्रदूषण: शून्य तरल निर्वहन; विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (प्लास्टिक, बैटरी अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट); प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, 2022 (1 जुलाई 2022 से एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध)
- वन एवं वन्यजीव: प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 (CAMPAA); वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023; जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2023; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986; राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010); आर्द्रभूमि (संरक्षण) नियम 2017; भारत में रामसर स्थल: 91 (2025)

जलवायु एवं अर्थव्यवस्था

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: जलवायु परिवर्तन भारत में स्थानिक खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रेरक तथा कृषि के लिए जोखिम है; वर्षा अथवा जलाशय स्तरों की तुलना में तापमान का खाद्य कीमतों से अधिक प्रबल सहसंबंध है
- जलवायु वित्त: हरित जलवायु कोष (GCF; सौगदो), अनुकूलन कोष, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF; 1991, विश्व बैंक के अधीन), हानि एवं क्षति कोष; भारत प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में है; 2035 तक 300 अरब डॉलर का 'NCQG' (भारत ने कम राशि पर आपत्ति जताई)
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM): इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, विद्युत, हाइड्रोजन के आयात पर यूरोपीय संघ का कार्बन कर; अक्टूबर 2023 से संक्रमणकालीन अवधि; 1 जनवरी 2026 से निश्चित चरण; भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव; भारत-EU FTA में राहत की माँग; साथ ही EU वनोन्मूलन विनियमन (EUDR; विलंबित)
- ऊष्मा संकट: ILO के अनुसार 2035 तक वैश्विक कार्य-घंटों की 3.8% हानि अपेक्षित; भारत की श्रम उत्पादकता; वेट-बल्ब तापमान
- आपदा प्रबंधन: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (NDMA, SDMA, NDRF, SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI, भारत द्वारा 2019 में आरंभ)
- जलवायु सूचकांक: जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2025: भारत 10वें स्थान पर (उच्च निष्पादक); पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2024: भारत 180 में 176वाँ; वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक

सतत विकास लक्ष्य

- SDG (एजेंडा 2030, सितंबर 2015 में स्वीकृत): 17 लक्ष्य, 169 उद्देश्य; 8 लक्ष्यों वाले MDG का स्थान लिया; SDG 1 निर्धनता उन्मूलन; SDG 2 शून्य भुखमरी; SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य; SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; SDG 5 लैंगिक समानता; SDG 6 स्वच्छ जल; SDG 7 वहनीय स्वच्छ ऊर्जा; SDG 8 गरिमामय कार्य; SDG 9 उद्योग, नवाचार; SDG 10 असमानताओं में कमी; SDG 11 सतत शहर; SDG 12 उत्तरदायी उपभोग; SDG 13 जलवायु कार्रवाई; SDG 14 जलीय जीवन; SDG 15 थलीय जीवन; SDG 16 शांति एवं न्याय; SDG 17 साझेदारियाँ
- SDG भारत सूचकांक (नीति आयोग; 2018 से): समग्र अंक 57 (2018), 60 (2019), 66 (2020-21), 71 (2023-24); 2023-24 संस्करण में केरल एवं उत्तराखंड शीर्ष पर (अंक 79), बिहार एवं झारखंड निचले स्थानों के निकट

अध्याय 36

ग्रामीण एवं शहरी विकास: योजनाएँ एवं संस्थाएँ

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास मंत्रालय: DAY-NRLM, मनरेगा/VB-G RAM G, PMAY-G, PMGSY, NSAP, SPMRM (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन, 2016); पंचायती राज मंत्रालय: RGSA

योजना	आरंभ	प्रमुख विशेषताएँ
सामुदायिक विकास कार्यक्रम	1952	प्रथम ग्रामीण विकास कार्यक्रम; बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की
IRDIP (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम)	1978-80	सब्सिडी के साथ स्व-रोज़गार; 1999 में SGSY में विलीन
जवाहर रोज़गार योजना	1989	मज़दूरी रोज़गार; JGSY में तथा फिर SGRY (2001) में विलीन
मनरेगा	2005-06	माँग-आधारित 100 दिन; राज्य की न्यूनतम मज़दूरी के अनुसार मज़दूरी; VB-G RAM G अधिनियम 2025 (125 दिन; देखें: समसामयिक घटनाक्रम अध्याय) से प्रतिस्थापित
SGSY से NRLM (आजीविका)	1999 से 2011	महिला स्वयं सहायता समूहों का संगठन; लखपति दीदी (3 करोड़ का लक्ष्य)
PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)	25 दिसंबर 2000	बस्तियों तक सर्व-ऋतु सड़कें (मैदानों में 500+, पहाड़ी/पूर्वोत्तर में 250+); PMGSY-IV (सितंबर 2024) में ₹70,125 करोड़ से 25,000 बस्तियाँ
PMAY-ग्रामीण	2016 (इंदिरा आवास योजना से)	25 वर्ग मीटर के पक्के मकान; इकाई सहायता ₹1.20 लाख (मैदान) एवं ₹1.30 लाख (पहाड़ी); 2024-29 के लिए 2 करोड़ और मकान
NSAP	1995	वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों हेतु सामाजिक पेंशन
मिशन अंत्योदय	2017	50,000 ग्राम पंचायतों में अभिसरण एवं अंतराल विश्लेषण
स्वामित्व	2020	ग्रामीण आबादी भूमि का डोन मानचित्रण; ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड
DDU-GKY	2014	नियोजन सहित ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास
सांसद आदर्श ग्राम योजना	2014	सांसद गाँव गोद लेते हैं
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन	2016	ग्रामीण क्लस्टर विकास (2024 में समाप्त)
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	2018	पंचायतों की क्षमता निर्माण
डिजिटल: ई-ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र, भारतनेट	2020	पंचायतों हेतु ई-गवर्नेंस

- पंचायती राज: अनुच्छेद 40 (नीति निदेशक तत्व) ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देता है; 73वाँ संशोधन (1992) एवं भाग IX; अनुच्छेद 243; त्रिस्तरीय प्रणाली; ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय; राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग; प्रथम पंचायत नागौर (राजस्थान) में 2 अक्टूबर 1959 को; राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल

- समितियाँ: बलवंत राय मेहता (1957), अशोक मेहता (1977; द्विस्तरीय), जी. वी. के. राव (1985), एल. एम. सिंघवी (1986; संवैधानिक दर्जा), थुंगन समिति (1988), केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-88); पुंछी आयोग (2007-10)
- ग्रामीण सूचक: लगभग 64% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है (जनगणना 2011: 68.8%); ग्रामीण निर्धनता; ग्रामीण मज़दूरी; ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार; HCES में ग्रामीण उपभोग का हिस्सा; ग्रामीण भंडारण योजना
- सहकारी क्षेत्र: सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904; सहकारिता मंत्रालय (जुलाई 2021); 97वाँ संशोधन 2011 (अनुच्छेद 19(1)(ग)), अनुच्छेद 43ख, भाग IXख), 2021 में आंशिक रूप से निरस्त (भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह); बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2023; राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025; राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC, 1963); अमूल (आणंद मॉडल); IFFCO; NAFED; त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (आणंद, गुजरात, 2025)

शहरी विकास

- शहरीकरण: 31.2% (2011); अब 35-37%; 74वाँ संशोधन अधिनियम 1992 (भाग IXक; बारहवीं अनुसूची के 18 कार्य); जनगणना कस्बे; शहरी स्थानीय निकाय; 15वें वित्त आयोग के शहरी अनुदान

मिशन	आरंभ	विवरण
JNNURM	2005	प्रथम प्रमुख शहरी मिशन; AMRUT एवं स्मार्ट सिटी द्वारा प्रतिस्थापित
स्मार्ट सिटी मिशन	25 जून 2015	100 शहर; विशेष प्रयोजन इकाइयाँ (SPV); क्षेत्र-आधारित विकास; मिशन मार्च 2025 में समाप्त
AMRUT / AMRUT 2.0	2015 / 2021	जल आपूर्ति एवं सीवरेज; AMRUT 2.0 पाँच वर्ष के लिए ₹2.99 लाख करोड़ सहित; "जल ही जीवन"
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0	2021	कचरा-मुक्त शहर; अपशिष्ट जल उपचार
PMAY-शहरी 2.0	2024	शहरी निर्धनों एवं मध्यम वर्ग हेतु 1 करोड़ मकान; ब्याज अनुदान
हृदय (HRIDAY)	2015	विरासत शहर विकास
DAY-NULM	2013	शहरी आजीविका; स्वनिधि
शहरी अवसंरचना विकास कोष (₹10,000 करोड़)	बजट 2023-24	द्वितीय/तृतीय श्रेणी के शहरों की अवसंरचना
शहरी चुनौती कोष (₹1 लाख करोड़)	बजट 2025-26	25% केंद्रीय हिस्से के साथ 'विकास केंद्र के रूप में शहर'
मेट्रो रेल नीति 2017	2017	PPP-आधारित मेट्रो

- विकास केंद्र के रूप में शहर: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एवं बजट 2026-27 ने शहर आर्थिक क्षेत्रों (CER), 'विकास केंद्र के रूप में शहर', रचनात्मक भू-दृश्य तथा पारगमन-उन्मुख विकास पर बल दिया
- रियल एस्टेट: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (RERA) गृह-क्रेताओं की रक्षा करता है; बेनामी संपत्ति लेन-देन; आवास वित्त: राष्ट्रीय आवास बैंक (1988; पहले RBI की सहायक, 2019 से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में), HUDCO (1970), प्रधानमंत्री आवास योजना ऋण-संबद्ध अनुदान; REIT
- शहरी चुनौतियाँ: नगरपालिका वित्त, अनौपचारिक बस्तियाँ, वायु प्रदूषण (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम), ठोस अपशिष्ट, बाढ़, परिवहन; शहरी निर्धनता; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
- 2021 की जनगणना विलंबित हुई; जनगणना 2027 नवीन शहरी आँकड़े उपलब्ध कराएगी

अध्याय 37

जनांकिकी एवं जनसंख्या अर्थशास्त्र

जनगणना की मूल बातें

- भारत की जनगणना: 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में (प्रथम समकालिक जनगणना 1881, डब्ल्यू. सी. प्लोडन के अधीन); 2011 की जनगणना 15वीं तथा स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं थी; जनगणना 2027 16वीं है: मकान सूचीकरण कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026, जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में (संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027) तथा जाति गणना सम्मिलित; मोबाइल ऐप सहित प्रथम डिजिटल जनगणना
- भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय के अधीन; जनगणना अधिनियम 1948; अनुच्छेद 246 (संघ सूची की प्रविष्टि 69)

सूचक	जनगणना 2011	परवर्ती अनुमान
जनसंख्या	121.09 करोड़	लगभग 146 करोड़ (2025 का संयुक्त राष्ट्र अनुमान); अप्रैल 2023 से भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
दशकीय वृद्धि दर	17.7% (2001-11)	मंद हो रही; SRS
लिंगानुपात	943 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष	जन्म के समय लिंगानुपात 917 (SRS 2022: 917); बाल लिंगानुपात 919 (जनगणना 2011)
साक्षरता	74.04% (पुरुष 82.14%, महिला 65.46%)	PLFS 2023-24 में अधिक (लगभग 80%)
घनत्व	382 प्रति वर्ग किमी	बिहार सर्वाधिक (1,106), अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम (17)
शहरी हिस्सा	31.16%	लगभग 36-37%
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य	उत्तर प्रदेश (19.98 करोड़)	इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार; सिक्किम सबसे कम
सर्वाधिक लिंगानुपात	केरल (1,084)	न्यूनतम हरियाणा (879)
सर्वाधिक साक्षरता	केरल (94%)	न्यूनतम बिहार (61.8%)

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; परिवार नियोजन 1952 में आरंभ (ऐसा करने वाला प्रथम देश); आपातकाल में नसबंदी 1975-77
- कुल प्रजनन दर (SRS 2021): 2.0 (प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम); TFR केवल बिहार (3.0), मेघालय, उत्तर प्रदेश (2.7) तथा झारखंड में 2.1 से अधिक; NFHS-5 TFR 2.0
- जनांकिकीय संक्रमण: चरण 1 (उच्च जन्म एवं मृत्यु दर) से चरण 4; भारत चरण 3 में; जनांकिकीय लाभांश: कार्यशील आयु (15-59) लगभग 64-68%; निर्भरता अनुपात घट रहा; अवसर की खिड़की 2040 के दशक तक; वृद्धावस्था: 60+ जनसंख्या लगभग 10% (2021), 2050 तक 20% (भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट; UNFPA)
- जनसंख्या प्रक्षेपण (RGI तकनीकी समूह): 2036 में 152 करोड़; जनसंख्या 2060 के दशक में लगभग 1.7 अरब पर शिखर पर पहुँचेगी (संयुक्त राष्ट्र)
- जीवन प्रत्याशा: लगभग 70 वर्ष (SRS 2019-23: 70.9); शिशु मृत्यु दर 26 (SRS 2022); मातृ मृत्यु अनुपात 93 (SRS 2019-21); अशोधित जन्म दर 19.1 (SRS 2022); अशोधित मृत्यु दर 6.1

अवधारणाएँ

- जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, प्रजनन दर (TFR), प्रतिस्थापन स्तर, जनसंख्या संवेग, प्रवासन (प्रतिकर्ष एवं आकर्षण कारक), उत्प्रवास एवं प्रतिभा पलायन, प्रेषण
- जन्म के समय लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994
- मात्स्यस का सिद्धांत; इष्टतम जनसंख्या; जनांकिकीय लाभांश; लुइस द्वि-क्षेत्रक मॉडल; टोडारो मॉडल (ग्रामीण-शहरी प्रवासन)
- प्रवासन आँकड़े: जनगणना 2011 में 45.6 करोड़ प्रवासी; आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में अंतर-राज्यीय श्रम गतिशीलता; ONORC; ई-श्रम; प्रवासन नीति; विदेशों में भारतीय: सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय (लगभग 3.5 करोड़); भारत प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता
- वृद्धावस्था: वरिष्ठ नागरिक (60+) योजनाएँ: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (2017), वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल का राष्ट्रीय कार्यक्रम, अटल वयो अभ्युदय योजना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड (अक्टूबर 2024 से 70+)

- 2025-26 में जनसंख्या: जनगणना 2027 के पश्चात 'परिसीमन'; महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से संबंध, जो 2026 के पश्चात की प्रथम जनगणना एवं परिसीमन के बाद प्रभावी होगा

उत्तर प्रदेश के जनसंख्या तथ्य

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ (जनगणना 2011) है, जो भारत का लगभग 16.5% है; इसकी TFR 2.7 (SRS 2021) राष्ट्रीय 2.0 से अधिक है, अतः भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बढ़ता जा रहा है



अध्याय 38

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: वृद्धि, राजकोषीय, मुद्रा एवं कीमते

सर्वेक्षण एक दृष्टि में

- सर्वेक्षण का विषय: लचीलेपन सहित वृद्धि; खंडित, भू-राजनीतिक रूप से तनावग्रस्त विश्व में घरेलू माँग-प्रेरित विस्तार
- मध्यम-अवधि की संभावित वृद्धि को सार्वजनिक निवेश, अवसंरचना, आपूर्ति सुधार एवं विनियमन-शैथिल्य का उल्लेख करते हुए 7.0% तक ऊपर संशोधित किया गया (तीन वर्ष पूर्व के 6.5% से)
- सर्वेक्षण की संरचना: 16 अध्याय (अध्याय 16 दो भागों में); आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन एवं रणनीतिक अपरिहार्यता की ओर
- प्रमुख बदलाव: दक्षता से रणनीतिक लचीलेपन की ओर; राज्य क्षमता निर्णायक बाधा के रूप में; मानव पूँजी एवं दीर्घायु लाभांश; शहर आर्थिक अवसंरचना के रूप में; AI विकास प्रौद्योगिकी के रूप में; प्रणाली-तत्परता सहित जलवायु संक्रमण

अध्याय	शीर्षक
1	अर्थव्यवस्था की स्थिति: वृद्धि की सीमा को आगे बढ़ाना
2	राजकोषीय घटनाक्रम: विश्वसनीय समेकन द्वारा स्थिरता का लंगर
3	मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता: नियामकीय स्पर्श का परिष्कार
4	बाह्य क्षेत्रक: दीर्घकालिक खेल
5	मुद्रास्फीति: नियंत्रित एवं स्थिर
6	कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
7	सेवाएँ: स्थिरता से नई सीमाओं की ओर
8	उद्योग की अगली छलँग: संरचनात्मक रूपांतरण एवं वैश्विक एकीकरण
9	निवेश एवं अवसंरचना
10	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
11	शिक्षा एवं स्वास्थ्य: क्या कारगर है और आगे क्या
12	रोज़गार एवं कौशल विकास: कौशल को सही दिशा देना
13	ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रगति
14	भारत में AI पारितंत्र का विकास
15	शहरीकरण: भारत के शहरों को नागरिकों के लिए कारगर बनाना
16A / 16B	आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन एवं अपरिहार्यता तक; राज्य, निजी क्षेत्र एवं नागरिक

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति (वित्त वर्ष 26 प्रथम अग्रिम अनुमान)

सूचक	वित्त वर्ष 26 (FAE)
वास्तविक GDP वृद्धि	7.4%
वास्तविक GVA वृद्धि	7.3%
निजी अंतिम उपभोग (PFCE) वृद्धि	7.0%
सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) वृद्धि	7.8%
विनिर्माण वृद्धि	7.0%

सूचक	वित्त वर्ष 26 (FAE)
सेवा वृद्धि	9.1%
कृषि वृद्धि	3.1%
मध्यम-अवधि की संभावित वृद्धि	7.0% (6.5% से ऊपर)

- प्रेरक: निजी उपभोग, फर्मों का निवेश, सेवाएँ (आपूर्ति पक्ष का सबसे बड़ा इंजन), विनिर्माण में सुधार; कृषि गति के बजाय स्थिरता जोड़ती है
- सर्वेक्षण वर्तमान एवं अगली तिमाही की वृद्धि पर नज़र रखने हेतु उच्च-आवृत्ति सूचकों को मिलाकर नाउकास्टिंग ढाँचे का प्रयोग करता है
- सर्वेक्षण वैश्विक अनिश्चितता को अस्थायी नहीं, संरचनात्मक मानता है; तर्क है कि भारत को मैराथन एवं स्प्रिंट साथ-साथ दौड़ने होंगे (वृद्धि के साथ आघात-अवशोषण)
- कमज़ोर रुपये को केवल घरेलू दुर्बलता नहीं, अंशतः भू-राजनीतिक पूँजी-प्रवाह स्थितियों का परिणाम माना गया है

अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम

मापदंड	सर्वेक्षण के आँकड़े
केंद्र का राजकोषीय घाटा	GDP का 9.2% (वित्त वर्ष 21) → 4.8% (वित्त वर्ष 25); वित्त वर्ष 26 BE 4.4%
केंद्रीय ऋण लंगर	GDP का $50 \pm 1\%$ (मध्यम अवधि)
सामान्य सरकार का ऋण	2020 से ऋण/GDP में लगभग 7.1 प्रतिशत अंक की गिरावट
राज्यों का पूँजीगत व्यय	वित्त वर्ष 25 में GDP का लगभग 2.4% (SASCI प्रोत्साहन)
सकल GST संग्रहण अप्रैल-दिसंबर 2025	₹17.4 लाख करोड़ (वार्षिक आधार पर +6.7%)
केंद्र का पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 25 (PA)	₹10.52 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 24: ₹9.49 लाख करोड़)
सड़कों पर पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 25	लगभग ₹2.85 लाख करोड़
रेलवे पर पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 25	लगभग ₹2.52 लाख करोड़

- समेकन संरक्षित पूँजीगत व्यय के साथ हुआ है; 2025 में तीन संप्रभु रेटिंग उन्नयन का श्रेय विश्वसनीय समेकन को दिया गया है
- GST 2.0 (सितंबर 2025): 18% मानक दर, 5% हितकारी दर, चयनित मदों पर 40% अहितकर/पाप दर
- SASCI = राज्यों को पूँजी निवेश हेतु विशेष सहायता; SNA-SPARSH = केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ठीक-समय निर्मुक्ति प्रणाली
- सर्वेक्षण चेतावनी है कि बिना शर्त नकद अंतरण पूँजीगत एवं मानव पूँजी व्यय को बाहर धकेल सकते हैं; रेल एवं विद्युत के क्रॉस-सब्सिडी को विकृति के रूप में रेखांकित करता है
- भारतीय सरकारी बॉन्ड के वैश्विक रूप से सूचकांकित होने पर निवेशक केंद्र एवं राज्यों के वित्त का मूल्य-निर्धारण साथ-साथ करेंगे (सामान्य-सरकार दृष्टि)

अध्याय 3: मुद्रा, बैंक एवं वित्तीय बाज़ार

क्षेत्र	सर्वेक्षण का अवलोकन
नीतिगत दर	मुद्रास्फीति घटने पर RBI ने 2025 में रेपो दर घटाई
CRR	चरणों में 100 आधार अंक घटाकर 3.0%; लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता
मुद्रा गुणक	6.21 (दिसंबर 2025 के अंत में) बनाम एक वर्ष पूर्व 5.70
बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता	GNPA कई दशकों के निम्नतम स्तर पर; CRAR सुदृढ़
गिफ्ट सिटी (IFSC)	38 IFSC बैंकिंग इकाइयाँ; परिसंपत्तियाँ 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक
गिफ्ट ऋण सूचीकरण	66 अरब डॉलर से अधिक (15 अरब डॉलर से अधिक ESG-चिह्नित)
कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार	2030 तक संभावित आकार ₹100-120 ट्रिलियन

- घरेलू बचत इक्विटी एवं म्यूचुअल फंडों की ओर स्थानांतरित हो रही है; सुदृढ़ IPO संग्रहण; घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) अब FPI की अस्थिरता को धामते हैं
- SCRA, SEBI अधिनियम एवं निक्षेपागार अधिनियम को समेकित करने हेतु प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 प्रस्तावित
- वित्त में AI मॉडल, संकेंद्रण एवं उपभोक्ता-संरक्षण जोखिम उत्पन्न करता है; सर्वेक्षण समानुपातिक, प्रौद्योगिकी-सज्ज विनियमन की सलाह देता है
- पूँजी की उच्च लागत अंशतः संरचनात्मक है (निरंतर चालू खाता घाटे का अर्थ विदेशी बचत पर निर्भरता)

अध्याय 5: मुद्रास्फीति

सूचक	सर्वेक्षण का आकलन
वैश्विक शीर्षक मुद्रास्फीति	8.7% (2022) → 4.2% (2025)
भारत की मुद्रास्फीति 2025 (IMF-तुलनीय)	2.8%
CPI शीर्षक, अक्टूबर 2025	0.3%, CPI 2012 श्रृंखला में न्यूनतम
CPI शीर्षक, दिसंबर 2025	1.3%
खाद्य मुद्रास्फीति, दिसंबर 2025	-2.71%
मूल (कोर) मुद्रास्फीति, दिसंबर 2025	4.62%
स्वर्ण एवं चाँदी को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति	लगभग 3.4% (जून) → लगभग 2.3% (दिसंबर 2025)

- खाद्य अवस्फीति ने शीर्षक मुद्रास्फीति को नीचे खींचा; स्वर्ण एवं चाँदी की कीमतों ने परंपरागत मूल मुद्रास्फीति को ऊपर उठाया
- सर्वेक्षण आधार प्रभाव को संवेग से पृथक करता है तथा राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति अंतरों (अंशतः मज़दूरी-प्रेरित) की जाँच करता है
- दलहन, सब्जियाँ, मसाले एवं खाद्य तेल मुख्य अस्थिर मदें बनी हुई हैं; खाद्य तेल की कीमतें सीमा शुल्क के संचरण को प्रतिबिंबित करती हैं

स्मरणीय त्वरित तथ्य

वित्त वर्ष 26 FAE वृद्धि 7.4%; संभावित वृद्धि 7.0%

राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 25 में 4.8%, वित्त वर्ष 26 BE 4.4%; ऋण लंगर GDP का $50 \pm 1\%$

100 आधार अंक की कटौती के बाद CRR 3.0%; मुद्रा गुणक 6.21

CPI अक्टूबर 2025 = 0.3%, 2012 श्रृंखला में न्यूनतम

अध्याय 39

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: बाह्य क्षेत्रक, कृषि, सेवाएँ, उद्योग, अवसंरचना

अध्याय 4: बाह्य क्षेत्रक

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
कुल निर्यात वित्त वर्ष 25	825.3 अरब अमेरिकी डॉलर
कुल निर्यात वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही	418.5 अरब अमेरिकी डॉलर
चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही	15.0 अरब अमेरिकी डॉलर (GDP का 0.8%)
चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही	25.3 अरब अमेरिकी डॉलर (GDP का 1.3%)
2020 से निर्यात CAGR	कुल लगभग 9.4%; वस्तुएँ लगभग 6.4%
स्थिरकारी कारक	सॉफ्टवेयर एवं व्यावसायिक सेवाएँ, GCC, प्रेषण
निर्यात विविधीकरण	इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधियाँ, विद्युत मशीनरी

- व्यापार अति-वैश्वीकरण के पश्चात के चरण में प्रवेश कर रहा है: मित्र-राष्ट्र आधारित (फ्रेंड-शोरिंग), निकट-स्थानीयकरण (नियर-शोरिंग) एवं सुरक्षा-आधारित प्रशुल्क
- सेवाएँ भारत की बाह्य आघात-अवशोषक हैं, किंतु टिकाऊ मुद्रा सुदृढ़ता हेतु सुदृढ़तर विनिर्मित-निर्यात आधार एवं वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) पारितंत्र आवश्यक हैं
- कमजोर वैश्विक FDI के बावजूद FDI सुदृढ़ बना हुआ है; भारत आवक FDI पर उच्च जोखिम-समायोजित प्रतिफल प्रदान करता है; बहिर्गामी FDI को विकास का अंग माना गया है

अध्याय 6: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

क्षेत्र	सर्वेक्षण की स्थिति
रोज़गार में हिस्सा	कार्यबल का 46.1%
आय में हिस्सा	चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लगभग पाँचवाँ भाग
MSP नीति	MSP अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित (2018-19 से)
स्थिर वृद्धि के प्रेरक	संबद्ध क्षेत्रक: पशुधन, मत्स्यपालन, बागवानी
खाद्य प्रबंधन	उपार्जन, बफर स्टॉक, सब्सिडी का प्रौद्योगिकी-आधारित लक्ष्यीकरण

- रेखांकित योजनाएँ: कृषोन्नति योजना (छत्र: MIDH, NFSNM, SAME एवं अन्य), PM-KISAN, प्रति बूँद अधिक फसल, डिजिटल कृषि मिशन, FPO संवर्धन, किसान क्रेडिट कार्ड, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, किसान ऋण पोर्टल, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
- नए विषय: एथेनॉल नीति एवं फसल-चयन के समझौते, उर्वरक का मृदा स्वास्थ्य की ओर पुनर्अभिविन्यास, चावल-गेहूँ से परे उपार्जन, डिजिटलीकरण द्वारा खाद्य सब्सिडी सुधार

अध्याय 7: सेवाएँ

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
------	---------------------

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
GDP में सेवाओं का हिस्सा (वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही)	लगभग 53.6%
सेवा GVA वृद्धि (वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही)	9.3%
रोज़गार	कुल का लगभग 30%; छह वर्षों में लगभग 4 करोड़ रोज़गार जुड़े
नियमित वेतनभोगी श्रमिक	सेवाओं में लगभग 51.5%, उद्योग में 25.5%, कृषि में 1%
सेवा निर्यात / GDP	9.7% (वित्त वर्ष 23-25 औसत); 10.0% (वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही)
व्यावसायिक एवं प्रबंधन परामर्श निर्यात	CAGR 25.9% (वित्त वर्ष 23-25)
वायु यात्री वित्त वर्ष 25	लगभग 41.18 करोड़

- नई सीमाएँ: GCC (वैश्विक क्षमता केंद्र), पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, रियल एस्टेट, नारंगी अर्थव्यवस्था (रचनात्मक एवं मीडिया), अंतरिक्ष सेवाएँ
- नई अवधारणा: विनिर्माण का सेवाकरण (विनिर्माण के भीतर डिज़ाइन, लॉजिस्टिक्स, सॉफ़्टवेयर एवं विक्रयोपरांत सेवाएँ)

अध्याय 8: उद्योग

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
विनिर्माण वृद्धि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही	प्रथम तिमाही लगभग 7.7%; द्वितीय तिमाही लगभग 9.1%
विनिर्माण में मध्यम/उच्च-प्रौद्योगिकी हिस्सा	लगभग 46.3%
कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 25	लगभग 1,047.5 मिलियन टन
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 25	लगभग ₹11.3 लाख करोड़
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 25	लगभग ₹3.3 लाख करोड़
MSME ऋण वृद्धि अगस्त 2025	सूक्ष्म एवं लघु 20.9%; मध्यम 13.1%; कुल 18.5%
बड़े उद्योग की ऋण वृद्धि अगस्त 2025	लगभग 1.8%

- साधन: PLI, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, ANRF एवं RDI कोष, PM गतिशक्ति, औद्योगिक गलियारे, व्यावहारिक QCO (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश)
- सीख: ऊर्ध्वधारा आगतों (इस्पात, एल्युमीनियम, रेशे) का संरक्षण अधोधारा निर्यातकों पर कर लगाने के समान है; MSME को आकार बढ़ाना होगा (लुप्त-मध्यम की समस्या)

अध्याय 9: निवेश एवं अवसंरचना

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
केंद्र का पूँजीगत व्यय	₹5.92 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 22) → ₹11.21 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 26 BE), 89% वृद्धि
अवसंरचना को बैंक ऋण	वार्षिक आधार पर +4.6% (अक्टूबर 2025), एक वर्ष पूर्व 2.3%
वाणिज्यिक क्षेत्र को NBFC का शुद्ध वित्तपोषण	CAGR 43.3% (वित्त वर्ष 20-25)
PPP अनुमोदन	129 परियोजनाएँ; लागत लगभग ₹5.61 लाख करोड़
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण	72 परियोजनाएँ; केंद्रीय VGF लगभग ₹7,941.8 करोड़; लगभग ₹6,314.9 करोड़ संवितरित (दिसंबर 2025)
द्रुतगति गलियारे	लगभग 550 किमी (2014) → लगभग 5,364 किमी (दिसंबर 2025)
रेल विद्युतीकरण	लगभग 99.1% (अक्टूबर 2025)

- विषय: परिसंपत्ति पुनर्चक्रण हेतु InvIT एवं REIT, अंतर्देशीय जलमार्ग (कोच्चि वाटर मेट्रो), DISCOM सुधार, इंडिया एनर्जी स्टैक, भारतनेट, अंतरिक्ष में निजी भागीदारी

स्मरणीय त्वरित तथ्य

निर्यात वित्त वर्ष 25 में 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर; CAD वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में GDP का 0.8%

कृषि: कार्यबल का 46.1%, GDP का लगभग पाँचवाँ भाग; $MSP = 1.5 \times$ लागत

सेवाएँ GDP का लगभग 53.6%; केंद्र का पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 26 BE ₹11.21 लाख करोड़



अध्याय 40

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: जलवायु, मानव पूँजी, ग्रामीण, AI, शहर एवं राज्य क्षमता

अध्याय 10: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म हिस्सा	51.93% (दिसंबर 2025 के अंत में)
अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 26 में नई नवीकरणीय क्षमता	38.61 GW (सौर लगभग 30.16 GW; पवन लगभग 4.47 GW)
2035 तक जलवायु-वित्त की आवश्यकता	लगभग 310-365 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष
वर्तमान जलवायु-वित्त प्रवाह	लगभग 26 अरब अमेरिकी डॉलर
लचीलेपन से संबंधित व्यय	लगभग GDP का 3.7% (वित्त वर्ष 16) → लगभग 5.6% (वित्त वर्ष 22)

- नीतिगत साधन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, BioE3, शांति (SHANTI) अधिनियम 2025 (नाभिकीय क्षेत्रक सुधार), कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, MISHTI (मैंग्रोव), हरित बॉन्ड, KERA (केरल जलवायु-सुदृढ़ कृषि मूल्य शृंखला)
- मूल विचार: क्रमबद्धता; प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुँचाए बिना नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड, भंडारण एवं वित्त से मेल खाना होगा

अध्याय 11: शिक्षा एवं स्वास्थ्य

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
विद्यार्थी (UDISE+ 2024-25)	24.69 करोड़
विद्यालय	14.71 लाख
शिक्षक	1.01 करोड़ से अधिक
सरकारी विद्यालय	69% विद्यालय; लगभग आधे विद्यार्थी
निजी विद्यालय	26% विद्यालय; 41% नामांकन
शिशु मृत्यु दर	40 (2013) → 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म (2023)
AB PM-JAY कार्ड	42.78 करोड़; अस्पताल प्रवेश 10.98 करोड़; 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक आच्छादित

- आगतों से सीखने के परिणामों की ओर बदलाव; PARAKH मूल्यांकन; चिंताएँ: असंचारी रोग (NCD), मोटापा, अति-प्रसंस्कृत खाद्य, डिजिटल लत

अध्याय 12: रोज़गार एवं कौशल

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
जनांकिकीय लाभांश का शिखर	लगभग 2030 (लगभग 65% की आयु 15-59 वर्ष)
महिला LFPR	23.3% (2017-18) → 41.7% (2023-24)
बेरोज़गारी दर	5.6% → 3.2% (तुलनीय अवधि)
नियोजित व्यक्ति वित्त वर्ष 26 की द्वितीय तिमाही	लगभग 56.2 करोड़ (15+ आयु)
श्रम संधार	चार श्रम संहिताएँ अधिसूचित

- डिजिटल मंच: ई-श्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, स्किल इंडिया डिजिटल हब; विचार: कौशल वाउचर, प्रशिक्षुता, ITI आधुनिकीकरण (ओडिशा), दीर्घायु लाभांश, सुवाह्य गिग-श्रमिक संरक्षण

अध्याय 13: ग्रामीण विकास

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
राष्ट्रीय MPI	55.3% (2005-06) → 14.96% (2019-21) → 11.28% (2022-23, अनुमानित)
अत्यधिक निर्धनता (विश्व बैंक, संशोधित रेखा)	भारत हेतु 5.3% (2022-23)
सामाजिक सुरक्षा कवरेज	लगभग 22% (2016) → लगभग 64.3% (2025)
ग्रामीण पेयजल पहुँच	लगभग 94.6% (2015-16) → लगभग 99.6% (2024-25)
स्वामित्व	लगभग 1.82 लाख गाँवों में लगभग 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड
DILRMP	अधिकार अभिलेख का कंप्यूटरीकरण लगभग 99.8%
DAY-NRLM	लगभग 90.90 लाख स्वयं सहायता समूह; लगभग 10.05 करोड़ परिवार; बैंक ऋण लगभग ₹11.92 लाख करोड़

- पंचायत उन्नति सूचकांक SDG का स्थानीयकरण करता है; सामुदायिक संस्थाओं को उत्पादक अवसंरचना माना गया है

अध्याय 14: AI पारितंत्र

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
कम से कम एक कार्य में AI का प्रयोग करने वाली फर्में	उद्धृत सर्वेक्षण में 50% (2022) → 88% (2025)
डेटा-केंद्र संकेंद्रण	उच्च-आय वाले देशों में 70% से अधिक; भारत में लगभग 3%
शासन सिद्धांत	चरणबद्ध: समन्वय, फिर क्षमता, फिर सुदृढ़तर दायित्व

- सर्वेक्षण किफ़ायती, अनुप्रयोग-आधारित AI, मुक्त मॉडल, घरेलू डेटा मूल्य तथा AI आर्थिक परिषद का पक्षधर है

अध्याय 15: शहरीकरण

सूचक	सर्वेक्षण के आँकड़े
समूहन प्रभाव	शहर का आकार दुगुना होने पर उत्पादकता में लगभग 12% की वृद्धि
शहरी जनसंख्या प्रक्षेपण	2036 तक लगभग 60 करोड़ (लगभग 40%)
GDP में शहरी क्षेत्रों का योगदान	लगभग 70%
शीर्ष 10 शहर	लगभग 9% जनसंख्या, लगभग 28% GDP
नगरपालिका स्व-स्रोत राजस्व	लगभग GDP का 0.15%
मेट्रो/RTS	लगभग 24 शहरों में लगभग 1,036 किमी (2025)

- विचार: आर्थिक अवसंरचना के रूप में शहर, अनौपचारिकता का उन्मूलन नहीं बल्कि एकीकरण, भीड़-भाड़ मूल्य निर्धारण, नेटवर्कों के नेटवर्क के रूप में नमो भारत

अध्याय 16: रणनीतिक लचीलापन एवं राज्य क्षमता

स्तर	तर्क
स्तर I: गंभीर संवेदनशीलताएँ	सूनिश्चित घरेलू क्षमता, लक्षित एवं समय-बद्ध
स्तर II: रणनीतिक लाभ सहित संभाव्य क्षमता	उत्पादकता, लागत-अभिसरण, निर्यात से संबद्ध अस्थायी समर्थन

स्तर	तर्क
स्तर III: कम तात्कालिकता, उच्च लागत वाला प्रतिस्थापन	संरक्षण नहीं, विविध स्रोत-निर्धारण एवं बफर

- रणनीतिक अपरिहार्यता: ऐसा आपूर्तिकर्ता बनना जिसे अन्य सरलता से बाहर न कर सकें
- विनियमन-शैथिल्य: 23 प्राथमिकता क्षेत्र × 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र = 828 सुधार कार्रवाईयाँ; 23 जनवरी 2026 तक लगभग 630 (76%) कार्यान्वित; लगभग 79 (10%) कार्यान्वयनाधीन
- राज्य क्षमता = सही कार्यों को पूरा करने की योग्यता; उपाय: प्रयोग हेतु सीमाबद्ध सुरक्षित स्थान, नियामकीय क्षमता, राज्य सहायता मिशन, मिशन कर्मयोगी

स्मरणीय त्वरित तथ्य

गैर-जीवाश्म क्षमता 51.93%; MPI 11.28% (2022-23); शिशु मृत्यु दर 25 (2023)
महिला LFPR 41.7% (2023-24); AI का प्रयोग करने वाली फर्म 88% (2025)
विनियमन-शैथिल्य: 23 जनवरी 2026 तक 828 में से 630 सुधार पूर्ण

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति: वृद्धि की सीमा को आगे बढ़ाना

- यह अध्याय वित्त वर्ष 26 को ऐसी अवधि के रूप में पढ़ता है जिसमें अधिक खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था के बावजूद घरेलू माँग, निजी उपभोग एवं पूँजी निर्माण ने वृद्धि की गति बनाए रखी। यह आधिकारिक राष्ट्रीय लेखा अनुमानों को उच्च-आवृत्ति सूचकों तथा आंतरिक नाउकास्टिंग ढाँचे के साथ जोड़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि भारत की मध्यम-अवधि की उत्पादन क्षमता सुदृढ़ हुई है।

प्रमुख आँकड़े

वास्तविक GDP वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 7.4%
वास्तविक GVA वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 7.3%
PFCE वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 7.0%
GFCF वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 7.8%
विनिर्माण वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 7.0%
सेवा वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 9.1%
कृषि वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE 3.1%
मध्यम-अवधि की संभावित वृद्धि 7.0%, तीन वर्ष पूर्व के 6.5% से ऊपर संशोधित

विस्तार का प्रेरक क्या है?

- उपभोग एक केंद्रीय सहारा बना हुआ है: PFCE वृद्धि सुदृढ़ हुई तथा GDP में उसका हिस्सा उच्च स्तर पर पहुँचा। इससे नाजुक बाह्य माँग पर निर्भरता सीमित होती है।
- निवेश की गति सुदृढ़ है: GFCF वृद्धि सशक्त बनी हुई है; सार्वजनिक अवसंरचना निवेश का जारी रहना लॉजिस्टिक्स की बाधाएँ घटा रहा है और निजी गतिविधि को आकर्षित कर रहा है।
- सेवाएँ आपूर्ति पक्ष का सबसे बड़ा इंजन हैं: सेवाओं की वृद्धि अन्य प्रमुख क्षेत्रों से सुदृढ़ बनी हुई है, जबकि विनिर्माण ने पुनः गति प्राप्त की है।
- कृषि गति के बजाय स्थिरता जोड़ती है: फसल वृद्धि अस्थिर बनी हुई है, जबकि संबद्ध गतिविधियाँ अधिक स्थिर विस्तार देती हैं।
- समष्टि-आर्थिक मूल तत्व कुल मिलाकर सहायक हैं: मुद्रास्फीति मध्यम हुई, बैंक स्वस्थ रहे, तरलता सुविधाजनक रही, राजकोषीय समेकन जारी रहा तथा बाह्य क्षेत्रक प्रबंधनीय रहा।
- उच्च-आवृत्ति निगरानी समष्टि प्रबंधन का अंग बन गई है: सर्वेक्षण का नाउकास्टिंग मॉडल वर्तमान एवं आगामी तिमाही की वृद्धि के आकलन हेतु सामयिक सूचकों को मिलाता है।
- अवसंरचना एवं विनियमन-शैथिल्य आपूर्ति क्षमता बढ़ाते हैं: हवाई अड्डा विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स सुधार तथा राज्य-स्तरीय अनुपालन सुधारों को अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्पादकता लाभ माना गया है।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

सर्वेक्षण संभावित वृद्धि को 7% संशोधित करता है और संरचनात्मक सुधारों एवं सार्वजनिक निवेश को अर्थव्यवस्था की आपूर्ति क्षमता से स्पष्टतः जोड़ता है। यह वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक अनिश्चितता को अस्थायी नहीं, संरचनात्मक मानता है, जिसके लिए बफर, अतिरिक्त एवं तरलता आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया-सुधार पर अधिक बल देता है, अर्थात् राज्य फर्मों एवं नागरिकों से कैसे व्यवहार करता है, जो तय करता है कि नीतिगत मंशा परिणाम देती है या नहीं। यह अवमूल्यित/कमजोर रुपये को केवल घरेलू समष्टि दुर्बलता नहीं, अंशतः भू-राजनीतिक पूँजी-प्रवाह स्थितियों का प्रतिबिम्ब मानता है। यह तर्क देता है कि भारत को घरेलू वृद्धि को अधिकतम करने तथा आघात-अवशोषण को सुदृढ़ करने का कार्य एक साथ करना होगा, जिसे प्रस्तावना में मैराथन एवं स्प्रिंट साथ-साथ दौड़ना कहा गया है।

• मूल विश्लेषण

- घरेलू माँग बाह्य निर्भरता घटाती है: वित्त वर्ष 26 की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% अनुमानित है, जिसके प्रमुख प्रेरक PFCE एवं निवेश हैं। उदा.: PFCE वृद्धि 7.0% तथा GFCF 7.8% अनुमानित।
- सेवाएँ वृद्धि को लचीलापन देती हैं: क्षेत्रिक प्रमुख आपूर्ति-पक्ष योगदानकर्ता बना हुआ है। उदा.: वित्त वर्ष 26 FAE में सेवा वृद्धि 9.1% अनुमानित।
- विनिर्माण में सुधार आधार को व्यापक बनाता है: 7.0% की विनिर्माण वृद्धि केवल-सेवा विस्तार की तुलना में अधिक संतुलित संरचना का समर्थन करती है।
- अवसंरचना संभावित उत्पादन बढ़ाती है: तीव्रतर लॉजिस्टिक्स, हवाई अड्डे एवं माल संपर्क अर्थव्यवस्था-व्यापी लेन-देन लागत घटाते हैं; यह सर्वेक्षण द्वारा संभावित वृद्धि को 7.0% तक बढ़ाने का एक कारण है।
- नियंत्रित मुद्रास्फीति वास्तविक क्रय शक्ति सुधारती है: कीमत दबावों में कमी उपभोग को सहारा देती है तथा प्रतिबंधात्मक नीति की आवश्यकता घटाती है।
- स्वस्थ वित्तीय तुलन-पत्र संचरण को सुदृढ़ करते हैं: कम NPA एवं सुदृढ़ ऋण मध्यस्थता निवेश माँग को उत्पादक क्षमता में परिवर्तित होने देती है।
- बाह्य अनिश्चितता मुख्य पुच्छ-जोखिम बनी हुई है: घरेलू मूल तत्व सुदृढ़ होने पर भी व्यापार विखंडन, भू-राजनीतिक आघात और पूँजी-प्रवाह उत्क्रमण निर्यात, निवेश तथा रुपये को प्रभावित कर सकते हैं।
- संस्थागत निष्पादन मध्यम-अवधि का अंतरकारी कारक है: सर्वेक्षण भावी वृद्धि को बार-बार एकबारगी प्रोत्साहन के बजाय विनियमन-शैथिल्य, राज्य सामर्थ्य एवं पूर्वानुमेय प्रशासन से जोड़ता है।

जोखिम एवं बाधाएँ

वैश्विक व्यापार नीति कम नियम-आधारित तथा अधिक सुरक्षा-प्रेरित हो गई है। सुदृढ़ घरेलू मूल तत्वों के बावजूद पूँजी-प्रवाह की अस्थिरता रुपये को कमजोर कर सकती है। कृषि उत्पादकता एवं रोजगार की गुणवत्ता संरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं। राजकोषीय घाटे के समेकन के साथ सार्वजनिक निवेश को बनाए रखने हेतु व्यय की गुणवत्ता आवश्यक है।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

राजकोषीय विश्वसनीयता बनाए रखते हुए वृद्धि-वर्धक सार्वजनिक निवेश जारी रखें। बाह्य आय सुदृढ़ करने हेतु विनिर्माण/निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएँ। राज्य-स्तरीय विनियमन-शैथिल्य को गहन करें और MSME के लिए अनुपालन लागत घटाएँ। मानव पूँजी, कौशल एवं स्वास्थ्य में निवेश करें ताकि जनांकिकीय लाभ उत्पादकता में बदले। अरैखिक बाह्य आघातों के विरुद्ध भंडार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और महत्वपूर्ण आगतों में बफर बनाए रखें।

अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम: विश्वसनीय समेकन द्वारा स्थिरता का लंगर

- राजकोषीय अध्याय तर्क देता है कि भारत की विश्वसनीयता सुदृढ़ हुई है क्योंकि समेकन उच्च सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ हुआ है। यह ध्यान केवल केंद्र से हटाकर सामान्य सरकार के वित्त पर ले जाता है, विशेषतः राज्य व्यय की गुणवत्ता, बिना शर्त अंतरणों तथा राज्य के राजकोषीय व्यवहार के संप्रभु आधार लागत पर निहितार्थों पर।

प्रमुख आँकड़े

केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 21 में GDP का 9.2% → वित्त वर्ष 25 में 4.8%; वित्त वर्ष 26 BE 4.4%
 केंद्र सरकार का मध्यम-अवधि ऋण लंगर GDP का $50 \pm 1\%$
 सामान्य सरकार ऋण समायोजन: 2020 से ऋण/GDP में लगभग 7.1 प्रतिशत अंक की गिरावट
 राज्यों का पूँजीगत व्यय: वित्त वर्ष 25 में GDP का लगभग 2.4%, SASCI प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित
 सकल GST संग्रहण, अप्रैल-दिसंबर 2025: ₹17.4 लाख करोड़; वार्षिक आधार पर +6.7%
 केंद्र का पूँजीगत व्यय, वित्त वर्ष 25 PA: ₹10.52 लाख करोड़, वित्त वर्ष 24 के ₹9.49 लाख करोड़ की तुलना में
 सड़कों पर पूँजीगत व्यय, वित्त वर्ष 25 PA: लगभग ₹2.85 लाख करोड़
 रेलवे पर पूँजीगत व्यय, वित्त वर्ष 25 PA: लगभग ₹2.52 लाख करोड़

राजकोषीय रणनीति एवं सुधार संरचना

- पूँजीगत व्यय सहित समेकन: केंद्र ने पूँजी निर्माण को संरक्षित रखते हुए घाटा घटाया है, जो संकेत देता है कि व्यय की गुणवत्ता सुधारने पर समेकन का संकुचनकारी होना आवश्यक नहीं।
- GST एक उत्प्लावक राजस्व आधार के रूप में: संग्रहण वृद्धि मोटे तौर पर सांकेतिक GDP का अनुसरण करती है, जबकि ई-वे बिल की मात्रा सुदृढ़ लेन-देन गतिविधि दर्शाती है।
- GST 2.0: सर्वेक्षण सितंबर 2025 के सुधार की चर्चा करता है, जो व्यापक 18% मानक दर, 5% हितकारी दर तथा चयनित मदों पर उच्चतर 40% अहितकर/पाप दर पर केंद्रित है।
- SASCI: राज्य पूँजी निवेश/व्यय हेतु विशेष सहायता का प्रयोग राज्यों के पूँजीगत व्यय तथा सुधार-संबद्ध निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु होता है।
- प्रौद्योगिकी-प्रेरित व्यय प्रबंधन: दक्षता एवं नकदी प्रबंधन सुधारने हेतु डिजिटल सार्वजनिक वित्त प्रणालियों तथा SNA-SPARSH को रेखांकित किया गया है।
- सामान्य-सरकार दृष्टि: निवेशक केंद्र-राज्य के संयुक्त राजकोषीय परिणामों का अधिकाधिक मूल्यांकन करते हैं, जिससे राज्य राजकोषीय अनुशासन समष्टि-आर्थिक रूप से प्रासंगिक हो जाता है।
- क्रॉस-सब्सिडी: रेल माल/यात्री तथा विद्युत की क्रॉस-सब्सिडी को प्रतिस्पर्धात्मकता एवं वित्तीय धारणीयता को प्रभावित करने वाली विकृतियों के रूप में चिह्नित किया गया है।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

बिना शर्त नकद अंतरण व्यय-गुणवत्ता का समझौता उत्पन्न करते हैं: सर्वेक्षण चेतावनी है कि तीव्र विस्तार बजट को कठोर बना सकता है और पूँजीगत/मानव-पूँजी व्यय को बाहर धकेल सकता है।
 राज्यों का वित्त संप्रभु प्रतिफल को प्रभावित कर सकता है: भारतीय सरकारी बॉन्ड के वैश्विक रूप से सूचकांकित होने पर निवेशक सामान्य-सरकार की विश्वसनीयता का आकलन करेंगे और राज्यों की चूक को पूर्णतः स्थानीय नहीं मानेंगे।
 कर प्रशासन व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र का उपयोग कर सकता है: सर्वेक्षण केवल प्रवर्तन के बजाय विश्वास/प्रेरणा (नज) दृष्टिकोणों तथा आँकड़ा-संचालित अनुपालन की चर्चा करता है।
 राजकोषीय विकेंद्रीकरण एवं अभिसरण: अंतर-सरकारी अंतरणों का आकलन केवल पुनर्वितरण नहीं, पूँजी निर्माण एवं क्षेत्रीय अभिसरण के साधनों के रूप में किया जाता है।
 इक्विटी मौद्रिकरण के लिए पूर्वानुमेय पाइपलाइन आवश्यक है: सर्वेक्षण परिसंपत्ति/इक्विटी मौद्रिकरण को अधिक सतत एवं विश्वसनीय बनाने हेतु संस्थागत परिवर्तन सज़ाता है।

मूल विश्लेषण

- विश्वसनीयता जोखिम प्रीमियम घटाती है: निरंतर घाटा-कटौती ने 2025 में तीन संप्रभु रेटिंग उन्नयनों में योगदान दिया। उदा.: राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 21 में GDP के 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 4.8% रहा।
- पूँजीगत व्यय संरक्षित रहा है: वित्त वर्ष 25 में केंद्र का पूँजीगत व्यय ₹10.52 लाख करोड़ पहुँचा, जो अंधाधुंध कटौतियों के बजाय सुधरे राजस्व एवं व्यय संघटन के माध्यम से समेकन दर्शाता है।
- राज्यों का पूँजीगत व्यय समग्र वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है: राज्यों ने वित्त वर्ष 25 में पूँजीगत व्यय लगभग GDP के 2.4% पर बनाए रखा, जिसमें SASCI ने निवेश के लिए प्रोत्साहन सृजित किए।
- राजस्व उत्प्लावकता राजकोषीय गुंजाइश बनाती है: उदा.: अप्रैल-दिसंबर 2025 में सकल GST संग्रहण ₹17.4 लाख करोड़ रहा, जो वार्षिक आधार पर 6.7% अधिक है।
- नकद अंतरणों की अवसर लागतें हो सकती हैं: बिना शर्त अंतरण अवसंरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बाहर धकेल सकते हैं और कौशल तथा नियोजनीयता के प्रोत्साहन कमज़ोर कर सकते हैं।
- सामान्य-सरकार अनुशासन उधार लागत को प्रभावित करता है: वैश्विक निवेशक केंद्र एवं राज्य की देनदारियों का मूल्य-निर्धारण साथ-साथ अधिकाधिक करते हैं।
- ऋण धारणीयता गतिशील है: सर्वेक्षण नोट करता है कि निवेश उच्च रहते हुए 2020 से सामान्य-सरकार ऋण/GDP में लगभग 7.1 प्रतिशत अंक की गिरावट आई।

- व्यय दक्षता सुधार की सीमा है: डिजिटल प्रणालियाँ, परिणाम-अभिव्यक्त और घटी क्रॉस-सब्सिडी उच्चतर कर दरों के बिना राजकोषीय गुंजाइश उत्पन्न कर सकती हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

कुछ राज्यों में बढ़ते राजस्व घाटे उत्पादक व्यय को संकुचित कर सकते हैं।
प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडियाँ लचीलापन घटाती हैं।
नकद-अंतरण की प्रतिस्पर्धा राज्य बजटों की गुणवत्ता कमज़ोर कर सकती है।
विद्युत एवं रेलवे में क्रॉस-सब्सिडी कीमतों एवं उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता को विकृत करती हैं।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

राजकोषीय नीति को केवल घाटा-कटौती नहीं, ऋण धारणीयता एवं व्यय गुणवत्ता से संबद्ध करें।
समेकन के दौरान पूँजीगत एवं मानव-पूँजी व्यय को संरक्षित रखें।
सुधारों एवं उत्पादक राज्य निवेश को पुरस्कृत करने हेतु SASCI और राजकोषीय अंतरणों का प्रयोग करें।
GST सरलीकरण तथा व्यवहारात्मक/ऑकड़ा-संचालित अनुपालन जारी रखें।
जहाँ संभव हो, अकुशल क्रॉस-सब्सिडी घटाएँ और उपयोगकर्ता-शुल्क की संरचना सुधारें।

अध्याय 3: मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता: नियामकीय स्पर्श का परिष्कार

- वित्तीय अध्याय वित्त वर्ष 26 को मौद्रिक सहजता, सुदृढ़तर संचरण, कई दशकों की न्यूनतम बैंक NPA, विस्तृत होते पूँजी बाज़ारों तथा गहन गृहस्थ भागीदारी की अवधि के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका व्यापक तर्क है कि विनियमन को नवाचार एवं पैमाने को सक्षम बनाना चाहिए, साथ ही स्थिरता और गृहस्थ कल्याण की रक्षा करनी चाहिए।
- मौद्रिक एवं बैंकिंग झलक**

प्रमुख आँकड़े

नीतिगत सहजता: मुद्रास्फीति के मध्यम होने पर RBI ने 2025 में रेपो दर घटाई
CRR: चरणबद्ध रूप से 100 आधार अंक घटाकर 3.0%; लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता
मुद्रा गुणक: दिसंबर 2025 के अंत में 6.21, एक वर्ष पूर्व 5.70
बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता: GNPA कई दशकों के निम्नतम स्तर पर; CRAR सुदृढ़ बना रहा
वित्तीयकरण: गृहस्थ बचत का इक्किटी एवं म्यूचुअल फंडों की ओर बढ़ता स्थानांतरण
गिफ्ट सिटी: 38 IFSC बैंकिंग इकाइयाँ; परिसंपत्तियाँ >100 अरब अमेरिकी डॉलर; संचयी बैंकिंग लेन-देन लगभग 142.98 अरब डॉलर
गिफ्ट ऋण सूचीकरण: >66 अरब डॉलर, जिसमें >15 अरब डॉलर ESG-चिह्नित
कॉर्पोरेट बॉन्ड अवसर: सर्वेक्षण 2030 तक ₹100-120 ट्रिलियन के संभावित बाज़ार आकार की चर्चा करता है

- सहजता का उधार दरों तक संचरण: रेपो एवं तरलता उपायों ने भारित औसत उधार दरें घटाई, जिससे ऋण स्थितियों को सहारा मिला।
- बैंक मरम्मत परिपक्व है: घटते GNPA और सुदृढ़ लाभप्रदता बचत को निवेश में मध्यस्थित करने की बैंकों की क्षमता सुधारते हैं।
- प्राथमिक इक्किटी बाज़ार पूँजी निर्माण का प्रमुख माध्यम हैं: सर्वेक्षण असामान्य रूप से सुदृढ़ IPO गतिविधि और घरेलू निवेशक भागीदारी पर बल देता है।
- गृहस्थ पोर्टफोलियो बदल रहे हैं: इक्किटी-संबद्ध लिखतों और म्यूचुअल फंडों ने वार्षिक वित्तीय बचत में हिस्सा बढ़ाया है।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना समावेशन को गहन करती है: भुगतान, फिनटेक उधार तथा सरकारी सूक्ष्म ऋण गृहस्थों और छोटे उद्यमों को औपचारिक वित्त से जोड़ते हैं।
- गिफ्ट सिटी वैश्विक पूँजी का प्रवेश-द्वार बन रहा है: IFSC में बैंकिंग, डेरिवेटिव, कोष, बीमा और ऋण सूचीकरण का पैमाना बढ़ रहा है।
- प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025: SCRA, SEBI अधिनियम तथा निक्षेपागार अधिनियम को एकीकृत विधिक ढाँचे में समेकित करने हेतु प्रस्तुत।
- AI एक नई नियामकीय समस्या उत्पन्न करता है: वित्तीय संस्थाएँ अंडरराइटिंग और सेवा-प्रदान में सुधार कर सकती हैं, किंतु मॉडल जोखिम, संकेंद्रण, अपारदर्शिता एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु संतुलित नियामकीय प्रतिक्रिया आवश्यक है।

सर्वेक्षण के विशिष्ट अवलोकन

पूँजी की उच्च लागत अंशतः समष्टि-संरचनात्मक है: निरंतर चालू खाता घाटे का अर्थ विदेशी बचत पर निर्भरता तथा जोखिम प्रीमियम है; स्थायी कमी हेतु सुदृढ़तर निर्यात, उत्पादकता और वित्तीय गहनता आवश्यक है।
वित्तीय समावेशन कल्याण-केंद्रित होना चाहिए: सूक्ष्म वित्त एवं प्रभाव निवेश को ऋण-विस्तार को ही सफलता नहीं मानना चाहिए यदि गृहस्थ अति-ऋणग्रस्तता बढ़ती है।
भूगतान अवसंरचना वित्तीय गहनता उत्पन्न कर सकती है: डिजिटल पटरियाँ लेन-देन लागत घटाती हैं और ऐसे सूचना-चिह्न बनाती हैं जो औपचारिक ऋण का समर्थन करते हैं।
विनियमन अधिक परिणाम-आधारित होना चाहिए: अध्याय का वाक्यांश 'नियामकीय स्पर्श का परिष्कार' नियमों के संचय से संतुलित पर्यवेक्षण की ओर बदलाव दर्शाता है।
घरेलू संस्थाएँ बाह्य अस्थिरता को थाम सकती हैं: DII की बढ़ती भागीदारी FPI प्रवाहों पर एकमात्र निर्भरता घटाती है।

• मूल विश्लेषण

- बैंक तुलन-पत्र अब मुख्य बाधा नहीं हैं: कई दशकों के निम्नतम GNPA तथा सुदृढ़ पूँजी अनुपात प्रणाली को मरम्मत पर केंद्रित रहने के बजाय निवेश का समर्थन करने देते हैं।
- तुलन-पत्र स्वस्थ होने पर मौद्रिक सहजता संचरित हो सकती है: CRR को 3% तक घटाने से लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता निर्मुक्त हुई, जबकि उधार दरें घटीं।
- मुद्रा सृजन अधिक मध्यस्थता दर्शाता है: मुद्रा गुणक दिसंबर 2025 के अंत में एक वर्ष पूर्व के 5.70 से बढ़कर 6.21 हो गया।
- पूँजी बाज़ार बैंकों के पूरक हैं: सुदृढ़ IPO संग्रहण और बढ़ती म्यूचुअल-फंड/इक्विटी भागीदारी कॉर्पोरेट वित्त तथा गृहस्थ बचत में विविधता लाती है।
- वित्तीयकरण को गृहस्थ कल्याण की सेवा करनी चाहिए: सर्वेक्षण की सूक्ष्म वित्त चर्चा ऐसी ऋण-वृद्धि के प्रति चेताती है जो उत्पादकता या लचीलेपन के बिना ऋणग्रस्तता बढ़ाए।
- AI लागत घटा सकता है किंतु मॉडल/संकेन्द्रण जोखिम बढ़ा सकता है: वित्तीय नियामकों को व्याख्येयता, मानवीय जवाबदेही एवं परिचालन लचीलापन चाहिए।
- गिफ्ट सिटी वैश्विक वित्तीय सेवाओं को आत्मसात कर सकता है: इसकी बैंकिंग परिसंपत्तियाँ 100 अरब डॉलर से अधिक रहीं, तथा कोष और ESG ऋण सूचीकरण बढ़ रहे हैं।
- सबसे गहन सुधार संरचनात्मक जोखिम प्रीमियम घटाना है: सुदृढ़तर निर्यात एवं बाह्य आधिक्य चक्रीय तरलता सहजता की तुलना में दीर्घकाल में पूँजी की लागत अधिक स्थायी रूप से घटाएँगे।

जोखिम एवं बाधाएँ

बाज़ार उत्पादों में गृहस्थों का तीव्र प्रवेश उपयुक्तता एवं निवेशक-संरक्षण के प्रश्न उठाता है।
फिनटेक और AI साइबर, मॉडल, डेटा तथा आचरण जोखिम उत्पन्न करते हैं।
कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरलता बैंक ऋण बाज़ारों की तुलना में उथली बनी हुई है।
बाह्य बचत पर निर्भरता जोखिम प्रीमियम को वैश्विक आघातों के प्रति संवेदनशील रखती है।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

प्रकटीकरण सुदृढ़ करते हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्रतिभूतिकरण एवं संस्थागत बचत को गहन करें।
सर्वग्राही प्रतिबंधों के बजाय समानुपातिक, प्रौद्योगिकी-सजग विनियमन अपनाएँ।
सूक्ष्म वित्त और डिजिटल उधार में गृहस्थ कल्याण को केंद्र में रखें।
बाज़ार अवसंरचना, निपटान एवं निवेशक संरक्षण सुदृढ़ करें।
बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारें ताकि निम्न जोखिम प्रीमियम संरचनात्मक रूप से धारणीय बनें।

अध्याय 4: बाह्य क्षेत्रक: दीर्घकालिक खेल

- यह अध्याय वैश्विक व्यापार को अति-वैश्वीकरण के पश्चात के उस चरण में प्रवेश करता हुआ मानता है जिसमें सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक स्वायत्तता वाणिज्य को अधिकाधिक आकार देते हैं। भारत के सेवा निर्यात और प्रेषण लचीलापन प्रदान करते हैं, किंतु सर्वेक्षण का तर्क है कि टिकाऊ मुद्रा सुदृढ़ता तथा बाह्य स्थिरता के लिए अंततः गहन विनिर्माण-निर्यात पारितंत्र और GVC भागीदारी आवश्यक हैं।

प्रमुख आँकड़े

कुल निर्यात, वित्त वर्ष 25: 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर
 कुल निर्यात, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही: 418.5 अरब अमेरिकी डॉलर
 वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही का चालू खाता घाटा: 15.0 अरब अमेरिकी डॉलर; GDP का 0.8%
 वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही का CAD (तुलना): 25.3 अरब अमेरिकी डॉलर; GDP का 1.3%
 2020 से निर्यात CAGR: कुल निर्यात लगभग 9.4%; वस्तु निर्यात लगभग 6.4%
 प्रमुख स्थिरकारी: सॉफ्टवेयर/व्यावसायिक सेवाएँ, GCC, प्रेषण
 निर्यात विविधीकरण: इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधियाँ, विद्युत मशीनरी; व्यापक गंतव्य
 बाह्य बफर: सुविधाजनक भंडार, मध्यम बाह्य ऋण, अनुकूल परिपक्वता प्रोफाइल

- व्यापार नीति अधिकाधिक रणनीतिक होती जा रही है: मित्र-राष्ट्र आधारित स्थानांतरण, निकट-स्थानीकरण और सुरक्षा-आधारित प्रशुल्क अति-वैश्वीकरण के विशुद्ध दक्षता-तर्क का स्थान ले रहे हैं।
- सेवाएँ भारत की बाह्य आघात-अवशोषक हैं: सेवा आधिक्य वस्तु घाटे के एक बड़े भाग की भरपाई करता है।
- उच्च-मूल्य विनिर्माण निर्यात बढ़ रहे हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधियाँ और विद्युत मशीनरी विविधीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
- कमजोर वैश्विक FDI के बावजूद FDI सुदृढ़ बना हुआ है: सर्वेक्षण सकल अंतर्प्रवाह, प्रत्यावर्तन और जोखिम-समायोजित प्रतिफल में अंतर करता है।
- भारत आवक FDI पर उच्च जोखिम-समायोजित प्रतिफल देता है: सर्वेक्षण की अंतर-देशीय तुलना भारत को परीक्षित अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में रखती है।
- बहिर्गामी FDI विकास का अंग है: विदेशी निवेश को केवल पूँजी पलायन मानने के बजाय बाज़ार, संसाधन और क्षमताएँ सुरक्षित करने वाला माना जा सकता है।
- विनिमय दर की विश्वसनीयता संरचनात्मक निर्यात सुदृढ़ता पर निर्भर है: अध्याय वस्तु-निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को टिकाऊ मुद्रा स्थिरता से जोड़ता है।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

सेवा निर्यात महत्वपूर्ण हैं, किंतु एक सीमा तक: वे BoP को स्थिर करते हैं, पर विनिर्माण GVC से जुड़े व्यापक आपूर्तिकर्ता, लॉजिस्टिक्स एवं संस्थागत उन्नयन को स्वतः उत्पन्न नहीं करते।
 विनिर्माण उत्कृष्टता और मुद्रा सुदृढ़ता परस्पर संबद्ध हैं: सफल पूर्वी एशियाई निर्यातकों ने गहन वस्तु-निर्यात पारितंत्र बनाए, जिन्होंने बाह्य विश्वसनीयता सुदृढ़ की।
 GVC पारितंत्र की रणनीति है, मात्र निर्यात संवर्धन नहीं: भारत को प्रमुख फर्मों, आपूर्तिकर्ताओं, मानकों, लॉजिस्टिक्स और पूर्वानुमेय नीति की आवश्यकता है।
 FTA के लाभ घरेलू लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करते हैं: बाज़ार पहुँच उच्च आगत, ऊर्जा या लॉजिस्टिक्स लागत की भरपाई नहीं कर सकती।
 बाह्य क्षेत्रक अब रणनीतिक-क्षमता का विषय है: आय बढ़ने के साथ बढ़ते आयात बिल की पूर्ति हेतु निर्यात आय और निवेशक रुचि आवश्यक हैं।

मूल विश्लेषण

- सेवाएँ वस्तु घाटे की बड़ी आवर्ती भरपाई करती हैं: सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक सेवाएँ और GCC चालू प्राप्तियों को सहारा देते हैं। उदा.: वित्त वर्ष 25 में कुल निर्यात 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर पहुँचा।
- चालू खाता नियंत्रित बना हुआ है: वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में CAD GDP का 0.8% रहा, जो वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के 1.3% से कम है।
- किंतु वस्तु निर्यात धीमे बढ़े हैं: 2020 से कुल निर्यात लगभग 9.4% CAGR से बढ़े, जबकि वस्तु निर्यात लगभग 6.4% से।
- वस्तु निर्यात सघनतर घरेलू संबंध बनाते हैं: विनिर्माण लॉजिस्टिक्स, मानकों, आपूर्तिकर्ता क्षमताओं और राज्य सामर्थ्य में ऐसे सुधार कराता है जिन्हें विश्व-गतिशील सेवा फर्मों कभी-कभी टाल सकती हैं।
- उच्च-मूल्य विनिर्माण पहले से उभर रहा है: इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि और विद्युत मशीनरी दर्शाते हैं कि विविधीकरण संभव है।
- FDI को GVC से जोड़ा जाना चाहिए: उच्च जोखिम-समायोजित प्रतिफल तभी उपयोगी हैं जब विदेशी निवेश घरेलू क्षमताएँ, निर्यात और आपूर्तिकर्ता संबंध सृजित करे।
- मुद्रा लचीलापन अंततः बाह्य आय से अर्जित होता है: सुदृढ़ विनिर्मित निर्यात अस्थिर पूँजी अंतर्प्रवाहों पर निर्भरता घटाते हैं।
- FTA इस संक्रमण को तभी गति दे सकते हैं जब फर्में घर में प्रतिस्पर्धी ढंग से उत्पादन कर सकें।

जोखिम एवं बाधाएँ

ऊर्ध्वधारा आगतों पर उच्च प्रशुल्क/संरक्षण अधोधारा निर्यात लागत बढ़ा सकते हैं।
 वैश्विक व्यापार भू-राजनीति और राष्ट्रीय-सुरक्षा नीति से अधिकाधिक खंडित हो रहा है।
 पोर्टफोलियो प्रवाह अस्थिर बने हुए हैं और मुद्रा-दबाव संचारित कर सकते हैं।
 आय-वृद्धि एवं औद्योगीकरण के साथ आयात आवश्यकताएँ संरचनात्मक रूप से बढ़ती हैं।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

प्रमुख फर्मों एवं घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के इर्द-गिर्द GVC पारितंत्र बनाएँ।
स्थायी संरक्षण पर निर्भर रहने के बजाय आगत, लॉजिस्टिक्स और विद्युत लागत घटाएँ।
प्रौद्योगिकी, निवेश और श्रम-गहन विनिर्माण की पहुँच हेतु FTA का उपयोग करें।
निर्यात गंतव्यों और महत्वपूर्ण आयात स्रोतों में विविधता लाएँ।
वस्तु-परिष्कार का विस्तार करते हुए सेवा निर्यात का विकास जारी रखें।

अध्याय 5: मुद्रास्फीति: नियंत्रित एवं स्थिर

- मुद्रास्फीति अध्याय 2025 में वैश्विक एवं भारतीय मुद्रास्फीति में व्यापक नरमी का अभिलेख रखता है तथा शीर्षक, खाद्य और मूल दबावों के अंतर पर विशेष ध्यान देता है। इसका तर्क है कि मूल मुद्रास्फीति की प्रतीयमान दृढ़ता का बड़ा भाग बहुमूल्य धातुओं से समझाया जाता है तथा खाद्य-कीमतों की अस्थिरता के लिए मौद्रिक विश्वसनीयता के साथ आपूर्ति-शृंखला एवं उत्पादन संबंधी उपाय अधिकाधिक आवश्यक हैं।

प्रमुख आँकड़े

वैश्विक शीर्षक मुद्रास्फीति: 2022 में 8.7% → 2025 में 4.2%
भारत की मुद्रास्फीति, 2025 के लिए तुलनीय IMF माप: 2.8%
CPI शीर्षक, अक्टूबर 2025: 0.3% - CPI 2012 श्रृंखला में न्यूनतम
CPI शीर्षक, दिसंबर 2025: 1.3%
खाद्य मुद्रास्फीति, दिसंबर 2025: -2.71%
मूल मुद्रास्फीति, दिसंबर 2025: 4.62%
स्वर्ण एवं चाँदी को छोड़कर मूल: जून के लगभग 3.4% से घटकर दिसंबर 2025 में लगभग 2.3%
खाद्य-अस्थिरता की मुख्य मद्दे: सब्जियाँ, दलहन, मसाले, खाद्य तेल एवं चयनित शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ

प्रेरक कारक एवं नीतिगत व्याख्या

- खाद्य अवस्फीति निर्णायक रही: बेहतर आपूर्ति स्थितियों और विशिष्ट पण्य-गतिकी ने शीर्षक मुद्रास्फीति को तीव्रता से नीचे खींचा।
- मूल का विघटन आवश्यक है: स्वर्ण और चाँदी की कीमतों में वृद्धि ने परंपरागत मूल मुद्रास्फीति को ऊपर उठाया; बहुमूल्य धातुओं को छोड़ने पर अंतर्निहित चित्र नरम है।
- आधार एवं संवेग प्रभाव महत्वपूर्ण हैं: मासिक कीमत-संवेग भिन्न होने पर भी पिछले वर्ष का निम्न/उच्च आधार वार्षिक मुद्रास्फीति को बदल सकता है।
- दलहन में संरचनात्मक अस्थिरता घटानी होगी: बार-बार के आपातकालीन उपायों की तुलना में उत्पादन, उपार्जन, भंडार और विविधीकरण श्रेयस्कर हैं।
- खाद्य तेल की मुद्रास्फीति व्यापार-नीति के संचरण को दर्शाती है: सीमा शुल्क आयात निर्भरता और घरेलू उत्पादक प्रोत्साहनों से अंतःक्रिया करते हैं।
- ग्रामीण-शहरी अंतर बने रहते हैं: उपभोग भार और खाद्य हिस्से भिन्न मुद्रास्फीति अनुभव उत्पन्न करते हैं।
- राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति की निरंतरता स्थानीय मजदूरी और संरचनात्मक कारकों से जुड़ी है, जिससे राष्ट्रीय औसत अपूर्ण रहता है।
- अध्याय इस प्रकरण में स्वर्ण एवं चाँदी को छोड़कर मूल को अंतर्निहित माँग-दबाव का बेहतर निदान मानता है।
- यह उत्पादक मार्जिन और सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन समझने हेतु विनिर्माण के व्यापार-शर्तों को कृषि एवं सेवाओं से जोड़ता है।
- यह आधार प्रभाव को संवेग से पृथक् करता है, जिससे निम्न शीर्षक आँकड़ों की व्याख्या सुधरती है।
- यह आपूर्ति-पक्ष क्षमता और लॉजिस्टिक्स को वे कारण मानकर अधिक भार देता है जिनसे वृद्धि के साथ भी मूल मुद्रास्फीति नियंत्रित रह सकती है।
- यह राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति अंतरों की जाँच करता है, जो दर्शाते हैं कि मुद्रास्फीति अंशतः क्षेत्रीय एवं मजदूरी-निर्धारण की परिघटना है।

मूल विश्लेषण

- शीर्षक मुद्रास्फीति नाटकीय रूप से गिरी है: उदा.: CPI शीर्षक अक्टूबर 2025 में 0.3% तथा दिसंबर में 1.3% पहुँचा।
- खाद्य अल्पकालिक अस्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत है: उदा.: दिसंबर 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति -2.71% रही, जिसने शीर्षक मुद्रास्फीति को नीचे खींचा।
- परंपरागत मूल घरेलू माँग-दबाव को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है: स्वर्ण और चाँदी ने मूल को ऊपर उठाया; बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर दिसंबर तक अंतर्निहित मूल लगभग 2.3% रह गया।
- मौद्रिक विश्वसनीयता अब भी महत्वपूर्ण है: स्थिर अपेक्षाएँ अस्थायी पण्य-आघातों को सामान्यीकृत मजदूरी-कीमत मुद्रास्फीति बनने से रोकती हैं।
- आपूर्ति नीति अपरिहार्य है: दलहन, सब्जियाँ और खाद्य तेल केवल ब्याज दरों की अपेक्षा उत्पादन, भंडारण, आयात, शुल्क और लॉजिस्टिक्स पर अधिक प्रतिक्रिया करते हैं।
- क्षेत्रीय मुद्रास्फीति का स्थानीय निदान आवश्यक है: भार, मजदूरी और आपूर्ति संरचनाओं में अंतर के कारण राज्य-स्तरीय निरंतरता अखिल भारतीय औसत से भिन्न हो सकती है।
- आपूर्ति क्षमता सुधरने पर वृद्धि एवं निम्न मुद्रास्फीति सह-अस्तित्व में रह सकती हैं: बेहतर लॉजिस्टिक्स और उत्पादक क्षमता अवरोध-जनित कीमत-दबाव घटाते हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

खाद्य कीमतें मौसम और फसल-आघातों के प्रति उन्मुक्त बनी हुई हैं।
 आयातित खाद्य तेल और पण्य वैश्विक कीमतों संचारित करते हैं।
 आधार प्रभाव अत्यंत निम्न मुद्रास्फीति को वास्तविकता से अधिक टिकाऊ दिखा सकते हैं।
 बहुमूल्य धातुओं की कीमतें मानक मूल माप को विकृत कर सकती हैं।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

शीर्षक CPI के साथ विघटित मुद्रास्फीति मापों का प्रयोग करें।
 उत्पादकता, भंडारण और विविधीकरण द्वारा टिकाऊ खाद्य-आपूर्ति लचीलापन बनाएँ।
 प्रशुल्क/आयात को इस प्रकार समायोजित करें कि उपभोक्ता स्थिरता उत्पादक प्रोत्साहनों को स्थायी रूप से कमज़ोर न करे।
 आपूर्ति-जनित प्रकरणों को पहचानते हुए विश्वसनीय मौद्रिक नीति बनाए रखें।
 क्षेत्रीय मुद्रास्फीति की निरंतरता और मज़दूरी गतिकी पर अधिक निकटता से नज़र रखें।

अध्याय 6: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन: उत्पादकता बढ़ाना, आय सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा

- कृषि अध्याय एक संरचनात्मक बेमेल को रेखांकित करता है: कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में लगभग पाँचवाँ भाग योगदान करती हैं, किंतु कार्यबल का 46.1% नियोजित करती हैं। अतः यह ध्यान केवल उत्पादन से हटाकर उत्पादकता, विविधीकरण, संबद्ध गतिविधियों, मृदा/आगत दक्षता, बाज़ार पहुँच और आय सुरक्षा पर ले जाता है।

प्रमुख आँकड़े

रोज़गार में हिस्सा: कार्यबल का 46.1%
 आय में हिस्सा: चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लगभग पाँचवाँ भाग
 वृद्धि प्रेरक: संबद्ध क्षेत्रक - पशुधन, मत्स्यपालन और बागवानी - अपेक्षाकृत स्थिर वृद्धि देते हैं
 MSP नीति: 2018-19 से MSP अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित
 उत्पादकता बाधाएँ: खंडित जोतें, सिंचाई अंतराल, आगत की गुणवत्ता, यंत्रीकरण/निवेश, स्थिर उपज
 विविधीकरण: उच्च-मूल्य संबद्ध क्षेत्रक और बागवानी आय-वृद्धि के केंद्र में
 खाद्य प्रबंधन: उपार्जन + बफर स्टॉक + खाद्य सस्मिडी में प्रौद्योगिकी/लक्ष्यीकरण

रेखांकित प्रमुख योजनाएँ एवं नीतिगत साधन**प्रमुख आँकड़े**

कृषोन्नति योजना: MIDH, NFSNM, SAME, एकीकृत कृषि विपणन योजना, DAM, NMEO-OS, NMEO-OP तथा MOVCDNER की छत्र योजना
 PM-KISAN: प्रत्यक्ष आय सहायता
 प्रति बूँद अधिक फसल: जल-उपयोग दक्षता/सूक्ष्म सिंचाई
 डिजिटल कृषि मिशन: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और आँकड़ा-संचालित कृषि
 FPO संवर्धन: एकीकरण, बाज़ार पहुँच और मोल-भाव शक्ति
 किसान क्रेडिट / MISS / किसान ऋण पोर्टल: औपचारिक कृषि ऋण और ब्याज सहायता
 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: समर्पित बॉक्स में चर्चित क्षेत्र-केंद्रित उत्पादकता एवं समृद्धि हस्तक्षेप
 प्राकृतिक/जैविक उर्वरक पहलें: मृदा स्वास्थ्य एवं कुशल पोषक-तत्व उपयोग की ओर पुनर्अभिविन्यास

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

कृषि का रोजगार-आय बेमेल मूल संरचनात्मक समस्या है: कृषक आय सुधारने हेतु श्रम उत्पादकता बढ़ाना और गैर-कृषि अवसरों का विस्तार आवश्यक है। संबद्ध क्षेत्रक स्थिरकारी हैं: पशुधन, मत्स्यपालन और बागवानी एकल फसल-मौसम से कम बंधे हैं और प्रति इकाई भूमि मूल्य बढ़ा सकते हैं। एथेनॉल नीति फसल-चयन के समझौते उत्पन्न करती है: कीमत प्रोत्साहन ऊर्जा सुरक्षा सुधार सकते हैं, पर भूमि/जल आबंटन तथा खाद्य-सुरक्षा प्रोत्साहनों को बदल सकते हैं।

उर्वरक नीति को मात्रा से मृदा उत्पादकता की ओर बढ़ाना चाहिए: पोषक-तत्व असंतुलन और सब्सिडी-युक्त आगत कीमतें दीर्घकालिक मृदा दक्षता घटा सकती हैं।

उपार्जन विविधीकरण में सहायक हो सकता है: उपार्जन की रचना किसानों को कृषि-पारिस्थितिकी की दृष्टि से उपयुक्त होने पर चावल-गेहूँ से परे जाने में सहायता कर सकती है।

खाद्य सब्सिडी सुधार अधिकाधिक प्रौद्योगिकी/लक्ष्यीकरण का विषय है: सब्सिडी के आकार के साथ पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और वितरण दक्षता मायने रखती हैं।

• मूल विश्लेषण

- श्रम-उत्पादकता अंतराल बढ़ा है: कृषि कार्यबल का 46.1% नियोजित करती है, परंतु चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का केवल लगभग पाँचवाँ भाग उत्पन्न करती है।
- संबद्ध गतिविधियाँ तीव्र आय विविधीकरण प्रदान करती हैं: उदा.: पशुधन, मत्स्यपालन और बागवानी को अधिकाधिक महत्वपूर्ण आय स्रोत और अधिक स्थिर वृद्धि प्रेरक के रूप में चिह्नित किया गया है।
- उपज अंतराल बाध्यकारी बने हुए हैं: खंडित जोतें, सिंचाई बाधाएँ और आगत/यंत्रीकरण तक असमान पहुँच उत्पादन वृद्धि को उच्च उत्पादकता में बदलने से रोकती हैं।
- आगत दक्षता सब्सिडी की मात्रा जितनी ही महत्वपूर्ण है: सर्वेक्षण उर्वरक उपयोग को विकृत पोषक-तत्व उपयोग के बजाय मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता की ओर पुनर्निर्मुख करने का आग्रह करता है।
- जल उत्पादकता को फसल-प्रतिरूप निर्धारित करना चाहिए: PDMC तथा विविधीकरण जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में संवेदनशीलता घटाते हैं।
- बाज़ार और एकत्रीकरण मायने रखते हैं: FPO, डिजिटल कृषि और बेहतर बाज़ार संपर्क उपभोक्ता मूल्य में किसानों तक पहुँचने वाला हिस्सा बढ़ा सकते हैं।
- मूल्य समर्थन को फसल-प्रतिरूप को सक्षम करना चाहिए, जड़ नहीं: भारत लागत के 1.5 गुना पर MSP आय की निश्चितता देता है, किंतु उपार्जन की रचना विविधीकरण को भी प्रोत्साहित कर सकती है।
- खाद्य प्रबंधन और कृषि नीति में समन्वय आवश्यक है: उपार्जन, भंडार और खाद्य सब्सिडी उत्पादन प्रोत्साहनों, राजकोषीय लागत और खाद्य सुरक्षा को एक साथ प्रभावित करते हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

भूमि विखंडन और निम्न पैमाना यंत्रीकरण तथा निवेश को सीमित करते हैं।

क्षेत्रीय सिंचाई अंतराल अस्थिर उपज उत्पन्न करते हैं।

आगत सब्सिडियाँ अकुशल उर्वरक/जल उपयोग को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

उपार्जन का संकेंद्रण चावल-गेहूँ प्रतिरूपों को सुदृढ़ कर सकता है।

जलवायु और मौसम के आघात उत्पादन तथा कीमत अस्थिरता बढ़ाते हैं।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

पिछड़े क्षेत्रों और फसलों में उपज/उत्पादकता सुधार को प्राथमिकता दें।

मूल्य-प्राप्ति बढ़ाने हेतु FPO, भंडारण, प्रसंस्करण और डिजिटल बाज़ार संपर्कों का उपयोग करें।

उर्वरक सहायता को मृदा-स्वास्थ्य परिणामों की ओर पुनर्संतुलित करें।

उपार्जन और एथेनॉल प्रोत्साहनों को जल एवं खाद्य-सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप करें।

आय और जोखिम-विविधीकरण के माध्यम के रूप में संबद्ध क्षेत्रों और बागवानी का विस्तार करें।

अध्याय 7: सेवाएँ: स्थिरता से नई सीमाओं की ओर

- सर्वेक्षण सेवाओं को भारत की वृद्धि, शहरी रोजगार और बाह्य लचीलेपन का प्रमुख इंजन मानता है। यह परंपरागत IT-सेवा कथानक को पर्यटन, परिवहन, GCC, दूरसंचार, रियल एस्टेट, मीडिया/नारंगी अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष सेवाओं तक विस्तृत करता है तथा विनिर्माण के बढ़ते 'सेवाकरण' पर चर्चा करता है।
- सेवाओं की झलक

प्रमुख आँकड़े

GDP में हिस्सा, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही: लगभग 53.6%
 सेवा GVA वृद्धि, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही: 9.3%
 रोज़गार: कुल रोज़गार का लगभग 30%; छह वर्षों में लगभग 4 करोड़ रोज़गार जुड़े
 नियमित मज़दूरी हिस्सा: सेवा श्रमिकों का लगभग 51.5%, जबकि उद्योग में लगभग 25.5% और कृषि में लगभग 1%
 GDP में सेवा-निर्यात हिस्सा: वित्त वर्ष 23-25 का औसत 9.7%; वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 10.0%
 सेवा निर्यात वृद्धि: वित्त वर्ष 23-25 का औसत लगभग 14.0%, वित्त वर्ष 16-20 के 7.6% की तुलना में
 व्यावसायिक एवं प्रबंधन परामर्श निर्यात CAGR: सर्वेक्षण चार्ट में वित्त वर्ष 23-25 में 25.9%
 वायु यात्री, वित्त वर्ष 25: लगभग 41.18 करोड़

• उप-क्षेत्र एवं उभरती सीमाएँ

- IT/ITeS एवं व्यावसायिक सेवाएँ: निर्यात की धुरी बनी हुई है, जिनमें व्यावसायिक/प्रबंधन परामर्श तीव्रता से विस्तृत हो रहा है।
- वैश्विक क्षमता केंद्र: भारत का GCC पारितंत्र उच्च-मूल्य अनुसंधान एवं विकास, विश्लेषिकी, उत्पाद प्रबंधन और उद्यम कार्यों की ओर बढ़ रहा है।
- पर्यटन एवं अनुभव अर्थव्यवस्था: घरेलू यात्रा, अंतरराष्ट्रीय आगमन और होटल अधिभोग रोज़गार तथा क्षेत्रीय सेवाओं को सहारा देते हैं।
- परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स: बंदरगाह, विमानन और अंतर्देशीय जलमार्ग ऐसे सेवा उद्योग हैं जिनका विनिर्माण और व्यापार पर प्रत्यक्ष उत्पादकता-प्रसार होता है।
- दूरसंचार एवं डिजिटल सेवाएँ: सस्ती कनेक्टिविटी प्लेटफ़ॉर्म, वित्तीय और उद्यम सेवाओं को सहारा देती है।
- रियल एस्टेट एवं आवास सेवाएँ: गृहस्थ संपदा, निर्माण, वित्त और शहरी माँग को जोड़ती हैं।
- नारंगी अर्थव्यवस्था: रचनात्मक, सांस्कृतिक, मीडिया, मनोरंजन और अनुभव-आधारित सेवाओं को उभरते वृद्धि क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया है।
- अंतरिक्ष सेवाएँ: वाणिज्यीकरण नए उच्च-कौशल सेवा बाज़ार खोलता है।
- सुस्त वस्तु व्यापार के बीच सेवा निर्यात ने बफर की भूमिका निभाई है, तथा महामारी के पश्चात GDP में उनका हिस्सा ऊँचा हुआ है।
- वित्त वर्ष 23-25 की तुलना में व्यावसायिक एवं प्रबंधन परामर्श निर्यात अकेले सॉफ़्टवेयर से कहीं तीव्र बढ़े, जो ज्ञान सेवाओं के भीतर विविधीकरण दर्शाता है।
- सर्वेक्षण विनिर्माण के सेवाकरण की अवधारणा प्रस्तुत करता है: आधुनिक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता अधिकाधिक डिज़ाइन, लॉजिस्टिक्स, सॉफ़्टवेयर, वित्त, रखरखाव और विक्रयोपरांत सेवाओं पर निर्भर करती है।
- यह पूछता है कि क्या सेवा निर्यात विनिर्माण निर्यात जैसा ही राज्य-क्षमता सुधार का दबाव उत्पन्न करते हैं, और निष्कर्ष देता है कि सेवाएँ कभी-कभी कमज़ोर स्थानीय प्रणालियों को लॉच सकती हैं।
- यह पर्यटन, मीडिया, मरीना विकास, पदयात्रा मार्ग और महासागर वाणिज्यीकरण को संभावित नई सेवा सीमाओं के रूप में चिह्नित करता है।
- मूल विश्लेषण**
- पैमाना पहले से समष्टि-महत्वपूर्ण है: सेवाएँ उत्पादन के आधे से अधिक हैं; उदा.: वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में GDP का लगभग 53.6% और 9.3% GVA वृद्धि।
- सेवाएँ बाह्य लचीलेपन को सुदृढ़ करती हैं: वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में GDP में निर्यात हिस्सा 10.0% तक बढ़ा, जिसने वैश्विक वस्तु-कमज़ोरी को थामा।
- निर्यात टोकरी में विविधता आ रही है: सर्वेक्षण की तुलना में व्यावसायिक एवं प्रबंधन परामर्श ने वित्त वर्ष 23-25 में 25.9% CAGR दर्ज किया।
- सेवाएँ अपेक्षाकृत औपचारिक शहरी रोज़गार सृजित करती हैं: सेवा श्रमिकों का लगभग 51.5% नियमित मज़दूरी/वेतनभोगी है, जो कृषि से कहीं अधिक है।
- GCC कौशल-गहनता बढ़ाते हैं: वे भारत में उच्च-मूल्य कॉर्पोरेट कार्यों, अनुसंधान एवं विकास और विश्लेषिकी को अधिकाधिक आत्मसात कर रहे हैं।
- सेवाकरण विनिर्माण को सुदृढ़ करता है: लॉजिस्टिक्स, डिजिटल, डिज़ाइन और व्यावसायिक सेवाएँ उन्नत विनिर्माण में अंतर्निहित आगत हैं।
- किंतु रोज़गार-अवशोषण असमान है: उच्च-उत्पादकता ज्ञान सेवाओं में कौशल चाहिए और वे सभी निम्न एवं मध्यम-कौशल श्रमिकों को नहीं खपा सकतीं।
- संस्थागत प्रसार विनिर्माण की तुलना में दुर्बल हो सकता है: विश्व-गतिशील सेवा फर्म स्थानीय लॉजिस्टिक्स या औद्योगिक-प्रणाली की कमज़ोरियों के बावजूद सफल हो सकती हैं, जिससे सुधार का दबाव घटता है।

जोखिम एवं बाधाएँ

कौशल-गहनता मज़दूरी एवं अवसर के अंतर को चौड़ा कर सकती है।
 पर्यटन और शहरी सेवाएँ स्थानीय अवसंरचना तथा नागरिक गुणवत्ता पर निर्भर हैं।
 AI नए कार्य सृजित करने के साथ कुछ नियमित सेवा कार्यों को स्वचालित कर सकता है।
 सॉफ़्टवेयर/व्यावसायिक सेवाओं में निर्यात संकेंद्रण क्षेत्रकीय निर्भरता उत्पन्न करता है।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक सेवाओं, मीडिया और अंतरिक्ष सेवाओं की ओर विविधीकरण करें।
GCC से घरेलू फर्मों तक ज्ञान प्रसार को सुदृढ़ करें।
कौशल प्रणालियों को सेवा-क्षेत्रक माँग और AI-पूरकता से जोड़ें।
क्षेत्रकों को विकल्प के रूप में रखने के बजाय विनिर्माण को सुदृढ़ करने हेतु सेवाकरण का उपयोग करें।
स्थान-आधारित सेवा रोजगारों को खोलने हेतु शहरों की गुणवत्ता, परिवहन और पर्यटन अवसंरचना सुधारें।

अध्याय 8: उद्योग की अगली छलाँग: संरचनात्मक रूपांतरण एवं वैश्विक एकीकरण

- उद्योग अध्याय तर्क देता है कि वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता अधिकाधिक केवल निम्न मज़दूरी पर नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और रणनीतिक अपरिहार्यता पर टिकी है। अतः भारत की अगली औद्योगिक छलाँग हेतु उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादन, स्केलेबल MSME, GVC एकीकरण, कम आगत लागत, विश्वसनीय अवसंरचना और अनुशासित औद्योगिक नीति आवश्यक है।
- **औद्योगिक निष्पादन एवं संरचनात्मक आँकड़े**

प्रमुख आँकड़े

विनिर्माण वृद्धि, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही: सुदृढ़ सुधार; सर्वेक्षण की चर्चा में प्रथम तिमाही लगभग 7.7%, द्वितीय लगभग 9.1%
मध्यम/उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण: सर्वेक्षण आकलन में विनिर्माण गतिविधियों का लगभग 46.3% हिस्सा
कोयला उत्पादन, वित्त वर्ष 25: लगभग 1,047.5 मिलियन टन; आयात घटा
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन: वित्त वर्ष 25 में लगभग ₹11.3 लाख करोड़
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात: वित्त वर्ष 25 में लगभग ₹3.3 लाख करोड़
MSME ऋण वृद्धि, अगस्त 2025: सूक्ष्म एवं लघु लगभग 20.9%; मध्यम लगभग 13.1%; कुल MSME वार्षिक आधार पर लगभग 18.5%
बड़े उद्योग की ऋण वृद्धि, अगस्त 2025: वार्षिक आधार पर लगभग 1.8%
रणनीतिक दिशा: उच्च-प्रौद्योगिकी GVC, उन्नत विनिर्माण, नवाचार और MSME का आकार-वर्धन

रेखांकित नीतिगत संरचना

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI): चयनित क्षेत्रकों में पैमाने, निवेश और घरेलू मूल्य-वर्धन को आधार देती है।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: विनिर्माण का पैमाना एवं तकनीकी गहनता बढ़ाने हेतु दीर्घकालिक खाका प्रदान करता है।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन: उच्च अनुसंधान-तीव्रता को पहचानते हुए केवल अंतिम संयोजन के बजाय पारितंत्र निर्माण का प्रयास करता है।
- ANRF एवं RDI कोष: निजी अनुसंधान को आकर्षित करने तथा अनुप्रयुक्त नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु अभिप्रेत।
- PM गतिशक्ति एवं औद्योगिक गलियारे: लॉजिस्टिक्स और स्थान संबंधी हानियाँ घटाते हैं।
- गुणवत्ता-नियंत्रण सुधार: सर्वेक्षण व्यावहारिक QCO का पक्षधर है जो अनजाने में अधोधारा आगत लागत बढ़ाए बिना मानक ऊँचे करें।
- औद्योगिक क्लस्टर: पैमाने के लाभों हेतु साझा अवसंरचना, विशेषीकृत आपूर्तिकर्ता, श्रम-कोष और संस्थाएँ आवश्यक हैं।
- MSME वित्त: औपचारिक ऋण, ODR और लघु-मूल्य उधार को उत्पादकता तथा कार्यशील-पूँजी के विषय माना गया है।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

उन्नत विनिर्माण एक अनुशासनकारी प्रणाली है: यह विद्युत, लॉजिस्टिक्स, विनियमन, अभियांत्रिक क्षमता, गुणवत्ता और आपूर्तिकर्ता समन्वय में सुधार को विवश करता है।
पञ्चगामी GVC भागीदारी महत्वपूर्ण है: आयातित उच्च-गुणवत्ता आगत बढ़ते घरेलू मूल्य-वर्धन के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं; उद्देश्य आत्मनिर्भरता की अति नहीं, प्रतिस्पर्धी एकीकरण है।
संरक्षण अधोधारा निर्यातकों पर कर बन सकता है: इस्पात, एल्यूमीनियम, रेशे तथा अन्य ऊर्ध्वधारा आगतों का संरक्षण ऐसे ढंग से नहीं होना चाहिए जो बड़े अधोधारा क्षेत्रकों की प्रतिस्पर्धात्मकता नष्ट कर दे।
MSME का आकार-वर्धन लुप्त-मध्यम की समस्या है: फर्मों को स्थायी रूप से छोटे पैमाने पर बनाए रखने की अपेक्षा वित्त, प्रौद्योगिकी और बड़े बाजारों तक पहुँच अधिक मायने रखती है।
रणनीतिक नवाचार वित्त राज्य-नेतृत्व वाला हो सकता है: महाराष्ट्र का रक्षा एवं वैमानिकी उद्यम-कोष प्रकरण उत्प्रेरक सार्वजनिक जोखिम पूँजी का उदाहरण है।

मूल विश्लेषण

- प्रौद्योगिकी-गहनता निर्णायक होती जा रही है: मध्यम/उच्च-प्रौद्योगिकी गतिविधियाँ विनिर्माण का बड़ा भाग हैं, और भावी प्रतिस्पर्धात्मकता केवल श्रम-लागत मध्यस्थता नहीं, नवाचार पर निर्भर है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स पैमाना-वर्धन की संभावना दर्शाता है: उदा.: वित्त वर्ष 25 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग ₹11.3 लाख करोड़ तथा निर्यात लगभग ₹3.3 लाख करोड़ पहुँचा।
- PLI तब सर्वोत्तम कार्य करती है जब वह पारितंत्र बनाती है: प्रोत्साहनों को केवल अंतिम संयोजन नहीं, घटकों, अनुसंधान एवं विकास और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को गहन करना चाहिए।
- आगत-लागत प्रतिस्पर्धात्मकता आधारभूत है: उच्च ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, वित्त अथवा संरक्षित ऊर्ध्वधारा लागतें प्रत्येक अधोधारा उत्पादक को कमजोर करती हैं।
- MSME को पैमाना चाहिए, स्थायी संरक्षण नहीं: उदा.: अगस्त 2025 में MSME बैंक ऋण वार्षिक आधार पर लगभग 18.5% बढ़ा, किंतु उत्पादकता वित्त की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और बाज़ार पहुँच से निर्धारित होती है।
- औद्योगिक क्लस्टर समन्वय-मितव्ययिता उत्पन्न करते हैं: साझा सुविधाएँ, परीक्षण, कौशल विकास और आपूर्तिकर्ता इकाई-लागत घटाते तथा अधिगम सुधारते हैं।
- GVC भागीदारी हेतु प्रतिस्पर्धी आयातों के प्रति खुलापन आवश्यक है: आयातित मध्यवर्ती वस्तुएँ समय के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा घरेलू मूल्य-वर्धन बढ़ा सकती हैं।
- नवाचार संस्थाओं को निजी अनुसंधान एवं विकास को आकर्षित करना चाहिए: ANRF, RDI कोष और सेमीकंडक्टर पहले भारत को प्रौद्योगिकी-अपनाने वाले से नवप्रवर्तक बनाने हेतु हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

ऊर्ध्वधारा संरक्षण व्युत्क्रमित लागत संरचनाएँ बना सकता है। MSME को कार्यशील-पूँजी/ऋण अंतराल तथा विलंबित-भुगतान के जोखिम का सामना करना पड़ता है। रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास तथा निजी नवाचार की तीव्रता अपर्याप्त बनी हुई है। खंडित क्लस्टर और दुर्बल आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता GVC एकीकरण को सीमित करते हैं। नीतिगत अनिश्चितता दीर्घ-क्षितिज विनिर्माण निवेश को हतोत्साहित कर सकती है।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

सहायता को अस्थायी, मापनीय और निर्यात-अनुशासित बनाएँ। विद्युत, लॉजिस्टिक्स, वित्त और नियामकीय सुधार द्वारा आगत लागत घटाएँ। क्लस्टर संस्थाएँ और साझा प्रौद्योगिकी/परीक्षण अवसंरचना बनाएँ। कॉर्पोरेट अनुसंधान को आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास वित्त का उपयोग करें। MSME को बड़े पैमाने तक पहुँचने तथा प्रमुख-फर्म आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने में सहायता दें।

अध्याय 9: निवेश एवं अवसंरचना: संपर्क, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना

- अवसंरचना अध्याय संपर्क को अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्पादकता से सीधे जोड़ता है तथा वित्तपोषण विविधीकरण, PPP क्षमता और परिसंपत्ति पुनर्चक्रण पर प्रबल बल देता है। यह परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार, जल और अंतरिक्ष को निजी निवेश की एकीकृत आधारशिला भी मानता है।
- अवसंरचना वित्तपोषण एवं निवेश**

प्रमुख आँकड़े

केंद्र का पूँजीगत व्यय: वित्त वर्ष 22 में ₹5.92 लाख करोड़ → वित्त वर्ष 26 BE ₹11.21 लाख करोड़; +89%
अवसंरचना को बैंक ऋण: अक्टूबर 2025 में वार्षिक आधार पर +4.6%, एक वर्ष पूर्व के 2.3% से सुधार
वाणिज्यिक क्षेत्र को NBFC का शुद्ध वित्तपोषण: वित्त वर्ष 20-25 में 43.3% CAGR
गैर-खाद्य बैंक ऋण, तुलना: वित्त वर्ष 20-25 में 25% CAGR
PPP अनुमोदन: 129 परियोजनाएँ; कुल परियोजना लागत लगभग ₹5.61 लाख करोड़
VGF: 72 परियोजनाएँ अनुमोदित; भारत सरकार का VGF लगभग ₹7,941.8 करोड़; दिसंबर 2025 तक लगभग ₹6,314.9 करोड़ संवितरित
द्रुतगति गलियारे: 2014 में लगभग 550 किमी → दिसंबर 2025 तक लगभग 5,364 किमी
रेल विद्युतीकरण: अक्टूबर 2025 तक लगभग 99.1%

प्रमुख अवसंरचना विषय

- PPP संस्थागत सहायता: परियोजना मूल्यांकन, आदर्श रियायतें, IIPDF तथा VGF बैंक-योग्यता और जोखिम आबंधन सुधारने का प्रयास करते हैं।
- REIT/InvIT: संचालनरत परिसंपत्तियों को नए निवेश में पुनर्चक्रित करते हैं और दीर्घ-अवधि अवसंरचना में संस्थागत पूँजी लाते हैं।
- सड़कें/राजमार्ग: द्रुतगति गलियारे और परिसंपत्ति मौद्रिकरण जाल को नियंत्रित-प्रवेश लॉजिस्टिक्स दक्षता की ओर ले जा रहे हैं।

- रेलवे: उच्च पूँजीगत व्यय, विद्युतीकरण, समर्पित माल गलियारे और प्रौद्योगिकी क्षमता तथा ऊर्जा दक्षता बढ़ाते हैं।
- बंदरगाह एवं नौवहन: माल-क्षमता और टर्नअराउंड में सुधार को निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार माना गया है।
- अंतर्देशीय जलमार्ग: तीव्र वृद्धि निम्न-लागत परिवहन विकल्प बनाती है; कोच्चि वाटर मेट्रो को विस्तार-योग्य शहरी जल-परिवहन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- विद्युत एवं DISCOM: वितरण वित्त अंतिम-छोर की बाधा बना हुआ है; सुधार हानि-कटौती, बिलिंग/संग्रहण और उपभोक्ता-प्राधिकार पर केंद्रित हैं।
- दूरसंचार/भारतनेट: संपर्क और घटती डेटा लागतें सेवाओं तथा डिजिटल वाणिज्य के लिए उत्पादक अवसंरचना हैं।
- अंतरिक्ष में निजी भागीदारी: संस्थागत सुधार अंतरिक्ष को केवल-राज्य क्षमता से नवाचार पारितंत्र की ओर ले जाना चाहते हैं।
- अवसंरचना वित्त बैंक-निर्भरता से NBFC, REIT, InvIT और पूँजी-बाज़ार माध्यमों के पोर्टफोलियो की ओर बढ़ रहा है, जिससे बैंकों की परिसंपत्ति-देयता असंगति घटती है।
- VGf में आर्थिक अवसंरचना को सामाजिक-क्षेत्रक PPP से अलग करना चाहिए; बाद वाले को उच्चतर सहायता मिल सकती है क्योंकि उपयोगकर्ता-शुल्क लागत पूर्णतः नहीं निकाल सकते।
- परिसंपत्ति मौद्रिकरण अंतर्निहित सार्वजनिक प्रयोजन का निजीकरण नहीं है; यह परिपक्व परिसंपत्तियों को नई अवसंरचना में पुनर्चक्रित करने का तरीका है।
- इंडिया एनर्जी स्टैक को ऐसी डिजिटल परत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो उपभोक्ता-प्राधिकार, अंतर-संचालनीयता और प्रणाली दक्षता सुधार सकती है।
- अवसंरचना का मूल्यांकन अधिकाधिक केवल किलोमीटर, क्षमता या व्यय से नहीं, बल्कि गुणवत्ता और प्रवाह-क्षमता से होता है।
- मूल विश्लेषण**
- सार्वजनिक पूँजीगत व्यय ने आधार बनाया है: उदा.: केंद्र का पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 22 के ₹5.92 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 26 BE में ₹11.21 लाख करोड़ हुआ, अर्थात् 89% वृद्धि।
- दीर्घ-गर्भ परिसंपत्तियों के लिए केवल बैंक वित्त उपयुक्त नहीं: परिपक्वता असंगति बॉन्ड, NBFC और संस्थागत पूँजी के अधिक प्रयोग को उचित ठहराती है।
- गैर-बैंक वित्त तेज़ी से बढ़ रहा है: वाणिज्यिक क्षेत्र को NBFC का शुद्ध वित्तपोषण वित्त वर्ष 20-25 में 43.3% CAGR से बढ़ा, जो गैर-खाद्य बैंक ऋण से तीव्र है।
- PPP के परिणाम परियोजना-रचना पर निर्भर हैं: जोखिम उस पक्ष को सौंपा जाना चाहिए जो उसे सर्वोत्तम ढंग से सँभाल सके; दुर्बल अनुबंध पुनर्वार्ता और राजकोषीय देनदारियाँ पैदा करते हैं।
- VGf सामाजिक रूप से मूल्यवान परियोजनाओं को बैंक-योग्य बना सकता है: दिसंबर 2025 तक 72 परियोजनाओं को लगभग ₹7,942 करोड़ के केंद्रीय VGf सहित अनुमोदन मिला।
- InvIT/REIT पूँजी-पुनर्चक्रण करते हैं: पूर्ण परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण कर आगम को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं में पुनर्निवेशित किया जा सकता है।
- संपर्क का प्रत्यक्ष उत्पादकता प्रभाव है: विस्तारित द्रुतगति सड़कें, विद्युतीकृत रेल, बंदरगाह और जलमार्ग लॉजिस्टिक्स समय तथा आगत लागत घटाते हैं।
- अंतिम-छोर की संस्थाएँ मायने रखती हैं: परिचालन निष्पादन दुर्बल होने पर विद्युत वितरण, शहरी उपयोगिताएँ और रखरखाव बड़े ऊर्ध्वधारा पूँजीगत व्यय के प्रतिफल को क्षीण कर सकते हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

दुर्बल परियोजना-तैयारी विलंब और आकस्मिक देनदारियाँ बढ़ाती है।
निजी निवेशकों को पूर्वानुमेय शुल्क, अनुबंध और विवाद समाधान चाहिए।
नगरपालिका/राज्य इकाइयों के पास प्रायः बैंक-योग्य परियोजना पाइपलाइन नहीं होती।
वितरण-क्षेत्रक की हानियाँ उत्पादन/पारेषण निवेश के पूरे मूल्य को कमज़ोर कर सकती हैं।

नीतिगत दिशा / आगे का मार्ग

बोली से पूर्व PPP परियोजना-विकास संस्थाओं को सुदृढ़ करें।
दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा InvIT/REIT और बॉन्ड-बाज़ार भागीदारी का विस्तार करें।
निजी पूँजी को प्रतिस्थापित करने के बजाय आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक पूँजीगत व्यय का प्रयोग करें।
नई परिसंपत्ति सृजन के साथ रखरखाव, प्रवाह-क्षमता और सेवा गुणवत्ता को प्राथमिकता दें।
DISCOM तथा शहरी-उपयोगिता वित्त सुधारें ताकि अवसंरचना प्रणालियाँ वित्तीय रूप से धारणीय हों।

अध्याय 10: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन: लचीला, प्रतिस्पर्धी और विकास-प्रेरित भारत निर्मित करना

- पर्यावरण अध्याय विकास-संगत जलवायु रणनीति का पक्ष लेता है। इसका मूल विचार क्रमबद्धता है: नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड, भंडारण, वित्त, औद्योगिक सामग्री और संस्थागत क्षमता को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा तीव्र संक्रमण से विश्वसनीयता का तनाव, उच्च लागत और घटी प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पन्न हो सकती है।
- ऊर्जा एवं जलवायु**

प्रमुख आँकड़े

स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म हिस्सा: दिसंबर 2025 के अंत तक 51.93%
 नई नवीकरणीय क्षमता, अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 26: 38.61 GW
 सौर वृद्धि, अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 26: लगभग 30.16 GW
 पवन वृद्धि, अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 26: लगभग 4.47 GW
 घरेलू लचीलेपन से संबंधित व्यय: वित्त वर्ष 16 में GDP के लगभग 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में लगभग 5.6%
 2035 तक अनुमानित वार्षिक जलवायु-वित्त आवश्यकता: लगभग 310-365 अरब अमेरिकी डॉलर
 उद्धृत वर्तमान जलवायु-वित्त प्रवाह: लगभग 26 अरब अमेरिकी डॉलर
 कार्बन बाज़ार संरचना: अनुपालन एवं ऑफ़सेट तंत्र सहित कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना

• प्रमुख नीतियाँ / उदाहरण

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एवं BioE3: स्वच्छ-ऊर्जा और जैव-विनिर्माण पहले औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ी हैं।
- शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025: सर्वेक्षण नाभिकीय-क्षेत्रक सुधार को स्वच्छ स्थिर-विद्युत रणनीति के अंग के रूप में चर्चित करता है।
- KERA: केरल जलवायु-सुदृढ़ कृषि-मूल्य शृंखला आधुनिकीकरण को उत्पादकता/आय से जुड़े अनुकूलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- MISHTI: मैग्रोव पुनर्स्थापन तटीय लचीलेपन, आजीविका और कार्बन अवशोषकों को जोड़ता है।
- कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना: उत्सर्जन-निष्पादन प्रोत्साहनों हेतु बाज़ार तंत्र सृजित करती है।
- संप्रभु एवं नगरपालिका हरित बॉन्ड: सार्वजनिक हरित वित्त का आकलन ग्रीनियम (हरित प्रीमियम) की समस्या और निवेशक जोखिम-रुचि के साथ किया गया है।
- कचरे से संपदा: ओडिशा को चक्रीय-अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- प्रदूषण व्यापार: यह आकलन करने हेतु साक्ष्य प्रयुक्त है कि क्या बाज़ार-आधारित विनियमन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्य कर सकता है।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

प्रणाली-तत्परता क्षमता लक्ष्यों से पूर्व या उनके साथ होनी चाहिए: भंडारण, संतुलन और पारेषण के बिना नवीकरणीय पैठ भीड़-भाड़ और विश्वसनीयता का तनाव उत्पन्न कर सकती है।
 जलवायु नीति को प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा करनी चाहिए: उच्च ऊर्जा/आगत लागतें उद्योग को विदेश भेज सकती हैं या विनिर्माण को कमजोर कर सकती हैं, जिससे संक्रमण का राजनीतिक टिकाऊपन घटता है।
 सामग्री-सुरक्षा ऊर्जा संक्रमण का अंग है: नवीकरणीय प्रणालियाँ खनिज- और धातु-गहन हैं, जो नई रणनीतिक निर्भरताएँ उत्पन्न करती हैं।
 जलवायु वित्त में जोखिम-रुचि की समस्या है, केवल पूँजी-आपूर्ति की नहीं: प्रचुर वैश्विक पूँजी भी प्रत्यक्ष जोखिम के कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं की परियोजनाओं से बच सकती है।
 अनुकूलन उत्पादक निवेश है: लचीलेपन पर व्यय उत्पादन-हानि रोक सकता है तथा कृषि, जल और अवसंरचना का निष्पादन सुधार सकता है।

• मूल विश्लेषण

- भारत ने पहले ही क्षमता का एक बड़ा मील-पत्थर पार कर लिया है: दिसंबर 2025 के अंत तक गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित विद्युत क्षमता के 51.93% पर पहुँचे।
- क्षमता वृद्धि प्रणाली-एकीकृत होनी चाहिए: उदा.: अप्रैल-दिसंबर वित्त वर्ष 26 में 38.61 GW नवीकरणीय क्षमता जोड़ी गई, अधिकांशतः सौर; इससे संतुलन और पारेषण की आवश्यकता बढ़ती है।
- अंतरराष्ट्रीय अनुभव दुर्बल क्रमबद्धता की लागत दर्शाता है: सर्वेक्षण नीदरलैंड में ग्रिड भीड़-भाड़ और 2025 में स्पेन के व्यवधान को चेतावनी के रूप में उद्धृत करता है कि जटिलता अवसंरचना से आगे निकल सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षा अनिवार्य बनी हुई है: संक्रमण के दौरान स्थिर विद्युत, भंडारण और लचीली तापीय/नाभिकीय क्षमता आवश्यक बनी रह सकती है।
- जलवायु वित्त अनुमानित आवश्यकताओं से बहुत कम है: वार्षिक आवश्यकता 2035 तक 310-365 अरब अमेरिकी डॉलर उद्धृत है, जबकि वर्तमान प्रवाह लगभग 26 अरब डॉलर हैं।
- अनुकूलन आर्थिक रूप से उत्पादक है: लचीलेपन में निवेश भावी आपदा तथा उत्पादकता हानियाँ घटाता है; KERA उदाहरण जल/उत्पादकता लाभ को कृषक आय से जोड़ता है।
- कार्बन बाज़ार संक्रमण-लागत घटा सकते हैं: मापन और सत्यनिष्ठा सुदृढ़ होने पर बाज़ार-आधारित तंत्र न्यूनतम-लागत उपशमन को पुरस्कृत करते हैं।
- औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को रचना का मार्गदर्शन करना चाहिए: जो हरित नीतियाँ विद्युत/सामग्री लागत तीव्रता से बढ़ाती हैं, वे घरेलू विनिर्माण तथा जलवायु कार्रवाई की राजनीतिक धारणीयता को कमजोर कर सकती हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

सविरामता (इंटरमिटेसी), पारेषण और भंडारण निवेश उत्पादन क्षमता से पिछड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाएँ नई आयात निर्भरताएँ उत्पन्न करती हैं। उच्च वित्तपोषण लागतें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ अवसंरचना को महंगा बनाती हैं। ग्रीनवॉशिंग और दुर्बल मापन बाज़ार लिखतों को कमज़ोर कर सकते हैं।

नीतिगत दिशा

उत्पादन लक्ष्यों को ग्रीड, भंडारण और संतुलन निवेशों के साथ क्रमबद्ध करें। शीर्ष-स्तरीय प्रतिबद्धताओं पर निर्भर रहने के बजाय मिश्रित और जोखिम-साझा करने वाला जलवायु वित्त जुटाएँ। घरेलू सामग्री, विनिर्माण और पुनर्चक्रण क्षमताएँ विकसित करें। विश्वसनीय MRV और पारदर्शी मानकों के साथ कार्बन बाज़ारों का प्रयोग करें। अनुकूलन, जल सुरक्षा और लचीलेपन को मूल विकास-व्यय मानें।

अध्याय 11: शिक्षा एवं स्वास्थ्य: क्या कारगर है और आगे क्या

- अध्याय शिक्षा और स्वास्थ्य को उत्पादकता एवं मानव-पूँजी प्रणालियाँ मानता है। यह पहुँच-सूचकों से आगे बढ़कर सीखने के परिणामों, सार्थक मूल्यांकन, उद्योग-शिक्षा संबंधों, निवारक स्वास्थ्य, पोषण, NCD, मोटापा, अति-प्रसंस्कृत खाद्य, डिजिटल लत और सामाजिक संपर्कता की ओर जाता है।
- शिक्षा - पैमाना एवं परिणाम

प्रमुख आँकड़े

विद्यार्थी, UDISE+ 2024-25: 24.69 करोड़
विद्यालय: 14.71 लाख
शिक्षक: >1.01 करोड़
सरकारी विद्यालय: 69% विद्यालय; लगभग आधे विद्यार्थी
निजी विद्यालय: 26% विद्यालय; 41% नामांकन
विद्यालय-जाने योग्य आयु का हिस्सा, 2024: 3-18 आयु की जनसंख्या का लगभग 27%
2047 के लिए प्रक्षेपित विद्यालय-जाने योग्य आयु हिस्सा: तब भी >20%
उद्धृत बुनियादी अधिगम भागीदारी/उपलब्धि सूचक: सर्वेक्षण चर्चा में 2019 के लगभग 85.9% से 2024 में लगभग 89.3% तक सुधार

- स्वास्थ्य - प्रगति एवं उभरते जोखिम

प्रमुख आँकड़े

शिशु मृत्यु दर: 2013 में 40 प्रति 1,000 जीवित जन्म → 2023 में 25
AB PM-JAY कार्ड: 42.78 करोड़
AB PM-JAY के अंतर्गत अस्पताल प्रवेश: 10.98 करोड़
लाभार्थियों में महिलाओं का हिस्सा: 49%
आच्छादित वरिष्ठ नागरिक: 6 करोड़
स्वास्थ्य संक्रमण: बढ़ता NCD बोझ, मोटापा और मानसिक-स्वास्थ्य चुनौतियाँ
पोषण चिंता: मोटापे के साथ अति-प्रसंस्कृत खाद्य के उपभोग में वृद्धि
डिजिटल स्वास्थ्य: पहुँच/डेटा अवसंरचना के लिए ABDM और डिजिटल प्रणालियों का प्रयोग

- नीतिगत एवं संस्थागत विषय

- NEP 2020 एवं RTE: पहुँच और समता आधार बने हुए हैं, किंतु गुणवत्ता और सीखना अगली बाधा हैं।
- PARAKH एवं सार्थक मूल्यांकन: मूल्यांकन को केवल प्रगति प्रमाणित करने के बजाय सीखने का निदान करना और जवाबदेही सुधारनी चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा एवं STEM-उद्योग संबंध: शिक्षा को कौशल, प्रशिक्षुता और नवाचार से अधिक सीधे जुड़ना चाहिए।
- उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण: गतिशीलता, गुणवत्ता और संस्थागत क्षमता शिक्षा को ज्ञान/सेवा निर्यात बना सकती हैं।
- निवारक स्वास्थ्य: NCD जाँच, पोषण और जीवनशैली हस्तक्षेप भावी उपचारात्मक व्यय घटा सकते हैं।
- सामुदायिक भागीदारी: नागरिकों के निगरानी और व्यवहार-परिवर्तन में भाग लेने पर विद्यालय तथा स्वास्थ्य परिणाम सुधरते हैं।

- सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार: राजस्थान का केश प्लस मॉडल दर्शाता है कि सूचना और स्थानीय प्रथाएँ मातृ/शिशु पोषण कैसे सुधार सकती हैं।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

मानव-पूँजी नीति को आगंतों से परिणामों की ओर बढ़ना चाहिए: विद्यालय, शिक्षक और नामांकन आवश्यक हैं, किंतु उत्पादकता सीखने की गुणवत्ता से निर्धारित होती है।

मोटापा और अल्पपोषण सह-अस्तित्व में रह सकते हैं: भारत की पोषण चुनौती में अब कमी के साथ अतिरिक्त कैलोरी/निम्न आहार गुणवत्ता भी सम्मिलित है। अति-प्रसंस्कृत खाद्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं उत्पादकता का विषय माना गया है, जो सूचना और व्यवहारात्मक साधनों की चर्चा को प्रेरित करता है। युवाओं में डिजिटल लत उभरता स्वास्थ्य/शिक्षा जोखिम है, केवल प्रौद्योगिकी का विषय नहीं।

सामाजिक संपर्कता के मापनीय स्वास्थ्य प्रभाव हैं: अध्याय सामुदायिक बंधनों और आत्महत्या परिणामों की पड़ताल करता है, जिससे स्वास्थ्य नीति विकित्सा अवसंरचना से परे विस्तृत होती है।

प्रौद्योगिकी को स्थानीय हॉटस्पॉट पहचानने चाहिए: UDISE+, AISHE, ABDM और AI-सक्षम विश्लेषण हस्तक्षेपों को वहाँ निर्देशित कर सकते हैं जहाँ परिणाम पिछड़ते हैं।

मूल विश्लेषण

- शिक्षा प्रणाली विशाल है: उदा.: 24.69 करोड़ विद्यार्थियों की सेवा 14.71 लाख विद्यालय और 1.01 करोड़ से अधिक शिक्षक करते हैं, अतः मामूली गुणवत्ता लाभों का भी समष्टि-आर्थिक प्रभाव होता है।
- जनांकिकीय लाभ तात्कालिकता बढ़ाता है: 2024 में लगभग 27% जनसंख्या 3-18 आयु की थी, और 2047 में भी यह हिस्सा 20% से अधिक रहता है।
- केवल नामांकन नहीं, सीखने के परिणाम उत्पादकता निर्धारित करते हैं: सर्वेक्षण के अधिगम चार्ट सुधार किंतु बने हुए अंतराल दर्शाते हैं, जो मूल्यांकन सुधार का समर्थन करते हैं।
- सार्वजनिक-निजी/सामुदायिक भूमिकाएँ पूरक हैं: सरकार सार्वभौमिक आधार देती है, जबकि समुदाय और निजी संस्थाएँ नवाचार, जवाबदेही एवं वितरण में सहायता कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य प्रगति उल्लेखनीय है: शिशु मृत्यु दर 2013 के 40 से घटकर 2023 में 25 हुई, जो उत्तरजीविता और प्राथमिक देखभाल में दीर्घकालिक लाभ दर्शाती है।
- AB PM-JAY ने पैमाना प्राप्त किया है: 42.78 करोड़ कार्ड और 10.98 करोड़ प्रवेश वित्तीय संरक्षण बढ़ाते हैं, किंतु बीमा निवारक/सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकल्प नहीं है।
- रोग-बोझ बदल रहा है: मोटापा, अति-प्रसंस्कृत खाद्य का उपभोग, NCD और मानसिक-स्वास्थ्य जोखिम कार्यशील आयु की जनसंख्या तथा भावी उत्पादकता को अधिकाधिक प्रभावित करते हैं।
- व्यवहार परिवर्तन आर्थिक हस्तक्षेप है: पोषण, व्यायाम, स्क्रीन उपयोग और निवारक देखभाल भावी स्वास्थ्य-सेवा लागत घटा तथा श्रम उत्पादकता सुधार सकते हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

सीखने की गुणवत्ता क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों में तीव्र रूप से भिन्न है। डिजिटल और भौतिक अवसंरचना के अंतराल बने हुए हैं। अल्पपोषण बने रहने के साथ NCD और मोटापा बढ़ सकते हैं। बीमा विस्तार को आपूर्ति-पक्ष क्षमता और गुणवत्ता की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा से रोज़गार के संबंध असमान बने हुए हैं।

नीतिगत दिशा

आधारभूत अधिगम और सार्थक मूल्यांकन को सुदृढ़ करें। व्यावसायिक/STEM मार्गों को उद्योग और प्रशिक्षुता से एकीकृत करें। स्थानीय अधिगम/स्वास्थ्य अंतरालों को लक्षित करने हेतु उच्च-गुणवत्ता प्रशासनिक आँकड़ों का प्रयोग करें। बीमा के साथ स्वास्थ्य सेवा को निवारण, पोषण और NCD प्रबंधन की ओर ले जाएँ। सामुदायिक भागीदारी और व्यवहारात्मक संचार को मूल वितरण साधन बनाएँ।

अध्याय 12: रोज़गार एवं कौशल विकास: कौशल को सही दिशा देना

- अध्याय रोज़गार को जनांकिकीय मोड़ से जोड़ता है। भारत में कार्यशील आयु का हिस्सा लगभग 2030 में शिखर पर पहुँचने की अपेक्षा है, जबकि वृद्धावस्था आरंभ हो रही है; इससे रोज़गार की गुणवत्ता, महिला भागीदारी, कारखाना पैमाना, गिग-कार्य विनियमन, प्रशिक्षुता और कौशल-प्रणाली का लचीलापन तात्कालिक वृद्धि-विषय बन जाते हैं।

• जनांकिकी एवं श्रम बाज़ार

प्रमुख आँकड़े

जनांकिकीय लाभांश का शिखर: लगभग 2030

शिखर पर 15-59 आयु की जनसंख्या: लगभग 65%

उद्धृत महिला LFPR प्रवृत्ति: 2017-18 में 23.3% → 2023-24 में 41.7% (अध्याय की चर्चा में सामान्य-स्थिति शृंखला)

उद्धृत बेरोज़गारी दर प्रवृत्ति: तुलनीय अवधि में 5.6% → 3.2%

नियोजित व्यक्ति, वित्त वर्ष 26 की द्वितीय तिमाही: 15+ आयु के लगभग 56.2 करोड़ व्यक्ति; प्रथम तिमाही से +8.7 लाख

कारखाना संरचना: बड़े कारखाने इकाइयों में अल्पसंख्यक हैं, किंतु कारखाना श्रमिकों का प्रभावी हिस्सा नियोजित करते हैं

श्रम सुधार: चार श्रम संहिताएँ अधिसूचित; सर्वेक्षण के संदर्भ में कार्यान्वयन/नियम जारी संक्रमण का भाग हैं

उभरता कार्यबल: गिग/प्लेटफ़ॉर्म कार्य, AI उद्घाटन, हरित रोज़गार और वृद्ध होता कार्यबल

• कौशल एवं रोज़गार नीति संरचना

- ई-श्रम, NCS और स्किल इंडिया डिजिटल हब: सर्वेक्षण श्रमिक पहचान, रोज़गार और कौशल हेतु एकीकृत श्रम-बाज़ार डिजिटल अवसंरचना की ओर संकेत करता है।
- प्रशिक्षुता: कार्य-आधारित अधिगम को कक्षा से व्यवसाय तक सुदृढ़ सेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- IT। आधुनिकीकरण: प्रशिक्षण गुणवत्ता और उद्योग-संबंध के उन्नयन हेतु ओडिशा के अनुभव को रेखांकित किया गया है।
- कौशल वाउचर: व्यक्तियों को प्रशिक्षण में चयन देने का अधिक लचीला, माँग-आधारित उपाय सुझाया गया है।
- प्रारंभिक व्यावसायिक परिचय: विद्यालय-स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा शैक्षणिक-व्यावसायिक विभाजन घटा सकती है।
- श्रम संहिताएँ: आर्थिक तर्क सरलीकरण, लचीलेपन, औपचारिकीकरण और सामाजिक संरक्षण पर टिका है।
- गिग कार्य: विनियमन को उस लचीलेपन को नष्ट किए बिना श्रमिकों की रक्षा करनी चाहिए जो प्लेटफ़ॉर्म अवसर सृजित करता है।
- महिला कार्य: शिशु देखभाल, सुरक्षित गतिशीलता, लचीली व्यवस्थाएँ और अवैतनिक देखभाल का पुनर्वितरण श्रम आपूर्ति के केंद्र में हैं।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

दीर्घायु लाभांश: स्वास्थ्य-आयु, आजीवन अधिगम और आयु-अनुकूल कार्य व्यवस्थाएँ सुधारने पर वृद्धावस्था आर्थिक मूल्य उत्पन्न कर सकती है।

समय-उपयोग रोज़गार का चर है: अवैतनिक देखभाल लैंगिक भागीदारी अंतराल का एक भाग समझाती है। 2024 का समय-उपयोग सर्वेक्षण महिलाओं के कहीं अधिक देखभाल कार्य को दर्शाता है।

कारखाना पैमाना उत्पादकता और मज़दूरी से जुड़ा है: बड़े कारखाने प्रति इकाई अधिक श्रमिकों को रोज़गार देते, अधिक मज़दूरी देते और उच्च श्रम उत्पादकता दर्शाते हैं।

गिग कार्य को नए नियामकीय संतुलन की आवश्यकता है: रोज़गार की स्थिति और लचीलापन औपचारिक/अनौपचारिक द्विआधारी मॉडल में सहजता से नहीं बैठते।

कौशल विकास माँग-अनुक्रियाशील होना चाहिए: प्रणालियों को केवल प्रशिक्षण नामांकन नहीं, रोज़गार और उत्पादकता परिणामों से मापा जाना चाहिए।

• मूल विश्लेषण

- जनांकिकीय अवसर समय-बद्ध है: भारत का लाभांश लगभग 2030 में शिखर पर पहुँचने की अपेक्षा है, जब लगभग 65% जनसंख्या 15-59 आयु की होगी।
- महिला भागीदारी वृद्धि का प्रमुख अव्यक्त स्रोत है: अध्याय 2017-18 से 2023-24 में FLFPR की उल्लेखनीय वृद्धि बताता है, किंतु अवैतनिक देखभाल और सामाजिक अवरोध अब भी श्रम आपूर्ति को सीमित करते हैं।
- रोज़गार की मात्रा के साथ गुणवत्ता का मेल आवश्यक है: केवल निम्न बेरोज़गारी दर की अपेक्षा औपचारिक मज़दूरी रोज़गार, उत्पादकता और आय अधिक मायने रखती हैं।
- बड़े कारखाने पैमाने के लाभ दर्शाते हैं: सर्वेक्षण के साक्ष्य कारखाना आकार को उच्च रोज़गार, मज़दूरी और श्रम उत्पादकता से जोड़ते हैं।
- कौशल को नियोजित-सत्यापन चाहिए: प्रशिक्षुता, उद्योग-संबद्ध IT। और प्रारंभिक व्यावसायिक परिचय विद्यालय से कार्य के संक्रमण में सुधार कर सकते हैं।
- गिग कार्य लचीलापन बढ़ाता है किंतु पारंपरिक संरक्षण को कमज़ोर करता है: नीति को सामाजिक सुरक्षा को रोज़गारों और प्लेटफ़ॉर्मों में सुवाह्य बनाना होगा।
- वृद्धावस्था आरंभ हो चुकी है: निम्न प्रजनन और दीर्घ जीवन प्रत्याशा पेंशन/स्वास्थ्य चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं, पर संभावित दीर्घायु लाभांश भी।
- AI आधारभूत कौशलों का प्रीमियम बढ़ता है: श्रमिकों को संकीर्ण तकनीकी प्रशिक्षण के साथ समस्या-समाधान, संप्रेषण और सीखने की क्षमता चाहिए।

जोखिम एवं बाधाएँ

कौशल बेमेल रिक्त पदों और शिक्षित बेरोज़गारी के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है।

अवैतनिक देखभाल महिला भागीदारी और कार्य-घंटे घटाती है।

अनौपचारिक एवं गिग श्रमिकों के पास कमज़ोर, असुवाह्य संरक्षण है।

प्रशिक्षण प्रणालियाँ आपूर्ति-प्रेरित और प्रमाणपत्र-उन्मुख हो सकती हैं।

वृद्धावस्था स्वास्थ्य एवं सामाजिक-सहायता की आवश्यकताएँ बढ़ाएंगी।

नीतिगत दिशा

सुसंगत श्रम-बाज़ार मंच हेतु ई-श्रम, NCS और स्किल इंडिया के आँकड़ों को एकीकृत करें।
प्रशिक्षुता और नियोक्ता-संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करें।
महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने हेतु शिशु देखभाल, सुरक्षित गतिशीलता और लचीले कार्य का प्रयोग करें।
सामाजिक संरक्षण को औपचारिक, अनौपचारिक और प्लेटफॉर्म कार्य में सुवाह्य बनाएँ।
लंबे जीवन को दीर्घायु लाभांश में बदलने हेतु आजीवन अधिगम को बढ़ावा दें।

अध्याय 13: ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रगति: सहभागिता से साझेदारी तक

- अध्याय बहुआयामी निर्धनता और मूलभूत सेवाओं में तीव्र प्रगति दर्ज करता है, किंतु इसका विशिष्ट योगदान संस्थागत है: ग्रामीण विकास को सरकारी वितरण से सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय क्षमता, महिला सामूहिकताओं, प्रौद्योगिकी और परिसंपत्ति/संपत्ति औपचारिकीकरण की ओर संक्रमण के रूप में रूपायित किया गया है।
- निर्धनता, सेवाएँ एवं ग्रामीण संस्थाएँ

प्रमुख आँकड़े

राष्ट्रीय MPI: 2005-06 में 55.3% → 2019-21 में 14.96% → 2022-23 में अनुमानित 11.28%
उद्धृत विश्व बैंक अत्यधिक-निर्धनता अनुमान: संशोधित अंतरराष्ट्रीय रेखा के अंतर्गत 2022-23 में भारत हेतु 5.3%
सामाजिक-संरक्षण कवरेज: 2016 में लगभग 22% → 2025 में लगभग 64.3%
सुधरी ग्रामीण पेयजल पहुँच: 2015-16 में लगभग 94.6% → 2024-25 में लगभग 99.6%
स्वामित्व सर्वेक्षण कवरेज: लगभग 3.44 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 3.28 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण
स्वामित्व संपत्ति कार्ड: लगभग 1.82 लाख गाँवों में लगभग 2.76 करोड़ कार्ड
DILRMP अधिकार अभिलेख कंप्यूटरीकरण: लगभग 99.8%
उप-पंजीयक कार्यालय एकीकरण: लगभग 95.73%

- DAY-NRLM एवं समुदाय-नेतृत्व वाला ग्रामीण रूपांतरण

प्रमुख आँकड़े

स्वयं सहायता समूह: लगभग 90.90 लाख SHG
संगठित परिवार: लगभग 10.05 करोड़
सामुदायिक निवेश/पूँजी सहायता: लगभग ₹62,453.85 करोड़
जुटाया गया बैंक ऋण: लगभग ₹11.92 लाख करोड़
उद्यम: लगभग 4.02 लाख
महिला किसान: लगभग 4.92 करोड़
कस्टम हायरिंग केंद्र: लगभग 36,205
कृषि-पोषण बागीचे: लगभग 3.34 करोड़

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

निर्धनता उन्मूलन अधिकाधिक बहुआयामी है: आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा आय-लाभों को सुदृढ़ करते हैं।
सामुदायिक संस्थाएँ उत्पादक अवसंरचना हैं: SHG को केवल बचत समूह नहीं, वित्त, उद्यम, कृषि, पोषण और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम माना गया है।
भूमि/संपत्ति औपचारिकीकरण ग्रामीण पूँजी निर्माण को सहारा देता है: स्वामित्व, कंप्यूटरीकृत अभिलेख और ULPIN अस्पष्टता घटाते हैं तथा लेन-देन एवं वित्त तक पहुँच सुधार सकते हैं।
पंचायत उन्नति सूचकांक SDG का स्थानीयकरण करता है: स्थानीय सरकारें केवल योजना-आगतों पर निर्भर रहने के बजाय अंतराल निदान हेतु समग्र आँकड़ों का प्रयोग कर सकती हैं।
प्रौद्योगिकी को सामाजिक क्षमता चाहिए: जनजातीय डिजिटल समावेशन और ग्रामीण संचार को विश्वसनीय मध्यस्थों तथा सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है।
सर्वेक्षण के 2025 संदर्भ में ग्रामीण रोज़गार नीति का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, जिसमें परिसंपत्ति गुणवत्ता, आजीविका और विकास परिणामों पर ध्यान है।

• मूल विश्लेषण

- बहुआयामी निर्धनता में तीव्र गिरावट आई है: 2005-06 के 55.3% से 2019-21 में 14.96% तक, तथा 2022-23 में अनुमानित 11.28%।
- मूलभूत सेवाएँ संवेदनशीलता सीधे घटाती हैं: लगभग सार्वभौमिक ग्रामीण पेयजल पहुँच और विद्युतीकरण समय-निर्धनता, स्वास्थ्य जोखिम और उत्पादकता हानि घटाते हैं।
- SHG सामाजिक पूँजी को आर्थिक पूँजी में बदलते हैं: उदा.: DAY-NRLM ने लगभग 10.05 करोड़ परिवारों और ₹11.92 लाख करोड़ के बैंक ऋण को संगठित किया है।
- महिला सामूहिकताएँ एजेंसी का विस्तार करती हैं: उद्यम, महिला किसान और लखपति दीदी के मार्ग वित्तीय समावेशन को आय तथा निर्णय-क्षमता से जोड़ते हैं।
- संपत्ति अधिकार स्थानीय आर्थिक क्षमता सुधारते हैं: स्वामित्व संपत्ति कार्ड और डिजिटल भूमि अभिलेख गृहस्थ परिसंपत्तियों को अधिक स्पष्ट और लेन-देन योग्य बनाते हैं।
- सामाजिक संरक्षण का दायरा व्यापक हुआ है: सर्वेक्षण के कवरेज अनुमान 2016 के लगभग 22% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गए हैं।
- स्थानीय आँकड़े लक्ष्यीकरण सुधारते हैं: पंचायत-स्तरीय सूचकांक और डिजिटल मंच गाँव-विशिष्ट कमियाँ पहचान सकते हैं।
- साझेदारी एकतरफ़ा वितरण से अधिक टिकाऊ है: सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और स्थानीय संस्थाएँ सूचना तथा विश्वास की उन समस्याओं को सुलझा सकती हैं जिन्हें केंद्रीकृत प्रशासन नहीं सुलझा सकता।

जोखिम एवं बाधाएँ

स्थानीय संस्थाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त भिन्नता है।

प्रमाणीकरण/संपर्क विफल होने पर डिजिटल पहुँच बहिष्करण को पुनरुत्पादित कर सकती है।

भूमि अभिलेख कंप्यूटरीकृत हो सकते हैं, पर स्वत्व विवाद पूर्णतः हल नहीं होते।

उत्पादक अवसरों के बिना अंतरण टिकाऊ गतिशीलता सृजित नहीं कर सकते।

नीतिगत दिशा

SHG/FPO और स्थानीय उत्पादक नेटवर्कों को उद्यम संस्थाओं के रूप में सृष्टि करें।

भूमि-अभिलेख एकीकरण पूर्ण करें और विवाद समाधान सुधारें।

परिणाम-आधारित नियोजन हेतु पंचायत-स्तरीय आँकड़ों का प्रयोग करें।

सामाजिक संरक्षण को कौशल, उद्यम, स्वास्थ्य और उत्पादक परिसंपत्तियों से जोड़ें।

केवल योजना-निधियों में नहीं, स्थानीय प्रशासनिक एवं सामुदायिक क्षमता में निवेश करें।

अध्याय 14: भारत में AI पारितंत्र का विकास: आगे का मार्ग

- AI अध्याय तर्क देता है कि AI अब अटकलबाज़ी नहीं रहा: अपनाने की गति तीव्रता से बढ़ी है, किंतु भारत को उच्च-आय अर्थव्यवस्थाओं की संगणन-गहन अग्रणी रणनीतियों की सरल प्रतिकृति नहीं करनी चाहिए। सर्वेक्षण मानव पूँजी, घरेलू डेटा-मूल्य, मुक्त मॉडल और चरणबद्ध शासन के इर्द-गिर्द निर्मित अनुप्रयोग-आधारित, संसाधन-कुशल AI का पक्षधर है।
- **AI अंगीकरण एवं संरचनात्मक संदर्भ**

प्रमुख आँकड़े

≥1 व्यावसायिक कार्य में AI का प्रयोग करने वाली फर्में: 2022 में 50% → 2023 में 55% → 2024 में 72% → 2025 में 88% (उद्धृत मैकिन्से सर्वेक्षण)

2025 में AI को बड़े पैमाने पर अपनाने वाली फर्में: उद्धृत सर्वेक्षण में AI उपयोगकर्ताओं का 31%

पूर्णतः तैनात/एकीकृत AI: उद्धृत सर्वेक्षण में 7%

वैश्विक AI उपयोग हिस्सा: उद्धृत साक्ष्य में उच्च-आय देश 58.4%; उच्च-मध्यम आय 22.5%; निम्न-मध्यम आय 18.7%

डेटा-केंद्र संकेंद्रण: जून 2025 तक संख्या के अनुसार >70% डेटा केंद्र उच्च-आय देशों में

उद्धृत भारत का डेटा-केंद्र हिस्सा: वैश्विक संख्या का लगभग 3%

रणनीतिक तनाव: संगणन/ऊर्जा/पूँजी-गहनता बनाम अनुप्रयोग-आधारित किफ़ायती AI

शासन सिद्धांत: चरणबद्ध: समन्वय → क्षमता → पारितंत्र परिपक्व होने पर सुदृढ़तर दायित्व

• विकास-उन्मुख AI संरचना

- किफ़ायती एवं स्थानीय AI: छोटे/क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल और मुक्त/मुक्त-भार प्रणालियाँ हर उपयोग-प्रकरण के लिए अग्रणी-स्तरीय संगणन के बिना भारतीय समस्याएँ सुलझा सकती हैं।
- मानव पूँजी: नियमित संज्ञानात्मक कार्यों के स्वचालित होने पर आधारभूत तर्कशक्ति, संप्रेषण और क्षेत्र-विशेषज्ञता अधिक मूल्यवान बन जाती हैं।

- डेटा एक रणनीतिक संसाधन के रूप में: नीति को विश्वसनीय उपयोग और सीमा-पार प्रवाह सक्षम करने चाहिए, साथ ही घरेलू आर्थिक मूल्य बनाए रखना चाहिए।
- संगणन विस्तार: वित्त, विद्युत, भूमि, ग्रीड संयोजन और आयातित हार्डवेयर बाधाएँ बन सकते हैं।
- AI आर्थिक परिषद: सर्वेक्षण अंगीकरण को श्रम-बाज़ार और विकास की वास्तविकताओं से समायोजित करने हेतु उच्च-स्तरीय संस्थागत तंत्र प्रस्तावित करता है।
- सुरक्षा और जोखिम: शासन को नवाचार को समय से पूर्व जकड़े बिना मॉडल/प्रणाली जोखिमों को आच्छादित करना चाहिए।
- विलंबित-प्रवेशी लाभ: भारत वैश्विक तैनाती की गलतियों से सीख सकता है और संसाधन-बाधाओं के अधिक अनुकूल संरचनाएँ चुन सकता है।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

AI नीति आर्थिक-विकास का चयन है, केवल प्रौद्योगिकी नीति नहीं: संगणन रणनीति ऊर्जा, पूँजी आबंटन, श्रम और बाह्य निर्भरता को प्रभावित करती है। अग्रणी-मॉडल पैमाना एकमात्र मार्ग नहीं: छोटी, क्षेत्र-विशिष्ट प्रणालियाँ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और MSME में उच्च सामाजिक प्रतिफल दे सकती हैं। आधारभूत कौशल कम नहीं, अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं: AI के नियमित कार्य सँभालने पर नियोक्ता विवेक, संप्रेषण और अनुकूलन-क्षमता को महत्व देते हैं। डेटा को घरेलू मूल्य सृजित करना चाहिए: स्थानीय क्षमता के बिना भारतीय डेटा का दोहन डिजिटल अंगीकरण ऊँचा होने पर भी निर्भरता को पुनरुत्पादित कर सकता है। शासन क्रमबद्ध होना चाहिए: समय से पूर्व कठोर विनियमन मौजूदा संरचनाओं को जकड़ सकता है, जबकि शासन के अभाव में जोखिम बाढ़ हो सकते हैं।

मूल विश्लेषण

- अंगीकरण पहले से तीव्र है: उदा.: उद्धृत 2025 सर्वेक्षण में 88% फर्मों ने कम से कम एक व्यावसायिक कार्य में AI का प्रयोग किया, जो 2022 के 50% से अधिक है।
- भारत को संगणन-पूँजी की बाधा है: संख्या के अनुसार वैश्विक डेटा केंद्रों का 70% से अधिक उच्च-आय अर्थव्यवस्थाओं में है, जबकि भारत का उद्धृत हिस्सा लगभग 3% है।
- अतः संसाधन-दक्षता रणनीतिक है: अनुप्रयोग-विशिष्ट मॉडल निम्न संगणन, विद्युत और आयातित हार्डवेयर-गहनता के साथ मूल्य दे सकते हैं।
- मुक्त मॉडल प्रवेश-बाधाएँ घटाते हैं: वे स्थानीय फर्मों और शोधकर्ताओं को प्रणालियाँ अनुकूलित करने तथा कुछ वैश्विक प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचने में सक्षम बनाते हैं।
- मानव पूँजी निर्णायक पूरक है: आधारभूत कौशल, क्षेत्र-ज्ञान और समस्या-समाधान तय करते हैं कि AI श्रमिकों को सुदृढ़ करता है या विस्थापित।
- घरेलू डेटा उत्पादक परिसंपत्ति बनना चाहिए: शासन को विश्वसनीय पहुँच सक्षम करनी चाहिए और रणनीतिक मूल्य के बिना-क्षतिपूर्ति दोहन को रोकना चाहिए।
- AI अंगीकरण की गति श्रम-संक्रमणों के अनुरूप होनी चाहिए: AI आर्थिक परिषद प्रौद्योगिकी, कौशल, रोज़गार और प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं में समन्वय कर सकती है।
- सुरक्षा संस्थाओं को क्षमता के साथ विकसित होना चाहिए: परीक्षण, पारदर्शिता और समन्वय पर प्रारंभिक बल भारी बाध्यकारी दायित्वों से पूर्व आ सकता है।

जोखिम एवं बाधाएँ

संगणन, विद्युत, शीतलन जल और वित्तपोषण भौतिक बाधाएँ बन सकते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच संकेंद्रण निर्भरता उत्पन्न कर सकता है। पुनः-कौशल प्रणालियों के समायोजित होने से पूर्व AI नियमित सेवा कार्यों को विस्थापित कर सकता है। दुर्बल डेटा शासन निजता और घरेलू मूल्य-अर्जन को कमज़ोर कर सकता है।

नीतिगत दिशा

उच्च-सामाजिक-प्रतिफल वाले क्षेत्रकीय उपयोग-प्रकरणों और किफ़ायती AI को प्राथमिकता दें। ऊर्जा/जल बाधाओं का ध्यान रखते हुए संगणन एवं डेटा अवसंरचना का विस्तार करें। मुक्त अनुसंधान, स्थानीय-भाषा डेटासेट और मॉडल-मूल्यांकन क्षमता बनाएँ। AI नीति को प्रशिक्षुता, उच्च शिक्षा और आजीवन अधिगम से जोड़ें। ऐसा चरणबद्ध, अनुकूल शायन अपनाएँ जो प्रयोग को बनाए रखे और सुरक्षा क्षमता निर्मित करे।

अध्याय 15: शहरीकरण: भारत के शहरों को नागरिकों के लिए कारगर बनाना

- शहरीकरण अध्याय शहरों को आर्थिक अवसरचना के रूप में पुनर्परिभाषित करता है। समूहन उत्पादकता बढ़ा सकता है, किंतु भारतीय शहर अपनी संभावना से कम निष्पादन करते हैं क्योंकि शासन, नगरपालिका वित्त, भूमि बाज़ार, गतिशीलता, आवास, स्वच्छता, अनौपचारिकता और नागरिक व्यवस्था शहरी वृद्धि के साथ विस्तृत नहीं हुए हैं।
- **शहरीकरण एवं उत्पादकता**

प्रमुख आँकड़े

समूहन प्रभाव: उद्धृत मेटा-विश्लेषण में भारत में शहर का आकार दुगुना होने पर लगभग 12% उत्पादकता लाभ
 शहरी प्रक्षेपण: 2036 तक लगभग 60 करोड़ लोग; जनसंख्या का लगभग 40%
 शहरी आर्थिक भूमिका: शहरी क्षेत्रों से लगभग 70% GDP सृजित होने का प्रक्षेपण/अनुमान
 शीर्ष 10 शहर: जनसंख्या का लगभग 9% किंतु GDP का लगभग 28%
 नगरपालिका स्व-स्रोत राजस्व: राष्ट्रीय स्तर पर GDP का लगभग 0.15%
 तुलनात्मक स्व-स्रोत राजस्व: अनेक मध्यम-आय देशों में GDP का लगभग 0.3-0.6%; OECD अर्थव्यवस्थाओं में 2-4%
 मेट्रो/RTS जाल: 2025 तक लगभग 24 शहरों में लगभग 1,036 किमी संचालित
 श्रेणी। शहर, जनगणना 2011: शहरी जनसंख्या का >70%; 52 दस-लाख-पार महानगरों में शहरी निवासियों का लगभग 42.3%

चिह्नित बाधकारी बाधाएँ

- शासन-अभाव: खंडित अभिकरण और सीमित शहरी आर्थिक एजेंसी महानगरीय समन्वय को कठिन बनाते हैं।
- नगरपालिका वित्त: दुर्बल संपत्ति-कर आधार, उपयोगकर्ता शुल्क और स्व-स्रोत राजस्व सेवा गुणवत्ता तथा उधार क्षमता को सीमित करते हैं।
- मृत पूँजी के रूप में भूमि: अस्पष्ट स्वत्व, प्रतिबंधात्मक फ़्लोर-स्पेस नियम और मंद भू-उपयोग रूपांतरण आवास तथा व्यवसाय-स्थान की दक्षता सीमित करते हैं।
- गतिशीलता: सड़क स्थान अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकता; सामूहिक पारगमन, पैदल चलना, साइकिल, क्षेत्रीय पारगमन और भीड़-भाड़ प्रबंधन आवश्यक हैं।
- जल एवं स्वच्छता: चक्रीय जल उपयोग, सीवेज उपचार और पुनः-उपयोग अभाव को संसाधन-प्रबंधन के अवसर में बदल सकते हैं।
- अनौपचारिकता: सर्वेक्षण उन्मूलन से एकीकरण की ओर जाता है - रेहड़ी-पटरी, अनौपचारिक कार्य और बस्तियाँ संरचनात्मक शहरी परिणाम हैं।
- नागरिक व्यवस्था/सामाजिक अनुबंध: व्यवहार, प्रवर्तन की वैधता और सार्वजनिक स्थान के मानदंड पूँजीगत व्यय से परे शहरी रहने-योग्यता को प्रभावित करते हैं।
- अमूर्त शहरी गुणवत्ता: विश्वास, सार्वजनिक क्षेत्र, संस्कृति और शासन प्रतिभा आकर्षण तथा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

आधिकारिक शहरीकरण क्रियात्मक शहरीकरण को कम आँक सकता है: स्थानिक/रात्रि-प्रकाश और केरल के साक्ष्य वैधानिक सीमाओं को लाँघने वाले बसावट प्रतिरूप दर्शाते हैं।

शहरों को उत्पादन प्रणालियाँ माना जाना चाहिए: आवास, परिवहन और भू-उपयोग नियम श्रम-बाज़ार मिलान एवं फर्म उत्पादकता निर्धारित करते हैं।

नगरपालिका वित्त राष्ट्रीय वृद्धि का मुद्दा है: स्थानीय राजकोषीय दुर्बलता भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते आर्थिक स्थानों की उत्पादकता घटाती है।

नमो भारत को 'नेटवर्क' के नेटवर्क' के रूप में प्रस्तुत किया गया है: क्षेत्रीय रेल एकीकरण प्रभावी श्रम-बाज़ारों को नगरपालिका सीमाओं से परे विस्तृत कर सकता है।

भीड़-भाड़ मूल्य निर्धारण को माँग प्रबंधन के रूप में चर्चित किया गया है: सड़क की दुर्लभता का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, केवल अधिक सड़कें बनाकर समाधान नहीं करना चाहिए।

संदर्भानुसार अनुपालन: नियामकीय/प्रवर्तन दृष्टिकोणों को कठोर एकसमान नियमों पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और नागरिक व्यवहार को मान्यता देनी चाहिए।

मूल विश्लेषण

- समूहन के मापनीय उत्पादकता लाभ हैं: उद्धृत साक्ष्य बताते हैं कि भारत में शहर का आकार दुगुना होने पर उत्पादकता सामान्यतः लगभग 12% बढ़ती है।
- शहरी संक्रमण विशाल और जारी है: 2036 तक भारत में लगभग 60 करोड़ शहरी निवासी, अर्थात् जनसंख्या का लगभग 40%, हो सकते हैं।
- शहर पहले से मूल्य सृजन पर हावी हैं: शहरी क्षेत्रों से लगभग 70% GDP सृजित होने की अपेक्षा है, जिससे शहरी निष्क्रियता एक समष्टि-आर्थिक लागत बन जाती है।
- नगरपालिका राजकोषीय क्षमता असाधारण रूप से दुर्बल है: स्व-स्रोत राजस्व मात्र GDP का लगभग 0.15% है, जो रखरखाव तथा सेवा निवेश को सीमित करता है।
- भूमि-बाज़ार की बाधाएँ आवास और व्यवसाय की लागत बढ़ाती हैं: निम्न/कठोर FSI, अस्पष्ट स्वत्व और खंडित नियोजन वहाँ घनत्व घटाते हैं जहाँ वह आर्थिक रूप से मूल्यवान है।

- सामूहिक पारगमन श्रम-बाज़ारों का विस्तार करता है: उदा.: 2025 तक लगभग 24 शहरों में लगभग 1,036 किमी मेट्रो/RRTS संचालित था; नमो भारत क्षेत्रीय एकीकरण के लाभ दर्शाता है।
- अनौपचारिकता को एकीकृत करना चाहिए, उसकी कामना से हटाना नहीं: रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किरायेदारों और अनौपचारिक श्रमिकों को ऐसे विधिक/सेवा ढाँचे चाहिए जो शहरों के वास्तविक कार्यकरण के अनुकूल हों।
- शहरी जलवायु लचीलापन अवसंरचना से अविभाज्य है: जल पुनः-उपयोग, जल-निकास, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन उत्पादकता हानि तथा पर्यावरणीय तनाव दोनों घटाते हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

खंडित महानगरीय शासन समन्वय विफलताएँ उत्पन्न करता है।
दुर्बल नगरपालिका राजस्व जवाबदेही और साख-योग्यता घटाता है।
भू-उपयोग प्रतिबंधों के कारण आवास आपूर्ति रोज़गारों के प्रति मंद गति से प्रतिक्रिया करती है।
भीड़-भाड़, प्रदूषण, बाढ़ और ऊष्मा बड़ी बाधा लागतें थोपते हैं।
कठोर प्रवर्तन से अनौपचारिक आजीविकाओं को क्षति पहुँच सकती है।

नीतिगत दिशा

शहरों के स्व-राजस्व, संपत्ति कराधान और पारदर्शी उपयोगकर्ता शुल्क को सुदृढ़ करें।
सशक्त महानगरीय नियोजन/परिवहन संस्थाएँ बनाएँ।
आवास को रोज़गारों से जोड़ने हेतु भूमि स्वत्व, FSI और पारगमन-उन्मुख विकास में सुधार करें।
केवल सड़क विस्तार के बजाय सामूहिक पारगमन के साथ पैदल/साइकिल और भीड़-भाड़ प्रबंधन का प्रयोग करें।
अनौपचारिक श्रमिकों और बस्तियों को सेवा एवं नियोजन प्रणालियों में एकीकृत करें।
चक्रीय जल और जलवायु-सुदृढ़ शहरी अवसंरचना का निर्माण करें।

अध्याय 16क: आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन एवं रणनीतिक अपरिहार्यता तक

- अंतिम अध्याय का भाग। तर्क देता है कि भू-राजनीति की वापसी से कुछ मात्रा में स्वदेशीकरण अपरिहार्य हो जाता है, किंतु सर्वग्राही आयात प्रतिस्थापन को अस्वीकार करता है। सर्वेक्षण स्तरीकृत ढाँचा प्रस्तावित करता है जो गंभीर संवेदनशीलताओं को आर्थिक रूप से संभाव्य क्षमता-निर्माण से, तथा उन वस्तुओं से पृथक करता है जिनके घरेलू प्रतिस्थापन में अपव्यय होगा।
- रणनीतिक स्वदेशीकरण का स्तरीकृत ढाँचा**

प्रमुख आँकड़े

स्तर I - गंभीर संवेदनशीलताएँ: अस्वीकार करने पर तात्कालिक असममित राष्ट्रीय लागतें; आपूर्ति अत्यंत संकेंद्रित। आरंभिक लागत पर भी सुनिश्चित घरेलू क्षमता उचित हो सकती है, किंतु सहायता लक्षित एवं समय-बद्ध हो।
स्तर II - रणनीतिक लाभ सहित आर्थिक रूप से संभाव्य क्षमता: घरेलू उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन सकता है; बाधाएँ समन्वय, पैमाना अथवा पथ-निर्भरता हैं। उत्पादकता, लागत-अभिसरण, अधिगम और निर्यात-तत्परता से संबद्ध अस्थायी सहायता।
स्तर III - कम तात्कालिकता / उच्च-लागत प्रतिस्थापन: आयात विविधीकृत हैं अथवा घरेलू प्रतिस्थापन अर्थव्यवस्था-व्यापी उच्च लागतें थोपेगा। संरक्षण के बजाय विविधीकृत स्रोत-निर्धारण, भंडार-बफर और अनुबंधों को वरीयता।

- सर्वेक्षण द्वारा विकसित रणनीतिक तर्क**
- स्वदेशी एक अनुशासित रणनीति है, सर्वग्राही सिद्धांत नहीं: जहाँ संरक्षण में निकास-शर्तें नहीं थीं, वहाँ ऐतिहासिक आयात प्रतिस्थापन ने प्रायः आत्मसंतोष को जन्म दिया।
- निर्यात अनुशासन अनिवार्य है: सहायता को फर्मों को विश्व कीमतों/मानकों के सम्मुख रखना चाहिए ताकि अधिगम मापनीय बने।
- आगत लागतें रणनीतिक हैं: महँगा इस्पात, एल्युमीनियम, रेशे, विद्युत, लॉजिस्टिक्स अथवा वित्त 'स्वदेशीकृत' अधोधारा उत्पादन को वैश्विक रूप से अप्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।
- राष्ट्रीय आगत लागत न्यूनीकरण रणनीति: संरचनात्मक लागतें घटाना प्रशुल्क बढ़ाने से श्रेयस्कर हो सकता है।
- उन्नत विनिर्माण संस्थाओं को अनुशासित करता है: अर्धचालक, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विनियमन, कौशल, उपार्जन और अवसंरचना में परिशुद्धता चाहिए।
- उद्यमशील राज्य अनिश्चितता में समन्वय करता है: सार्वजनिक कार्रवाई बाज़ार आबंटन को प्रतिस्थापित किए बिना प्रथम-प्रवर्तक/समन्वय विफलताओं को सुलझा सकती है।

- रणनीतिक अपरिहार्यता लचीलेपन से ऊँची महत्वाकांक्षा है: भारत का लक्ष्य केवल अपनी आयात निर्भरता घटाना नहीं, ऐसा आपूर्तिकर्ता बनना होना चाहिए जिसे अन्य सरलता से बाहर न कर सकें।

सर्वेक्षण के नए अवलोकन

संरक्षण विशिष्ट बाज़ार/समन्वय विफलताओं अथवा सुरक्षा बाह्यताओं से उचित ठहरता है, इस तथ्य से नहीं कि कोई वस्तु आयातित है। सामान्य-प्रयोजन आगतों का स्थायी संरक्षण अधोधारा विनिर्माण पर अप्रत्यक्ष कर की तरह कार्य कर सकता है। रणनीतिक सुरक्षा के लिए कभी-कभी घरेलू क्षमता आवश्यक हो सकती है, भले आरंभ में वह अधिक महँगी हो, किंतु उद्देश्य न्यूनतम सुनिश्चित क्षमता है, स्थायी अकुशलता नहीं। भारत का नीतिगत उद्देश्य लचीलेपन से प्रभाव की ओर बढ़ना चाहिए: ऐसी क्षमताएँ जो वैश्विक साझेदारों को भारतीय आपूर्ति पर निर्भर बनाएँ, रणनीतिक उत्तोलन सृजित कर सकती हैं। बड़ी बहुराष्ट्रीय प्रमुख फर्मों को आकर्षित करना आपूर्तिकर्ता पारितंत्रों को उत्प्रेरित कर सकता है क्योंकि वैश्विक विनिर्माण एकीकृत कॉर्पोरेट नेटवर्कों के आसपास संगठित है।

मूल विश्लेषण

- सभी निर्भरताएँ संवेदनशीलताएँ नहीं हैं: आपूर्ति विविधीकृत और प्रतिस्थापन लागत उच्च होने पर स्तर III की वस्तुएँ वैश्विक स्तर पर सुरक्षित रूप से प्राप्त की जा सकती हैं।
- गंभीर संवेदनशीलताएँ सुनिश्चित क्षमता को उचित ठहराती हैं: स्तर I में रक्षा, ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आधारभूत औद्योगिक आगत सम्मिलित हैं जहाँ अस्वीकार असममित लागतें थोप सकता है।
- आर्थिक संभाव्यता स्तर II का मार्गदर्शन करे: घरेलू उत्पादन अस्थायी सहायता का पात्र है जब आयात निर्भरता का कारण वास्तविक तुलनात्मक हानि नहीं, बल्कि पैमाने/समन्वय की विफलताएँ हों।
- सहायता में निकास-नियम होना चाहिए: निष्पादन का मापन उत्पादकता, लागत-अभिसरण और निर्यात-तत्परता से होना चाहिए।
- अधोधारा प्रतिस्पर्धात्मकता ही अनुशासन है: सामान्य-प्रयोजन ऊर्ध्वधारा आगत का संरक्षण अनेक निर्यातकों की लागत बढ़ाकर राष्ट्रीय लचीलेपन को बढ़ाने के बजाय घटा सकता है।
- आगत-लागत में कमी प्रशुल्क से बेहतर हो सकती है: सस्ता वित्त, विद्युत, लॉजिस्टिक्स और नियामकीय अनुपालन उपयोगकर्ताओं पर कर लगाए बिना घरेलू क्षमता बना सकते हैं।
- उन्नत विनिर्माण संस्थागत प्रसार उत्पन्न करता है: यह गुणवत्ता प्रणालियों, उपार्जन, अभियांत्रिकी, लॉजिस्टिक्स और लोक प्रशासन में सुधार को विवश करता है।
- रणनीतिक अपरिहार्यता अंतिम अवस्था है: भारत प्रभाव तब अर्जित करता है जब उसकी क्षमताएँ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए आवश्यक बन जाएँ, केवल तब नहीं जब वह सब कुछ घरेलू स्तर पर उत्पादित कर सके।

जोखिम एवं बाधाएँ

संरक्षण को वापस लेना राजनीतिक रूप से कठिन हो सकता है। स्थापित फर्मों उत्पादकता में निवेश के बजाय वार्ता-जनित आश्रय माँग सकती हैं। उच्च-लागत घरेलू आगत श्रम-गहन निर्यातों को कमज़ोर कर सकते हैं। रणनीतिक मानदंड इतने खींचे जा सकते हैं कि अधिकांश क्षेत्रक विशेष व्यवहार का दावा करने लगे।

नीतिगत दिशा

आवधिक समीक्षा के साथ पारदर्शी स्तर I-III वर्गीकरण का प्रयोग करें। स्तर II की सहायता को निर्यात, अधिगम और लागत-मानदंडों से जोड़ें। सीमा संरक्षण बढ़ाने से पूर्व अर्थव्यवस्था-व्यापी आगत लागत घटाएँ। जहाँ घरेलू उत्पादन अलाभकारी हो, वहाँ बफर और स्रोत-विविधीकरण विकसित करें। वास्तव में रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के लिए प्रथम बाज़ार बनाने हेतु उपार्जन और मिशन-मोड मंचों का प्रयोग करें।

अध्याय 16ख (भाग II): रणनीतिक लचीलापन एवं रणनीतिक अपरिहार्यता का निर्माण: राज्य, निजी क्षेत्र एवं नागरिक

- भाग II राज्य क्षमता को भारत के विकास के अगले चरण की केंद्रीय बाधा के रूप में चिह्नित करता है। यह क्षमता को 'सही कार्यों को पूरा कराने' की योग्यता के रूप में परिभाषित करता है और तर्क देता है कि प्रोत्साहन, जोखिम-प्रसंस्करण, नौकरशाही संस्कृति, नियामकीय रचना, निजी क्षेत्र का व्यवहार और नागरिक मानदंड मिलकर निष्पादन तय करते हैं।
- राज्य क्षमता - मूल ढाँचा

- सामर्थ्य, अधिकार नहीं: राज्य क्षमता का अर्थ है नीति रचना, उसका कार्यान्वयन तथा बाधाओं और अनिश्चितता में प्रतिबद्धताओं का विश्वसनीय निर्वाह।
- प्रोत्साहन बाधकारी बाधा हैं: पूर्वव्यापी जाँच, प्रक्रियात्मक मापदंड और दृश्य कार्रवाई के लिए असममित दंड नौकरशाही में जोखिम-विमुखता उत्पन्न कर सकते हैं।
- उद्यमशील राज्य: सरकार को बाज़ारों को विस्थापित किए बिना जोखिम संरचित करना, प्रयोग करना, सीखना और दिशा सुधारना चाहिए।
- सीमाबद्ध सुरक्षित स्थान: मिशन प्रकोष्ठ, नियामकीय सैंडबॉक्स, सद्भावना-संरक्षण और पश्चात-अधिगम समीक्षाएँ जवाबदेही बनाए रखते हुए प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।
- मिशन कर्मयोगी / मानव प्रणाली: कौशल, संस्कृति, टीमवर्क और विवेक को संस्थागत अवसररचना माना गया है।
- नियामकीय क्षमता: कम नियम पर्याप्त नहीं; संस्थाओं में उच्च-मूल्य नियमों को सही ढंग से रचने, अनुश्रवण और प्रवर्तन की सामर्थ्य होनी चाहिए।
- राज्य सहायता मिशन के माध्यम से सहकारी संघवाद: सुदृढ़ राज्य-स्तरीय संस्थाएँ अनिवार्य हैं क्योंकि कार्यान्वयन भौगोलिक रूप से विकेंद्रित है।
- निजी क्षेत्र की राष्ट्रीय सामर्थ्य: बड़ी फर्मों को अधोधारा फर्मों की कीमत पर वार्ता-जनित आश्रय माँगने के बजाय निवेश, नवाचार और प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।
- नागरिक और मानदंड: अनुपालन, विश्वास और सार्वजनिक वस्तुओं के प्रति व्यवहार तय करते हैं कि कितनी बाधकारी प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता है।
- विनियमन-शैथिल्य एवं अनुपालन सुधार

प्रमुख आँकड़े

प्राथमिकता क्षेत्र: भू-उपयोग, भवन/निर्माण, श्रम, उपयोगिताओं/अनुमतियों और समग्र सुधारों में 23 प्राथमिकता क्षेत्र

सुधार मैट्रिक्स का पैमाना: 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र × 23 क्षेत्र → 828 सुधार कार्रवाईयाँ

23 जनवरी 2026 तक कार्यान्वित: लगभग 630 सुधार; लगभग 76%

कार्यान्वयनाधीन: लगभग 79 सुधार; लगभग 10%

राज्य विधिक सुधार: छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों ने जन विश्वास-जैसे दृष्टिकोण अपनाए

अंतर्निहित सिद्धांत: दुर्लभ प्रशासनिक प्रयास को निम्न-मूल्य पुलिसिंग से समस्या-समाधान, अनुश्रवण और निष्पादन की ओर स्थानांतरित करना

विशिष्ट संस्थागत अवलोकन

प्रक्रिया उद्देश्य को बाहर कर सकती है: जवाबदेही हेतु बनी प्रणालियाँ तब कैच-22 बन सकती हैं जब परिणाम बिगड़ने पर भी अनुपालन को पुरस्कृत किया जाए।

सद्भावना त्रुटि और भ्रष्टाचार में अंतर करना होगा: अन्यथा प्रयोग का सामाजिक मूल्य उच्च होने पर भी अनिश्चितता-संवेदनशील निर्णयों से बचा जाएगा।

उद्यमशील नौकरशाही का अर्थ संपूर्ण नौकरशाही का प्रायोगिक होना नहीं है: सफल देशों ने जोखिम लेने के लिए सीमाबद्ध संस्थागत स्थान बनाए, जबकि नियमित प्रशासन स्थिर रहा।

नीतिगत प्रतिवर्तनीयता एक सामर्थ्य है: अस्थायी उपायों को वास्तव में समाप्त होना चाहिए या साक्ष्य बदलने पर सुधारा जाना चाहिए।

राज्य सामर्थ्य सह-उत्पादित होती है: निजी फर्म, शिक्षा जगत और नागरिक प्रभावित करते हैं कि विनियमन, नवाचार और सार्वजनिक सेवाएँ कार्य करें या नहीं।

विनियमन-शैथिल्य राज्य को सुदृढ़ कर सकता है: निम्न-मूल्य अनुमतियाँ हटाने से प्रशासनिक क्षमता उच्च-मूल्य प्रवर्तन और वितरण की ओर जा सकती है।

मूल विश्लेषण

- बाधा निष्पादन है, नीति की कमी नहीं: सर्वेक्षण क्षमता को निरंतर 'सही कार्यों को पूरा कराने' की योग्यता के रूप में परिभाषित करता है।
- वर्तमान प्रोत्साहनों के अंतर्गत जोखिम-विमुखता तर्कसंगत हो सकती है: सद्भावना प्रयोग के पूर्वव्यापी लेखा-परीक्षण या विधिक जाँच का सामना करने पर अधिकारी प्रक्रियात्मक निरंतरता को वरीयता दे सकते हैं।
- उद्यमशील सुरक्षित स्थान प्रोत्साहन बदल सकते हैं: मिशन प्रकोष्ठ और सैंडबॉक्स विभेदित जवाबदेही के साथ सीमाबद्ध प्रयोग की अनुमति देते हैं।
- विनियमन-शैथिल्य पहले से मापनीय है: उदा.: 23 जनवरी 2026 तक चिह्नित 828 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुधार कार्रवाईयाँ में से लगभग 630 (76%) कार्यान्वित बताई गई, जबकि 79 और कार्यान्वयनाधीन हैं।
- सरकार के भीतर मानवीय सामर्थ्य मायने रखती है: केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं; संगठनात्मक संस्कृति को विवेक, समन्वय और सीखने को पुरस्कृत करना चाहिए।
- नियामकीय गुणवत्ता नियमों की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है: सामर्थ्यवान राज्य कम, स्पष्ट नियमों का प्रयोग कर परिणामों का बेहतर अनुश्रवण कर सकता है।
- संघीय सामर्थ्य अनिवार्य है: भूमि, श्रम, उपयोगिताएँ, शहर और स्थानीय वितरण राज्यों तथा स्थानीय संस्थाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- निजी क्षेत्र का व्यवहार राष्ट्रीय सामर्थ्य को प्रभावित करता है: संरक्षण माँगने वाली फर्में अधोधारा प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर कर सकती हैं; नवाचार और विस्तार करने वाली फर्में रणनीतिक परिसंपत्ति बन सकती हैं।
- नागरिक मानदंड प्रवर्तन लागत घटाते हैं: विश्वास, नागरिक आचरण और स्वैच्छिक अनुपालन राज्य की उत्पादक क्षमता का अंग हैं।

जोखिम एवं बाधाएँ

पूर्वव्यापी जवाबदेही प्रयोग को हतोत्साहित कर सकती है।
खंडित अभिकरण समन्वय विफलताएँ उत्पन्न करते हैं।
नियामकीय सुधार अग्रिम-पंक्ति की सामर्थ्य सुधारे बिना नियम हटा सकता है।
राजनीतिक लोकलुभावनवाद और नौकरशाही की संकीर्णता संस्थाओं को विपरीत दिशाओं में खींच सकती हैं।
निजी किराया-खोज रणनीतिक नीति को स्थापित फर्मों के संरक्षण में बदल सकती है।

नीतिगत दिशा

समीक्षाओं के साथ विधिक रूप से सीमाबद्ध प्रायोगिक/मिशन स्थान बनाएँ।
कठोर भ्रष्टाचार-निरोधी जवाबदेही बनाए रखते हुए सद्भावना निर्णयों को संरक्षण दें।
संस्थाओं को केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन नहीं, परिणामों और अधिगम से मापें।
राज्य सहायता मिशन तथा अंतर-राज्य अधिगम को गहन करें।
उच्च-मूल्य पर्यवेक्षी क्षमता सुदृढ़ करते हुए विनियमन-शैथिल्य जारी रखें।
कॉर्पोरेट प्रोत्साहनों को नवाचार, निर्यात, आपूर्ति-शृंखला सामर्थ्य और राष्ट्रीय लचीलेपन से संरक्षित करें।

• त्वरित पुनरावृत्ति

प्रमुख आँकड़े

वास्तविक GDP वृद्धि, वित्त वर्ष 26 FAE: 7.4% (अध्याय 1)
संभावित वृद्धि: 7.0% (अध्याय 1)
केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 25 / वित्त वर्ष 26 BE: GDP का 4.8% / 4.4% (अध्याय 2)
केंद्र का मध्यम-अवधि ऋण लंगर: GDP का 50 ±1% (अध्याय 2)
मुद्रा गुणक, दिसंबर 2025 के अंत में: 6.21 (अध्याय 3)
कुल निर्यात वित्त वर्ष 25: 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर (अध्याय 4)
वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही का CAD: GDP का 0.8% (अध्याय 4)
CPI शीर्षक, अक्टूबर 2025: 0.3% (अध्याय 5)
कृषि कार्यबल हिस्सा: 46.1% (अध्याय 6)
GDP में सेवाओं का हिस्सा, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही: लगभग 53.6% (अध्याय 7)
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 25: लगभग ₹11.3 लाख करोड़ (अध्याय 8)
केंद्र का पूँजीगत व्यय वित्त वर्ष 26 BE: ₹11.21 लाख करोड़ (अध्याय 9)
गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हिस्सा, दिसंबर 2025: 51.93% (अध्याय 10)
विद्यालय प्रणाली में विद्यार्थी: 24.69 करोड़ (अध्याय 11)
जनांकिकीय लाभांश का शिखर: लगभग 2030; लगभग 65% की आयु 15-59 वर्ष (अध्याय 12)
राष्ट्रीय MPI, 2022-23 अनुमानित: 11.28% (अध्याय 13)
उद्धृत 2025 सर्वेक्षण में AI का प्रयोग करने वाले संगठन: 88% (अध्याय 14)
नगरपालिका स्व-स्रोत राजस्व: GDP का लगभग 0.15% (अध्याय 15)
कार्यान्वित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनियमन-शैथिल्य कार्रवाइयाँ: 828 में से लगभग 630 (76%) (अध्याय 16ख)

• सर्वेक्षण में दिखने वाली प्रमुख योजनाएँ / मिशन / संस्थागत सुधार

प्रमुख आँकड़े

राजकोषीय: GST 2.0; SASCI; SNA-SPARSH; राजकोषीय विकेंद्रीकरण तथा व्यय-दक्षता सुधार
 वित्त: RBI सहजता/तरलता उपाय; गिफ्ट सिटी; प्रतिभूति बाज़ार संहिता 2025; वित्तीय समावेशन में PMMY/PM स्वनिधि
 बाह्य/उद्योग: FTA/GVC रणनीति; PLI; राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन; भारत सेमीकंडक्टर मिशन; ANRF; RDI कोष
 कृषि: कृषोन्नति योजना; PM-KISAN; PDMC; डिजिटल कृषि मिशन; NMEO-OS/OP; FPO; प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
 अवसंरचना: PPP/VGF/IIPDF; InvIT/REIT; सड़क/रेल/बंदरगाह/अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार; इंडिया एनर्जी स्टैक; भारतनेट
 जलवायु: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन; शांति (SHANTI) अधिनियम 2025; KERA; MISHTI; CCTS; संप्रभु/नगरपालिका हरित बॉन्ड
 मानव पूँजी: NEP 2020; PARAKH; AB PM-JAY; ABDM; NCD कार्यक्रम; व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षुता
 रोज़गार: श्रम संहिताएँ; ई-श्रम; NCS; स्किल इंडिया डिजिटल हब; प्रशिक्षुता और ITI सुधार
 ग्रामीण/सामाजिक: DAY-NRLM; स्वामित्व; DILRMP/ULPIN; पंचायत उन्नति सूचकांक; सामाजिक न्याय योजनाएँ
 AI: AI आर्थिक परिषद का प्रस्ताव; डेटा रणनीतिक-संसाधन ढाँचा; चरणबद्ध AI शासन
 शहरी: नमो भारत/RRTS; नगरपालिका बॉन्ड; भीड़-भाड़ मूल्य निर्धारण/चक्रीय जल दृष्टिकोण; महानगरीय शासन सुधार
 राज्य क्षमता: राज्य सहायता मिशन; मिशन कर्मयोगी; अनुपालन न्यूनीकरण एवं विनियमन-शैथिल्य पहल; राज्य जन विश्वास-प्रकार के सुधार

• सर्वेक्षण की रूपरेखा के विशिष्ट दस सर्वनिष्ठ अवलोकन

- समष्टि सफलता रणनीतिक सुरक्षा की गारंटी नहीं: भू-राजनीति फिर भी पूँजी, व्यापार और मुद्रा को बाधित कर सकती है।
- निरंतर चालू खाता घाटा पूँजी की संरचनात्मक रूप से उच्च लागत में योगदान देता है; वित्तपोषण लागत हेतु निर्यात सुदृढ़ता और घरेलू बचत मायने रखती है।
- सेवा निर्यात अर्थव्यवस्था को स्थिर करते हैं, किंतु विनिर्माण निर्यात गहरे पारितंत्र एवं राज्य-क्षमता प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- जब संरक्षण अधोधारा निर्यातकों के लिए सामान्य-प्रयोजन आगतों की लागत बढ़ाता है, तो वह लचीलेपन को कमज़ोर कर सकता है।
- जलवायु संक्रमण को क्रमबद्धता और प्रणाली-तत्परता चाहिए, विशेषतः ग्रिड, भंडारण, सामग्री और वित्त में।
- पैमाना प्रायः उत्पादकता बढ़ाता है: शासन अनुमति दे तो बड़े कारखाने, शहर और एकीकृत अवसंरचना उत्पादकता लाभ उत्पन्न कर सकते हैं।
- मानव पूँजी का मूल्यांकन परिणामों से होना चाहिए - अधिगम, स्वास्थ्य-आयु, नियोजनीयता और उत्पादकता - केवल पहुँच से नहीं।
- सामुदायिक सामर्थ्य विकास-क्षमता का अंग है: SHG, पंचायतें और स्थानीय संस्थाएँ सार्वजनिक योजनाओं को टिकाऊ परिणामों में बदल सकती हैं।
- AI रणनीति को अग्रणी मॉडलों की अंधी नक़ल के बजाय प्रति इकाई संगणन/पूँजी/ऊर्जा पर विकास-मूल्य को अधिकतम करना चाहिए।
- राज्य क्षमता अंततः प्रोत्साहन और अधिगम की समस्या है: कम नियम तभी सहायक हैं जब संस्थाएँ उच्च-मूल्य कार्यों को बेहतर निष्पादित कर सकें।

अध्याय 41

केंद्रीय बजट 2026-27

एक नज़र में बजट

- 1 फ़रवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत; कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट
- यह उनका लगातार 9वाँ बजट है (8 पूर्ण + 1 अंतरिम); इससे पूर्व सी.डी. देशमुख ने लगातार 7 बजट प्रस्तुत किए थे (6 पूर्ण + 1 अंतरिम), जिनमें से प्रथम दो पहली लोकसभा (1952) से पहले के थे; पहली लोकसभा के बाद लगातार बजट प्रस्तुत करने का कीर्तिमान अब उनके नाम है
- "युवा शक्ति" से प्रेरित तथा तीन "कर्तव्यों" पर आधारित

कर्तव्य	केंद्र-बिंदु
प्रथम	आर्थिक वृद्धि को गति देना एवं बनाए रखना; बदलते वैश्विक परिवेश के प्रति लचीलापन निर्मित करना
द्वितीय	जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण करना
तृतीय	"सबका साथ, सबका विकास": प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र एवं क्षेत्रक को संसाधनों और अवसरों की उपलब्धता

- प्रथम कर्तव्य के अंतर्गत छह हस्तक्षेप हैं, जिनमें सात रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार, पुराने औद्योगिक समूहों (क्लस्टरों) का पुनर्निर्माण, "चैंपियन MSME" का सृजन, अवसररचना पर सशक्त बल, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा तथा नगर आर्थिक क्षेत्र (सिटी इकोनॉमिक रीजन) सम्मिलित हैं

समुच्चय (₹ करोड़)	2024-25 वास्तविक	2025-26 बजट अनुमान	2025-26 संशोधित अनुमान	2026-27 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियाँ	30,36,619	34,20,409	33,42,323	35,33,150
कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध)	25,00,039	28,37,409	26,74,661	28,66,922
गैर-कर राजस्व	5,36,580	5,83,000	6,67,662	6,66,228
पूँजीगत प्राप्तियाँ	16,16,249	16,44,936	16,22,519	18,14,165
उधार एवं अन्य देयताएँ	15,74,431	15,68,936	15,58,492	16,95,768
कुल प्राप्तियाँ = कुल व्यय	46,52,867	50,65,345	49,64,842	53,47,315
राजस्व खाते पर व्यय	36,00,914	39,44,255	38,69,087	41,25,494
ब्याज भुगतान	11,15,575	12,76,338	12,74,338	14,03,972
पूँजीगत खाते पर व्यय	10,51,953	11,21,090	10,95,755	12,21,821
राजस्व घाटा	5,64,296 (1.7%)	5,23,846 (1.5%)	5,26,764 (1.5%)	5,92,344 (1.5%)
प्रभावी राजस्व घाटा	2,91,640 (0.9%)	96,654 (0.3%)	2,18,613 (0.6%)	99,642 (0.3%)
राजकोषीय घाटा	15,74,431 (4.8%)	15,68,936 (4.4%)	15,58,492 (4.4%)	16,95,768 (4.3%)
प्राथमिक घाटा	4,58,856 (1.4%)	2,92,598 (0.8%)	2,84,154 (0.8%)	2,91,796 (0.7%)

- प्रतिशत GDP के अंश हैं; 2026-27 के लिए GDP का अनुमान ₹3,93,00,393 करोड़ है, जो 2025-26 (₹3,57,13,886 करोड़) से 10% अधिक है
- कुल व्यय ₹53.47 लाख करोड़ (GDP का 13.6%), जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (₹49.65 लाख करोड़) से 7.7% अधिक है
- राजस्व व्यय ₹41.25 लाख करोड़ (GDP का 10.5%) तथा राजस्व प्राप्तियाँ ₹35.33 लाख करोड़ (GDP का 9.0%); राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का अनुपात 85.6%
- दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से शुद्ध बाज़ार उधारी ₹11.7 लाख करोड़; सकल बाज़ार उधारी ₹17.2 लाख करोड़
- ऋण-GDP अनुपात: 56.1% (2025-26 संशोधित अनुमान) → 55.6% (2026-27 बजट अनुमान)

घाटे की अवधारणाएँ (परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण)

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा – पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (अतः यहाँ यह GDP का 0.3% है)

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + अन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ)

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

राजकोषीय घाटा लक्ष्य GDP का 4.3%; FRBM अधिनियम 2003; FRBM नियम 2004, प्रभावी 5 जुलाई 2004

- कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 66.08% तथा पूँजीगत प्राप्तियों का 33.92% है; राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 81.14% तथा गैर-कर 18.86% है
- कुल व्यय में 77.15% (₹41.25 लाख करोड़) राजस्व खाते पर तथा 22.85% (₹12.21 लाख करोड़) पूँजीगत खाते पर है
- ब्याज भुगतान ₹14.04 लाख करोड़, जो 2025-26 के बजट अनुमान (₹12.76 लाख करोड़) से लगभग 10% अधिक है; कुल व्यय का 26%

कर एवं सब्सिडी

- सकल कर राजस्व (GTR) ₹44.04 लाख करोड़ (GDP का 11.2%); शुद्ध कर राजस्व ₹28.67 लाख करोड़; गैर-कर राजस्व ₹6.66 लाख करोड़
- प्रत्यक्ष कर ₹26.97 लाख करोड़ (GTR का 61.2%); अप्रत्यक्ष कर ₹17.07 लाख करोड़
- शीर्ष तीन: आयकर ₹14.66 लाख करोड़, निगम कर ₹12.31 लाख करोड़, GST ₹10.19 लाख करोड़
- राज्यों को करों का अंतरण ₹15.26 लाख करोड़ (GDP का 3.9%), जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से ₹1.33 लाख करोड़ अधिक है
- आयकर स्लैब अपरिवर्तित (नई व्यवस्था): ₹4 लाख तक शून्य; ₹8 लाख तक 5%; ₹12 लाख तक 10%; ₹16 लाख तक 15%; ₹20 लाख तक 20%; ₹24 लाख तक 25%; ₹24 लाख से अधिक पर 30%
- नया आयकर अधिनियम, 2025: संसद द्वारा अधिनियमित, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी; यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेता है

प्रमुख सब्सिडी (2026-27 बजट अनुमान)	₹ करोड़
खाद्य	2,27,629
उर्वरक	1,70,799 (यूरिया 1,16,799)
पेट्रोलियम / LPG	12,084.51
ब्याज सब्सिडी	27,441
कुल प्रमुख सब्सिडी	लगभग 4.11 लाख करोड़ = GDP का 1.0%, राजस्व व्यय का लगभग 10%

- कुल सब्सिडी (बजट में प्रदर्शित): ₹4,54,773 करोड़ (2026-27 बजट अनुमान), जबकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में ₹4,69,505 करोड़
- पेंशन (नागरिक + रक्षा) की प्रतिबद्धता ₹2.96 लाख करोड़ (GDP का 0.8%), जबकि संशोधित अनुमान में ₹2.87 लाख करोड़

पूँजीगत व्यय

- सार्वजनिक पूँजीगत व्यय 2026-27 में ₹11.2 लाख करोड़ (2025-26 बजट अनुमान) से बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ (₹12.22 लाख करोड़, GDP का 3.1%) किया गया; 2014-15 में यह ₹2 लाख करोड़ था
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹4.93 लाख करोड़ (GDP का 1.3%); प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹17.15 लाख करोड़ (GDP का 4.4%), जो संशोधित अनुमान से 10.8% अधिक है
- राजकोषीय घाटे का पूँजीगत व्यय से अनुपात 72.1% (2025-26 संशोधित अनुमान: 70.3%; 2024-25: 66.8%)
- राजकोषीय घाटे का प्रभावी पूँजीगत व्यय से अनुपात 101.1%
- पूँजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) राज्यों को GDP के लगभग 2.4% पूँजीगत व्यय की ओर प्रेरित करती है; 2024-25 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा GDP का लगभग 3.2% था

मंत्रालयवार आबंटन (₹ करोड़, 2026-27 बजट अनुमान)

मंत्रालय	आबंटन
रक्षा	7,84,678 (बजट का 14.68%, सर्वाधिक)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	3,09,875
रेलवे	2,81,377

मंत्रालय	आबंटन
गृह मंत्रालय	2,55,234
ग्रामीण विकास	2,73,108
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2,39,521
कृषि एवं किसान कल्याण	1,40,529

योजना	आबंटन (₹ करोड़)
पेंशन	2,96,214
पीएम पोषण	12,750
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000
पीएम-किसान	63,500
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	2,27,429
मनरेगा	30,000
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	18,625
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	54,917
जल जीवन मिशन	67,670
समग्र शिक्षा	42,100
सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	23,100
DAY-NRLM	19,200
फसल बीमा योजना	12,200
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	2,500
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	7,192

अध्याय 42

केंद्रीय बजट 2026-27: घोषणाएँ एवं कर परिवर्तन

क्षेत्रकवार घोषणाएँ

विषय	प्रमुख घोषणा
विनिर्माण	सात रणनीतिक एवं अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार; पुराने औद्योगिक समूहों का पुनर्निर्माण
MSME	"भविष्य के चैंपियन" तैयार करने हेतु ₹10,000 करोड़ का SME वृद्धि कोष; महिला स्वयं सहायता समूहों के सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र के रूप में स्व-उद्यमी (SHE) मार्ट
जैव-औषधि	जैविक औषधियों एवं बायोसिमिलर हेतु पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय सहित बायोफार्मा शक्ति; नए NIPER संस्थान तथा 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन
चिकित्सा पर्यटन	निजी क्षेत्र के सहयोग से पाँच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र
स्वास्थ्य	कैंसर एवं दुर्लभ रोगों की 17 औषधियों पर सीमा शुल्क छूट; निमहांस-2; राँची एवं तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत
वस्त्र	पाँच उप-भागों वाला एकीकृत कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय रेशा योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल तथा समर्थ 2.0 सम्मिलित हैं
सृजनात्मक अर्थव्यवस्था	15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC (एनीमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) कंटेंट निर्माता प्रयोगशालाएँ; भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई; उन्नत राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान
कृषि	भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुँच हेतु आभासी रूप से एकीकृत प्रणाली): एग्रीस्टैक एवं ICAR पैकेजों से एकीकृत बहुभाषी AI उपकरण
पशु-चिकित्सा	पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 से अधिक करने हेतु ऋण-संबद्ध पूँजी सब्सिडी
लॉजिस्टिक्स	डंकनी (पूर्व) को सूरत (पश्चिम) से जोड़ने वाला नया समर्पित माल गलियारा
जलमार्ग	पाँच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, जिनका आरंभ ओडिशा के NW-5 (तालचर, अंगुल, कलिंगनगर, पारादीप, धामरा) से
उच्च गति रेल	"विकास संयोजक" के रूप में सात उच्च गति रेल गलियारे: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी
क्षेत्रीय	पूर्वोदय राज्यों एवं पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान

त्वरित तथ्य: आर्थिक समीक्षा 2025-26

29 जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत

तीन वैश्विक परिदृश्यों की चेतावनी: "नाज़ुक स्थिरता", "अव्यवस्थित बहुध्रुवीय व्यवधान", "प्रणालीगत अशांति"

मुख्य पंक्ति: भारत को "मैराथन और स्प्रिंट एक साथ दौड़ना" होगा

वित्त वर्ष 26 प्रथम अग्रिम अनुमान: वास्तविक GDP 7.4%, GVA 7.3%; PFCE 7% (GDP का 61.5%, 2012 के बाद सर्वाधिक); GFCF 7.8% (GDP का लगभग 30%)

वित्त वर्ष 25 में कुल निर्यात 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर (वस्तु + सेवाएँ), +6.1%; सेवा निर्यात 387.5 अरब अमेरिकी डॉलर; गैर-पेट्रोलियम निर्यात 374.3 अरब अमेरिकी डॉलर

वित्त वर्ष 25 में सकल FDI 81.0 अरब अमेरिकी डॉलर; ग्रीनफील्ड FDI घोषणाओं (2024) में भारत विश्व में चौथे स्थान पर

GNPA अनुपात 2.2% तथा शुद्ध NPA 0.5% (सितंबर 2025): कई दशकों का न्यूनतम स्तर; बैंक ऋण वृद्धि 14.5% (दिसंबर 2025)

कर प्रस्ताव (प्रत्यक्ष)

- IT सेवाओं हेतु सुरक्षित बंदरगाह (सेफ़ हार्बर): सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़; 15.5% के सर्वनिष्ठ सुरक्षित बंदरगाह मार्जिन सहित एकल श्रेणी
- भारत में डेटा केंद्रों का उपयोग कर वैश्विक क्लाउड सेवाएँ प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर अवकाश; संबद्ध पक्षों को डेटा-केंद्र सेवाओं हेतु लागत पर 15% सुरक्षित बंदरगाह
- वायदा (फ्यूचर्स) पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%
- उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत शिक्षा एवं चिकित्सा प्रयोजनों के लिए TCS 5% से घटाकर 2%; विदेशी भ्रमण पैकेजों पर TCS 5%/20% से घटाकर 2%
- लाभांश आय की छूट: कतिपय संस्थाओं को प्राप्त लाभांश पर 3 वर्ष की राहत (जैसा प्रस्तावित)
- दंड एवं अभियोजन का युक्तिकरण; निर्धारण तथा दंड कार्यवाहियाँ एक सामान्य आदेश में विलीन; अपीलों के लिए पूर्व-जमा 20% से घटाकर 10%
- संशोधित विवरणी (अपडेटेड रिटर्न) की सुविधा पुनर्निर्धारण कार्यवाही के बाद भी विस्तारित, लागू दर पर अतिरिक्त 10% कर की दर सहित
- ₹20 लाख से कम की विदेशी परिसंपत्तियों के गैर-प्रकटन पर कोई दंड नहीं (1 अक्टूबर 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से); अभियोजन से उन्मुक्ति प्रस्तावित
- ठेकेदारों को भुगतान: कार्यबल आपूर्ति सेवाएँ 1% या 2% पर TDS के दायरे में लाई गईं
- विदेशी परिसंपत्ति प्रकटन योजनाएँ तथा CPC 2.0 (ITR हेतु एकीकृत केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र) आरंभ
- ई-कॉमर्स आपूर्तियों पर समतुल्यीकरण लेवी (2%, 1 अगस्त 2024 से समाप्त) तथा निर्दिष्ट सेवाओं पर (6%, 1 अप्रैल 2025 से समाप्त) पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं

सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर

- व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित सभी शुल्क-योग्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10%
- दुर्लभ रोगों हेतु विशेष चिकित्सा प्रयोजन के खाद्य पदार्थों (FSMP) के व्यक्तिगत आयात पर शुल्क छूट
- शुल्क-मुक्त कूरियर निर्यात: प्रति खेप ₹10 लाख की मूल्य सीमा हटाई गई
- बाध्यकारी अग्रिम निर्णय की वैधता 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष; पात्र विनिर्माताओं तथा AEO श्रेणी 2 और 3 के संचालकों के लिए शुल्क स्थगन अवधि 15 से बढ़ाकर 30 दिन
- बैटरियों हेतु लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में प्रयुक्त पूँजीगत वस्तुओं तक शुल्क छूट का विस्तार
- भारतीय पोतों द्वारा EEZ अथवा खुले समुद्र में पकड़ी गई मछली शुल्क-मुक्त
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण: बंधुआ-भंडार (बॉन्डेड वेयरहाउस) में घटक भंडारों के लिए चालान मूल्य पर 2% लाभ मार्जिन पर सुरक्षित बंदरगाह (फलस्वरूप कर लगभग 0.7%)
- कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों की राहत पशु-आहार एवं कपास बीज तक विस्तारित

प्रारंभिक परीक्षा संकेत: केंद्रीय बजट 2026-27

सर्वाधिक व्यय: रक्षा ₹7.85 लाख करोड़ (कुल का 14.68%)
 राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%; राजस्व घाटा 1.5%; प्राथमिक घाटा 0.7%; प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%
 पूँजीगत व्यय ₹12.22 लाख करोड़; प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹17.15 लाख करोड़ (GDP का 4.4%)
 ऋण/GDP 55.6%; नया आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी
 तृतीय कर्तव्य "सबका साथ, सबका विकास"; युवा शक्ति विषय-वस्तु

अध्याय 43

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: अर्थव्यवस्था की स्थिति

आकार, वृद्धि एवं संरचना

- उत्तर प्रदेश: सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य (25 करोड़ से अधिक), क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा (लगभग 2,40,928 वर्ग किमी, भारत का 7.3%); लक्ष्य: एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (OTD)
- लगभग ₹50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त; 34 नीतियाँ कार्यान्वित

सूचक (चालू कीमतें)	मान	टिप्पणी
GSDP 2016-17	₹13.30 लाख करोड़	तुलना का आधार वर्ष
GSDP 2023-24	₹26.67 लाख करोड़	अनंतिम
GSDP 2024-25 (अग्रिम अनुमान)	₹29.62 लाख करोड़	संशोधित अग्रिम: ₹29.78 लाख करोड़
GSDP 2024-25 (त्वरित अनुमान)	₹30.25 लाख करोड़	वृद्धि 13.4%
GSDP 2025-26	लगभग ₹36 लाख करोड़	प्रक्षेपित
CAGR 2016-17 से 2024-25	10.8%	आठ वर्ष
भारत की GDP में UP का हिस्सा (2024-25 त्वरित अनुमान)	9.1%	विज्ञान अध्याय में 9.5% उद्धृत
GSVA 2024-25 (मूल कीमतों पर)	₹27,90,433 करोड़	वृद्धि 14.5%

- ASI 2023-24 के आँकड़ों के बाद विनिर्माण GVA ₹2.82 लाख करोड़ (अग्रिम) से बढ़कर ₹3.26 लाख करोड़ हो जाने के कारण ऊर्ध्वमुखी संशोधन हुआ

वृद्धि दरें

GSDP वृद्धि: 2022-23 में 13.2%; 2023-24 में 16.2%; 2024-25 में 13.4%
2024-25 में GSDP वृद्धि (13.4%) और GSVA वृद्धि (14.5%) को भ्रमित न करें
SBI रिसर्च: भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जिसमें UP की भूमिका निर्णायक होगी

क्षेत्रक (2024-25)	GSVA (₹ करोड़)	हिस्सा	वृद्धि
कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन	6,95,120	24.9%	12.7%
खनन एवं उत्खनन	24,890	0.9%	5.7%
प्राथमिक क्षेत्रक	7,20,010	25.8%	12.5%
विनिर्माण	3,26,386	11.7%	12.7%
विद्युत, गैस, जल	73,145	2.6%	7.7%
निर्माण	3,60,604	12.9%	22.3% (सर्वाधिक)
द्वितीयक क्षेत्रक	7,60,135	27.2%	16.5%
व्यापार, होटल, रेस्तराँ	2,32,033	8.3%	15.0%
परिवहन, भंडारण, संचार	2,06,374	7.4%	18.5%
वित्तीय सेवाएँ	1,04,258	3.7%	12.0%
अचल संपत्ति एवं व्यावसायिक सेवाएँ	3,88,844	13.9%	15.3%
तृतीयक क्षेत्रक	13,10,288	47.0%	14.5%

- द्वितीयक क्षेत्रक का हिस्सा 25.4% से बढ़कर 27.2% हुआ (भारत: 27.0% से घटकर 25.3%): जब भारत सेवा-निर्भर हो रहा है, तब UP उद्योग को सुदृढ़ कर रहा है
- कृषि के भीतर: फसलें 67.4%, पशुधन 24.7%, वानिकी 4.5%, मत्स्य पालन 3.5%; मत्स्य पालन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला (2024-25 में 25.6%)
- द्वितीयक के भीतर: निर्माण 47.4%, विनिर्माण 42.9%, विद्युत 9.6%
- सेवाओं के भीतर: अचल संपत्ति 29.7%, व्यापार-होटल 17.7%, अन्य सेवाएँ 16.6%, परिवहन 15.8%, लोक प्रशासन 12.3%, वित्त 8.0%
- क्षेत्रवार GVA की CAGR 2016-17 से 2024-25: कृषि 11.2%, द्वितीयक 10.8%, सेवाएँ 10.4%
- PLFS 2023-24: सेवाएँ 22.7% श्रमिकों को रोज़गार देती हैं किंतु GSVA का 47.0% उत्पन्न करती हैं

प्रति व्यक्ति आय

सूचक	मान
प्रति व्यक्ति NSDP 2016-17	₹54,564
प्रति व्यक्ति NSDP 2024-25	₹1,09,844 (CAGR लगभग 9.1%)
प्रति व्यक्ति GSDP 2024-25	₹1,26,304

- भारत के प्रतिशत के रूप में UP की प्रति व्यक्ति आय: 82.4% (1970-71) → न्यूनतम 50.2% (2014-15) → 53.5% (2024-25)
- विज़न 2047 का लक्ष्य: कम से कम राष्ट्रीय औसत तक पहुँचना (2047 तक लगभग ₹26 लाख प्रतिवर्ष)

उद्योग, निर्यात एवं निवेश

- ASI 2023-24: UP का औद्योगिक GVA 25% बढ़ा, जो प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है (भारत 11.9%)
- पंजीकृत कारखाने: 14,169 (2016-17) → 27,351 (2024-25) → 30,695 (नवंबर 2025)
- निर्यात: ₹0.84 लाख करोड़ (2016-17) → ₹1.86 लाख करोड़ (2024-25); नवंबर 2025 तक ₹1.31 लाख करोड़
- निर्यात तत्परता सूचकांक 2024: UP चौथे स्थान पर (महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात के बाद), जो पहले 7वें स्थान पर था; स्थलरुद्ध राज्यों में प्रथम
- विनियमन-शैथिल्य चरण-I (मंत्रिमंडल सचिवालय): जनवरी 2026 में UP देश में प्रथम
- पाँचवीं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग (DPIIT, जनवरी 2026): UP "शीर्ष निष्पादक"
- WEF दावोस जनवरी 2026: ₹2,94,255 करोड़ के समझौता ज्ञापन
- लखनऊ-हरदोई सीमा पर PM मित्र पार्क: ₹10,000 करोड़ से अधिक का निवेश; 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष तथा 2 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार; रमना, वाराणसी में संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क (75 एकड़)
- IMLC (एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स समूह): एक्सप्रेसवे के किनारे 26 जिलों में 29 परिसर
- नगर पहचान: नोएडा IT केंद्र, लखनऊ AI सिटी, कानपुर ड्रोन सिटी ("पूर्व का मैनचेस्टर")

अवसंरचना एवं सेवाओं की झलक

मद	स्थिति
एक्सप्रेसवे	7 संचालित, 3 निर्माणाधीन, 12 प्रस्तावित
हवाई अड्डे	12 घरेलू + 4 अंतरराष्ट्रीय (लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या); जेवर से 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएँगे, जो किसी भी राज्य के लिए प्रथम है
हवाई यात्री	59.99 लाख (2016-17) → 142.28 लाख (2024-25)
राष्ट्रीय राजमार्ग	12,123 किमी; UP से 90 राष्ट्रीय राजमार्ग गुज़रते हैं
शहरी रज्जुमार्ग (रोपवे)	देश का प्रथम, वाराणसी में निर्माणाधीन
विद्युत वाहन	दिसंबर 2025 तक 14.38 लाख
इंटरनेट ग्राहक	13.82 करोड़ (सितंबर 2025), भारत में प्रथम
पर्यटन	64.91 करोड़ पर्यटक (2024) → 156.18 करोड़ (2025, महाकुंभ सहित); UP तमिलनाडु से आगे प्रथम स्थान पर

सार्वजनिक वित्त एवं बैंकिंग की झलक

- बजट: ₹3.47 लाख करोड़ (2016-17) → ₹8.33 लाख करोड़ (2025-26)
- राज्य का स्वयं का कर राजस्व: ₹0.86 लाख करोड़ → ₹2.09 लाख करोड़ (2024-25 संशोधित अनुमान)
- सार्वजनिक ऋण/GSDP: 29.3% (2016-17) → 28.0% (2024-25); भारत 81.3%, विश्व 92.8% (IMF वैश्विक ऋण मॉनिटर 2025)
- प्रधानमंत्री जन धन: 10.22 करोड़ खाते, भारत में प्रथम (57.49 करोड़ का 17.76%); ऋण-जमा अनुपात 60.39 (दिसंबर 2025); प्रति बैंक शाखा जनसंख्या 11,565
- "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" अभियान: 6,525 खातों को ₹52.48 करोड़ लौटाए गए

रोज़गार, मुद्रास्फीति एवं शासन

- CMIE: रोज़गार दर 36% (दिसंबर 2025); बेरोज़गारी 5.64% (अप्रैल 2025) से घटकर 2.24% (नवंबर 2025)
- UP की CPI मुद्रास्फीति 4.59% (जनवरी 2025) से घटकर -1.71% (अक्टूबर 2025) रही, जो प्रमुख राज्यों में न्यूनतम है
- उत्तर प्रदेश व्यवसाय सुविधा (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025: 10 अधिनियमों के 40 से अधिक प्रावधान संशोधित; 200 अनुपालनों का अपराधमुक्तीकरण
- निवेश मित्र 3.0: 40 से अधिक विभागों की सेवाएँ 530 से घटाकर 200 से कम; राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से संबद्ध
- श्रम सुधार: महिलाओं को रात्रि पाली की अनुमति; प्रतिदिन 10 घंटे, सप्ताह में 48 घंटे; कारखाना अनुज्ञप्ति की वैधता 3, 5 या 10 वर्ष

जनांकिकी: भारत का युवा राज्य

सूचक	मान
जनसंख्या, मार्च 2026 (PFI प्रक्षेपण)	25.19 करोड़ = भारत का 17.8%, विश्व का 3.0%
जनगणना 2011 की जनसंख्या	19.98 करोड़
प्रक्षेपित जनसंख्या	2031: 26.65 करोड़; 2041: 28.87 करोड़; 2051: 30.72 करोड़
वार्षिक वृद्धि	1.85% (2011) → 1.70% (2021) → 0.58% (2026-51, प्रक्षेपित)
कुल प्रजनन दर	2.7 (NFHS-4) → 2.4 (NFHS-5)
जीवन प्रत्याशा 2011 → 2051	पुरुष 62.5 → 73.2 वर्ष; महिलाएँ 65.0 → 77.1 वर्ष
जन्म के समय लिंगानुपात	111 लड़के प्रति 100 लड़कियाँ (2011) → 2051 तक 104-106

- यदि UP एक देश होता, तो वह जनसंख्या में पाँचवाँ सबसे बड़ा होता

UP देश में प्रथम स्थान पर है

खाद्यान्न 737.4 लाख मीट्रिक टन; गन्ना 2,453.5 लाख मीट्रिक टन; आलू 245.9; केला 71.4; आम 61.5; अमरूद 11.3; आँवला 4.5; मेंथा 0.36 लाख मीट्रिक टन; दूध 388.15 लाख मीट्रिक टन
PMJDY खाते; स्टैंड-अप इंडिया (21,891 उद्यमियों को ₹3,790 करोड़); PMAY (ग्रामीण 36.37 लाख, शहरी 17.03 लाख); प्रधानमंत्री उज्ज्वला (1.85 करोड़ कनेक्शन)
DBT के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान देने वाला तथा कृषि-वानिकी कार्बन क्रेडिट पहल के अंतर्गत किसानों को भुगतान करने वाला प्रथम राज्य
LEADS 2024 में लगातार तीसरी बार "अचीवर"; अयोध्या दीपोत्सव 2025: 26.17 लाख दीप (गिनीज़ रिकॉर्ड)
"एक पेड़ माँ के नाम": 2025-26 में 37.21 करोड़ पौधे; लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र 26,756 वर्ग किमी
AES के मामले 85% और मृत्यु 99% घटी; JE के मामले 91% और मृत्यु 98% घटी (2017-2025)

खेल संवर्धन

- नकद प्रोत्साहन: ओलंपिक प्रतिभागियों को ₹10 लाख; एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ₹5 लाख; नया राष्ट्रीय कीर्तिमान ₹1 लाख
- मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, सरधना (मेरठ); UP खेल नीति 2023; एक जिला एक खेल, प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया केंद्र के साथ

अध्याय 44

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: सार्वजनिक वित्त, भूमि एवं वन

सार्वजनिक वित्त

सूचक	मान
कुल बजट 2008-09	₹1.12 लाख करोड़
कुल बजट 2016-17	₹3.47 लाख करोड़
कुल बजट 2025-26	₹8.33 लाख करोड़ (CAGR 10.3%)
राजस्व प्राप्तियाँ 2025-26 बजट अनुमान	₹6.63 लाख करोड़ (+21.0%)
राजस्व व्यय 2025-26 बजट अनुमान	₹5.83 लाख करोड़ (+19.2%)
राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	92% (2016-17) → 89.2% (2024-25 संशोधित अनुमान) → 87.9% (2025-26)
राजस्व अधिशेष	₹0.33 लाख करोड़ (2021-22) → ₹0.79 लाख करोड़ (2025-26)
राजकोषीय घाटा/GSDP	3.0% (2023-24 वास्तविक); 3.1% (2024-25 संशोधित अनुमान)

- राज्य के कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों का हिस्सा 56.0% (2016-17) से घटकर 46.4% (2025-26 बजट अनुमान) रह गया; राज्य करों का हिस्सा 44.0% से बढ़कर 53.6% हुआ
- स्वयं का कर राजस्व ₹0.86 लाख करोड़ → ₹2.09 लाख करोड़ (2024-25 संशोधित अनुमान) → ₹2.95 लाख करोड़ (2025-26 बजट अनुमान); 2025-26 में वृद्धि 41.2% (गुजरात 7.3%, महाराष्ट्र 5.5%, तमिलनाडु 14.6%, कर्नाटक 15.4%)
- केंद्रीय करों में हिस्सा ₹2.55 लाख करोड़; केंद्रीय अनुदान ₹0.88 लाख करोड़; स्वयं का गैर-कर राजस्व ₹0.25 लाख करोड़
- 2025-26 में स्वयं के कर के सबसे बड़े घटक: SGST 44.21% > राज्य उत्पाद शुल्क 21.36% > VAT 15.36% > स्टॉप 12.93%
- GST संग्रह: ₹0.59 लाख करोड़ (2017-18) → ₹1.15 लाख करोड़ (2024-25); 2025-26 का लक्ष्य ₹1.76 लाख करोड़
- UP में GST-पंजीकृत व्यापारी सर्वाधिक हैं: 21.25 लाख सक्रिय करदाता; विवरणी दाखिल करने का अनुपालन 98.7% (2024-25)

प्रमुख अवधारणा: अगली पीढ़ी का GST सुधार 2.0 (22 सितंबर 2025)

12% और 28% के स्लैब समाप्त; मुख्यतः 5% और 18% शेष (साथ ही विलासिता/हानिकारक वस्तुओं के लिए 40%)
स्वास्थ्य बीमा, औषधियाँ और कैंसर उपचार कर-मुक्त किए गए
मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर और AC पर अधिकतम 18%; ट्रेक्टर, ट्रिप तथा स्प्रिंकलर उपकरण पर 5% निर्यातकों को सात दिनों में 90% वापसी (रिफ़ंड) का अधिकार

व्यय एवं ऋण

- प्रतिबद्ध व्यय: ₹1.40 लाख करोड़ (2016-17) → ₹3.34 लाख करोड़ (2025-26) = राजस्व व्यय का 57.3%, राजस्व प्राप्तियों का 50.40%
- प्रतिबद्ध व्यय के भीतर: वेतन 53.64%, पेंशन 27.17%, ब्याज 19.19%
- पूँजीगत परिव्यय 2025-26 बजट अनुमान ₹1.65 लाख करोड़ = कुल व्यय का 20.4%; पूँजीगत परिव्यय/GSDP 2.6% (2017-18) → 4.1% (2023-24) → 4.9% (2024-25 संशोधित अनुमान)
- ऋण/GSDP 28.0% (FRBM सीमा 30% से कम); भारत 81.3%; जापान 236.7%, इटली 135.3%, अमेरिका 120.8%
- ऋण में बाज़ार ऋणों का हिस्सा: 50% (2017-18) → 71.12% (2025-26)
- UP में 1988-89 से 2005-06 तक राजस्व घाटा रहा; FRBM अधिनियम 2004 के बाद 2006-07 में राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ और तब से अधिशेष बना हुआ है
- 15वें वित्त आयोग का प्रथम वर्ष (2020-21): राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3% से बढ़ाकर 5% की गई

- नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक: UP अग्रणी श्रेणी में

भूमि एवं वन संसाधन

- भूमि उपयोग सांख्यिकी 2023-24: UP में कृषि योग्य भूमि 75.9% (राष्ट्रीय 61.9%), जो पंजाब और हरियाणा के बाद सर्वाधिक है
- UP 2023-24: शुद्ध बोया गया क्षेत्र 67.9%; वन 7.4%; गैर-कृषि उपयोग 15.1%; कृषि योग्य बंजर 1.2%; चालू परती 3.4%

कृषि-जलवायु क्षेत्र (9)	प्रतिनिधि जिले
भाबर एवं तराई	सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती
पश्चिमी मैदान	मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, हापड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर
मध्य-पश्चिमी मैदान	अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बरेली, बदायूँ, सीतापुर
दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क	आगरा, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज
मध्य मैदान	कानपुर नगर, कानपुर देहात, फ़तेहपुर, प्रयागराज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ
बंदेशखंड	झाँसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट
उत्तर-पूर्वी मैदान	गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया
पूर्वी मैदान	अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़
विंध्य	मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज का दक्षिणी भाग

- ULPIN (भू-आधार): प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान, दिसंबर 2023 से कार्यान्वित
- सिंचाई: नहरें 76,527 किमी; 71 बाँध; 36,094 राजकीय नलकूप

वन सूचक (ISFR 2023)	मान
वन + वृक्ष आच्छादन	23,437.53 वर्ग किमी (2021) → 23,996.72 वर्ग किमी (2023)
वृद्धि	559.19 वर्ग किमी (2.39%); UP छत्तीसगढ़ (683.62 वर्ग किमी) के बाद दूसरे स्थान पर
भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सा	9.73% (2021) → 9.96% (2023)
वृक्ष आच्छादन वृद्धि 2021-23	UP 5.17% बनाम भारत 1.16%
लक्ष्य	2030 तक 15% वन एवं वृक्ष आच्छादन

- वृक्षारोपण: 36.80 करोड़ (2024-25, भारत में सर्वाधिक); अक्टूबर 2025 तक "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत 37.21 करोड़
- कार्बन क्रेडिट वित्त योजना (UP भारत में प्रथम): वृक्षों द्वारा अवशोषित CO2 के लिए किसानों को भुगतान; भागीदार TERI और VNV एडवाइज़री; प्रति क्रेडिट 6 अमेरिकी डॉलर, प्रत्येक पाँच वर्ष में

वन्यजीव	प्रमुख तथ्य
बाघ	109 (2006) → 173 (2018) → 205 (2022)
बाघ अभयारण्य (4)	दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर (चित्रकूट, 19 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित)
गंगा डॉल्फ़िन	UP में सर्वाधिक: 6,327 में से 2,397 (प्रथम गणना 2024)
सारस क्रेन (राज्य पक्षी)	17,329 (2021) → 20,281 (2025); सर्वाधिक इटावा, मैनपुरी, औरैया में
जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र	कैपियरगंज, गोरखपुर; लाल सिर वाले गिद्ध के लिए भारत का प्रथम
कुकुरैल नाइट सफ़ारी, लखनऊ	भारत की प्रथम नाइट सफ़ारी

- UP स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना: भारत की प्रथम वायु-क्षेत्र (एयरशेड) आधारित परियोजना, विश्व बैंक ऋण ₹2,658.09 करोड़ तथा अनुदान ₹83.44 करोड़
- 17 शहरों में NCAP कार्य योजनाएँ

अध्याय 45

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: बैंकिंग, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त (दिसंबर 2025)

सूचक	मान
बैंकिंग केंद्र	4,49,756 = 20,913 शाखाएँ + 19,191 ATM + 39,880 बैंक सखी (BC सखी) + 3,69,772 बैंक मित्र
प्रति शाखा जनसंख्या	12,082 (2022-23) → 11,565
बैंक	12 सार्वजनिक क्षेत्र, 16 निजी, 1 RRB, 2 राज्य सहकारी, 8 लघु वित्त, 4 भुगतान बैंक
शाखाओं का हिस्सा	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 51.8%, RRB 20.7%, निजी 16.2%, राज्य सहकारी 8.1%, लघु वित्त बैंक 2.7%, भुगतान बैंक 0.5%
शाखा अवस्थिति	ग्रामीण 43.5%, शहरी/महानगरीय 32.7%, अर्ध-शहरी 23.8%
जमा	₹19.37 लाख करोड़ (2024-25) → ₹20.44 लाख करोड़
अग्रिम (ऋण)	₹11.43 लाख करोड़ (2024-25) → ₹12.35 लाख करोड़
ऋण-जमा अनुपात	59.04 (मार्च 2025) → 60.39; राष्ट्रीय मानदंड 60%
डिजिटल लेन-देन	CAGR 41.3% (2017-18 से 2024-25)

- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹6.37 लाख करोड़ (2024-25) = अग्रिमों का 55.7% (RBI न्यूनतम 40%); दुर्बल वर्ग 18.14%
- वार्षिक ऋण योजना 2025-26: ₹6.45 लाख करोड़ का लक्ष्य (MSME 56.7%, कृषि 37.8%); दिसंबर 2025 तक ₹4.25 लाख करोड़ (65.9%) प्राप्त
- प्रति व्यक्ति ऋण: सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर (₹1,29,720); न्यूनतम श्रावस्ती (₹5,270); राज्य औसत ₹18,180

ऋण योजना	प्रमुख विशेषताएँ	UP का निष्पादन
किसान क्रेडिट कार्ड (1998)	सीमा 5 वर्ष तक मान्य	75.82 लाख कार्ड, ₹1.50 लाख करोड़ (2024-25)
कृषि अवसंरचना कोष	₹1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय कोष; ब्याज अनुदान + ऋण गारंटी	12,046 खातों में ₹5,802 करोड़
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	शिशु ₹50,000 तक; किशोर ₹5 लाख तक; तरुण ₹10 लाख तक; तरुण प्लस ₹10-20 लाख	₹52,180 करोड़, 50.32 लाख खाते (2024-25)
स्टैंड-अप इंडिया	SC/ST एवं महिलाओं के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़, ग्रीनफील्ड	UP प्रथम: 21,891 उद्यमियों को ₹3,790 करोड़

वित्तीय समावेशन एवं बीमा

- PMJDY (15 अगस्त 2014 को आरंभ): 10.22 करोड़ खाते (UP प्रथम); 9.48 करोड़ सक्रिय; महिलाएँ 5.43 करोड़ (53.13%)
- PMJJBY (18-50 वर्ष, ₹436 प्रतिवर्ष): UP 292 लाख के साथ प्रथम; PMSBY (18-70 वर्ष, ₹20 प्रतिवर्ष): UP 794 लाख के साथ प्रथम; APY (18-40 वर्ष): 2025-26 में 14.77 लाख नामांकन
- अक्टूबर 2024 में सभी जिले पूर्णतः डिजिटिकृत (प्रायोगिक: फ़िरोज़ाबाद और सिद्धार्थ नगर)
- आकांक्षी खंड कार्यक्रम: UP के ABP+ में 42 जिलों के 108 खंडों के लिए 50 सूचक (40 राष्ट्रीय + 10 राज्य)
- "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" (अक्टूबर-दिसंबर 2025; RBI, IRDAI, SEBI, IEPFA): UP में लगभग 3.13 करोड़ लावारिस खाते हैं जिनमें ₹9,128 करोड़ जमा हैं

- NPS वात्सल्य: केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित, 18 सितंबर 2024 को आरंभ, PFRDA द्वारा संचालित, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए; न्यूनतम ₹1,000 प्रतिवर्ष

कृषि: अवलोकन

- GSVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा: 23.9% (2016-17) → 24.9% (2024-25); GSVA की CAGR 11.2% बनाम राष्ट्रीय 9.96%
- CAGR 2016-17 से 2024-25: मत्स्य पालन 22.4% (सर्वाधिक), फसलें 11.8%, पशुधन 9.4%, वानिकी 8.4%
- खाद्यान्न 737.4 लाख मीट्रिक टन (2024-25): राष्ट्रीय हिस्सा 20.6%; UP में भारत का लगभग 13.5% फसल क्षेत्र है, किंतु खाद्यान्न उत्पादन का 20.6%
- PLFS 2023-24: 53.2% श्रमिक कृषि में; नियोजित महिलाओं में 78.8% बनाम पुरुषों में 44.0%
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र 166.8 लाख हेक्टेयर (69%); सिंचित क्षेत्र 2.76 करोड़ हेक्टेयर (2024-25), बोए गए क्षेत्र का 85.4%
- 29 जिले 90% से अधिक सिंचाई वाले (मुज़फ़्फ़रनगर 95.9%); 70% से कम: महोबा (54.2%), झाँसी, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट (बुंदेलखंड)
- फसल सघनता 162.7 (2016-17) → 193.7 (2024-25), जबकि राष्ट्रीय लगभग 156; सर्वाधिक हाथरस 247.0%, न्यूनतम बाँदा 151.5%

प्रमुख सिंचाई परियोजना	लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
मध्य गंगा नहर चरण-II	4,909.92	4.10 लाख किसान
कन्हर सिंचाई परियोजना	3,394.65	53,000 किसान
एरच बहुउद्देशीय बाँध	1,876.61	झाँसी
भौरट बाँध	1,237.25	8,200 किसान
केन-बेतवा लिंक (UP का भाग)	5,735.85	कुल ₹44,605 करोड़; बुंदेलखंड

- गौ-आधारित प्राकृतिक खेती 2022-23 में बुंदेलखंड के सात जिलों में 23,500 हेक्टेयर पर आरंभ; मृदा स्वास्थ्य कार्ड 225.44 लाख; प्रथम बीज पार्क अटारी, लखनऊ में

फसल (2024-25)	निष्पादन
धान	क्षेत्र +19.4%, उत्पादन +23.6%, उपज 29.4 किटल/हेक्टेयर
गेहूँ	क्षेत्र +2.6%, उत्पादन +6.3%, उपज 41.2 किटल/हेक्टेयर; UP प्रथम
रेपसीड-सरसों	उत्पादन +7.5%; UP द्वितीय
तिलहन	उत्पादन +57.9% (सर्वाधिक); क्षेत्र 10.87 → 28.8 लाख हेक्टेयर
मक्का	त्वरित मक्का कार्यक्रम: 19.52 → 30.55 लाख मीट्रिक टन (2022-23 से 2024-25)
मूँग	क्षेत्र +114.8%, उत्पादन +162.5%
मूँगफली	क्षेत्र +331.7%, उत्पादन +310.0%

- 2025-26 के लक्ष्य: खाद्यान्न 766.43 लाख मीट्रिक टन; तिलहन 51.11 लाख मीट्रिक टन
- IRRI-ISARC वाराणसी: यंत्रीकृत सीधी बुवाई वाले धान से 10 टन/हेक्टेयर का रिकॉर्ड उत्पादन (किस्म सावा 7501)

गन्ना एवं चीनी उद्योग

सूचक	मान
उत्पादन 2024-25	2,453.46 लाख मीट्रिक टन; राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 54%; प्रथम
क्षेत्र 2024-25	29.51 लाख हेक्टेयर
उपज	72.67 टन/हेक्टेयर (2016-17) → 84 टन/हेक्टेयर (2024-25)
चीनी मिलें	122 = 3 राज्य चीनी निगम + 23 सहकारी + 96 निजी
चीनी उत्पादन	956.09 लाख टन गन्ना पेराई से 92.45 लाख टन
पेराई क्षमता	1,84,300 TCD
खांडसारी	2018-19 से ऑनलाइन अनुज्ञप्ति (100 घंटों में अनुज्ञप्ति)
गन्ना किसान	46.50 लाख

गन्ना

हरियाणा चीनी मिल: आसवनी की राख से पोटैशियम सल्फेट, विश्व का अपनी तरह का प्रथम संयंत्र
पिपराइच (गोरखपुर) और मुंडेरावा (बस्ती) में नई निगम मिलें: प्रत्येक 5,000 TCD, 27 मेगावाट सह-उत्पादन
स्मार्ट गन्ना किसान (ERP) परियोजना 2018-19 से; "ड्रोन दीदियों" द्वारा संचालित 131 ड्रोन
"पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के अंतर्गत 57,549 हेक्टेयर गन्ने पर टपक (ड्रिप) सिंचाई

किसान योजनाएँ, बागवानी, पशुधन एवं मत्स्य पालन

योजना	कवरेज
पीएम-किसान	21 किस्में, 3.12 करोड़ किसानों को ₹94,668.58 करोड़ (नवंबर 2025 तक)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	61.98 लाख किसानों को ₹5,110.23 करोड़ (2017-18 से 2024-25)
पीएम-कुसुम	86,128 सौर पंप
खेत तालाब	32,732

- बागवानी उत्पादन 2024-25: 603.04 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 16.4%; आम, आलू, मटर, सब्जियों और शहद में अग्रणी; सब्जियाँ बागवानी उत्पादन का लगभग 70%
- UP खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023: नई इकाइयों के लिए ₹5 करोड़ तक 35% सब्सिडी; सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए PMFME के अंतर्गत 35% सब्सिडी
- दूध 277.7 → 388.15 लाख मीट्रिक टन (भारत का 15.66%, प्रथम); 2025-26 का लक्ष्य 447.83 लाख मीट्रिक टन; अंडे 229 करोड़ → 611 करोड़ (राष्ट्रीय हिस्सा 4.1%)
- डेयरी नीति 2022 (द्वितीय संशोधन, मई 2025): ब्याज अनुदान के स्थान पर 35% पूँजीगत अनुदान; 75 KVA तक सौर पर 50% सब्सिडी (महिला-स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए 90%)
- निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना: प्रति पशु प्रति माह ₹900
- मत्स्य उत्पादन 6.17 लाख मीट्रिक टन (2016-17) → 13.31 लाख मीट्रिक टन (2024-25); भारतीय मेजर कार्प बीज में आत्मनिर्भर; मत्स्य GVA ₹4,780 करोड़ → ₹24,090 करोड़
- विज्ञान 2047 के कृषि लक्ष्य: फसल सघनता 193.66% → 250%; मृदा जैविक कार्बन 0.8 → 1.0; 30 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना

खाद्य प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

सूचक (दिसंबर 2025)	मान
उचित मूल्य की दुकानें	78,510 (67,114 ग्रामीण, 11,396 शहरी); 18,032 महिला विक्रेता
राशन कार्ड	362.35 लाख = अंत्योदय 40.85 लाख + पात्र गृहस्त्री 321.50 लाख
PMGKAY	1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए विस्तारित
e-KYC	14.62 करोड़ राशन कार्ड इकाइयों में 92.3%

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड मई 2020 से: UP के 1.12 करोड़ कार्डधारकों ने अन्य राज्यों में राशन प्राप्त किया है

फसल	MSP 2017-18	MSP 2025-26
गेहूँ	₹1,625	₹2,425 (+49.23%)
धान (सामान्य)	₹1,550	₹2,369 (+52.84%)
मक्का	₹1,700	₹2,400 (+41.18%)
बाजरा	₹2,350 (2022-23)	₹2,775
ज्वार	₹3,180 (2023-24)	₹3,699

- अगस्त 2023 से सभी जिलों में प्रबलित (फ़ोर्टिफ़ाइड) चावल (आयरन, फ़ोलिक अम्ल, B12); चंदौली में WFP मूल्यांकन: बाल रक्ताल्पता 65.7% → 58.2%

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला: 185 लाख कनेक्शन; प्रतिवर्ष दो निःशुल्क पुनर्भरण; अन्नपूर्णा भवन (आदर्श उचित मूल्य दुकान): 2023-24 से प्रति जिला प्रति वर्ष 75
- भंडारगृह 234 → 290 (क्षमता 68.04 लाख मीट्रिक टन); मिर्जापुर के कोटवा पांडेय में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का प्रायोगिक चरण
- बहुआयामी निर्धनता (नीति आयोग): UP 42.59% (2013-14) → 17.40% (2022-23); भारत 29.17% → 11.28%; UP में निर्धनता से बाहर निकलने वालों की संख्या सर्वाधिक: 24.82 करोड़ में से 5.94 करोड़

CPI मुद्रास्फीति 2025 (%)	जनवरी	सितंबर	अक्टूबर
उत्तर प्रदेश	4.59	-0.66	-1.71
गुजरात	3.82	0.59	-0.58
मध्य प्रदेश	4.42	0.10	-1.62
महाराष्ट्र	3.39	1.53	0.89
तमिलनाडु	4.99	2.52	1.29

अध्याय 46

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: ग्रामीण विकास, उद्योग एवं स्वास्थ्य

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- UP की लगभग 77.7% जनसंख्या ग्रामीण है (जनगणना 2011); ग्रामीण विकास पर व्यय ₹10,508 करोड़ (2017-18) → ₹20,081 करोड़ (2025-26 बजट अनुमान)

मनरेगा सूचक	मान
कार्य-दिवस	1,814.34 लाख (2017-18) → 3,363.97 लाख (2024-25); भारत में प्रथम
2024-25 का कवरेज	65.26 लाख परिवारों के 75.83 लाख श्रमिक
व्यय	₹4,501 करोड़ → ₹11,981 करोड़
महिला सहभागिता	35% (2018-19) → 42% (2024-25)
अमृत सरोवर	19,000 से अधिक, भारत में सर्वाधिक
सामाजिक अंकेक्षण	55,991 ग्राम पंचायतें

- DAY-NRLM: 95.60 लाख परिवारों को समाविष्ट करने वाले 7.94 लाख स्वयं सहायता समूह; लखपति दीदी: 17.09 लाख से अधिक; बैंक सखी (BC सखी) 39,880; नमो ड्रोन दीदी 2025-26: 530 चयनित
- महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ: बालिनी (बुंदेलखंड), सामर्थ (रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, कानपुर नगर, अमेठी), काशी (बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाज़ीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर), श्री बाबा गोरखनाथ कृपा
- PMAY-G: 36.37 लाख आवास; लक्ष्य 99.48% पूर्ण (सिक्किम 99.57% के बाद द्वितीय); PMGSY: 24,874.76 किमी, 2024-25 में 2,807.86 किमी (भारत में सर्वाधिक)
- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: SECC से छूटे, आपदा-प्रभावित, मुसहर, वन टांगिया, थारू, कोल, सहरिया परिवारों के लिए पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित
- विधायक क्षेत्र विकास निधि: 2023-24 से प्रति विधायक प्रतिवर्ष ₹5 करोड़
- जल जीवन मिशन: मानक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन; 2.43 करोड़ परिवार (91.10%) जुड़े; 40,955 योजनाओं में से 33,157 सौर-ऊर्जा चालित

पंचायती राज स्तर (2024-25)	संख्या
जिला पंचायत	75
क्षेत्र पंचायत	826
ग्राम पंचायत	57,694

- दिसंबर 2022 से प्रत्येक शुक्रवार ग्राम चौपाल; ODF प्लस के लिए SBM-G चरण 2 (2020-27); व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों में UP प्रथम
- ग्रामीण बेरोज़गारी (PLFS): 5.5% (2017-18) → 2.2% (2023-24)

औद्योगिक विकास

सूचक	मान
द्वितीयक GVA	₹3.34 लाख करोड़ → ₹7.60 लाख करोड़ (CAGR 10.8%)
विनिर्माण GVA	₹1.81 → ₹3.26 लाख करोड़
संगठित बनाम असंगठित विनिर्माण	75.5% : 24.5%
खनिज राजस्व 2024-25	₹4,376.75 करोड़; बालू (मौरंग) सबसे बड़ा मद

सूचक	मान
IIP 2024-25	विनिर्माण 156.4 (+3.0%); सामान्य सूचकांक +2.6%
भारत के ASI GVA में UP का हिस्सा	5.7% (2019-20) → 6.8% (2023-24)
MSME (उद्यम, जनवरी 2026)	भारत के 4.53 करोड़ में से लगभग 0.47 करोड़; UP द्वितीय

- ASI 2023-24 GVA वृद्धि: UP 25%, कर्नाटक 18.8%, तमिलनाडु 11.2%, महाराष्ट्र 9.3%, गुजरात 7.5%, भारत 11.9%
- निर्यात ₹1.86 लाख करोड़ (2024-25), भारत के निर्यात का लगभग 5.0% (UP पाँचवें स्थान पर); गौतम बुद्ध नगर ₹94,300 करोड़ (50.7%); सभी 75 जिलों से UP के निर्यात (ODOP प्रभाव)
- निर्यात संवर्धन नीति 2025-30; UPITS 2025 (तृतीय संस्करण, ग्रेटर नोएडा); प्रत्येक जिले में UP राष्ट्रीय व्यापार मेला
- इलेक्ट्रॉनिक्स: UP भारत के लगभग 65% मोबाइल फ़ोन बनाता है; नोएडा-ग्रेटर नोएडा-यमुना एक्सप्रेसवे = "भारत की घटक घाटी"
- चार शिलान्यास समारोह (चौथा फ़रवरी 2024 में); प्रस्तावित निवेश लगभग ₹50 लाख करोड़
- BIDA (बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण), नोएडा के मॉडल पर: दो चरणों में 56,662 एकड़
- 31 SEZ स्वीकृत (लगभग 74% IT/ITeS); जेवर के निकट सेमीकंडक्टर पार्क; सेमीकंडक्टर नीति 2024; GI टैग 77 उत्पादों को, भारत में सर्वाधिक
- स्टार्टअप: 19,042; 76 इन्क्यूबेटर; MSME अधिनियम 2020 इकाइयों को 1,000 दिनों के लिए निरीक्षण से छूट देता है
- PLEDGE योजना: 10-50 एकड़ पर MSME पार्क; भूमि लागत का 90% ऋण के रूप में 1% ब्याज पर

स्वरोज़गार योजना	प्रमुख आँकड़े
उद्यम पंजीकरण (UP)	4.13 लाख (2021-22) → 13.02 लाख (जनवरी 2026); व्यापार 51%, सेवाएँ 25%, विनिर्माण 24%
PMEGP	₹2,602.82 करोड़ मार्जिन मनी, 6.23 लाख रोज़गार
CM YUVA (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, 2024-25)	₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण; प्रति वर्ष 1 लाख इकाइयाँ; 10 वर्षों में 10 लाख
ODOP वित्तपोषण	₹890.44 करोड़, 3.22 लाख रोज़गार
ODOP सामान्य सुविधा केंद्र	23 जिलों में 28 परियोजनाएँ स्वीकृत

उद्योग

परफ़्यूम पार्क (कन्नौज), प्लास्टिक पार्क (गोरखपुर), चिकित्सा उपकरण पार्क (YEIDA), फ़िल्म सिटी (नोएडा), ट्रांस-गंगा सिटी (उन्नाव)
 रक्षा औद्योगिक गलियारे के नोड: आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झाँसी, चित्रकूट
 MSE-CDP सामान्य सुविधा केंद्र: मृदांड (खुर्जा), कैची (मेरठ), ज़री-ज़रदोज़ी (उन्नाव)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सुविधा (2025)	संख्या
उप-केंद्र	28,056
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	3,754
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	976
जिला चिकित्सालय	103

चिकित्सा शिक्षा	2017	2025
चिकित्सा महाविद्यालय	36	81 (45 सरकारी + 36 निजी)
MBBS सीटें	4,540	12,800
स्नातकोत्तर सीटें	1,221	4,995
नर्सिंग महाविद्यालय	53	79

- अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ; e-संजीवनी टेली-परामर्श 11 मई 2021 से; 102 एम्बुलेंस सेवा (2,270) और 108 EMTS (2,200)
- स्वास्थ्य बजट 2025-26 ₹46,728.48 करोड़, सबसे बड़ा क्षेत्रकीय हिस्सा

स्वास्थ्य बीमा	विवरण
कार्यान्वयन अभिकरण	SACHI (समग्र स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवाओं हेतु राज्य अभिकरण)
AB-PMJAY	NFSA-सूचीबद्ध परिवार, बुक्सा जनजाति के सभी परिवार, 70+ आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (2019)	छूटे हुए लोगों के लिए: SECC से बहिष्कृत, अंत्योदय, BOCW परिवार, मान्यता-प्राप्त पत्रकार
आयुष्मान कार्ड	5.42 करोड़, भारत में सर्वाधिक
सूचीबद्ध अस्पताल	6,257 (2,948 सरकारी + 3,309 निजी), भारत में सर्वाधिक

- संस्थागत प्रसव 2024-25 में 41 लाख = 96.12%; 2024-25 में पूर्ण प्रतिरक्षण 100%

अध्याय 47

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: अवसंरचना, पर्यटन एवं शिक्षा

सड़क, रेल, वायु एवं जल

- UP में भारत का सबसे बड़ा रेल जाल और सर्वाधिक विस्तृत सड़क जाल है; पूँजीगत व्यय की CAGR 10.05% (2016-17 से 2025-26), बजट का लगभग 20%; 2023-24 में पूँजीगत व्यय ₹1.11 लाख करोड़, जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से आगे है

संचालित एक्सप्रेसवे	लंबाई (किमी)	निर्माणाधीन / प्रस्तावित	लंबाई (किमी)
आगरा-लखनऊ	302.222	गंगा एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)	593.947
पूर्वांचल	340.824	दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून (निर्माणाधीन)	210
बुंदेलखंड	296.070	लखनऊ-कानपुर (निर्माणाधीन)	63
यमुना	165.50	विंध्य (प्रस्तावित)	277
मेरठ-दिल्ली	96	गोरखपुर-शामली (NHAI प्रस्तावित)	700
गोरखपुर लिंक	91.35	गोरखपुर-सिलीगुड़ी (NHAI प्रस्तावित)	519
नोएडा-ग्रेटर नोएडा	25	गाज़ियाबाद-कानपुर (NHAI प्रस्तावित)	380

- सड़क की लंबाई 2.41 लाख किमी (2017-18) → 2.84 लाख किमी (2024-25): ग्रामीण सड़कें 69%, अन्य जिला सड़कें 21%, राष्ट्रीय राजमार्ग 4% (12.12 हजार किमी), राज्य राजमार्ग 4%
- वाहन 262.8 लाख (2016-17) → 523.40 लाख (दिसंबर 2025); विद्युत वाहन 14.38 लाख (ई-रिक्शा लगभग 8.97 लाख)
- UP मोबाइल ऐप आधारित ई-चालान वाला प्रथम राज्य; 45 वाहन कबाड़ (स्कैपिंग) केंद्र; "वन UP वन कार्ड" गतिशीलता कार्ड
- रेल मार्ग की लंबाई 8,821 किमी, भारत में सर्वाधिक (लगभग 12.50%); पूर्वी समर्पित माल गलियारे का सबसे लंबा खंड UP में है
- मेट्रो: नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा; नमो भारत (दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ RRTS, 82.15 किमी): भारत की प्रथम क्षेत्रीय रेल सेवा
- हवाई अड्डे: 4 (अप्रैल 2017) → 16 (12 घरेलू + 4 अंतरराष्ट्रीय); 8 वायुसेना हवाई पट्टियाँ; वायु माल ढुलाई 7.5 → 28.36 हजार मीट्रिक टन
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (हल्दिया से प्रयागराज): UP में 425 किमी; वाराणसी में भारत का प्रथम बहुविध टर्मिनल; रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर में माल ग्राम (फ्रेट विलेज)

ऊर्जा

सूचक	मान
स्थापित क्षमता	23.66 GW (मार्च 2017) → 36.74 GW (दिसंबर 2025): राज्य 9.86, केंद्र 11.63, निजी 15.25 GW
उत्पादन	122.77 हजार GWh (2018-19) → 167.49 (2024-25); गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक से कम क्षमता के बावजूद सर्वाधिक
उपभोग 2024-25	घरेलू 47%, अन्य 30%, औद्योगिक 14%, वाणिज्यिक 8%
अधिकतम माँग	16,110 मेगावाट (मार्च 2017) → 31,486 मेगावाट (जून 2025)
लाइन हानियाँ	21.47% (2017) → 13.77% (मार्च 2025)
AT&C हानियाँ	32.80% (2016-17) → 19.21% (2024-25)
नवीकरणीय क्षमता	5.53 GW (मार्च 2017) → 9.79 GW (दिसंबर 2025); सौर 2,815 मेगावाट

- विद्युत संरचना: UPRVUNL (ताप उत्पादन: अनपरा, ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज, जवाहरपुर, पनकी) → UPJVNL (7 जल-विद्युत परियोजनाएँ, 524.90 मेगावाट) → UPPTCL (पारेषण, 132 kV और ऊपर) → UPPCL (होलिडिंग) जिसके अंतर्गत 5 डिस्कॉम: पूर्वचल (वाराणसी), मध्यांचल (लखनऊ), दक्षिणांचल (आगरा), पश्चिमांचल (मेरठ), KESCO (कानपुर)
- घाटमपुर (कानपुर नगर) 3 × 660 मेगावाट अतिक्रांतिक; पनकी की 660 मेगावाट इकाई अप्रैल 2025 में चालू
- सौर पार्क: जालौन 1,200 मेगावाट (सबसे बड़ा), चित्रकूट 800, झाँसी 600, ललितपुर 600; सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 22,000 मेगावाट; अयोध्या आदर्श सौर नगर
- जैव-ऊर्जा नीति 2022: 36 CBG संयंत्र, भारत में प्रथम; हरित हाइड्रोजन नीति 2024: 30-40% पूँजीगत सब्सिडी
- पीएम-कुसुम C-1: केंद्र 30% + राज्य 60%; C-2 फ्रीडर सौरीकरण: केंद्र 30% + राज्य व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण

संचार एवं शहरी विकास

- इंटरनेट ग्राहक (TRAI, सितंबर 2025): UP 13.82 करोड़ (प्रथम), महाराष्ट्र 11.36, तमिलनाडु 6.60, कर्नाटक 6.41, गुजरात 5.87
- शहरीकरण 22.28% (जनगणना 2011), लगभग 25% (2021); ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के लिए लगभग 35% आवश्यक; 2017 के बाद 113 नए नगरीय स्थानीय निकाय
- राज्य राजधानी क्षेत्र: लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव (छह जिले)
- स्मार्ट सिटी: 17 (10 केंद्रीय + 7 राज्य); अमृत 1.0: 60 नगरीय स्थानीय निकाय, ₹10,297.87 करोड़; प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 17.03 लाख आवास पूर्ण
- राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कांस्य प्रतिमाएँ

पर्यटन एवं संस्कृति

घरेलू पर्यटन 2024	पर्यटक (करोड़)	हिस्सा	क्रम
उत्तर प्रदेश	64.68	21.9%	1
तमिलनाडु	30.68	10.4%	2
कर्नाटक	30.46	10.3%	3
आंध्र प्रदेश	29.03	9.9%	4
राजस्थान	23.01	7.8%	5

- UP ने 2022 में तमिलनाडु को पीछे छोड़ा (18.4%); कुल पर्यटक 64.91 करोड़ (2024) → 156.18 करोड़ (2025 अनंतिम, महाकुंभ सहित); विदेशी पर्यटक 22.69 लाख (2024), चौथा स्थान
- पर्यटन बजट ₹440.3 करोड़ (2017-18) → ₹2,026.1 करोड़ (2025-26)
- 2025 में अयोध्या में 29.96 करोड़ पर्यटक आए (2024 में 16.44 करोड़); प्रयागराज में 2022 से 2025 के बीच 26.5 गुना वृद्धि

प्रमुख अवधारणा: प्रयागराज महाकुंभ 2025

त्रिवेणी संगम पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 (45 दिन) तक आयोजित; उपस्थिति 66.30 करोड़ (कुंभ 2019: 24.05 करोड़; महाकुंभ 2013: 7.87 करोड़) महाकुंभ नगर 76वें (अस्थायी) जिले के रूप में गठित; प्लास्टिक-मुक्त; 2,500 ड्रोन का प्रदर्शन; 11 भाषाओं में AI चैटबॉट कुंभ UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में है; कुंभ स्थल: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक

- पर्यटन नीति 2022: 12 विषयगत क्षेत्र और 12 परिपथ; सितारा होटलों को उद्योग का दर्जा

परिपथ	प्रमुख स्थल
रामायण	अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिठूर
कृष्ण / ब्रज	मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगाँव
बौद्ध	कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशांबी
महाभारत	हस्तिनापुर, कांपिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, विदूरकूटी
शक्ति पीठ	विंध्याचल, देवीपाटन, शाकुंभरी देवी, विशालाक्षी
बुद्धदेवखंड	चरखारी, कालिंजर, झाँसी, महोबा, चित्रकूट

परिपथ	प्रमुख स्थल
वन्यजीव एवं पर्यावरण	दुधवा, पीलीभीत, इटावा लायन सफ़ारी, अमानगढ़, कतर्नियाघाट
शिल्प	आगरा संगमरमर जड़ाई, फ़िरोज़ाबाद काँच, मुरादाबाद पीतल, बनारसी साड़ी, अलीगढ़ ताले
स्वतंत्रता संग्राम	मेरठ, शाहजहाँपुर, काकोरी, चौरा-चौरा, बावन इमली

- स्वदेश दर्शन 1.0: 8 परियोजनाएँ पूर्ण; PRASAD: 6 परियोजनाएँ (वाराणसी, मथुरा-वृंदावन, गोवर्धन)
- सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम: कोरौना, वाराणसी (2023); पुरा महादेव, बागपत (2024)
- राम मंदिर ध्वज (22 फुट × 11 फुट) 25 नवंबर 2025 को 161 फुट के शिखर पर फहराया गया
- दीपोत्सव के दीप: 1.71 लाख (2017) → 26.17 लाख (2025); दिसंबर 2025 में दीपावली UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित
- फिल्म नीति 2023: क्षेत्रीय फ़िल्मों (अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी) को 50% तक तथा हिंदी/अंग्रेज़ी फ़िल्मों को 25% सब्सिडी; नोएडा में 1,000 एकड़ में फ़िल्म सिटी

शिक्षा

विद्यालयी शिक्षा (UDISE+ 2024-25)	मान
कुल विद्यालय	2,62,358 (प्राथमिक 1,35,658; उच्च प्राथमिक 90,243; माध्यमिक 11,938; उच्चतर माध्यमिक 24,519)
प्रबंधन	सरकारी 52.28%, निजी 39.83%, सहायता-प्राप्त 3.15%
शिक्षक	16,15,427
विद्यालय छोड़ने की दर (प्राथमिक)	7.2 (2017-18) → 0 (2024-25)
विद्यालय छोड़ने की दर (माध्यमिक)	19.0 → 7.0
छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)	36 → 20
साक्षरता (PLFS 2023-24)	UP पुरुष 86.0%, महिला 70.4% (भारत: पुरुष 87.2%, महिला 74.6%)

- पीएम श्री: 1,722 विद्यालय; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) 746; मुख्यमंत्री आदर्श समग्र विद्यालय प्रति जिला दो; 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय

उच्च शिक्षा	मान
महाविद्यालय	6,681 (2017-18) → 7,984 (2024-25)
विश्वविद्यालय	राज्य 16 → 24; निजी 27 → 52
सकल नामांकन अनुपात (18-23 वर्ष)	24.1%; लक्ष्य 30% (2030), 50% (2035), 65% (2047)
NAAC A++ विश्वविद्यालय	0 (2017) → 9 (2025)
पेटेंट आवेदन (उच्च शिक्षण संस्थान)	65 (2017) → 5,677 (2025)

- सरकारी ITI 286 → 331; UP कौशल विकास मिशन: 12.58 लाख प्रशिक्षित, 6.31 लाख नियोजित
- इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025: UP संख्यात्मक कौशल में प्रथम (80.12%), नियोजनीयता में छठे स्थान पर

अध्याय 48

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: समाज कल्याण, श्रम, नीतियाँ एवं विज़न 2047

समाज कल्याण

- सामाजिक सुरक्षा पर व्यय ₹18,674 करोड़ (2017-18) → ₹34,504 करोड़ (2025-26 बजट अनुमान)

योजना	लाभ	कवरेज
वृद्धावस्था पेंशन (60+, BPL)	₹1,000 प्रतिमाह	60.99 लाख (2024-25); दिसंबर 2025 तक 67.50 लाख
दिव्यांग पेंशन	₹300 → ₹500 → ₹1,000 प्रतिमाह (दिसंबर 2021)	10.84 लाख
निराश्रित महिला पेंशन	₹12,000 प्रतिवर्ष	35.30 लाख
कृष पेंशन	₹3,000 प्रतिमाह (दिसंबर 2021)	12,186
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ	BPL कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर	1,13,300
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह	सामूहिक विवाह	95,466 विवाह
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला (2019-20)	6 चरणों में ₹25,000 (2025-26 में ₹15,000 से बढ़ाया गया)	4.29 लाख बालिकाएँ
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (2021-22)	अनाथ बच्चों को मासिक सहायता	78,852

कन्या सुमंगला चरण	राशि
जन्म	₹5,000
एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण	₹2,000
कक्षा 1 में प्रवेश	₹3,000
कक्षा 6 में प्रवेश	₹3,000
कक्षा 9 में प्रवेश	₹5,000
कक्षा 10/12 के बाद डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश	₹7,000

- पात्रता: UP निवासी, पारिवारिक आय ₹3 लाख तक, अधिकतम 2 बच्चे
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (फरवरी 2021): 163 केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग
- दिव्यांगता: राज्य सेवाओं में 4% आरक्षण, शैक्षिक संस्थानों में 5%; 21 जून 2019 से निःशुल्क बस यात्रा; डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय (चित्रकूट)
- विशेष विद्यालय: प्रयास (शारीरिक रूप से दिव्यांग), संकेत (वाक् एवं श्रवण), ममता (बौद्धिक), स्पर्श (दृष्टिबाधित)
- ऑगनवाड़ी केंद्र 1,89,996; ICDS परियोजनाएँ 897; सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर; बाल हेल्पलाइन 1098

प्रमुख अवधारणा: महिला आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक (WEE-Index) 2024

UP योजना विभाग द्वारा प्रकाशित; 49 सूचक, 5 स्तंभ, जिला अंक 0-100

स्तंभ: उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा एवं कौशल, आजीविका, गतिशीलता-सुरक्षा-लिंग संवेदी अवसंरचना

शीर्ष जिले: लखनऊ (86.9), कानपुर नगर (82.4), वाराणसी (79.3), गौतम बुद्ध नगर (74.8), गाज़ियाबाद (73.8)

श्रम एवं रोज़गार

सूचक	मान
महिला LFPR (PLFS)	22.2% (2022-23) → 25.2% (2023-24)
LFPR 15+ (PLFS 2023-24)	पुरुष 79.5%, महिला 34.5%
PLFS तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025)	LFPR 47.3; बेरोज़गारी 5.9%; WPR 44.5%
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी	15.96 लाख (2022-23) → 19.85 लाख (जून 2025)

- e-श्रम (26 अगस्त 2021 को आरंभ): UP में सर्वाधिक 8.42 करोड़ पंजीकरण (बिहार 3.22 करोड़, पश्चिम बंगाल 2.65 करोड़); महिलाएँ 52.62%
- UP रोज़गार मिशन (जुलाई 2025); रोज़गार संगम पोर्टल; BOCW कल्याण बोर्ड में 131.77 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- रोज़गार कार्यालय अधिनियम के अंतर्गत "अधिनियम प्रतिष्ठान": 25 या अधिक कर्मचारी; "गैर-अधिनियम": 10 से 24

राज्य नीतियाँ (आठ वर्षों में 34 नीतियाँ)

क्षेत्रक	नीति	प्रमुख प्रावधान
कृषि	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023	35% तक पूँजीगत सब्सिडी
कृषि	डेयरी विकास नीति 2022	5 वर्षों में ₹5,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य
उद्योग	औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार संवर्धन नीति 2022	क्षेत्र के अनुसार प्रोत्साहन
उद्योग	सेमीकंडक्टर नीति 2024	ऐसे प्रावधानों वाला UP चौथा राज्य
उद्योग	इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025	20% पूँजीगत प्रोत्साहन; 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्ष
उद्योग	EV विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022	100% सड़क कर एवं पंजीकरण छूट
उद्योग	स्टार्टअप नीति 2020	10,000 स्टार्टअप; 8 उत्कृष्टता केंद्र
IT	IT एवं ITes नीति 2022; GCC नीति 2024; डेटा सेंटर नीति 2021	बूंदेलखंड/पूर्वांचल में 50% तक भूमि सब्सिडी
ऊर्जा	सौर ऊर्जा नीति 2022	22,000 मेगावाट
ऊर्जा	हरित हाइड्रोजन नीति 2024; जैव-ऊर्जा नीति 2022	पूँजीगत सब्सिडी
पर्यावरण	शहरी हरित नीति 2025	ग्रीन+, ग्रीन++, ग्रीन+++ श्रेणी निर्धारण
पर्यावरण	जैव-प्लास्टिक उद्योग नीति 2024	UP प्रथम राज्य; 50% पूँजीगत सब्सिडी
निवेश	FDI, फ़ॉर्च्यून ग्लोबल 500 नीति 2023	किसी राज्य द्वारा प्रथम
व्यापार	निर्यात संवर्धन नीति 2025-30	लगभग ₹882 करोड़ के प्रोत्साहन
लॉजिस्टिक्स	भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022	MMLP के लिए 30% अग्रिम भूमि सब्सिडी
रक्षा	रक्षा एवं एयरोस्पेस नीति 2022	पूँजीगत सब्सिडी 7% (आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर), 10% (झाँसी, चित्रकूट)
विमानन	विमान MRO नीति 2022	सब्सिडी 5-12%
संस्कृति	फ़िल्म नीति 2023; खेल नीति 2023; पर्यटन नीति 2022	फ़िल्म सब्सिडी 50%/25%

- आगामी: सतत विमानन ईंधन (SAF) विनिर्माण संवर्धन नीति 2025 (UP प्रथम राज्य होगा)

विज़न @2047: विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश

- 13-14 अगस्त 2025 को 24 घंटे के विधान-मंडल सत्र में विज़न पर चर्चा हुई; "5 T" (ट्रेड, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट) तथा तीन शक्तियाँ: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति

चरण	अवधि	लक्ष्य
अल्पकालिक	2029-30 तक	\$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था; शून्य निर्धनता; निर्यात 4 गुना
मध्यकालिक	2035-36 तक	EV, सेमीकंडक्टर, AI सिटी, GCC, यूनिर्कॉर्न

चरण	अवधि	लक्ष्य
दीर्घकालिक	2046-47 तक	\$6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था; प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक

लक्ष्य	वर्तमान	2047 का लक्ष्य
वृद्धि दर	14-15%	पाँच वर्षों में 20%
भारत की GDP में हिस्सा	9.5%	जनसंख्या हिस्से (16%) से अधिक
ऋण/GSDP	लगभग 30%	20%
व्यय में पूँजीगत परिव्यय का हिस्सा	लगभग 18%	30%
व्यय में विकासात्मक व्यय का हिस्सा	लगभग 60%	70%

- चार स्तंभ: आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, सुरक्षा, वैश्विक संपर्क, सुशासन
- जन परामर्श: 97,70,696 सुझाव; 35 लाख से अधिक महिलाओं से; 75 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से
- SDG इंडिया सूचकांक: UP का अंक 42 (2018) → 67 (सूचकांक 4.0, 2023-24), सबसे तेज़ी से सुधरने वाला राज्य (+25); श्रेणी अग्रणी; क्रम 29वाँ → 18वाँ

एक नज़र में UP एवं क्रमों की त्वरित पुनरावृत्ति

मद	मान
प्रशासनिक इकाइयाँ	18 मंडल, 75 जिले, 351 तहसीलें, 826 विकास खंड
जनगणना 2011	जनसंख्या 19.98 करोड़; घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी; साक्षरता 67.7%; लिंगानुपात 912
स्थानीय निकाय	नगर निगम 17; नगर परिषदें 200; नगर पंचायतें 545; छावनी परिषदें 13
SRS 2023	जन्म दर 23.6; मृत्यु दर 6.5; शिशु मृत्यु दर 37; मातृ मृत्यु अनुपात 141 (2021-23)

क्षेत्र	UP का क्रम / कीर्तिमान
खाद्यान्न, गेहूँ, गन्ना, द्रुध, आलू, आम, मेंथा	भारत में प्रथम
सरसों	द्वितीय
वन एवं वृक्ष आच्छादन वृद्धि (ISFR 2023)	द्वितीय (छत्तीसगढ़ के बाद)
डॉलफ़िन (2024 गणना)	सर्वाधिक (2,397)
PMJDY, स्टैंड-अप इंडिया, PMJJBY, PMSBY	प्रथम
GST सक्रिय करदाता	प्रथम (21.25 लाख)
मनरेगा कार्य-दिवस; अमृत सरोवर	प्रथम
PMAY-G पूर्णता	द्वितीय (सिक्किम के बाद)
ASI GVA वृद्धि 2023-24 (25%)	प्रमुख राज्यों में प्रथम
MSME (उद्यम) पंजीकरण	द्वितीय
निर्यात तत्परता सूचकांक 2024	समग्र चौथा; स्थलरुद्ध राज्यों में प्रथम
GI टैग (77)	प्रथम
आयुष्मान कार्ड; सूचीबद्ध अस्पताल	प्रथम
इंटरनेट ग्राहक	प्रथम (13.82 करोड़)
पर्यटक आगमन	प्रथम (तमिलनाडु को पीछे छोड़)
e-श्रम पंजीकरण	प्रथम (8.42 करोड़)

अध्याय 49

उत्तर प्रदेश बजट 2026-27

एक नज़र में बजट

- 11 फ़रवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत

मद	2026-27 बजट अनुमान
GSDP (चालू कीमतें)	₹39.8 लाख करोड़ (₹39,75,500 करोड़); 2025-26 के संशोधित अनुमान से 28% वृद्धि
कुल व्यय	₹9,12,696 करोड़ (ऋण चुकौती घटाकर ₹8,50,901 करोड़, +26%)
ऋण चुकौती	₹61,795 करोड़
शुद्ध प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर)	₹7,32,420 करोड़ (+26%)
उधारी	₹1,15,813 करोड़
राजकोषीय घाटा	GSDP का 3.0% (₹1,18,481 करोड़); 2025-26 संशोधित अनुमान में भी 3.0%
राजस्व अधिशेष	GSDP का 1.6% (₹64,458 करोड़); 2025-26 संशोधित अनुमान में 2.4%
प्राथमिक घाटा	GSDP का 1.2% (₹49,560 करोड़) = राजकोषीय घाटा - ब्याज (₹68,921 करोड़)
राजस्व व्यय	₹6,64,471 करोड़ (+31%)
पूँजीगत परिव्यय	₹1,77,744 करोड़ (+11%)
राजस्व प्राप्तियाँ	₹7,28,928 करोड़ (+26%): 50% स्वयं के संसाधन, 50% केंद्र से
प्रतिबद्ध व्यय	₹3,53,743 करोड़ = राजस्व प्राप्तियों का 49%
बकाया देयताएँ	2026-27 के अंत में GSDP का 23.1% (2025-26 संशोधित अनुमान में 27.6%)

- राजस्व प्राप्तियों में वेतन 25.1% (₹1,82,921 करोड़), पेंशन 14.0% (₹1,01,901 करोड़, +43%), ब्याज 9.5% (₹68,921 करोड़)
- केंद्र राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त पूँजीगत व्यय ऋण (2020-21 से) देता है, जो उधारी की सीमा से बाहर रखे जाते हैं; UP को 2024-25 में ₹17,224 करोड़ प्राप्त हुए

अर्थव्यवस्था एवं नीतिगत मुख्य बिंदु

- 2024-25 में वास्तविक GSDP वृद्धि: 9.0% (2011-12 कीमतों पर), जबकि भारत की 6.5%
- 2024-25 में क्षेत्रकीय हिस्से (चालू कीमतें): कृषि 27%, उद्योग 26%, सेवाएँ 47%
- 2024-25 में प्रति व्यक्ति GSDP: ₹1,24,366 (+11.6%); भारत ₹2,34,859; UP राष्ट्रीय स्तर का लगभग 53%

क्षेत्र	घोषणा
प्रौद्योगिकी	उभरती प्रौद्योगिकियों एवं AI पर मिशन; डेटा सेंटर समूह; डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम
MSME	सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र (₹575 करोड़)
कौशल विकास	कौशल केंद्रों का विस्तार; महिलाओं के लिए पृथक केंद्र
शहरी विकास	मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरणों में अवसंरचना (₹750 करोड़)
कृषि	कृषि विपणन एवं निर्यात का कार्यक्रम
कारोबार सुगमता	जन विश्वास के सिद्धांत पर अगला चरण; सरल अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण

बजट बनाम आर्थिक समीक्षा के आँकड़े

बजट विश्लेषण में 2024-25 का GSDP ₹29,78,224 करोड़ और प्रति व्यक्ति ₹1,24,366 प्रयुक्त है
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के त्वरित अनुमान ₹30.25 लाख करोड़ और ₹1,26,304 देते हैं
2024-25 का राजकोषीय घाटा: 2.1% (वास्तविक, बजट) बनाम 3.1% (संशोधित अनुमान, समीक्षा)

2026-27 में प्राप्तियाँ

मद (₹ करोड़)	2025-26 संशोधित अनुमान	2026-27 बजट अनुमान
राज्य का स्वयं का कर	2,26,181	3,34,491
राज्य का स्वयं का गैर-कर	13,664	26,754
केंद्रीय करों में हिस्सा	2,49,885	2,68,911
केंद्र से अनुदान	90,112	98,772
राजस्व प्राप्तियाँ	5,79,842	7,28,928

- स्वयं के संसाधन ₹3,61,245 करोड़ (50%); केंद्र से ₹3,67,683 करोड़ (50%): कर अंतरण 36.9% और अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 13.6%
- स्वयं का कर/GSDP: 8.4% (2026-27 बजट अनुमान) बनाम 7.3% (2025-26 संशोधित अनुमान) और 7.1% (2024-25)
- कर अंतरण ₹2,68,911 करोड़ केंद्रीय बजट 2026-27 में किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है (सभी राज्यों का कुल ₹15,26,255 करोड़; अगला बिहार ₹1,51,832 करोड़)
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुदान: ₹31,955 करोड़ (2024-25) → ₹70,961 करोड़ (2025-26) → ₹77,994 करोड़ (2026-27)

स्वयं के कर का स्रोत	2026-27 बजट अनुमान
राज्य GST (सबसे बड़ा, लगभग 45%)	₹1,49,956 करोड़
राज्य उत्पाद शुल्क	₹71,278 करोड़
बिक्री कर / VAT	₹48,115 करोड़
स्टॉप एवं पंजीकरण	₹43,802 करोड़
वाहन कर	₹15,808 करोड़
विद्युत शुल्क	₹4,715 करोड़
भू-राजस्व	₹817 करोड़

- स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत का राजस्व दुर्बल है: ग्रामीण - कृषि GDP का 0.05% (केरल 2.38%, महाराष्ट्र 1.21%); शहरी - गैर-कृषि GDP का 0.20% (महाराष्ट्र 1.4%, गुजरात 0.84%)

2026-27 में व्यय

क्षेत्रक (₹ करोड़)	2025-26 संशोधित अनुमान	2026-27 बजट अनुमान	प्रमुख प्रावधान
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	84,654	1,08,154 (+28%)	गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को ₹55,792 करोड़ की सहायता
ऊर्जा	48,561	56,621 (+17%)	₹21,500 करोड़ की विद्युत सब्सिडी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	42,962	53,326 (+24%)	शहरी ₹5,793 करोड़; ग्रामीण ₹6,818 करोड़
परिवहन	48,909	50,391 (+3%)	सड़कों और पुलों पर ₹38,592 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय
ग्रामीण विकास	30,877	49,044 (+59%)	PMAY-G ₹6,102 करोड़; मनरेगा ₹5,544 करोड़; NRLM ₹4,580 करोड़

क्षेत्रक (₹ करोड़)	2025-26 संशोधित अनुमान	2026-27 बजट अनुमान	प्रमुख प्रावधान
समाज कल्याण एवं पोषण	36,580	42,263 (+16%)	वृद्धावस्था/किसान पेंशन ₹8,950 करोड़
पुलिस	32,176	41,898 (+30%)	जिला पुलिस ₹27,200 करोड़
कृषि एवं संबद्ध	20,504	30,938 (+51%)	निजी नलकूप विद्युत सब्सिडी ₹2,400 करोड़
शहरी विकास	22,397	27,532 (+23%)	PMAY-शहरी ₹6,842 करोड़

- शिक्षा सबसे बड़ा क्षेत्रक है; ग्रामीण विकास में वृद्धि सर्वाधिक (59%); राजस्व व्यय के प्रेरक घटक: ग्रामीण विकास +83%, पेंशन +43%, स्थानीय निकायों को अनुदान +39%, ऊर्जा +38%
- पूँजीगत परिव्यय में कम खर्च: 2021-22 से 2024-25 के बीच औसतन बजट से 28% कम (2024-25 में बजटित ₹1,54,747 करोड़; वास्तविक ₹1,14,001 करोड़)

प्रारंभिक परीक्षा

UP ऊर्जा, सड़कों और ग्रामीण विकास पर राज्य औसत से अधिक व्यय करता है; शिक्षा और कृषि पर औसत से कम डिस्कॉम की संचित हानि लगभग ₹1 लाख करोड़ (मार्च 2025); वार्षिक हानि ₹10,796 करोड़ (2024-25)
AT&C हानियाँ 19.6% (2024-25) बनाम राष्ट्रीय औसत 15%
बकाया गारंटियाँ ₹1,71,924 करोड़ = GSDP का 5.8% (31 मार्च 2025)
UP FRBM अधिनियम, 2004; देयताएँ 33.4% (2021-22) से घटकर GSDP के 20.6% (2028-29) तक पहुँचने का प्रक्षेपण

16वाँ वित्त आयोग एवं UP

- अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया; प्रतिवेदन 1 फ़रवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत; अवधि 2026-27 से 2030-31
- विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% (अपरिवर्तित); कुल अनुदान ₹9.47 लाख करोड़, केवल स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए
- राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदान बंद
- 2026-31 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3%

राज्य	14वाँ वित्त आयोग	15वाँ वित्त आयोग	16वाँ वित्त आयोग
उत्तर प्रदेश	17.96	17.94	17.62
बिहार	9.67	10.06	9.95
मध्य प्रदेश	7.55	7.85	7.35
पश्चिम बंगाल	7.32	7.52	7.22
महाराष्ट्र	5.52	6.32	6.44
राजस्थान	5.50	6.03	5.93
कर्नाटक	4.71	3.65	4.13
तमिलनाडु	4.02	4.08	4.10
गुजरात	3.08	3.48	3.76
सिक्किम (न्यूनतम)	0.37	0.39	0.34

- UP का हिस्सा सर्वाधिक है; UP को अनुदान (2026-31): ग्रामीण स्थानीय निकाय ₹83,261 करोड़ (सभी राज्यों में सर्वाधिक), शहरी स्थानीय निकाय ₹33,543 करोड़, आपदा प्रबंधन ₹15,321 करोड़
- लखनऊ और कानपुर अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु विशेष अनुदान (प्रत्येक ₹5,000 करोड़ तक) के पात्र

अध्याय 50

उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: योजनाएँ

नई योजनाएँ एवं घोषणाएँ (2026-27 बजट अनुमान)

योजना	आबंटन (₹ करोड़)	उद्देश्य
सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र	575	MSME-उन्मुख औद्योगिक एवं रोज़गार क्षेत्र
एक जनपद एक व्यंजन	75	जनपद के व्यंजनों एवं खाद्य उद्यमिता को प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश AI मिशन	225	AI क्षमता, अनुप्रयोग एवं पारितंत्र
49 ITI में AI प्रयोगशालाएँ (IndiaAI सहयोग)	32.82	AI प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ एवं डेटा प्रयोगशालाएँ
साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र	95.16	राज्य की साइबर सुरक्षा निगरानी एवं प्रतिक्रिया
मेरठ, मथुरा-वृंदावन, कानपुर विकास प्राधिकरण	750	अवसंरचना उन्नयन
नगर आर्थिक क्षेत्र योजना	100	एकीकृत नगर-क्षेत्र विकास
आवासीय बालिका विद्यालय	580	KGBV रहित खंडों में आवासीय बालिका विद्यालय
प्राथमिक स्मार्ट विद्यालय (समग्र शिक्षा)	300	राज्य-वित्तपोषित स्मार्ट विद्यालय
सहायता-प्राप्त विद्यालयों का उपचारात्मक रखरखाव	300	सुरक्षा-अंकेक्षण के अनुसार मरम्मत
छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति	14.50	उच्च शिक्षण संस्थान
स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर	21	नया राज्य विश्वविद्यालय
काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही	21	नया विश्वविद्यालय
FPO आवर्ती कोष	75	कृषक उत्पादक संगठनों के लिए कार्यशील पूँजी
कृषि-निर्यात केंद्र (UP एग्रीबिज़ / UP-AGREES)	245	निर्यात-उन्मुख एकत्रीकरण एवं विपणन
मत्स्य थोक बाज़ार, एका पार्क एवं प्रसंस्करण केंद्र	100	एकीकृत मत्स्य अवसंरचना
सहकारी अनाज भंडारण गोदाम	25	सहकारी गोदाम
मुख्यमंत्री शून्य मृत्यु विज्ञान योजना	50	सड़क दुर्घटना की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन समिति	200	रोज़गार अवसर एवं नौकरी मिलान
कामकाजी महिला छात्रावास	100	कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास
मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना	35	छात्रावास निर्माण
नया डेयरी संयंत्र (प्रतिदिन 1 लाख लीटर)	23	डेयरी आपूर्ति श्रृंखला
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय	454	आधारभूत स्तर पर डिजिटल शिक्षा
डीज़ल पंप से सौर पंप	637.84	सौर सिंचाई पंप

प्रमुख आबंटन वाली चालू योजनाएँ

योजना	आबंटन (₹ करोड़)
अन्नपूर्णा योजना / खाद्य सुरक्षा	15,480
जल जीवन मिशन (सभी घटक)	22,452
मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना	5,000
अटल अवसंरचना मिशन	2,000
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना (टैबलेट एवं स्मार्टफोन)	2,374
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (प्रतिवर्ष 1 लाख नई इकाइयों का लक्ष्य)	1,000
अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम फ्लैट रेट योजना	4,423
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	6,102
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी	6,842
मनरेगा	5,544
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका)	4,580
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	लगभग 8,641
आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन	2,000
आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना	500
वृद्धावस्था / किसान पेंशन (₹1,000 प्रतिमाह पर 67.5 लाख लाभार्थी)	8,950
निराश्रित महिला पेंशन	3,500
दिव्यांगजन पेंशन (₹1,000 प्रतिमाह)	1,470
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना	1,150
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (प्रति विवाह ₹1.01 लाख)	750
निःशुल्क LPG सिलेंडर पुनर्भरण योजना	1,500
पीएम सूर्य घर / सौर घरेलू ऊर्जा	1,500
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	822
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नए शहर प्रोत्साहन योजना	3,500
त्वरित आर्थिक विकास योजना	2,400
मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना	500
UP स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना (विश्व बैंक; 2025-26 से 2030-31)	194
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	310
प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन	298
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	400
सामाजिक वानिकी योजना	800

अध्याय 51

अर्थव्यवस्था समसामयिकी 2026 (जनवरी से अगस्त)

मौद्रिक, बैंकिंग एवं वित्तीय विनियमन

घटना	विवरण	तिथि
RBI रेपो दर	5.25% (स्थायी जमा सुविधा 5.00%; सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 5.50%; बैंक दर 5.50%)	अप्रैल 2026
RBI की नई NBFC श्रेणी	"अपंजीकृत प्रकार-I NBFC" (₹1,000 करोड़ से कम परिसंपत्ति), RBI पंजीकरण से मुक्त	29 अप्रैल 2026
RBI की चार-स्तरीय NBFC संरचना	आधार, मध्य, ऊपरी और शीर्ष; ऊपरी स्तर की NBFC: 2024-25 में 15; ऊपरी स्तर के लिए ₹1 लाख करोड़ या अधिक की परिसंपत्ति सीमा प्रस्तावित	10 अप्रैल 2026
RBI शहरी सहकारी बैंकों के ऋण मानदंड	कुल असुरक्षित ऋण एवं अग्रिम, कुल ऋण एवं अग्रिम के 20% तक सीमित	जून 2026
तनावग्रस्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों (SNFA) पर RBI का विवेकपूर्ण ढाँचा	1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी	जुलाई 2026
RBI भुगतान विज्ञान 2028	उपयोगकर्ता सशक्तीकरण, धोखाधड़ी से सुरक्षा, सीमा-पार भुगतान सुधार, कारोबार सुगमता	27 मार्च 2026
RBI द्वारा रद्द अनुज्ञप्ति	पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	24 अप्रैल 2026
RBI को "वर्ष की पहल" पुरस्कार	सेंट्रल बैंकिंग (लंदन)	मार्च 2026
प्रस्ताव	₹10 और ₹20 के पॉलिमर बैंकनोट	जुलाई 2026
NBFC-MFI	सूक्ष्म वित्त संस्थाओं हेतु ऋण गारंटी योजना 2.0 (राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से)	20 मार्च 2026
CBDC	पुडुचेरी में CBDC टोकन (डिजिटल बटुए) द्वारा खाद्य सब्सिडी वितरण का प्रायोगिक चरण	26 फ़रवरी 2026
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	स्वयं सहायता समूह बचत खाता आरंभ	30 अप्रैल 2026
SEBI	कोम्पेल्ला वेंकट रामामूर्ति पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त; वैकल्पिक निवेश कोषों के लिए गरुड़ (GARUDA) तंत्र प्रस्तावित	मई 2026
IRDAI	मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण को स्वीकृति; पतंजलि आयुर्वेद और सह-अधिग्रहणकर्ता न्यास 73.56% हिस्सेदारी (लगभग ₹4,500 करोड़) खरीदेंगे	28 जुलाई 2026

- UPI: वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 24,161.69 करोड़ लेन-देन, +30%, ₹314 लाख करोड़ मूल्य के
- UPI नौ देशों में स्वीकार्य; NPCI इंटरनेशनल और एक्लीडा बैंक के माध्यम से कंबोडिया जुड़ा (जून 2026)
- ग्लोबल फ़ाइनेंस पत्रिका: SBI "विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026"
- NSE ने निफ्टी500 अहिंसा सूचकांक (10 जुलाई 2026) और भारत का प्रथम घरेलू बेंचमार्क-आधारित प्राकृतिक गैस वायदा (27 जुलाई 2026) आरंभ किया
- पूँजी बाज़ार: ताइवान भारत को पीछे छोड़कर पाँचवाँ सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार बना (25 मई 2026; ताइवान 4.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर); जून 2026 तक भारत सातवें स्थान पर, बाज़ार मूल्य 4.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

- भारत समुद्री बीमा पूल (मंत्रिमंडल की स्वीकृति 18 अप्रैल 2026): प्रथम संप्रभु-समर्थित बीमा उत्पाद 30 जुलाई 2026 को आरंभ; द न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा अभिकल्पित; प्रथम P&A पॉलिसी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया को जारी

वृद्धि, रैंकिंग एवं पूर्वानुमान

स्रोत	पूर्वानुमान / रैंकिंग
OECD (मार्च 2026)	भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था; 2025-26 की वृद्धि 7.6%, 2026-27 की 6.1%
फ़िच (मार्च 2026)	वित्त वर्ष 2025-26 की वृद्धि बढ़ाकर 7.5%
विश्व बैंक (9 अप्रैल 2026)	वित्त वर्ष 2026-27 की वृद्धि 6.3% से बढ़ाकर 6.6%
मूडीज़ (मई 2026)	2026 और 2027 दोनों के लिए 6%
IMF WEO अप्रैल 2026	"वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध की छाया"; भारत अब सांकेतिक GDP में छठा सबसे बड़ा
IMF WEO अद्यतन ज़ुलाई 2026	भारत की 2026-27 की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4%
IMF जनवरी 2026 WEO	वैश्विक वृद्धि 3.3% (2026) और 3.2% (2027)
WTO वैश्विक व्यापार परिदृश्य (मार्च 2026)	2026 के लिए वैश्विक GDP वृद्धि 2.8%
SBI इकोरैप 2026	भारत 2030 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश बनेगा

- विनिमय दर और आँकड़ा संशोधनों के कारण भारत GDP रैंकिंग में छठे स्थान पर खिसक गया
- PLFS वार्षिक (कैलेंडर वर्ष 2025): बेरोज़गारी दर (15 वर्ष और अधिक) 3.1%; श्रम बल भागीदारी दर 59.3%; 61.6 करोड़ नियोजित; शिक्षित व्यक्तियों में बेरोज़गारी 6.5%
- NSO 80वाँ दौर (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य पर जेब से व्यय; सार्वजनिक अस्पतालों में भर्ती के 50% से अधिक मामलों की लागत ₹1,100 या उससे कम
- SRS 2024: जन्म दर 18.3 प्रति 1,000 (2014 से 2.7 अंक कम); शिशु मृत्यु दर 24; मृत्यु दर 6.4; कुल प्रजनन दर 1.9; जन्म के समय लिंगानुपात 917 (2021-23); मातृ मृत्यु अनुपात 88 प्रति लाख (2021-23); जीवन प्रत्याशा 70.6 वर्ष (पुरुष 68.7, महिला 72.8); जनसंख्या के 2060 के दशक के मध्य में शिखर पर पहुँचने की संभावना
- भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का लगभग 25%); 2014-15 से 2024-25 के बीच दुग्ध की CAGR 5.41%

व्यापार, उद्योग एवं नीति

- भारत-ब्रिटेन CETA: 15 जुलाई 2026 से प्रभावी; ब्रिटेन मूल के वाहनों पर कोटा-आधारित शुल्क रियायत 9 जुलाई 2026 को अधिसूचित
- भारत-फ़्रांस: संशोधित DTAC (दोहरा कराधान अपवर्जन अभिसमय), इमैनुएल मैक्रों की यात्रा (23 फ़रवरी 2026) के दौरान हस्ताक्षरित; शेयर बिक्री पर पूँजीगत लाभ पर कर विक्रेता के निवास वाले देश द्वारा; MFN खंड हटाया गया
- भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य: चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ा (मार्च 2026); क्रम: अमेरिका > UAE > चीन > नीदरलैंड (फ़रवरी 2026)
- भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद: ब्रसेल्स में तीसरी बैठक (15 जुलाई 2026)
- भारत WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते का 123वाँ पक्षकार बना (30 जुलाई 2026); WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन याउंटे, कैमरून में (26-30 मार्च 2026)
- पेट्रोल, डीज़ल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर आकस्मिक लाभ कर घटाए गए (15 अगस्त 2026)
- सोने और चाँदी पर आयात शुल्क 13 मई 2026 को बढ़ाया गया: IGST सहित प्रभावी कर लगभग 18.4% (पहले लगभग 9.2%)
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हेतु मूल मशीनरी और कच्चे माल पर सीमा शुल्क छूट 31 मार्च 2029 तक बढ़ाई गई
- मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना (MPMS): ₹62,500 करोड़, पाँच वर्ष (मंत्रिमंडल 15 जुलाई 2026); भव्य (भारत औद्योगिक विकास योजना): 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क, परिव्यय ₹33,660 करोड़
- भारत का प्रथम दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) ग्वालियर, मध्य प्रदेश में; साणंद, गुजरात में माइक्रॉन ATMP संयंत्र (28 फ़रवरी 2026)
- मंत्रिमंडल नीति: NIPU-2026 (आत्मनिर्भर भारत: नौवहन हेतु संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति नीति)
- निवेशक अनुकूलता सूचकांक 2026 (नीति आयोग): गुजरात शीर्ष पर, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा (जैसा सूचीबद्ध)
- थोक मूल्य सूचकांक का स्थान उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) श्रृंखला लेगी; WPI पाँच वर्षों तक समानांतर चलेगा; नया WPI आधार वर्ष 2022-23
- GeM वुमनिया हेतु नोडल: महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्वयं सहायता समूह; राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन 2.0 (नीति आयोग; परिसंपत्ति मुद्राकरण योजना 2025-30; 23 फ़रवरी 2026 को आरंभ)
- पश्चिम एशिया में व्यवधान को देखते हुए आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ECLGS 5.0) 5 मई 2026 को आरंभ; निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत रिलीफ़ (निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप), ECGC द्वारा कार्यान्वित (19 मार्च 2026)
- कपास उत्पादकता मिशन स्वीकृत (5 मई 2026): 2030-31 तक उपज 440 से बढ़ाकर 755 किग्रा प्रति हेक्टेयर
- 2026-27 चीनी मौसम के लिए गन्ने का FRP: ₹365 प्रति क्विंटल

- प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 915.17 मिलियन टन का संचालन किया; शीर्ष बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, गुजरात (160.11 मिलियन टन); भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात (मूल्य ₹73,890.46 करोड़) का विशाखापत्तनम ने 50.87% (वित्त वर्ष 25) और 48.89% (वित्त वर्ष 26) संचालित किया
- समुद्री मछली अवतरण 2025: लगभग 3.57 मिलियन टन; तमिलनाडु शीर्ष पर; केरल की विपणन दक्षता सर्वाधिक (72.83%)
- IMF ने पाकिस्तान को तत्काल लगभग 1.32 अरब अमेरिकी डॉलर जारी करने को स्वीकृति दी (मई 2026)
- ब्रुकफील्ड ने भारत में "लुमारा" नवीकरणीय ऊर्जा मंच आरंभ किया (600 मिलियन अमेरिकी डॉलर); UP मंत्रिमंडल ने डेटा सेंटर नीति 2026 को स्वीकृति दी (6 जुलाई 2026), जो 2021 की नीति (27 जनवरी 2026 को समाप्त) का स्थान लेगी
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है



अध्याय 52

समाचारों में योजनाएँ एवं कानून (2024-2026)

विकसित भारत G RAM G अधिनियम, 2025 (मनरेगा का स्थान लेता है)

- विकसित भारत - रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025: दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त; यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लेता है

विशेषता	प्रावधान
गारंटी	अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष 125 दिन का मज़दूरी रोज़गार (मनरेगा में पहले 100 दिन)
रोज़गार की समय-सीमा	आवेदन के 15 दिनों के भीतर; रोज़गार न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता
कार्य के चार क्षेत्र	जल सुरक्षा कार्य; मूल ग्रामीण अवसंरचना; आजीविका अवसंरचना; चरम मौसमी घटनाओं के शमन हेतु कार्य
कृषि का व्यस्त मौसम	राज्य वर्ष में अधिकतम 60 दिन (बुवाई एवं कटाई) अधिसूचित कर सकते हैं जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्य नहीं होगा; अन्यथा 125 दिन की गारंटी बनी रहती है
वित्तपोषण प्रतिरूप	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10; विधायिका वाले अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40; विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्र
प्रशासनिक लागत	सीमा 6% से बढ़ाकर 9%; सामग्री घटक अधिकतम 40%
बजट 2026-27	केंद्र का हिस्सा ₹95,692.31 करोड़; राज्यों के हिस्से सहित कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक

कृषि एवं ग्रामीण योजनाएँ

योजना	प्रमुख तथ्य
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना	16 जुलाई 2025 को स्वीकृत; 6 वर्ष; 2025-26 से 100 जिलों में (प्रत्येक राज्य में कम से कम एक), जो निम्न उत्पादकता, निम्न फसल सघनता और निम्न ऋण के आधार पर चुने गए; मौजूदा योजनाओं का अभिसरण
पीएम-किसान	₹2,000 की तीन किस्तों में ₹6,000 प्रतिवर्ष (24 फ़रवरी 2019 को गोरखपुर में आरंभ); 1 जून 2019 से सभी भूमिधारकों के लिए विस्तारित; बजट 2026-27 ₹63,500 करोड़
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन; प्रवेश आयु 18-40 वर्ष; 60 वर्ष की आयु पर ₹3,000 प्रतिमाह सुनिश्चित; केंद्र समान अंशदान देता है; 31 मई 2019 को स्वीकृत
जल जीवन मिशन	15 अगस्त 2019 को घोषित; 27 ज़ुलाई 2026 तक 15.89 करोड़ ग्रामीण परिवारों (82.09%) को नल जल; JJM 2.0 (10 मार्च 2026 को स्वीकृत) मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाता है; संशोधित परिव्यय ₹8.69 लाख करोड़ (केंद्र ₹3.59 लाख करोड़); बजट 2026-27 ₹67,670 करोड़
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना	13 फ़रवरी 2024 को आरंभ; मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों में छत पर सौर का लक्ष्य; विश्व की सबसे बड़ी घरेलू छत सौर पहल
पीएम-जी-वन योजना	जैव ईंधन योजना (द्वितीय पीढ़ी का इथेनॉल); अवधि 2028-29 तक विस्तारित; इसमें उन्नत जैव ईंधन, कृषि एवं वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, सिनगैस और शैवाल फ़ीडस्टॉक सम्मिलित हैं

योजना	प्रमुख तथ्य
पीएम विश्वकर्मा	17 सितंबर 2023 को आरंभ; 18 पारंपरिक व्यवसाय (बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा एवं औज़ार निर्माता, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ु निर्माता, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता); सूत्र-वाक्य "सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि"; वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28; बजट 2026-27 ₹3,861 करोड़
पीएम-विद्यालक्ष्मी	6 नवंबर 2024 को स्वीकृत; बंधक- एवं गारंटी-मुक्त शिक्षा ऋण; ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 75% ऋण गारंटी; ₹8 लाख तक की पारिवारिक आय हेतु ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान
बीमा सखी योजना	9 दिसंबर 2024 को पानीपत, हरियाणा में आरंभ; 18-70 वर्ष की महिलाएँ LIC अभिकर्ता के रूप में; तीन वर्षों में ₹7,000, ₹6,000, ₹5,000 वृत्तिका और कमीशन
सुभद्रा योजना (ओडिशा)	17 सितंबर 2024 को आरंभ; 21-60 वर्ष की महिलाओं को पाँच वर्षों (2024-25 से 2028-29) में DBT द्वारा प्रतिवर्ष ₹5,000 की दो किस्तों में ₹50,000; सबसे बड़ी महिला-केंद्रित योजना
महिला समृद्धि योजना (दिल्ली)	पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह
पीएम-राहत	प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को 7 दिन तक ₹1.5 लाख का नकदी-रहित उपचार; 24 घंटे (जान को खतरा न होने पर) और 48 घंटे (जान को खतरा होने पर) के भीतर स्थिरीकरण उपचार; मोटर वाहन दुर्घटना कोष से वित्तपोषित
स्वावलंबिनी	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के साथ 7 फ़रवरी 2025 को आरंभ महिला उद्यमिता कार्यक्रम; आरंभ में असम, मेघालय, मिज़ोरम; NIESBUD (नोएडा) और IIE (गुवाहाटी) कार्यान्वयन करते हैं
अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना	असंगठित श्रमिकों के लिए ₹5 लाख और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर; प्रायोगिक चरण 8 जुलाई 2023 को नडियाद, गुजरात में आरंभ; इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना (UP)	पावरलूम बुनकरों को सौर संयंत्र पर 50% अनुदान (SC/ST के लिए 75%); कार्यान्वयन अभिकरण UPNEDA है
PM-DevINE	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल; 12 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत; 100% केंद्र-वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना; मूल परिव्यय ₹6,600 करोड़; 2022-23 से 2025-26
पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना	जनजातीय कार्य मंत्रालय; कम से कम 50% जनजातीय जनसंख्या और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गाँव
पोषण अभियान	सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में विलीन (2017-18 में आरंभ, 315 जिले, फिर 235, फिर शेष दिसंबर 2018 तक); मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्य छत्र मिशन हैं
साथी (SAATHI)	लघु उद्योगों की सहायता हेतु दक्ष वस्तु प्रौद्योगिकियों का सतत एवं त्वरित अंगीकरण; EESL के माध्यम से ऊर्जा-दक्ष पावरलूम किट
बायो-राइड (Bio-RIDE)	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास; 18 सितंबर 2024 को स्वीकृत; अनुसंधान एवं विकास तथा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास योजनाओं का विलय

चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 (निरस्त)

2 जनवरी 2018 को अधिसूचित; ₹1,000, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख और ₹1 करोड़ के बॉन्ड; वैधता 15 दिन; दाता/प्राप्तकर्ता के नाम मूद्रित नहीं पात्र राजनीतिक दल: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत पंजीकृत तथा पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त करने वाले उच्चतम न्यायालय ने 15 फ़रवरी 2024 को योजना को निरस्त कर दिया

अध्याय 53

समष्टि पटल: अक्टूबर 2026 की स्थिति

नवीनतम आँकड़े एक नज़र में

सूचक	नवीनतम मान	तिथि / स्रोत टिप्पणी
RBI रेपो दर	5.50% (5.25% से 25 आधार अंक बढ़ाई गई, सर्वसम्मति से)	MPC निर्णय 7 अक्टूबर 2026; फ़रवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि
RBI का रुख	तटस्थ से "अंशांकित कसाव" में परिवर्तित (4-2 मतों से)	7 अक्टूबर 2026
SDF / MSF / बैंक दर	5.25% / 5.75% / 5.75%	अक्टूबर 2026 की वृद्धि के बाद
वित्त वर्ष 2026-27 हेतु RBI के प्रक्षेपण	वास्तविक GDP 7.1% (40 आधार अंक बढ़ाया गया); CPI मुद्रास्फीति 5.2%	अक्टूबर 2026 की नीति
वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) की वास्तविक GDP वृद्धि	7.8% (एक वर्ष पूर्व 6.9%); सांकेतिक GDP 10.3%; GVA 8.2%	31 अगस्त 2026 को जारी
वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही की क्षेत्रकवार वृद्धि	तृतीयक 10.0%, द्वितीयक 8.6%, प्राथमिक 2.9% (कृषि एवं संबद्ध 3.6%)	नई 2022-23 श्रृंखला
CPI मुद्रास्फीति (नया आधार 2024=100)	सितंबर 2026 में 5.54% (अगस्त 4.83%); खाद्य (CFPI) 7.74%; ग्रामीण 6.08%, शहरी 4.88%	12 अक्टूबर 2026 को जारी
GST सकल संग्रह	सितंबर 2026 में ₹2.04 लाख करोड़ (+14.7%); शुद्ध ₹1.77 लाख करोड़ (+18.1%)	लगातार तीसरे माह ₹2 लाख करोड़ से ऊपर
विदेशी मुद्रा भंडार	734.6 अरब अमेरिकी डॉलर (2 अक्टूबर 2026); शिखर 785.71 अरब अमेरिकी डॉलर (4 सितंबर 2026)	लगातार चौथा साप्ताहिक पतन; रुपये की गिरावट धीमी करने हेतु RBI डॉलर बेच रहा है
रुपया	14 मई 2026 को सर्वकालिक निम्न स्तर लगभग ₹95.8-95.9 प्रति अमेरिकी डॉलर	तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया संघर्ष

- वृद्धि के प्रेरक कारक: खाद्य मुद्रास्फीति (प्याज़ वर्ष-दर-वर्ष 108% ऊपर), तेल की कीमतें, रुपये की दुर्बलता, अमेरिकी प्रतिफल में वृद्धि और विदेशी इकटि निकासी
- केंद्रीय बजट 2026-27 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य: GDP का 4.3%; ऋण-GDP लक्ष्य 55.6% (पुरानी श्रृंखला); नई GDP श्रृंखला सांकेतिक GDP को लगभग 3-4% घटाती है, जिससे अनुपात बढ़ते हैं (2025-26 के लिए केंद्र का ऋण-GDP 56.2% से बढ़कर 58.1%)

राष्ट्रीय लेखा संशोधन (फ़रवरी 2026)

विशेषता	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला
GDP आधार वर्ष	2011-12	2022-23 (27 फ़रवरी 2026 को जारी)
CPI आधार वर्ष	2012 = 100	2024 = 100 (जनवरी 2026 के प्रथम आँकड़े 12 फ़रवरी 2026 को जारी)
IIP आधार वर्ष	2011-12	2022-23 (अप्रैल 2026 से)
WPI	आधार 2011-12	नया आधार 2022-23; पाँच वर्षों के समानांतर संचालन के बाद PPI द्वारा प्रतिस्थापित होगा
CPI मदे	299 (259 वस्तुएँ, 40 सेवाएँ)	358 (308 वस्तुएँ, 50 सेवाएँ)
खाद्य एवं पेय का भार	45.86%	36.75% (खाद्य अब भी सबसे बड़ा)

विशेषता	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला
आवास का भार	10.07%	17.67% (ग्रामीण मकान किराया पहली बार सम्मिलित)
CPI बाज़ार	ग्रामीण 1,181; शहरी 1,114	ग्रामीण 1,465; शहरी 1,395; साथ में 12 ऑनलाइन बाज़ार
CPI वर्गीकरण	6 समूह	COICOP 2018 के अंतर्गत 12 प्रभाग

- नई GDP श्रृंखला की वृद्धि: 2023-24 में 7.2%; 2024-25 में 7.1%; 2025-26 में 7.6% (अनुमान); सांकेतिक वृद्धि 11.0%, 9.7% और 8.6%; 2025-26 में GDP लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
- पद्धति परिवर्तन: विनिर्माण और कृषि में द्वि-अपस्फीति (डबल डिफ्लेशन); आपूर्ति एवं उपयोग सारणी ढाँचा; GST, UPI, e-वाहन और MCA-21 के आँकड़े; PLFS और ASUSE; घरेलू उपभोग हेतु COICOP 2018; अपस्फीति के लिए 260 से अधिक मद-स्तरीय CPI सूचकांक प्रयुक्त
- नई श्रृंखला में कृषि का अनुमान लगभग 5% बढ़ा; 2023-24 और 2025-26 में विनिर्माण दो अंकों की दर से बढ़ा
- जनवरी 2026 का CPI (नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम प्रकाशन): 2.75% (खाद्य 2.13%)

परीक्षा जाल: आधार वर्ष

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आँकड़े (GDP 7.4%) पुराने 2011-12 आधार का प्रयोग करते हैं; नई श्रृंखला 2025-26 की वृद्धि 7.6% दर्शाती है 2012 आधार वाली CPI श्रृंखला दिसंबर 2025 के आँकड़ों के साथ समाप्त हुई; जनवरी 2026 से सभी प्रकाशन 2024 आधार पर हैं पुरानी और नई CPI की सीधी तुलना न करें: टोकरी, भार और बाज़ार कवरेज भिन्न हैं

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्व

- रेपो: 6.50% (फ़रवरी 2025 तक) → 6.25% (फ़रवरी 2025) → 6.00% (अप्रैल 2025) → 5.50% (जून 2025) → 5.25% (दिसंबर 2025) → 5.50% (7 अक्टूबर 2026)
- 2025 में CRR 100 आधार अंक घटाकर 3.0% किया गया; SLR 18%
- MPC में छह सदस्य (तीन RBI, तीन बाहरी) हैं और चार प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य $\pm 2\%$ के बैंड सहित है; गवर्नर संजय मल्होत्रा

अध्याय 54

मुख्य सारणी 1: समितियाँ एवं आयोग (अर्थव्यवस्था)

बैंकिंग एवं वित्त

समिति	वर्ष	विषय / अनुशांसा
चक्रवर्ती समिति	1985	मौद्रिक प्रणाली की समीक्षा: प्रतिपुष्टि सहित मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण, खज़ाना बिल, ब्याज दर संरचना
वाघुल समिति	1987	मुद्रा बाज़ार का विकास; जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, अंतर-बैंक सहभागिता
नरसिम्हम समिति I	1991	वित्तीय प्रणाली: SLR और CRR घटाना, ब्याज दरों का विनियमन-मुक्तीकरण, विवेकपूर्ण मानदंड, निजी बैंकों का प्रवेश, चार-स्तरीय बैंकिंग संरचना
नरसिम्हम समिति II	1998	बैंकिंग क्षेत्रक: उच्च पूँजी पर्याप्तता, सशक्त बैंकों का विलय, त्रि-स्तरीय संरचना, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष, सरकारी हिस्सेदारी में कमी
खान कार्यकारी समूह	1998	विकास वित्त संस्थाओं और बैंकों की भूमिका में सामंजस्य (सर्वव्यापी बैंकिंग)
वर्मा समिति	1999	दुर्बल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन
तारापोर समिति I	1997	पूँजी खाता परिवर्तनीयता; राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति और NPA के मानक
तारापोर समिति II	2006	पूर्णतर पूँजी खाता परिवर्तनीयता की रूपरेखा
रघुराम राजन समिति	2008	वित्तीय क्षेत्रक सुधार (वित्तीय क्षेत्रक सुधार समिति)
उषा थोराट समिति	2010	शहरी सहकारी बैंक
वाई. एच. मालेगाम समिति	2011	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ; ब्याज दर पर 26% की सीमा
नचिकेत मोर समिति	2013-14	वित्तीय समावेशन; भूगतान बैंक और लघु बैंक; सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता
पी. जे. नायक समिति	2014	बैंक बोर्डों का शासन; बैंक निवेश कंपनी
उर्जित पटेल समिति	2014	मौद्रिक नीति ढाँचा; CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य; MPC
बिमल जालान समिति	2018-19	RBI आर्थिक पूँजी ढाँचा; ₹1.76 लाख करोड़ का अंतरण (2019)
के. वी. कामथ समिति	2020	COVID-19 तनाव समाधान; वित्तीय मानक
गाडगिल अध्ययन समूह	1969	अग्रणी बैंक योजना
शिवरामन समिति	1979	NABARD का सृजन (1982)
नरसिम्हम कार्यकारी समूह	1975	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आर. वी. गुप्ता समिति	1998	किसान क्रेडिट कार्ड
टंडन समिति	1975	कार्यशील पूँजी वित्त के मानदंड; इसके बाद चोर समिति (1980)
केलकर समिति	2002 एवं 2012	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार (2002); राजकोषीय सुदृढीकरण की रूपरेखा (2012)

राजकोषीय, कर एवं नियोजन

समिति	वर्ष	विषय
राजा चेलैया समिति	1991 एवं 1992	कर सुधार; VAT का प्रारंभ; आगत कर क्रेडिट
केलकर कार्य बल	2003	GST की अनुशांसा; FRBM रूपरेखा
पार्थसारथि शोम समिति	2012	GAAR; पूर्वव्यापी कराधान

समिति	वर्ष	विषय
ईश्वर समिति	2016	आयकर विधि का सरलीकरण
अखिलेश रंजन कार्य बल	2017-19	नई प्रत्यक्ष कर संहिता
अरविंद सुब्रमण्यन समिति	2015	GST की राजस्व-तटस्थ दर और तीन दरें
FRBM समीक्षा समिति (एन. के. सिंह)	2016-17	ऋण-GDP 60% (केंद्र 40%, राज्य 20%); राजकोषीय घाटा 3%; राजकोषीय परिषद
PPP पर विजय केलकर समिति	2015	अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
अतनु चक्रवर्ती समिति	2019	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
रंगराजन आयोग	2001	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
अलघ कार्यकारी समूह	1979	पोषण मानकों के आधार पर निर्धनता रेखा
लकड़वाला विशेषज्ञ समूह	1993	राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाएँ
तेंदुलकर समिति	2009	निर्धनता रेखा 2004-05 (ग्रामीण 41.8%, शहरी 25.7%)
रंगराजन विशेषज्ञ समूह	2012-14	निर्धनता रेखा 2011-12 (ग्रामीण 30.9%, शहरी 26.4%; समग्र 29.5%)
सरकारिया आयोग	1983-88	केंद्र-राज्य संबंध
पुंछी आयोग	2007-10	केंद्र-राज्य संबंध
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली)	2005-09	लोक प्रशासन
महालनोबिस समिति	1960-64	आय का वितरण और जीवन-स्तर
दत्त समिति	1969	औद्योगिक अनुज्ञापन; हज़ारी समिति (1967) भी
भगवती समिति	1973	बेरोज़गारी के अनुमान
कार्वे समिति	1955	ग्राम एवं लघु उद्योग
आबिद हुसैन समिति	1997	लघु उद्योग
नायक समिति	1992	लघु उद्योगों हेतु कार्यशील पूँजी
शांता कुमार समिति	2015	भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन; PDS में DBT
अभिजीत सेन समिति	2002	दीर्घकालिक अनाज नीति
अशोक दलवाई समिति	2016	2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करना
स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग)	2004-06	C2 जमा 50% पर MSP
कोठारी आयोग	1964-66	शिक्षा; GDP का 6%
सच्चर समिति	2005-06	मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
बलवंत राय मेहता समिति	1957	त्रि-स्तरीय पंचायती राज
अशोक मेहता समिति	1977	द्वि-स्तरीय पंचायती राज
एल. एम. सिंघवी समिति	1986	पंचायतों को संवैधानिक दर्जा
बिड़ला समिति (कुमार मंगलम)	1999	कॉर्पोरेट शासन (SEBI)
नारायण मूर्ति समिति	2003	कॉर्पोरेट शासन
उदय कोटक समिति	2017	कॉर्पोरेट शासन सुधार
गोइपोरिया समिति	2011	बैंकों में ग्राहक सेवा
नंदन नीलेकणि समिति	2011	सब्सिडी हेतु प्रौद्योगिकी (UID, प्रत्यक्ष अंतरण)
14वाँ वित्त आयोग (वाई. वी. रेड्डी)	2013-14	42% अंतरण
15वाँ वित्त आयोग (एन. के. सिंह)	2017-20	41% अंतरण; 2021-26
16वाँ वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया)	2023-25	2026-31 का प्रतिवेदन 17 नवंबर 2025 को प्रस्तुत; 41% बनाए रखा

अध्याय 55

मुख्य सारणी 2: अधिनियम, विधि एवं संवैधानिक प्रावधान (अर्थव्यवस्था)

आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ

अधिनियम	वर्ष	प्रमुख विशेषता
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम	1934	RBI की स्थापना (1 अप्रैल 1935 से आरंभ); धारा 45ZB MPC; धारा 49 बैंक दर
बैंककारी विनियमन अधिनियम	1949	बैंकों का विनियमन; बैंककारी कंपनी अधिनियम से नामांतरित; 1966 में सहकारी बैंकों तक विस्तारित; धारा 35क
बैंक राष्ट्रीयकरण	1969 (₹50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बैंक); 1980 (₹200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 बैंक)	भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1955 में इंपीरियल बैंक से
RBI का राष्ट्रीयकरण	1949	रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)	1973	FEMA 1999 द्वारा प्रतिस्थापित (दीवानी, 1 जून 2000 से)
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)	1999	बाह्य व्यापार को सुगम बनाना; ED प्रवर्तन करता है
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम	1956	शेयर बाजारों का विनियमन
SEBI अधिनियम	1992	सांविधिक SEBI
निक्षेपागार अधिनियम	1996	अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइज़ेशन)
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)	2002	प्रवर्तन निदेशालय
SARFAESI अधिनियम	2002	न्यायालय के बिना प्रतिभूति हित का प्रवर्तन; ARC
प्रतिभूतिकरण (ARC)	2002	ARCIL प्रथम ARC (2003)
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम	2003	घाटा नियम; 5 जुलाई 2004 से प्रभावी
प्रतिस्पर्धा अधिनियम	2002	MRTTP अधिनियम 1969 का स्थान लिया; CCI का गठन 2003 (2009 से पूर्णतः क्रियाशील)
कंपनी अधिनियम	2013	1956 के अधिनियम का स्थान लिया; CSR (धारा 135), NCLT/NCLAT (2016)
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता	2016	IBBI; CIRP 180 दिन (270 तक विस्तार्य, अधिकतम 330)
स्थावर संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम	2016	RERA
GST (101वाँ संविधान संशोधन)	2016	1 जुलाई 2017 से प्रभावी; CGST, IGST, UTGST, SGST विधियाँ
बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम	1988; संशोधित 2016	बेनामी संपत्ति की ज़ब्ती
काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर आरोपण अधिनियम	2015	विदेशी काला धन
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम	2018	आस्तियों की ज़ब्ती
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम	2007	RBI भुगतानों का विनियमन करता है (NPCI)

अधिनियम	वर्ष	प्रमुख विशेषता
परक्राम्य लिखत अधिनियम	1881	चेक अनादरण धारा 138
भारतीय संविदा अधिनियम	1872; माल विक्रय अधिनियम 1930	
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम	2019	CCPA; ई-कॉमर्स नियम; 1986 के अधिनियम का स्थान लिया
आवश्यक वस्तु अधिनियम	1955	भंडार सीमाएँ; 2020 में संशोधित एवं कुछ मद्दे हटाई गई
उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम	1951	औद्योगिक अनुज्ञापन
MSMED अधिनियम	2006	MSME वर्गीकरण
SEZ अधिनियम	2005	विशेष आर्थिक क्षेत्र
दूरसंचार अधिनियम	2023	तार अधिनियम 1885 का स्थान लिया
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम	2023	डेटा गोपनीयता; नियम 2025
आयकर अधिनियम, 2025	2025	1 अप्रैल 2026 से प्रभावी; आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेता है
बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 (सबका बीमा सबकी रक्षा)	2025	बीमा में 100% FDI
शांति (SHANTI) अधिनियम	2025	नाभिकीय ऊर्जा में निजी सहभागिता
VB-G RAM G अधिनियम	2025	मनरेगा का स्थान लिया; 125 दिन की गारंटी
श्रम संहिताएँ	2019-20; 21 नवंबर 2025 से प्रभावी	चार संहिताओं ने 29 विधियों का स्थान लिया
बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम	2025	नामांकित व्यक्ति के प्रावधान (चार नामांकित), सहकारी बैंक निदेशकों का कार्यकाल, अंकेक्षण में परिवर्तन
जन विश्वास अधिनियम	2023	42 विधियों में मामूली अपराधों का अपराधमुक्तीकरण
प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक	2025	SEBI, SCRA, निक्षेपागार अधिनियमों के प्रस्तावित समेकन हेतु (लंबित)

कृषि एवं ग्रामीण विधियाँ

अधिनियम	वर्ष	विशेषता
APMC अधिनियम	राज्य विधियाँ	विनियमित मंडियाँ
कृषि विधि निरसन अधिनियम	2021	2020 की तीन कृषि विधियाँ निरस्त
बीज अधिनियम	1966; बीज विधेयक लंबित	
कीटनाशी अधिनियम	1968	
उर्वरक नियंत्रण आदेश	1985	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	2013	75% ग्रामीण, 50% शहरी
मनरेगा	2005	प्रतिस्थापित
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (LARR)	2013	सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन; भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का स्थान लिया
वन अधिकार अधिनियम	2006	
पेसा (PESA)	1996	पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम
पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम	2001	
जैव विविधता अधिनियम	2002	

अधिनियम	वर्ष	विशेषता
कृषि उपज (श्रेणीकरण और विपणन) अधिनियम	1937	AGMARK
भंडारागार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम	2007	WDRA
गन्ना (नियंत्रण) आदेश	1966	FRP
डेयरी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987	

श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा विधियाँ

अधिनियम	वर्ष	विशेषता
कारखाना अधिनियम	1948	OSH संहिता द्वारा प्रतिस्थापित
औद्योगिक विवाद अधिनियम	1947	IR संहिता द्वारा प्रतिस्थापित
न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम	1948	मज़दूरी संहिता द्वारा प्रतिस्थापित
उपदान भुगतान अधिनियम	1972	
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम	1952	EPFO
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	1948	ESIC
समान पारिश्रमिक अधिनियम	1976	प्रतिस्थापित
मातृत्व लाभ अधिनियम	1961	26 सप्ताह (2017)
बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम	2016	14 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध
शिक्षा का अधिकार अधिनियम	2009	अनुच्छेद 21क
असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम	2008	
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम	1996	

अर्थव्यवस्था संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद / प्रविष्टि	प्रावधान
अनुच्छेद 112	वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
अनुच्छेद 110	धन विधेयक
अनुच्छेद 265-267	विधि द्वारा कराधान; संचित निधि; आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद 280	वित्त आयोग
अनुच्छेद 246क	GST के लिए विशेष उपबंध (101वाँ संशोधन)
अनुच्छेद 279क	GST परिषद
अनुच्छेद 292-293	संघ और राज्यों द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद 300क	संपत्ति का अधिकार (44वाँ संशोधन 1978)
अनुच्छेद 301	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 39(ख), (ग)	राज्य की नीति के निदेशक तत्व: संसाधनों का वितरण और संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम

अनुच्छेद / प्रविष्टि	प्रावधान
अनुच्छेद 43	निर्वाह मज़दूरी; अनुच्छेद 43क (कामगारों की सहभागिता; 42वाँ संशोधन); अनुच्छेद 43ख (सहकारी समितियाँ; 97वाँ संशोधन)
अनुच्छेद 46	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47	पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार
अनुच्छेद 48	कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 19(1)(छ)	कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार
अनुच्छेद 21क	शिक्षा का अधिकार
नौवीं अनुसूची	न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षित विधियाँ (भूमि सुधार; प्रथम संशोधन 1951)
42वाँ संशोधन 1976	प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया

अध्याय 56

मुख्य सारणी 3: सरकारी योजनाएँ (अर्थव्यवस्था)

अर्थव्यवस्था, वित्त एवं समावेशन

योजना	वर्ष	मंत्रालय	प्रमुख विशेषता
प्रधानमंत्री जन धन योजना	2014	वित्त	सार्वभौमिक बैंक खाते; रुपये कार्ड, ₹2 लाख का दुर्घटना कवर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	2015	वित्त	₹20 लाख तक के बंधक-मुक्त ऋण (शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस)
स्टैंड-अप इंडिया	2016	वित्त	SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के ऋण
अटल पेंशन योजना	2015	वित्त	18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लिए 60 वर्ष की आयु पर ₹1,000-5,000 पेंशन
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	2015	वित्त	₹436 प्रतिवर्ष पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	2015	वित्त	₹20 प्रतिवर्ष पर ₹2 लाख का दुर्घटना कवर
संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड	2015	वित्त	2.5% ब्याज; नए निर्गम बंद
पीएम स्वनिधि	2020	आवास एवं शहरी कार्य	रेहड़ी-पट्टी विक्रेताओं के लिए ₹10,000, ₹20,000, ₹50,000 के ऋण
स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना	2022	DPIIT	बंधक-मुक्त ऋण
आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना	2020 (ECLGS 5.0, 2026 में)	वित्त	COVID और पश्चिम एशिया संबंधी राहत
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)	2020	DPIIT एवं संबंधित मंत्रालय	14 क्षेत्रक, ₹1.97 लाख करोड़
पीएम विश्वकर्मा	2023	MSME	कारीगरों के लिए ₹13,000 करोड़; ऋण और औज़ार किट
पीएम मित्र	2021	वस्त्र	सात विशाल वस्त्र पार्क
एक जिला एक उत्पाद	2018	DPIIT	स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन
जीवंत ग्राम कार्यक्रम	2023	गृह	सीमावर्ती गाँवों का विकास
विकसित भारत रोज़गार योजना (ELI)	2025	श्रम	प्रथम नौकरी के लिए ₹15,000 तक का प्रोत्साहन
पीएम इंटरशिप योजना	2024-25	कॉर्पोरेट कार्य	₹5,000 मासिक वृत्तिका सहित 12 माह की इंटरशिप
डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया	2015, 2016, 2014	इलेक्ट्रॉनिक्स, DPIIT	डिजिटल एवं औद्योगिक प्रोत्साहन
UPI, e-रुपी, डिजिटल रुपया	2016, 2021, 2022	NPCI, RBI	डिजिटल भुगतान
मिशन शक्ति, लखपति दीदी	2022, 2023	महिला एवं बाल	महिला स्वयं सहायता समूह की आय ₹1 लाख से अधिक

कृषि एवं ग्रामीण

योजना	वर्ष	मंत्रालय	प्रमुख विशेषता
पीएम-किसान	2019	कृषि	तीन किस्तों में ₹6,000 प्रतिवर्ष; बजट 2026-27 ₹63,500 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	2016	कृषि	फसल बीमा प्रीमियम 2%, 1.5%, 5%
किसान क्रेडिट कार्ड	1998	कृषि, वित्त	₹5 लाख तक का ऋण
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2015	जल शक्ति एवं कृषि	हर खेत को पानी; पर ड्रॉप मोर क्रॉप
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	2015	कृषि	प्रत्येक 2 वर्ष में मृदा पोषक तत्व प्रतिवेदन
परंपरागत कृषि विकास योजना	2015	कृषि	समूह आधारित जैविक खेती
e-NAM	2016	कृषि	ऑनलाइन मंडी
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	2019	कृषि	60+ आयु के किसानों के लिए ₹3,000 पेंशन
कृषि अवसंरचना कोष	2020	कृषि	कटाई-उपरांत अवसंरचना हेतु ₹1 लाख करोड़
डिजिटल कृषि मिशन	2024	कृषि	एग्रीस्टैक
पीएम-आशा	2018	कृषि	MSP मूल्य समर्थन, कमी भुगतान, स्थिरीकरण कोष
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना	2025	कृषि	100 जिले; ₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन	2025	कृषि	₹11,440 करोड़; तुअर, उड़द, मसूर
खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन	2024-25	कृषि	तिलहन और ताड़ तेल; आत्मनिर्भरता
प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन	2024	कृषि	₹2,481 करोड़; 1 करोड़ किसान
पीएम-कृसम	2019	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	सौर पंप और कृषि फ्रीडर
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	2014	मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी	देशी नस्लें
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	2020	मत्स्य	मत्स्य पालन हेतु ₹20,050 करोड़
ऑपरेशन ग्रीन्स	2018	खाद्य प्रसंस्करण	टमाटर, प्याज़ और आलू की आपूर्ति श्रृंखला (TOP से TOTAL)
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्री औपचारिकीकरण	2020	खाद्य प्रसंस्करण	ऋण-संबद्ध सब्सिडी 35%
मनरेगा से VB-G RAM G	2005 से 2025	ग्रामीण विकास	125 दिन की गारंटी
DAY-NRLM	2011	ग्रामीण विकास	स्वयं सहायता समूह
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	2016	ग्रामीण विकास	ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास
PMGSY	2000	ग्रामीण विकास	सड़कें
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	1995	ग्रामीण विकास	पेंशन
जल जीवन मिशन	2019	जल शक्ति	प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप से जल
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	2014	जल शक्ति	ODF; चरण II
स्वामित्व (SVAMITVA)	2020	पंचायती राज	संपत्ति कार्ड
पीएम-जनमन	2023	जनजातीय कार्य	विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) का विकास (₹24,000 करोड़)

योजना	वर्ष	मंत्रालय	प्रमुख विशेषता
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	2024	जनजातीय कार्य	जनजातीय गाँव

ऊर्जा, अवसंरचना एवं शहरी

योजना	वर्ष	मंत्रालय	प्रमुख विशेषता
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	2016	पेट्रोलियम	निःशुल्क LPG कनेक्शन; 10.3 करोड़ लाभार्थी
सौभाग्य	2017	विद्युत	घरेलू विद्युतीकरण
उदय (UDAY)	2015	विद्युत	डिस्कॉम ऋण का अधिग्रहण
RDSS	2021	विद्युत	डिस्कॉम सुधार; स्मार्ट मीटर
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना	2024	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	1 करोड़ छतें; 300 यूनिट निःशुल्क
पीएम ई-डाइव	2024	भारी उद्योग	EV सब्सिडी; चार्जिंग
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	2023	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2030 तक 5 MMT
उड़ान (UDAN)	2016	नागर विमानन	क्षेत्रीय हवाई संपर्क
सागरमाला	2015	बंदरगाह	बंदरगाह-आधारित विकास
भारतमाला परियोजना	2017	सड़क परिवहन	आर्थिक गलियारे
पीएम गति शक्ति	2021	DPIIT	बहु-विधिय अवसंरचना नियोजन
स्मार्ट सिटी मिशन	2015	आवास एवं शहरी कार्य	100 शहर
अमृत 2.0	2021	आवास एवं शहरी कार्य	जल आपूर्ति एवं सीवरेज
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0	2024	आवास एवं शहरी कार्य	1 करोड़ शहरी आवास
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0	2021	आवास एवं शहरी कार्य	कचरा-मुक्त शहर
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	2021	इलेक्ट्रॉनिकी	₹76,000 करोड़
इंडिया AI मिशन	2024	इलेक्ट्रॉनिकी	₹10,372 करोड़
डिजिटल इंडिया	2015	इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT	डिजिटल अवसंरचना

सामाजिक क्षेत्रक

योजना	वर्ष	मंत्रालय	प्रमुख विशेषता
आयुष्मान भारत PM-JAY	2018	स्वास्थ्य	प्रति परिवार ₹5 लाख; 2024 से 70+ आयु वाले
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन	2021	स्वास्थ्य	ABHA डिजिटल स्वास्थ्य पहचान
पोषण अभियान / सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	2018 / 2021	महिला एवं बाल	पोषण
पीएम पोषण	2021	शिक्षा	कक्षा 1-8 के लिए मध्याह्न भोजन
समग्र शिक्षा	2018	शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा
पीएम श्री	2022	शिक्षा	14,500 आदर्श विद्यालय
पीएम ई-विद्या, दीक्षा	2020	शिक्षा	डिजिटल शिक्षा

योजना	वर्ष	मंत्रालय	प्रमुख विशेषता
स्किल इंडिया, PMKVY	2015	कौशल विकास	अल्पकालिक प्रशिक्षण
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	2015	महिला एवं बाल	लिंगानुपात और शिक्षा
सूकन्या समृद्धि योजना	2015	वित्त	बालिका बचत; 8.2% ब्याज
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2017	महिला एवं बाल	₹5,000 मातृत्व लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	2020	उपभोक्ता मामले, खाद्य	2024 से 5 वर्षों तक 81 करोड़ को निःशुल्क खाद्यान्न
एक राष् एक राशन कार्ड	2019	उपभोक्ता मामले, खाद्य	राशन की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)
NFSA	2013	उपभोक्ता मामले, खाद्य	रियायती खाद्यान्न
पीएम-जनमन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	2023, 2018	जनजातीय कार्य	जनजातीय शिक्षा
नई रोशनी, पीएम विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)	2012-13, 2023	अल्पसंख्यक कार्य	अल्पसंख्यकों के लिए कौशल और आजीविका
श्रेष्ठा (SHRESHTA), PM-AJAY, स्माइल (SMILE)	विविध	सामाजिक न्याय	SC/OBC और किन्नर समुदाय को सहायता
सूगम्य भारत अभियान	2015	सामाजिक न्याय	दिव्यांगता सूगम्यता
मिशन कर्मयोगी	2020	DoPT	सिविल सेवा क्षमता निर्माण

अध्याय 57

मुख्य सारणी 4: संस्थाएँ, विनियामक एवं मुख्यालय

विनियामक एवं शीर्ष निकाय

संस्था	वर्ष	मुख्यालय	प्रमुख बिंदु
भारतीय रिज़र्व बैंक	1935 (राष्ट्रीयकृत 1949)	मुंबई	गवर्नर संजय मल्होत्रा (11 दिसंबर 2024 से); केंद्रीय बैंक; धारा 45ZB MPC
SEBI	1988 (सांविधिक 1992)	मुंबई	प्रतिभूति विनियामक; अध्यक्ष तृहिन कांत पांडेय (मार्च 2025 से)
IRDAI	1999	हैदराबाद	बीमा विनियामक
PFRDA	2003 (सांविधिक 2013)	नई दिल्ली	NPS विनियामक
IFSCA	2020	गिफ्ट सिटी, गांधीनगर	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का विनियामक
IBBI	2016	नई दिल्ली	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
CCI	2003 (कार्यशील 2009)	नई दिल्ली	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
NPCI	2008	मुंबई	UPI, रुपये, IMPS; ख़दरा भुगतानों की छत्र संस्था (अलाभकारी)
DICGC	1978	मुंबई	जमा बीमा; ₹5 लाख
NABARD	1982	मुंबई	कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
SIDBI	1990	लखनऊ	लघु उद्योग विकास बैंक (मुख्यालय लखनऊ)
EXIM बैंक	1982	मुंबई	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
NHB	1988	नई दिल्ली	राष्ट्रीय आवास बैंक
NaBFID	2021	मुंबई	अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक
IFCI, IDBI	1948, 1964	नई दिल्ली, मुंबई	विकास वित्त; IDBI अब निजी क्षेत्र का बैंक (LIC के पास बहुमत; निजीकरण प्रक्रिया)
LIC	1956	मुंबई	जीवन बीमाकर्ता; IPO 2022
GIC Re	1972	मुंबई	राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता
SBI	1955	मुंबई	सबसे बड़ा बैंक (इंपीरियल बैंक 1921 से SBI 1955)
वित्त आयोग	प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित	नई दिल्ली	अनुच्छेद 280
नीति आयोग	2015	नई दिल्ली	नीति थिंक टैंक; उपाध्यक्ष सुमन बेरी
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय / NSO	1951 / 2019	नई दिल्ली	राष्ट्रीय लेखे (MoSPI)
CBDT	1963 (सांविधिक)	नई दिल्ली	प्रत्यक्ष कर
CBIC	1964 (CBEC के रूप में)	नई दिल्ली	अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क, GST)
GSTN	2013	नई दिल्ली	GST प्रौद्योगिकी

संस्था	वर्ष	मुख्यालय	प्रमुख बिंदु
GST परिषद	2016	नई दिल्ली	अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री
DIPAM	2016 (विनिवेश विभाग से)	नई दिल्ली	विनिवेश
FCI	1965	नई दिल्ली	खाद्य उपार्जन; NAFED (1958)
CACP	1965	नई दिल्ली	MSP की अनुशंसाएँ
APEDA	1985	नई दिल्ली	कृषि निर्यात
FSSAI	2008	नई दिल्ली	खाद्य सुरक्षा (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006)
BIS	1947 (सांविधिक 1986; नया अधिनियम 2016)	नई दिल्ली	मानक; हॉलमार्क
DGFT	1991	नई दिल्ली	विदेश व्यापार नीति
ECGC	1957	मुंबई	निर्यात ऋण बीमा
EPFO	1952	नई दिल्ली	भविष्य निधि
ESIC	1952	नई दिल्ली	कर्मचारी राज्य बीमा
TRAI	1997	नई दिल्ली	दूरसंचार विनियामक
CERC	1998	नई दिल्ली	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
PNGRB	2006	नई दिल्ली	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
DGTR	2018 (DGAD से)	नई दिल्ली	व्यापार उपचार महानिदेशालय
CGA	1976	नई दिल्ली	महालेखा नियंत्रक
CAG	1860	नई दिल्ली	अनुच्छेद 148 अंकेक्षण; संघ और राज्यों के लेखों का अंकेक्षक
योजना आयोग (समाप्त)	1950-2015	नई दिल्ली	नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

संस्था	वर्ष	मुख्यालय	प्रमुख / टिप्पणी
IMF	1944 (संचालन 1947)	वाशिंगटन डी.सी.	क्रिस्टालिना जॉर्जीवा; 191 सदस्य
विश्व बैंक	1944	वाशिंगटन डी.सी.	अजय बंगा; IBRD, IDA
WTO	1995	जिनेवा	नोज़ी ओकोन्जो-इवेला
UNCTAD	1964	जिनेवा	विश्व निवेश प्रतिवेदन
BIS	1930	बेसल	केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक; बेसल मानदंड
OECD	1961	पेरिस	भारत सदस्य नहीं
OPEC	1960	वियना	12 सदस्य
ADB	1966	मनीला	भारत सदस्य है
AIIB	2016	बीजिंग	भारत दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक
नव विकास बैंक (BRICS)	2015	शंघाई	दिल्मा रूसेफ़ अध्यक्ष
ISA	2015	गुरुग्राम	अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
विश्व आर्थिक मंच	1971	जिनेवा (कोलोनी)	दावोस वार्षिक बैठक
ILO	1919	जिनेवा	श्रम मानक

संस्था	वर्ष	मुख्यालय	प्रमुख / टिप्पणी
FAO	1945	रोम	विश्व भूख प्रतिवेदन
UNIDO	1966	वियना	
UNDP	1965	न्यूयॉर्क	HDI
UNEP	1972	नैरोबी	
IFAD	1977	रोम	ग्रामीण निर्धनता
G20	1999	कोई सचिवालय नहीं	भारत की अध्यक्षता 2023
BRICS	2006	कोई स्थायी मुख्यालय नहीं	भारत 2026 में अध्यक्ष
SCO	2001	बीजिंग	शिखर सम्मेलन चक्र
ASEAN	1967	जकार्ता	11 सदस्य (तिमोर-लेस्ते अक्टूबर 2025 में सम्मिलित)
यूरोपीय संघ	1993 (मास्ट्रिख्त)	ब्रसेल्स	ब्रेक्जिट (2020) के बाद 27 सदस्य
मार्कोसूर	1991	मोंटेवीडियो	

अध्याय 58

मुख्य सारणी 5: प्रतिवेदन, सूचकांक एवं उनके प्रकाशक

वैश्विक प्रतिवेदन एवं सूचकांक

सूचकांक / प्रतिवेदन	प्रकाशक	भारत (नवीनतम ज्ञात)
मानव विकास प्रतिवेदन / HDI	UNDP	193 में 130वाँ (HDI 2025, मान 0.685)
वैश्विक भूख सूचकांक	कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थहंगरहिल्फे	123 में 102वाँ (2025)
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक	विश्व आर्थिक मंच	148 में 131वाँ (2025)
वैश्विक नवाचार सूचकांक	WIPO	38वाँ (2025); 2024 में 39वाँ
लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक	विश्व बैंक	38वाँ (2023)
कारोबार सुगमता	विश्व बैंक	2021 में बंद (अंतिम क्रम 2019 में 63); B-READY ने इसका स्थान लिया
यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक	WEF	39वाँ (2024)
पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक	येल और कोलंबिया	180 में 176वाँ (2024)
जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक	जर्मनवॉच	10वाँ (2025)
नाज़क राज्य सूचकांक	फ़ंड फ़ॉर पीस	अर्थव्यवस्था से संबद्ध नहीं
वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक	ज़ेड/येन	गिफ्ट सिटी शीर्ष 50 में
ग्लोबल फ़िडेक्स	विश्व बैंक	2021 में 77% वयस्कों के पास खाता; 2024 में 89% (ग्लोबल फ़िडेक्स 2025)
विश्व निवेश प्रतिवेदन	UNCTAD	भारत 15वाँ FDI गंतव्य
विश्व आर्थिक परिदृश्य	IMF	अप्रैल और अक्टूबर; भारत की वृद्धि का प्रक्षेपण
वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ	विश्व बैंक	जनवरी और जून
विश्व विकास प्रतिवेदन	विश्व बैंक	वार्षिक विषय
खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति	FAO एवं अन्य	वार्षिक (SOFI)
वैश्विक विप्रेषण (प्रवासन एवं विकास संक्षिप्त)	विश्व बैंक	भारत शीर्ष प्राप्तकर्ता (2024 में 129 अरब अमेरिकी डॉलर)

भारतीय प्रतिवेदन एवं सूचकांक

सूचकांक / प्रतिवेदन	प्रकाशक	टिप्पणी
आर्थिक समीक्षा	वित्त मंत्रालय (DEA)	केंद्रीय बजट से पूर्व प्रस्तुत; मुख्य आर्थिक सलाहकार (वी. अनंत नागेश्वरन) के अधीन तैयार
केंद्रीय बजट दस्तावेज़	वित्त मंत्रालय	1 फ़रवरी को प्रस्तुत
मुद्रा और वित्त पर प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन	RBI	वार्षिक और अर्धवार्षिक
राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन	RBI	वार्षिक
भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका	RBI	वार्षिक
मौद्रिक नीति प्रतिवेदन	RBI	अप्रैल और अक्टूबर

सूचकांक / प्रतिवेदन	प्रकाशक	टिप्पणी
वित्तीय समावेशन सूचकांक	RBI	64.2 (मार्च 2025)
डिजिटल भूगतान सूचकांक	RBI	अर्धवार्षिक सूचकांक (आधार मार्च 2018 = 100)
नीति आयोग के सूचकांक	नीति आयोग	SDG इंडिया सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक (BEE)
जीवन सुगमता सूचकांक	आवास एवं शहरी कार्य	शहर
PLFS	NSO	बेरोज़गारी
HCES	NSO	घरेलू उपभोग
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण	IIPS	स्वास्थ्य सूचक
UDISE+	शिक्षा मंत्रालय	विद्यालय अंकड़े
निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक	शिक्षा मंत्रालय	राज्यों की रैंकिंग
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा (NIRF)	शिक्षा मंत्रालय	IIT मद्रास समग्र रूप से प्रथम
ASER	प्रथम फ़ाउंडेशन	अधिगम परिणाम
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट	व्हीबॉक्स	नियोजनीयता
भारत के पर्यावरण की स्थिति	CSE	वार्षिक
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट	टाटा ट्रस्ट	राज्यों में न्याय वितरण

अध्याय 59

स्थैतिक तथ्य कोष: बजट, मुद्रा, बोर्ड एवं बंदरगाह

केंद्रीय बजट: इतिहास एवं प्रथम

तथ्य	विवरण
भारत का प्रथम बजट	7 अप्रैल 1860, जेम्स विल्सन (वित्त सदस्य, वायसराय परिषद)
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट	26 नवंबर 1947, आर. के. षण्मुखम चेट्टी (प्रथम वित्त मंत्री)
गणराज्य का प्रथम बजट	1950-51, जॉन मथाई
सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले	मोरारजी देसाई (10); पी. चिदंबरम ने 9 बजट प्रस्तुत किए
प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री	निर्मला सीतारमण (2019); इंदिरा गांधी ने वित्त विभाग धारण करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में 1970-71 का बजट प्रस्तुत किया
काला बजट	1973-74, वाई. बी. चव्हाण (लगभग ₹550 करोड़ का घाटा)
स्वप्न बजट	1997-98, पी. चिदंबरम (कर दरों में कटौती)
सहस्राब्दी बजट	2000-01, यशवंत सिन्हा (IT क्षेत्र को प्रोत्साहन)
सुधार बजट	1991-92, डॉ. मनमोहन सिंह (LPG सुधार)
'बही-खाता' में प्रस्तुत बजट	जुलाई 2019 (ब्रिटिशकालीन ब्रीफ़केस का स्थान लिया)
कागज़-रहित बजट	2021-22 (केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप)
प्रस्तुति का समय	1999 तक सायं 5 बजे; 1999 से प्रातः 11 बजे (यशवंत सिन्हा)
प्रस्तुति की तिथि	2016 तक फ़रवरी का अंतिम कार्य-दिवस; 2017 से 1 फ़रवरी
रेल बजट	1924 से पृथक (एकर्थ समिति); 2017-18 में सामान्य बजट में विलीन (बिबेक देबरॉय समिति/नीति आयोग)
सबसे लंबा बजट भाषण (समय)	निर्मला सीतारमण, 2020 (2 घंटे 42 मिनट)
सबसे छोटा बजट भाषण (शब्द)	हीरूभाई पटेल, अंतरिम बजट 1977 (लगभग 800 शब्द)
अंतरिम बजट	चुनावी वर्ष में प्रस्तुत (लेखानुदान पारित किया जाता है); चुनाव के बाद पूर्ण बजट

- **संसदीय चरण:** प्रस्तुति – सामान्य चर्चा – लेखानुदान/विनियोग विधेयक – विभागीय समिति की संवीक्षा – अनुदान माँगों – वित्त विधेयक – स्वीकृति। धन विधेयक (अनुच्छेद 110) में राज्य सभा संशोधन नहीं कर सकती; लोक सभा अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है।
- **कटौती प्रस्ताव:** नीतिगत कटौती (सांकेतिक ₹1), मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती – केवल अनुदान माँगों पर चर्चा होती है, केवल लोक सभा में मतदान होता है।
- **गिलोटिन:** शेष माँगें अंतिम दिन बिना चर्चा के पारित की जाती हैं।

भारत के वेतन आयोग

आयोग	वर्ष	अध्यक्ष	टिप्पणी
प्रथम	1946	श्रीनिवास वरदाचारियर	न्यूनतम वेतन ₹55
द्वितीय	1957	जगन्नाथ दास	समाजवादी स्वरूप; न्यूनतम ₹80
तृतीय	1970	रघुबीर दयाल	वेतन संरचना का युक्तिकरण
चतुर्थ	1983	पी. एन. सिंघल	न्यूनतम ₹750
पंचम	1994	एस. रत्नवेल पांडियन	न्यूनतम ₹2,550; वेतनमानों में कटौती

आयोग	वर्ष	अध्यक्ष	टिप्पणी
षष्ठ	2006	बी. एन. श्रीकृष्ण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन; न्यूनतम ₹7,000
सप्तम	2014	न्यायमूर्ति ए. के. माथुर	फ़िटमेंट गुणक 2.57; न्यूनतम ₹18,000; 1 जनवरी 2016 से लागू
अष्टम	जनवरी 2025 में घोषित	न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई	विचारार्थ विषय नवंबर 2025 में अधिसूचित; 1 जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव; प्रतिवेदन 18 माह में

- वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित होते हैं (संवैधानिक निकाय नहीं); अनुशंसाएँ परामर्शी होती हैं। महंगाई भत्ता (DA) वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) CPI-IW से संबद्ध होकर संशोधित होता है।

भारतीय मुद्रा: प्रमुख पड़ाव

तथ्य	विवरण
'रुपया' की उत्पत्ति	संस्कृत 'रूप्य' (चाँदी); शेरशाह सूरी ने चाँदी का रुपया चलाया (लगभग 178 ग्रेन)
प्रथम कागज़ी मुद्रा (निजी)	बैंक ऑफ़ हिंदुस्तान, 1770 (कलकत्ता)
कागज़ी मुद्रा अधिनियम	1861 (भारत सरकार के नोट)
RBI का प्रथम नोट	जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाला ₹5 का नोट, जनवरी 1938
प्रथम ₹1 का नोट	30 नवंबर 1917 (ब्रिटिश भारत)
रुपया चिह्न ₹	15 जुलाई 2010 को अंगीकृत; डिज़ाइनकर्ता डी. उदय कुमार (IIT बॉम्बे); देवनागरी 'र' और रोमन 'R' का संयोजन
महात्मा गांधी श्रृंखला	1996 (वॉटरमार्क चित्र); नोटबंदी (8 नवंबर 2016) के बाद 2016 में नई श्रृंखला
₹2,000 का नोट	2016 में प्रारंभ; चलन से वापसी की घोषणा 19 मई 2023 (वैध मुद्रा बनी रही)
सिक्के	सरकार (भारत सरकार टंकसाल) द्वारा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में ढाले जाते हैं; सिक्का निर्माण अधिनियम 2011; ₹1,000 तक के मूल्य के सिक्कों की अनुमति
मुद्रण प्रेस	नासिक और देवास (सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया) तथा मैसूर, शाल्बोनी (BRBNMPL)
वैध मुद्रा	RBI अधिनियम की धारा 26 (नोट); सिक्के सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत (मूल्यवर्ग नियमों के अनुसार स्वीकृति हेतु ₹1,000 सीमा)
'रुपया' वाले देश	भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, सेशेल्स (इंडोनेशिया: रुपिया; मालदीव: रूफ़िया)

- **नोटबंदी (2016):** ₹500 और ₹1,000 के नोट वापस लिए गए (मूल्य के अनुसार 86% मुद्रा); घोषित उद्देश्य: काला धन, जाली नोट, आतंकी वित्तपोषण, डिजिटलीकरण।
- **न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (1957)** और **आनुपातिक आरक्षित प्रणाली (पूर्व)** भिन्न हैं; भारत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाता है।

भूमि सुधार एवं भू-अभिलेख

मद	तथ्य
ज़मींदारी उन्मूलन	UP ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (1952 में कार्यान्वित); मध्यस्थ हटाए गए, काश्तकार भूमिधर बने
काश्तकारी सुधार	काश्तकारों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा, उचित लगान और स्वामित्व
भूमि सीमा	राज्यों द्वारा निर्धारित; अधिशेष भूमि का वितरण; केरल सुधारों में अग्रणी (1969, काश्तकारों को स्वामित्व)
ऑपरेशन बर्गा	पश्चिम बंगाल 1978; बटाईदारों (बर्गादारों) का पंजीकरण

मद	तथ्य
भूदान	विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली (तेलंगाना) में आरंभ; बाद में ग्रामदान
चकबंदी	बिखरे भूखंडों का एकीकरण (पंजाब प्रथम, हरियाणा, पश्चिमी UP)
नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने हेतु प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई
RFCTLARR अधिनियम 2013	भूमि अर्जन अधिनियम 2013; सहमति 70% (PPP) / 80% (निजी); प्रतिकर बाज़ार मूल्य का 2 गुना (शहरी) और 4 गुना (ग्रामीण) तक; सामाजिक प्रभाव आकलन
DILRMP	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (2016)
स्वामित्व (SVAMITVA)	24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को आरंभ; ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन मानचित्रण द्वारा संपत्ति कार्ड
ULPIN / भू-आधार	14 अंकों की विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या

बोर्ड, आयोग एवं निर्यात संवर्धन निकाय

निकाय	वर्ष	मुख्यालय	टिप्पणी
चाय बोर्ड	1953	कोलकाता	चाय अधिनियम 1953; वाणिज्य मंत्रालय
कॉफ़ी बोर्ड	1942	बेंगलुरु	कॉफ़ी अधिनियम 1942 (1996 में पुनर्गठित)
रबर बोर्ड	1947	कोट्टयम	रबर अधिनियम 1947
मसाला बोर्ड	1987	कोच्चि	इलायची बोर्ड का विलय
तंबाकू बोर्ड	1976	गुंटूर	वर्जीनिया तंबाकू
कॉयर बोर्ड	1953	कोच्चि	MSME मंत्रालय
केंद्रीय रेशम बोर्ड	1948	बेंगलुरु	वस्त्र मंत्रालय
राष्ट्रीय जूट बोर्ड	2008	कोलकाता	वस्त्र मंत्रालय
भारतीय कपास निगम	1970	मुंबई	कपास की MSP पर खरीद
MPEDA	1972	कोच्चि	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
APEDA	1985	नई दिल्ली	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
KVIC	1957	मुंबई	खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956
NDDB	1965	आणंद	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	1984	गुरुग्राम	बागवानी संवर्धन
CACP	1965	नई दिल्ली	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग; MSP की अनुशंसा करता है
FCI	1965	नई दिल्ली	भारतीय खाद्य निगम; उपार्जन और सुरक्षित भंडार
NAFED	1958	नई दिल्ली	सहकारी विपणन; मूल्य समर्थन परिचालन
ECGC	1957	मुंबई	निर्यात ऋण गारंटी निगम
DGFT	1991	नई दिल्ली	विदेश व्यापार महानिदेशक, विदेश व्यापार नीति

निकाय	वर्ष	मुख्यालय	टिप्पणी
DGTR	2018	नई दिल्ली	व्यापार उपचार महानिदेशालय (पाटन-रोधी)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	2003 (कार्यशील 2009)	नई दिल्ली	प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002
TRAI	1997	नई दिल्ली	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
PNGRB	2006	नई दिल्ली	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
CERC	1998	नई दिल्ली	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
IRDAI	1999	हैदराबाद	बीमा विनियामक; 2000 से सांविधिक
PFRDA	2003	नई दिल्ली	2013 से सांविधिक
IFSCA	2020	गांधीनगर (गिफ्ट सिटी)	IFSC का एकीकृत विनियामक
IBBI	2016	नई दिल्ली	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड

भारत के प्रमुख बंदरगाह

बंदरगाह	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टिप्पणी
दीनदयाल (कांडला)	गुजरात	ज्वारीय बंदरगाह; प्रमुख बंदरगाहों में सर्वाधिक माल
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (न्हावा शेवा)	महाराष्ट्र	प्रमुख बंदरगाहों में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
मुंबई	महाराष्ट्र	सबसे बड़ा प्राकृतिक पोताश्रय
मोरमूगाओ	गोवा	लौह अयस्क निर्यात
नव मंगलूरु	कर्नाटक	लौह अयस्क, कॉफ़ी, पेट्रोलियम
कोचीन	केरल	प्राकृतिक पोताश्रय; पारगमन (ट्रांसशिपमेंट)
वी. ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन)	तमिलनाडु	कृत्रिम गहरे जल का बंदरगाह
चेन्नई	तमिलनाडु	प्रमुख बंदरगाहों में सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह
कामराजर (एन्नोर)	तमिलनाडु	प्रथम निगमीकृत प्रमुख बंदरगाह (2001)
विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	सबसे गहरा भू-आवेष्टित पोताश्रय
पारादीप	ओडिशा	गहरे ड्राफ्ट वाला; कोयला, लौह अयस्क
श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता एवं हल्दिया)	पश्चिम बंगाल	एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह

- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 (प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लिया) के अंतर्गत **12 प्रमुख बंदरगाह; वाढवन (महाराष्ट्र)** को 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्वीकृति (₹76,200 करोड़, 2024)। **मुंद्रा** (अदाणी, गुजरात) सबसे बड़ा गैर-प्रमुख बंदरगाह है और समग्र रूप से सर्वाधिक व्यस्त माल बंदरगाह। **विझिंजम** (केरल) भारत का प्रथम गहरे जल का कंटेनर पारगमन बंदरगाह है (2025 में चालू)।
- सागरमाला** (2015) – बंदरगाह-आधारित विकास; **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030; मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047**; भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (1986, नोएडा): 111 राष्ट्रीय जलमार्ग; NW-1 गंगा (हल्दिया-प्रयागराज), NW-2 ब्रह्मपुत्र, NW-3 पश्चिमी तट नहर।

रेलवे एवं विमानन: त्वरित तथ्य

तथ्य	विवरण
प्रथम रेलगाड़ी	16 अप्रैल 1853, बंबई (बोरी बंदर) से ठाणे, 34 किमी
रेलवे का राष्ट्रीयकरण	1950; मंडल (ज़ोन): 18 (दक्षिणी 1951 में प्रथम); कोंकण रेलवे 1998
मार्ग लंबाई में सबसे बड़ा मंडल	उत्तर रेलवे (दिल्ली)

तथ्य	विवरण
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), लगभग 1,366 मीटर
समर्पित माल गलियारे	पूर्वी (लुधियाना-सोननगर) और पश्चिमी (दादरी-JNPT)
वंदे भारत	15 फ़रवरी 2019 को आरंभ (दिल्ली-वाराणसी)
प्रथम भारतीय वायुसेवा	टाटा एयर मेल 1932 (टाटा एयरलाइंस); एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953; जनवरी 2022 में टाटा समूह को पुनः निजीकृत
विमान अधिनियम	1934; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995
उड़ान (UDAN)	उड़ें देश का आम नागरिक (2016), क्षेत्रीय संपर्क
स्वर्णिम चतुर्भुज	NHDP (1998-2012); दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता
भारतमाला	सड़क कार्यक्रम 2017; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (1988)

विश्व अर्थव्यवस्था: त्वरित संदर्भ

देशों की मुद्राएँ

देश	मुद्रा	देश	मुद्रा
अमेरिका	डॉलर	ब्रिटेन	पाउंड स्टर्लिंग
जापान	येन	चीन	युआन (रेनमिनबी)
यूरो क्षेत्र	यूरो	रूस	रूबल
स्विट्ज़रलैंड	फ्रैंक	सऊदी अरब	रियाल
UAE	दिरहम	ईरान	रियाल
इराक	दीनार	कुवैत	दीनार
बांग्लादेश	टका	पाकिस्तान	रुपया
नेपाल	रुपया	श्रीलंका	रुपया
भूटान	नुल्ट्रम	मालदीव	रुफ़िया
अफ़ग़ानिस्तान	अफ़ग़ानी	म्यांमार	क्यात
थाईलैंड	बाट	वियतनाम	डॉंग
इंडोनेशिया	रुपिया	मलेशिया	रिंगिट
दक्षिण कोरिया	वोन	तुर्की	लीरा
इज़राइल	शेकेल	मिस्र	पाउंड
दक्षिण अफ़्रीका	रैंड	नाइजीरिया	नायरा
केन्या	शिलिंग	ब्राज़ील	रियल
मेक्सिको	पेसो	फ़िलीपींस	पेसो
अर्जेंटीना	पेसो	पोलैंड	ज़्लोटी
चेक गणराज्य	कोरुना	स्वीडन	क्रोना
नॉर्वे / डेनमार्क	क्रोन	हंगरी	फ़ोरिंट
यूक्रेन	रिन्निया	कंबोडिया	रियल (रील)
लाओस	किप	मंगोलिया	तुग्रिक
सिंगापुर / कनाडा / ऑस्ट्रेलिया	डॉलर	क्यूबा	पेसो

शेयर बाज़ार एवं सूचकांक

देश	एक्सचेंज	सूचकांक
अमेरिका	NYSE (वॉल स्ट्रीट), NASDAQ	डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक कंपोज़िट
ब्रिटेन	लंदन स्टॉक एक्सचेंज	FTSE 100
जापान	टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज	निक्केई 225
हांगकांग	HKEX	हैंग सेंग
चीन	शंघाई, शेनझेन	SSE कंपोज़िट
जर्मनी	फ्रैंकफ़र्ट (डॉयचे बोर्स)	DAX
फ़्रांस	यूरोनेक्स्ट पेरिस	CAC 40
दक्षिण कोरिया	कोरिया एक्सचेंज	KOSPI
सिंगापुर	SGX	स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स
ऑस्ट्रेलिया	ASX	S&P/ASX 200
भारत	BSE (1875, एशिया का सबसे पुराना), NSE (1992 में निगमित, कारोबार 1994)	सेंसेक्स (30; आधार 1978-79 = 100), निफ्टी 50 (आधार 1995 = 1,000)

केंद्रीय बैंक

देश	केंद्रीय बैंक
अमेरिका	फ़ेडरल रिज़र्व (वाशिंगटन डी.सी.; 1913)
ब्रिटेन	बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (1694; केंद्रीय बैंक की प्रथम अवधारणा)
यूरो क्षेत्र	यूरोपीय केंद्रीय बैंक (फ्रैंकफ़र्ट)
जापान	बैंक ऑफ़ जापान
चीन	पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना
पाकिस्तान	स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान
बांग्लादेश	बांग्लादेश बैंक
नेपाल	नेपाल राष्ट्र बैंक
श्रीलंका	सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका
भूटान	रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी
रूस	बैंक ऑफ़ रशिया
स्विट्ज़रलैंड	स्विस नेशनल बैंक

- **सबसे पुराना केंद्रीय बैंक:** स्वेरिजेस रिक्सबैंक (स्वीडन, 1668); बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (1694) प्रथम आधुनिक केंद्रीय बैंक है। **BIS** (बेसल, 1930) 'केंद्रीय बैंकों का बैंक' है।

आर्थिक समूह (अन्यत्र सम्मिलित नहीं)

समूह	तथ्य
ASEAN / सार्क	11 दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्य / 8 दक्षिण एशियाई राज्य (काफ़ी हद तक निष्क्रिय)
RCEP	15 देश; भारत नवंबर 2019 में बाहर हुआ
OPEC	1960 में बग़दाद में स्थापित; मुख्यालय वियना; OPEC+ में रूस सम्मिलित
IBSA	भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ़्रीका (ब्रासीलिया घोषणा 2003)
IMEC	भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, G20 दिल्ली 2023 में घोषित

आर्थिक सूचक एवं प्रतिवेदन (प्रकाशक)

प्रतिवेदन	प्रकाशक
विश्व आर्थिक परिदृश्य	IMF (अप्रैल और अक्टूबर)
वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ	विश्व बैंक (जनवरी, जून)
विश्व निवेश प्रतिवेदन	UNCTAD
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता (अब प्रतिभा)	IMD / WEF
वैश्विक लैंगिक अंतराल प्रतिवेदन	WEF
वैश्विक नवाचार सूचकांक	WIPO
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक	हेरिटेज फ़ाउंडेशन / फ़्रेज़र इंस्टीट्यूट
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक	ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल
मानव विकास प्रतिवेदन	UNDP
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक	UNDP और OPHI
विश्व प्रसन्नता प्रतिवेदन	UN SDSN
खाद्य सुरक्षा की स्थिति (SOFI)	FAO और भागीदार

PYQ-शैली अभ्यास: सिद्धांत, बैंकिंग एवं उद्योग

- प्र.1. निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार की विशेषता है? (a) विभेदित उत्पाद (b) कीमत-स्वीकारक फ़र्म (c) प्रवेश अवरोध (d) कुछ विक्रेता – उत्तर: (b)
- प्र.2. असंभव त्रिमूर्ति का अर्थ है कि कोई देश एक साथ नहीं रख सकता: स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूँजी गतिशीलता और स्वतंत्र मौद्रिक नीति।
- प्र.3. गुणक 5 होता है जब $MPC = ?$ 0.8 ($1/(1 - 0.8) = 5$)।
- प्र.4. 'तुलनात्मक लागत लाभ' सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डेविड रिकार्डो।
- प्र.5. 'सृजनात्मक विध्वंस' किससे संबद्ध है? जोसेफ़ शुम्पीटर।
- प्र.6. आरक्षित मुद्रा (M0) में सम्मिलित नहीं है: जनता के पास वाणिज्यिक बैंकों की मीयादी जमाएँ (इसमें मुद्रा, RBI के पास बैंकों की जमाएँ, अन्य जमाएँ सम्मिलित हैं)।
- प्र.7. RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ: 1949 में। बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण: 1969 (14), 1980 (6)।
- प्र.8. लघु वित्त बैंकों को ANBC का कितने % प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है: 60% (2025-26 से; पहले 75%)।
- प्र.9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र का हिस्सा: 50% (प्रायोजक 35%, राज्य 15%)।
- प्र.10. किस समिति ने भुगतान बैंकों की अनुशंसा की? नचिकेत मोर समिति (2014)।
- प्र.11. नरसिम्ह समिति II (1998) ने अनुशंसा की: CRAR 9%, बैंक विलय और NPA मानदंड।
- प्र.12. DICGC जमा बीमा सीमा: ₹5 लाख।
- प्र.13. SARFAESI अधिनियम बैंकों को सक्षम बनाता है: न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हित प्रवर्तित करने में।
- प्र.14. IBC, 2016: समाधान 330 दिनों में (180+90 विस्तार्य, बाह्य सीमा); IBBI विनियामक; NCLT न्यायनिर्णायक प्राधिकारी; लेनदार समिति (CoC) निर्णय करती है।
- प्र.15. बेसल III प्रस्तुत करता है: उत्तोलन अनुपात, LCR, NSFR और प्रति-चक्रीय बफ़र।
- प्र.16. MSP कौन निर्धारित करता है? CACP की सलाह पर CCEA।
- प्र.17. प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रतिरूप: हैरोड-डोमर। द्वितीय योजना: महालनोबिस (भारी उद्योग)।
- प्र.18. PLI योजना सर्वप्रथम (2020) किसके लिए आरंभ हुई? मोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक घटक।
- प्र.19. राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन आरंभ हुआ: जनवरी 2025 में।
- प्र.20. ऑपरेशन फ़्लड आरंभ हुआ: 1970 में।
- प्र.21. नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया: 1 जनवरी 2015 को।
- प्र.22. वित्त आयोग का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। GST परिषद: अनुच्छेद 279क। आकस्मिकता निधि: अनुच्छेद 267। संचित निधि: अनुच्छेद 266।
- प्र.23. FRBM अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 2003 (जुलाई 2004 से प्रभावी); एन. के. सिंह समिति ने 2017 में इसकी समीक्षा की।
- प्र.24. प्रत्यक्ष कर हैं: आयकर, निगम कर, संपत्ति/पूँजीगत लाभ। अप्रत्यक्ष: GST, सीमा शुल्क, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क।
- प्र.25. 'जुड़वाँ तुलन-पत्र समस्या' का अर्थ है: तनावग्रस्त कॉर्पोरेट तुलन-पत्र और तनावग्रस्त बैंक तुलन-पत्र (आर्थिक समीक्षा 2016-17)।

कथन-प्रकार का अभ्यास

कथन	निर्णय
बाज़ार कीमतों पर $GDP = \text{साधन लागत पर } GDP + \text{अप्रत्यक्ष कर} - \text{सब्सिडी}$	सत्य (नए ढाँचे में समतुल्य: $GVA + \text{उत्पाद कर} - \text{उत्पाद सब्सिडी}$)
$NNP = GNP - \text{मूल्यहास}$	सत्य
प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय ÷ जनसंख्या	सत्य
रेपो दर बढ़ने से ऋण विस्तार घटता है	सत्य
राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)	सत्य
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान	सत्य
प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - पूँजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान	सत्य
मुद्रा बाज़ार एक वर्ष तक के लिखतों का कारोबार करता है	सत्य
म्यूचुअल फंड का विनियमन RBI करता है	असत्य (SEBI)
बीमा का विनियमन SEBI करता है	असत्य (IRDAI)
पेंशन फंड का विनियमन PFRDA करता है	सत्य
₹1 तक के मुद्रा नोट RBI जारी करता है	असत्य (₹1 का नोट सरकार द्वारा)
SDR विश्व बैंक द्वारा जारी होता है	असत्य (IMF)

अध्याय 60

त्वरित सूची: अंतिम दिन की पुनरावृत्ति हेतु एक-पंक्ति तथ्य

नियोजन, सुधार एवं संस्थाएँ

- प्रथम पंचवर्षीय योजना: 1951-56 (हेरोड-डोमर); द्वितीय: 1956-61 (महालनोबिस); योजना अवकाश: 1966-69; बारहवीं (अंतिम): 2012-17; नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया
- योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को; राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) 6 अगस्त 1952 को
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को "भारत का आर्थिक संविधान" कहा गया; नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण: 19 जुलाई 1969 (14 बैंक); 15 अप्रैल 1980 (6 बैंक); इंपीरियल बैंक 1955 में SBI बना
- RBI: 1 अप्रैल 1935 को स्थापित; 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत; प्रथम गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ; प्रथम भारतीय गवर्नर सी. डी. देशमुख
- सबसे बड़ा बैंक: SBI; अप्रैल 2017 में SBI में पाँच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय
- 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से PSB की संख्या 27 (2017) से घटकर 12
- UPI अप्रैल 2016 में आरंभ; BHIM ऐप दिसंबर 2016; रुपे कार्ड 2012; भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008
- जन धन योजना: 28 अगस्त 2014; आधार अधिनियम 2016; DBT: 1 जनवरी 2013
- GST: 1 जुलाई 2017; नोटबंदी: 8 नवंबर 2016 (₹500 और ₹1,000 के नोट)
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता: 2016; NCLT: 1 जून 2016; RERA: 2016; FRBM: 2003
- MPC: प्रथम बैठक 3-4 अक्टूबर 2016; CPI लक्ष्य 4% (± 2); गवर्नर संजय मल्होत्रा
- केंद्रीय बजट 2017 से 1 फरवरी को प्रस्तुत; 2017 में रेल बजट सामान्य बजट में विलीन; बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण का नौवाँ केंद्रीय बजट है
- आर्थिक समीक्षा: प्रथम बार 1950-51 में प्रस्तुत; मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा तैयार
- भारत में कर अंतरण: 14वाँ वित्त आयोग 42%; 15वाँ और 16वाँ वित्त आयोग 41%
- नई GDP श्रृंखला का आधार 2022-23 (27 फरवरी 2026); नई CPI का आधार 2024 (प्रथम प्रकाशन जनवरी 2026)

मुद्रा एवं बाज़ार

- रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF एवं बैंक दर 5.75%, CRR 3%, SLR 18% (अक्टूबर 2026)
- 7 अक्टूबर 2026 को 25 आधार अंक की नीतिगत वृद्धि फरवरी 2023 के बाद पहली है; इससे पूर्व दर पथ: 6.50 (फरवरी 2025 तक) से 5.25 (दिसंबर 2025)
- प्रतिवर्ती रेपो पृथक स्थिर दर सुविधा बन गई, 3.35% पर; SDF गलियारे का निम्नतम स्तर है
- मुद्रा आपूर्ति के माप: M0 आरक्षित मुद्रा; M1 संकीर्ण; M2 (M1 + डाकघर बचत); M3 व्यापक मुद्रा (RBI का M3 मुख्य समुच्चय के रूप में प्रयुक्त); M4 कुल डाकघर जमा सहित
- RBI तरलता हेतु खुला बाज़ार परिचालन, LAF, MSS (2004), CRR, SLR का प्रयोग करता है
- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ 5-40 वर्ष; खज़ाना बिल 91/182/364 दिन; CMB 91 दिन से कम; राज्यों द्वारा SDL
- NSE 1992; BSE 1875; NSDL 1996; SEBI सांविधिक 1992; सेंसेक्स आधार 1978-79 = 100; निफ्टी 50 आधार 1995 = 1000
- LIC राष्ट्रीयकृत 1956; GIC 1972; IRDAI 1999; 2025 के संशोधन के बाद बीमा में FDI सीमा 100%
- NPS 1 जनवरी 2004; PFRDA सांविधिक 2013; अटल पेंशन योजना 2015; UPS 1 अप्रैल 2025 से
- SEBI अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय; T+1 निपटान 27 जनवरी 2023 से
- गिफ्ट सिटी, गांधीनगर: IFSC 2015; IFSCA 2020
- CBDC (e₹) प्रायोगिक चरण: थोक 1 नवंबर 2022; खुदरा 1 दिसंबर 2022

बाह्य क्षेत्रक

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार: 2 अक्टूबर 2026 को 734.6 अरब अमेरिकी डॉलर (शिखर 4 सितंबर 2026 को 785.71 अरब अमेरिकी डॉलर)
- रुपया 14 मई 2026 को ₹95.8-95.9 प्रति अमेरिकी डॉलर के निम्नतम स्तर पर पहुँचा
- भारत IMF में 1945 में सम्मिलित; विश्व बैंक 1945; WTO का संस्थापक सदस्य 1995; चालू खाता परिवर्तनीयता 20 अगस्त 1994
- सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य: अमेरिका; शीर्ष आयात: कच्चा तेल, स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक्स; शीर्ष व्यापारिक साझेदार: चीन (आयात), अमेरिका (निर्यात)
- भारत-ब्रिटेन CETA 15 जुलाई 2026 से प्रभावी; भारत-ओमान CEPA 1 जून 2026 से; भारत-EFTA TEPA 1 अक्टूबर 2025 से; भारत-न्यूजीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से; भारत-यूरोपीय संघ FTA 27 जनवरी 2026 को संपन्न

- विदेश व्यापार नीति 2023: 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात
- भारत का बाह्य ऋण: 747.2 अरब अमेरिकी डॉलर (जून 2025); GDP का 18.9%
- भारत को विप्रेषण: 118.7 अरब अमेरिकी डॉलर (2023-24); अमेरिका शीर्ष स्रोत (27.7%)
- जापान के साथ मुद्रा विनिमय सुविधा: 75 अरब अमेरिकी डॉलर तक; सार्क विनिमय ढाँचा 2 अरब अमेरिकी डॉलर

कृषि एवं खाद्य

- खाद्यान्न रिकॉर्ड: 376.56 मिलियन टन (2025-26 तृतीय अग्रिम अनुमान); चावल 154.02 मि.ट.; गेहूँ 120.66 मि.ट.; मक्का 55.09 मि.ट.; गन्ना 500.06 मि.ट.
- 2026-27 के लिए धान (सामान्य) का MSP: ₹2,441 प्रति क्विंटल; गेहूँ RMS 2026-27: ₹2,585; RMS 2027-28: ₹2,610
- पीएम-किसान ₹6,000 प्रतिवर्ष; KCC ₹5 लाख सीमा; PMFBY 2016
- NFSA 2013; PMGKAY निःशुल्क अनाज दिसंबर 2028 तक; उचित मूल्य की दुकानें लगभग 5.4 लाख
- श्वेत क्रांति: वर्गीज कुरियन; हरित क्रांति: एम. एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग; नीली क्रांति: मत्स्य पालन
- सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक: भारत (वैश्विक का लगभग 25%); उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध राज्य; UP गन्ना और खाद्यान्न में शीर्ष
- NABARD 12 जुलाई 1982; किसान क्रेडिट कार्ड 1998; e-NAM 2016; मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015; SFAC 1994; APEDA 1985; CACP जनवरी 1965; FCI 1965
- पूर्णतः जैविक बनने वाला प्रथम राज्य: सिक्किम (2016); पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य: राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर 1959)

उद्योग, अवसंरचना एवं सामाजिक

- PLI: 14 क्षेत्रक, ₹1.97 लाख करोड़; ISM ₹76,000 करोड़; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ₹19,744 करोड़; पीएम सूर्य घर 1 करोड़ परिवार
- NIP ₹111 लाख करोड़ (2019-25); NMP ₹6 लाख करोड़ (2021); गति शक्ति 13 अक्टूबर 2021; NLP 17 सितंबर 2022
- मेक इन इंडिया: 25 सितंबर 2014; स्टार्टअप इंडिया: 16 जनवरी 2016; डिजिटल इंडिया: 1 जुलाई 2015; स्मार्ट सिटी: 25 जून 2015
- 5G का शुभारंभ: 1 अक्टूबर 2022; दूरसंचार अधिनियम: 2023; सेमीकंडक्टर मिशन: दिसंबर 2021
- MSME वर्गीकरण में सबसे बड़ा परिवर्तन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी; उद्यम पोर्टल 1 जुलाई 2020
- स्किल इंडिया: 15 जुलाई 2015; NEP: 29 जुलाई 2020; RTE: 1 अप्रैल 2010; NFSA: 2013; मनरेगा: 2 फरवरी 2006 (NREGA 2005)
- आयुष्मान भारत PM-JAY: 23 सितंबर 2018 (राँची); 70+ आयु का कवरेज 29 अक्टूबर 2024 से
- राष्ट्रीय MPI शीर्ष-गणना अनुपात 29.17% (2013-14) → 11.28% (2022-23); विश्व बैंक अत्यधिक निर्धनता (3 अमेरिकी डॉलर/दिन) 2022-23 में 5.3%
- भारत का HDI क्रम 130 (HDR 2025); GHI क्रम 102 (2025); लैंगिक अंतराल क्रम 131 (2025)

त्वरित सूची 2: बैंकिंग, राजकोषीय एवं UP अर्थव्यवस्था

- 7 अक्टूबर 2026 की वृद्धि के बाद रेपो दर: **5.50%**; SDF 5.25%; MSF एवं बैंक दर 5.75%।
- CRR 3%, SLR 18%; नीतिगत रुख: अंशान्वित कसाव।
- RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा; प्रथम भारतीय गवर्नर: सी. डी. देशमुख; प्रथम गवर्नर: ऑस्बॉर्न स्मिथ।
- 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक: 14; 1980 में: 6। वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: 12।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: प्रायोजक बैंक 35%, केंद्र 50%, राज्य 15%।
- NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 (शिवरामन समिति), मुख्यालय मुंबई; SIDBI 1990 लखनऊ; NHB 1988 नई दिल्ली; EXIM बैंक 1982 मुंबई।
- DICGC ₹5 लाख तक की जमाओं का बीमा करता है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ। मुद्रा 8 अप्रैल 2015। स्टैंड-अप इंडिया अप्रैल 2016। अटल पेंशन योजना 2015।
- सुकन्या समृद्धि योजना: 10 वर्ष से कम आयु की बालिका; दर वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही निर्धारित।
- GST परिषद: अनुच्छेद 279क, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; निर्णयों के लिए 3/4 भारित मत आवश्यक (केंद्र 1/3, राज्य 2/3)।
- GST 2.0, 22 सितंबर 2025 से: स्लैब 5% और 18% तथा हानिकारक वस्तुओं के लिए 40%।
- वित्त आयोग: अनुच्छेद 280; 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, प्रतिवेदन अवधि 2026-31; अंतरण 41%।
- 15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 के लिए अंतरण 41%; 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए 41% बनाए रखा।
- FRBM अधिनियम 2003; एन. के. सिंह समिति 2017 ने ऋण-GDP 60% की अनुशंसा की (केंद्र 40%, राज्य 20%)।
- केंद्र ने वित्त वर्ष 27 से वार्षिक राजकोषीय घाटा लक्ष्य के स्थान पर **ऋण-GDP लंगर** (2030-31 तक 50±1%) अपनाया है।
- भारत के संप्रभु हरित बॉन्ड प्रथम बार जनवरी 2023 में निर्गत हुए।
- UP: सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य; राजधानी लखनऊ; 75 जिले; 18 मंडल।
- UP के एक्सप्रेसवे: पूर्वांचल (340 किमी), बुंदेलखंड (296 किमी), गोरखपुर लिंक (91 किमी), आगरा-लखनऊ (302 किमी), गंगा एक्सप्रेसवे (594 किमी, राज्य में सबसे लंबा), यमुना एक्सप्रेसवे (165 किमी)।
- UP के रक्षा गलियारे के नोड: लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट।
- UP के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे: लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, नोएडा (जेवर), गोरखपुर (धरेलू केंद्र का विस्तार)।

- ODOP: एक जिला एक उत्पाद (2018) – प्रत्येक जिले का एक उत्पाद।
- UP का राजकोषीय घाटा लक्ष्य GSDP के 3% के भीतर; UP राजस्व-अधिशेष वाला राज्य है।
- कुल प्रजनन दर: भारत 2.0 (SRS 2021); UP लगभग 2.4।



अध्याय 61

आर्थिक शब्दों की शब्दावली

शब्द एवं उनके अर्थ

शब्द	अर्थ
निरपेक्ष निर्धनता	एक निश्चित न्यूनतम आय/उपभोग रेखा से नीचे जीवन-यापन
समायोजन (RBI)	LAF/MSF के अंतर्गत प्रदान की गई तरलता
मूल्यानुसार कर (एड वैलोरेम)	मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर (GST)
अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता	कर प्राधिकरण के साथ पूर्व-सहमत अंतरण-मूल्य निर्धारण पद्धति
एंजल कर	असूचीबद्ध स्टार्टअप के शेयर प्रीमियम पर कर; 1 अप्रैल 2025 से समाप्त
मूल्य-वृद्धि (मुद्रा की)	अस्थायी विनिमय दर के अंतर्गत मुद्रा के मूल्य में वृद्धि
आर्बिट्रेज (बाज़ार-अंतर लाभ)	दो बाज़ारों में कीमत के अंतर से लाभ
परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा	2015 में RBI की कवायद जिसने छिपे NPA उजागर किए
कठोर मितव्ययिता	घाटा घटाने हेतु सरकारी व्यय में कमी
व्यापार शेष	निर्यात घटा वस्तु आयात
बैंकएश्योरेस	बैंकों द्वारा बीमा की बिक्री
मंदड़िया/तेजड़िया बाज़ार	गिरता / बढ़ता शेयर बाज़ार
वाहक बॉन्ड	धारक को देय; व्यापक रूप से प्रयुक्त नहीं
विनिमय पत्र (हंडी)	भुगतान का लिखित आदेश; मुद्रा बाज़ार का एक लिखत
काला धन	कर प्राधिकरणों को अघोषित आय
ब्लू चिप	बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी का शेयर
बॉन्ड प्रतिफल	बॉन्ड पर प्रतिलाभ; कीमत से विपरीत दिशा में चलता है
ब्रेटन वुड्स	1944 का सम्मेलन जिसने IMF और IBRD का सृजन किया
ब्राउनफ़ील्ड / ग्रीनफ़ील्ड	विद्यमान परियोजना का विस्तार / पूर्णतः नई परियोजना
बजट अनुमान / संशोधित अनुमान	प्रक्षेपण बनाम वर्ष के मध्य का अद्यतन
माँग पर मुद्रा (कॉल मनी)	रातोंरात से 14 दिन तक अंतर-बैंक उधारी
पूँजी खाता परिवर्तनीयता	पूँजीगत लेन-देन हेतु मुद्रा का मुक्त विनिमय (तारापोर समिति 1997, 2006)
पूँजीगत लाभ	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ; अल्पकालिक और दीर्घकालिक
कैरी ट्रेड	विदेश में कम दर पर उधार लेकर उच्च प्रतिफल में निवेश
जमा प्रमाणपत्र	अल्पकालिक बैंक जमा लिखत (7 दिन से 1 वर्ष)
उपकर / अधिभार	निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु कर पर कर / अतिरिक्त कर; राज्यों के साथ साझा नहीं
सर्किट ब्रेकर	सूचकांक में चरम उतार-चढ़ाव पर कारोबार का रोक दिया जाना
वाणिज्यिक पत्र	असुरक्षित अल्पकालिक कॉर्पोरेट लिखत; 7 दिन से 1 वर्ष
आकस्मिक देयता	भविष्य की घटना से उत्पन्न दायित्व
परिवर्तनीय बॉन्ड	ऋण जो इक्विटी में परिवर्तनीय है
कोर क्षेत्रक	ICI में आठ उद्योग (कोयला, कच्चा तेल, गैस, रिफ़ाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत); आधार 2011-12; IIP में भार 40.27%

शब्द	अर्थ
प्रति-चक्रीय	व्यापार चक्र के विपरीत चलने वाली नीति
प्रति-सब्सिडी (क्रॉस-सब्सिडी)	उपभोक्ताओं का एक वर्ग अन्य को सब्सिडी देने हेतु अधिक चुकाता है
मुद्रा विनिमय (करेंसी स्वेप)	भिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज का विनिमय
चालू खाता घाटा	वस्तुओं, सेवाओं के शुद्ध निर्यात के साथ आय और अंतरण ऋणात्मक
डिबेंचर	असुरक्षित कॉर्पोरेट ऋण प्रमाणपत्र
ऋण मुद्रीकरण	RBI द्वारा प्राथमिक बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना; 1997 में तदर्थ खज़ाना बिल समाप्त कर बंद किया गया
माँग जमा	माँग पर निकासी योग्य: बचत और चालू खाते
निक्षेपागार	NSDL, CDSL प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण करते हैं
अवमूल्यन (मुद्रा का)	मुद्रा के बाज़ार मूल्य में गिरावट
व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)	अंतर्निहित से मूल्य प्राप्त करने वाला अनुबंध: वायदा, विकल्प, स्वेप
अवमूल्यन (आधिकारिक)	स्थिर दर के अंतर्गत मुद्रा में आधिकारिक कमी (भारत: 1966, 1991)
गंदा प्लवन (डर्टी फ्लोट)	प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर
विनिवेश	PSU में सरकारी इक्विटी की बिक्री; अब रणनीतिक बिक्री और निजीकरण
डाइवैस्टमेंट बनाम डिस-इन्वेस्टमेंट	परीक्षा में प्रायः एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त
लाभांश	शेयरधारकों को वितरित लाभ
दोहरे कराधान से बचाव	एक ही आय पर दो बार कर से बचने की संधि (DTAA)
दोहरी विनिमय दर	भिन्न लेन-देन के लिए भिन्न दरें (भारत 1992-93 LERMS)
सस्ता धन	कम ब्याज की नीति
ECB	बाह्य वाणिज्यिक उधार; RBI/FEMA द्वारा विनियमित
आर्थिक लगान	अवसर लागत से अधिक भुगतान
प्रभावी विनिमय दर	NEER / REER व्यापार-भारित दर सूचकांक
लोच	कीमत या आय के प्रति मात्रा की संवेदनशीलता
समतुल्यीकरण अनुदान	राज्यों की असमानता घटाने हेतु राजकोषीय अंतरण
यूरोबॉन्ड	निर्गमन करने वाले देश से भिन्न मुद्रा में निर्गत बॉन्ड
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	एक्सचेंज पर कारोबार होने वाला सूचकांक कोष
साधन लागत	बाज़ार कीमत घटा अप्रत्यक्ष कर जमा सब्सिडी
FDI बनाम FPI	स्थायी हित (10%+) बनाम 10% से कम पोर्टफोलियो निवेश
प्रत्यादेश मुद्रा (फ़िएट मनी)	वस्तु द्वारा समर्थित नहीं बल्कि सरकारी आदेश पर आधारित मुद्रा
राजकोषीय संघवाद	केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन
राजकोषीय प्रोत्साहन	माँग बढ़ाने हेतु सरकारी व्यय या कर कटौती
अस्थायी दर	बाज़ार के अनुसार समायोजित होने वाली ब्याज दर या विनिमय दर
वायदा अनुबंध	सहमत कीमत पर भावी सुपुर्दगी का करार
मुक्त प्लवन (फ़्री फ्लोट)	सार्वजनिक कारोबार हेतु उपलब्ध शेयर
GAAR	सामान्य कर-परिहार-विरोधी नियम (अप्रैल 2017 से प्रभावी)
गिफ़्ट सिटी	भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गांधीनगर (विनियामक IFSCA)
गिल्ट-एज प्रतिभूतियाँ	सरकारी प्रतिभूतियाँ
गिनी गुणांक	0 समानता से 1 असमानता
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना	2015 की जमा योजना; 2025 में नई जमा हेतु बंद

शब्द	अर्थ
स्वर्णिम नियम	केवल निवेश हेतु उधार लें, चालू व्यय के लिए नहीं
ग्रीन शू विकल्प	IPO में अधिक-आबंटन विकल्प
सकल बनाम शुद्ध NPA	प्रावधान से पूर्व बनाम पश्चात
हवाला	अनौपचारिक मूल्य अंतरण प्रणाली
हेज फंड	सामूहिक आक्रामक निवेश कोष (भारत में श्रेणी III AIF)
गर्म धन (हॉट मनी)	अस्थिर अल्पकालिक पूँजी प्रवाह
मानव विकास सूचकांक	स्वास्थ्य, शिक्षा, आय; UNDP; HDR 2025 में भारत का क्रम 130
आयात प्रतिस्थापन	आयात को घरेलू उत्पादन से बदलना (भारत की 1950-91 की रणनीति)
समावेशी वृद्धि	ग्यारहवीं योजना का विषय
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	MoSPI का मासिक मात्रा सूचकांक; आधार 2011-12
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण	2016 से CPI पर लचीला लक्ष्य $4\% \pm 2\%$
अंदरूनी व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग)	अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना पर कारोबार, SEBI द्वारा निषिद्ध
ब्याज दर गलियारा	रेपो के आसपास SDF से MSF तक का बैंड
अदृश्य व्यापार	सेवाएँ, विप्रेषण, अंतरण
चालान	वस्तुओं और कीमत की सूची वाला बिल
J-वक्र	मुद्रा अवमूल्यन पहले व्यापार शेष को बिगाड़ता है, बाद में सुधारता है
जंक बॉन्ड	निवेश-श्रेणी से नीचे का बॉन्ड
कीन्सवादी अर्थशास्त्र	सरकारी माँग प्रबंधन
लैफ़र वक्र	किसी कर दर के बाद राजस्व घटने लगता है
उत्तोलन (लीवरेज)	उधार ली गई निधियों का प्रयोग
तरलता कवरेज अनुपात	30 दिन के बहिर्प्रवाह को कवर करने वाली उच्च गुणवत्ता की तरल परिसंपत्तियाँ (बेसल III)
लॉक-इन अवधि	वह अवधि जिसमें निवेश भुनाया नहीं जा सकता
समष्टि-विवेकपूर्ण नीति	प्रणालीगत जोखिम का विनियमन
सीमांत स्थायी सुविधा	NDTL के 2% तक SLR धारिता के विरुद्ध बैंकों द्वारा रातोंरात उधार; रेपो + 0.25
बाज़ार-मूल्य पर आकलन (मार्क टू मार्केट)	परिसंपत्तियों का वर्तमान कीमत पर मूल्यांकन
बाज़ार पूँजीकरण	शेयर की कीमत गुणा शेयरों की संख्या
मर्चेट बैंकर	निर्गमों का अधिलेखन और प्रबंधन करता है; SEBI पंजीकृत
सूक्ष्म वित्त	निर्धनों को छोटे ऋण; SHG-बैंक संबंधन (1992 NABARD)
मौद्रिक पारेषण	नीतिगत दर का ऋण दरों तक पहुँचना (अक्टूबर 2019 से EBLR)
नैतिक प्रेरणा (मोरल सुएज़न)	बैंकों पर RBI का अनुनयन
गुणक	स्वायत्त व्यय में प्रति इकाई परिवर्तन पर आय में परिवर्तन
निफ़्टी 50	NSE का 50 शेयरों का सूचकांक; सेंसेक्स BSE के 30 शेयरों का
गैर-कर राजस्व	ब्याज, लाभांश, शुल्क, RBI अधिशेष
काल्पनिक हानि	कागज़ी हानि
बिक्री हेतु प्रस्ताव (OFS)	प्रवर्तक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बेचते हैं
खुला बाज़ार परिचालन	तरलता हेतु RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री
ऑपरेशन ट्विस्ट	प्रतिफल वक्र को सपाट करने हेतु अल्पकालिक की बिक्री और दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद
परिणाम बजट	2005 से परिणामों पर केंद्रित

शब्द	अर्थ
सहभागी पत्र (पार्टिसिपेटरी नोट)	पंजीकृत FPI के माध्यम से भारतीय शेयरों में विदेशी निवेशकों के लिए लिखत
खूँटीबद्ध (पेगड) विनिमय दर	किसी अन्य मुद्रा से स्थिर रूप से संबद्ध
बहुपक्षीय उप-समूह करार (प्लुरिलैटरल)	WTO के सदस्यों के एक उप-समूह के बीच करार
निर्धनता रेखा	तेंदुलकर 2011-12: ग्रामीण ₹816, शहरी ₹1,000 प्रतिमाह; रंगराजन: ₹972 और ₹1,407
निजीकरण	स्वामित्व का निजी क्षेत्र को अंतरण
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन	वित्त मंत्रालय के अधीन प्रकोष्ठ; ऋण प्रबंधन कार्यालय प्रस्तावित
क्रय शक्ति समता	वह विनिमय दर जो वस्तुओं की टोकरी की कीमत बराबर करे; PPP में भारत तीसरा सबसे बड़ा
मात्रात्मक सहजता	तरलता डालने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा परिसंपत्ति क्रय
मात्रात्मक कसाव	मात्रात्मक सहजता का विपरीत
पुनर्पूँजीकरण	बैंकों में सरकारी इक्विटी का निवेश (2017 की ₹2.11 लाख करोड़ की योजना)
रेपो / प्रतिवर्ती रेपो	प्रतिभूतियों के विरुद्ध RBI द्वारा उधार देना / लेना; प्रतिवर्ती रेपो 3.35% स्थिर
आरक्षित किस्त (रिज़र्व ट्रेंच)	सदस्य कोटे का वह भाग जो IMF से बिना शर्त निकाला जा सकता है
त्याग अनुपात	प्रति इकाई अवस्फीति पर खोया गया उत्पादन
मुद्रा-निर्गमन लाभ (सीनियरेज)	मुद्रा जारी करने से लाभ
छाया बैंकिंग	नियमित बैंकों से बाहर ऋण मध्यस्थता (NBFC)
निक्षेप कोष (सिकिंग फंड)	ऋण चुकाने हेतु कोष
विशेष आहरण अधिकार	IMF की आरक्षित परिसंपत्ति, टोकरी पर मूल्यांकित: अमेरिकी डॉलर, यूरो, यूनान, येन, पाउंड
विशिष्ट शुल्क	प्रति इकाई मात्रा पर कर (जैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क)
स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीतिजन्य मंदी)	बेरोज़गारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति
सब्सिडी	कीमत घटाने या आय समर्थन हेतु सरकारी भुगतान
अस्तमन खंड (सनसेट क्लॉज़)	स्वतः समाप्त होने वाला प्रावधान
स्वेट इक्विटी	ज्ञान/बौद्धिक संपदा हेतु कर्मचारियों को शेयर
टेपरिंग (क्रमिक कटौती)	परिसंपत्ति क्रय में कमी करना
कर उत्प्लावकता	GDP में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व में परिवर्तन
कर व्यय	छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व
अवधि प्रीमियम	दीर्घ परिपक्वता के लिए अतिरिक्त प्रतिफल
व्यापार की शर्तें	निर्यात कीमत और आयात कीमत का अनुपात
टोबिन कर	मुद्रा लेन-देन पर कर
खज़ाना बिल	1 वर्ष तक की सरकारी प्रतिभूति: 91, 182, 364 दिन
रिसाव प्रभाव (ट्रिकल-डाउन)	वृद्धि के लाभ बाज़ार के माध्यम से निर्धनों तक पहुँचते हैं
यूनिफ़ॉर्म	1 अरब अमेरिकी डॉलर या अधिक मूल्य वाला स्टार्टअप
उसांस (यूसेंस)	व्यापार में ऋण अवधि
मूल्य संवर्धन	उत्पादन घटा मध्यवर्ती उपभोग
उद्यम पूँजी	स्टार्टअप हेतु इक्विटी; SEBI AIF श्रेणी I
थोक मूल्य सूचकांक	आधार 2011-12; 697 मर्दे; आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT
विंडो ड्रेसिंग	अवधि के अंत में लेखों की दिखावट सुधारना
प्रतिफल वक्र	परिपक्वताओं के सापेक्ष प्रतिफलों का आरेख
शून्य कूपन बॉन्ड	बट्टे पर बिकता है, कोई ब्याज नहीं
शून्य-आधारित बजट	प्रत्येक व्यय का शून्य से औचित्य

भारतीय आर्थिक नीति की कालरेखा (1944-2026)

वर्ष	घटना
1944	बंबई योजना; ब्रेटन वुड्स सम्मेलन
1948	औद्योगिक नीति प्रस्ताव (मिश्रित अर्थव्यवस्था); औद्योगिक वित्त निगम
1950	योजना आयोग की स्थापना (प्रस्ताव 15 मार्च 1950)
1951	प्रथम पंचवर्षीय योजना (हैरोड-डोमर); उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
1956	औद्योगिक नीति प्रस्ताव (समाजवादी स्वरूप); द्वितीय योजना (महालनोबिस); LIC का राष्ट्रीयकरण
1960 का दशक	हरित क्रांति; चतुर्थ योजना; 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण; MRTP अधिनियम 1969
1973	FERA; तेल संकट; SAIL का गठन
1975	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अध्यादेश); 20-सूत्री कार्यक्रम
1980	छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण; छठी योजना
1982	NABARD की स्थापना; EXIM बैंक
1985	सातवीं योजना; दीर्घकालिक राजकोषीय नीति
1988	SEBI की स्थापना (सांविधिक 1992); NHB
1991	भुगतान संतुलन संकट; स्वर्ण गिरवी; नई आर्थिक नीति (LPG): औद्योगिक अनुज्ञापन समाप्त, रुपये का 18-19% अवमूल्यन, डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, पी. वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री
1992	SEBI अधिनियम; हर्षद मेहता घोटाला; दोहरी विनिमय दर (LERMS)
1993	बाज़ार-निर्धारित विनिमय दर; RBI ने निजी बैंकों की अनुमति दी
1994	NSE का आरंभ; चालू खाता परिवर्तनीयता (IMF अनुच्छेद VIII)
1997	नवरत्न; तारापोर समिति; तदर्थ खज़ाना बिल समाप्त
1999	बीमा क्षेत्रक खोला गया (IRDA अधिनियम); FEMA ने FERA का स्थान लिया (2000)
2002	SARFAESI अधिनियम; प्रतिस्पर्धा अधिनियम
2003	FRBM अधिनियम; केलकर कार्य बल
2005	VAT लागू; मनरेगा (2006); सूचना का अधिकार
2008	वैश्विक वित्तीय संकट; प्रोत्साहन; ₹60,000 करोड़ की कृषि ऋण माफ़ी
2011	GDP श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05; जनगणना
2012	GAAR की घोषणा
2013	टेपर टैटम; खाद्य सुरक्षा अधिनियम; कंपनी अधिनियम 2013
2014	नीति आयोग (जनवरी 2015); जन धन; मेक इन इंडिया; स्वच्छ भारत
2015	नई GDP श्रृंखला आधार 2011-12; MSP; मुद्रा; अटल पेंशन; स्वर्ण योजनाएँ
2016	नोटबंदी (8 नवंबर, ₹500 और ₹1,000 के नोट); IBC; RBI संशोधन अधिनियम (MPC, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण); UPI
2017	1 जुलाई को GST लागू; बैंक विलय; पुनर्पूँजीकरण योजना; RERA
2018	आयुष्मान भारत; भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम; PCA; दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर पुनः आरंभ
2019	निगम कर में कटौती 22% / 15%; पीएम-किसान; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन; EBLR
2020	COVID-19: 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंदी; आत्मनिर्भर भारत ₹20 लाख करोड़; PLI; श्रम संहिताएँ पारित; कृषि विधियाँ; बैंक विलय (अप्रैल)

वर्ष	घटना
2021	मुद्राकरण पाइपलाइन; GST क्षतिपूर्ति; NARCL; राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन; कृषि विधियाँ निरस्त; विदेश में UPI
2022	खुदरा CBDC का प्रायोगिक चरण; मई से RBI की रेपो वृद्धि (फरवरी 2023 तक 4% से 6.5%); जून 2022 में GST क्षतिपूर्ति समाप्त
2023	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम; महिला आरक्षण; भारत की GDP पाँचवीं सबसे बड़ी; नारी शक्ति; भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे की घोषणा (G20 दिल्ली); प्रतिस्पर्धा संशोधन
2025	RBI रेपो कटौती (फरवरी, अप्रैल, जून 2025 में कुल 100 आधार अंक घटकर 5.50%, फिर दिसंबर 2025 में 5.25%); आयकर अधिनियम 2025 पारित; 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 प्रभावी; भारत पर अमेरिकी प्रशल्क 50% (अगस्त 2025); शांति (SHANTI) नाभिकीय अधिनियम; भारत-ब्रिटेन CETA पर हस्ताक्षर (जुलाई 2025); भारत-EFTA TEPA 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी; श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित; मोकिर, एघियों, हॉवित को नोबेल
2026	बजट 1 फरवरी 2026 (वित्त वर्ष 27); नई GDP श्रृंखला 2022-23 (27 फरवरी); भारत-यूरोपीय संघ FTA 27 जनवरी 2026 को संपन्न; भारत-ओमान CEPA 1 जून 2026; भारत-ब्रिटेन CETA 15 जुलाई 2026 से प्रभावी; 7 अक्टूबर 2026 को रेपो बढ़ाकर 5.50%; भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026; 16वें वित्त आयोग का चक्र अप्रैल 2026 से आरंभ; आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी

UP-PSC 2026

PRELIMS

SIMULATOR TESTS

Write Your
Prelims before the
Actual Prelims



SCAN TO
REGISTER

ENGLISH &
हिंदी माध्यम

SIMULATOR - 0
25 OCT
2026

SIMULATOR - 1
01 NOV
2026

SIMULATOR - 2
11 NOV
2026

SIMULATOR - 3
22 NOV
2026

SIMULATOR - 4
29 NOV
2026

Know your real All-India
rank and percentile—no
illusions, no comfort zones.

Validate **elimination**
techniques, risk-taking
and accuracy at scale.

**WHY
SIMULATOR
TESTS**

Experience exam - day
pressure before the actual
D-Day.

Identify **blind spots** and
course-correct in time.

ONLINE & OFFLINE TEST AT

📍 DELHI 📍 LUCKNOW 📍 PRAYAGRAJ 📍 VARANASI 📍 KANPUR

UPPSC PRELIMS

QRS QUICK
REVISION
SERIES

OPEN FOR ALL ON

 YouTube



30+ Classes

✉ admissions@forumias.academy

🌐 academy.forumias.com

☎ 9311740400 ☎ 9311740404